राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07] पन्द्रहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का छत्तीसवां दिवस [संख्या: 19

बुधवार,

16 मार्च 2022

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11:00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल। श्री पब्बाराम।

फलौदी जिला अस्पताल में पी एम ओ के पद की स्वीकृति

324. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जिला अस्पताल फलौदी में पीएमओ का पद स्वीकृत कर दिया गया है? यदि हां, तो पीएमओ को वित्तीय एवं अन्य अधिकार कब तक दे दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री परसादी लाल): प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल, फलौदी जिला जोधपुर को निदेशालय के आदेश क्रमांक 2046-57 दिनांक 09.03.2022 के द्वारा कार्यालयाध्यक्ष (एच.ओ.डी.) एवं आदेश क्रमांक 190 दिनांक 09.03.2022 के द्वारा वित्तीय शक्तियां प्रदान की गयी हैं, जो क्रमश: परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट की घोषणा जिला अस्पताल बनाने के बारे में, एक साल बाद मार्च में मेरा प्रश्न लगने के बाद में आपने आदेश किया, उसके लिए मंत्री जी, आपका बहुत-बहुत आभार। इस अस्पताल में 3/4 पद रिक्त पड़े हुए हैं और सभी जिला अस्पतालों में ट्रोमा सेंटर है, तो क्या ये पद भी भरेंगे और क्या सभी जिला अस्पतालों में अगर ट्रोमा सेंटर है तो मेरे हास्पिटल में....

श्री अध्यक्ष: एक प्रश्न में एक ही काम होगा, चार प्रश्न के कैसे काम कराओगे? आपके खोल दिया।

श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या मेरे यहां पर ट्रोमा सेंटर खोलने की कृपा करेंगे? यह निवेदन है।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, उत्तर से तो आप संतुष्ट हैं और जो इनके विशेषज्ञों के पद हैं वे खाली हैं और जब भी ट्रांसफर वगैरह खुलेंगे, अवेलेबल होंगे तो निश्चित रूप से आपके पदों को भर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री किसनाराम विश्नोई। माननीय सदस्य, आपका काम हो गया। अगला प्रश्न। श्री किसनाराम विश्नोई।

ग्रीन हाउस के लिए देय अनुदान

325. श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या प्रदेश में उन्नत कृषि, बागवानी एवं फलदार खेती हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों को ग्रीन हाउस निर्माण के लिए अनुदान देकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र लोहावट में उक्त योजनाओं से लाभान्वितों की संख्या व योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): जी हां। ग्रीन हाउस निर्माण के लिए राज्य के सामान्य श्रेणी के कृषकों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत 50 प्रतिशत अनुदान देय है एवं लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों को उपरोक्त 50 प्रतिशत अनुदान के अलावा 20 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राज्य योजना से उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस प्रकार लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों को ग्रीन हाउस/पॉली हाउस में 70 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2022-23 के बजट में अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के किसानों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाना प्रस्तावित किया गया है।

गत तीन वर्षों (2018-19 से 2020-21) में विधान सभा क्षेत्र लोहावट में ग्रीन हाउस निर्माण पर किसी भी कृषक को अनुदान से लाभान्वित नहीं किया गया है। विधान सभा क्षेत्र लोहावट में गत 3 वर्षों के दौरान 5 पत्रावलियां प्राप्त हुई हैं जिनमें से एक कृषक श्री रावलचन्द पुत्र श्री घेवरचन्द, निवासी-नोसर को शेडनेट हाउस निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में जारी की जा चुकी है। शेडनेट हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर

(कृषि मंत्री)

कृषक को अनुदान से लाभान्वित कर दिया जायेगा। अन्य कृषकों का लाटरी प्रक्रिया में नम्बर नहीं आने के कारण अनुदान से लाभान्वित नहीं किया गया है।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ग्रीन हाउस और पॉली हाउस निर्माण के लिए कितने वर्ग मीटर में अधिकतम कितना अनुदान देय है? नम्बर दो, किस-किस वर्ग के कृषकों को यह अनुदान देय है? तीसरा, इस योजना का मेरे विधान सभा क्षेत्र में कितने किसानों को लाभ दिया गया है और उसकी चयन प्रक्रिया क्या है? अगर चयन प्रक्रिया है और....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इतने प्रश्न नहीं। रेलेवेंट प्रश्न पूछें। माननीय सदस्य, प्लीज, बैठें। I will not allow it. मैं अगले क्वेश्चन पर चला जाऊंगा। यह थोड़े ही है कि एक क्वेश्चन में पांच क्वेश्चन पूछेंगे। माननीय मंत्री जी।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस 2000 मीटर से लेकर 4000 मीटर के होते हैं। जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं वह जवाब मैंने इसमें दे रखा है कि इसके अनुदान का जो प्रतिशत है वह 50 प्रतिशत है। पिछले वर्ष से पहले तो 'पहले आओ, पहले पाओ' की प्रक्रिया थी, पर गत वर्ष से लाटरी सिस्टम से हम अनुदान देने का काम कर रहे हैं और आपके यहां से जो एक किसान आया, उसका नाम मैंने बता दिया है। जोधपुर जिले में लाटरी के माध्यम से कुल 6 आये थे, जिनमें आपके लोहावट में एक किसान चयनित हुआ है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामलाल शर्मा।

जयपुर जिले में ट्यूबवैल

326. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 10 ट्यूबवैल व 40 हैंडपम्प की स्वीकृति की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो जिला जयपुर की किस-किस विधान सभा क्षेत्र में कितने ट्यूबवैल व कितने हैंडपम्प लगाए गए? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामलाल शर्मा)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले के कई ऐसे विधान सभा क्षेत्र हैं जहां पर पानी गहरा होने कारण हैंडपम्प उपयोगी नहीं हैं? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्रों में हैंडपम्पों के अतिरिक्त क्या वैकल्पिक कार्य किया गया? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में किस-किस विधान सभा क्षेत्र में उक्त घोषणा को पूरा किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) जी हां। दिनांक 24 फरवरी, 2021 को प्रस्तुत बजट 2021-22 में आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार 40 हैण्डपम्प एवं 10 ट्यूबवैल तक लगवाये जाने की घोषणा की गयी थी।

उक्त बजट घोषणा की अनुपालना में जयपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था अन्तर्गत 67 नलकूप एवं 269 हैण्डपम्पों का वेधन कार्य पूर्ण किया जाकर अब तक 42 नलकूप तथा 268 हैण्डपम्प चालू किये गये हैं।

उक्त निर्मित एवं चालू किये गये नलकूप एवं हैण्डपम्पों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। 90 मीटर से अधिक भू-जल स्तर की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में हैण्डपम्प का निर्माण किया जाना तकनीकी रूप से व्यावहारिक नहीं है। जयपुर जिले के ऐसे विधान सभा क्षेत्र जहां हैण्डपम्प का निर्माण उक्तानुसार व्यावहारिक नहीं है, उन विधान सभा क्षेत्रों में अन्य व्यवस्था के अन्तर्गत 150 व 200 मिलीमीटर व्यास के 184 थ्री-फेज नलकूपों के निर्माण एवं स्थापना कार्य हेतु स्वीकृति जारी की जाकर, इसके विरुद्ध 92 नलकूप अब तक चालू किये गये हैं।

उक्त नलकूपों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जयपुर जिले के शेष विधान सभा क्षेत्रों में घोषणा की अनुपालना में अनुशंसा, आवश्यकता एवं फिजिबिलिटी अनुरूप स्वीकृतियां सतत रूप से जारी की जाकर, हैण्डपम्प एवं नलकूपों का निर्माण किया गया/जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एक तो मेरे विधान सभा क्षेत्र

(श्री रामलाल शर्मा)

में जो 10 ट्यूबवैल और 40 हैण्डपम्पों की स्वीकृति जारी की, वह स्वीकृति कब जारी की और उनकी स्वीकृति का कौनसा ईयर माना जाएगा, 2021-22 माना जायेगा या 2022-23 माना जायेगा?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन विधान सभा क्षेत्रों में जल जीवन मिशन की योजनाएं धरातल के ऊपर नहीं आयीं, टेंडर भी नहीं हुए, टेंडर हो गये तो वर्क आर्डर नहीं हुआ, तो इन गर्मियों में समस्या को देखते हुए क्या ऐसे विधान सभा क्षेत्र में कोई वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आप ट्यूबवैल कराने की मंशा रखते हैं?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा, मैं समझता हूं कि यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

दूसरा, अभी तक तो वित्तीय वर्ष 2021-22 ही चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि अब तक माननीय विधायकों के प्रस्ताव आ रहे हैं। नलकूप और जो हैण्डपम्प लगने हैं उसके सम्बन्ध में परसों बात हुई थी कि 2021-22 की घोषणाएं अब तक पूरी नहीं हुईं तो, अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है, मेरे पास विवरण है कि लगभग 50 से अधिक विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां से नलकूप और हैण्डपम्पों के प्रस्ताव ही नहीं आये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 14 मार्च तक प्रस्ताव आ रहे हैं और हो सकता है कल भी आयें, परसों भी आयें। मैं, माननीय सदस्य, आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रस्ताव कभी भी आयें, हम उन प्रस्तावों को इस वित्तीय वर्ष में करने का पूरा प्रयास करेंगे, अब भी आयेंगे उनको भी करेंगे।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो सीधा-सा प्रश्न है कि जल जीवन मिशन के तहत पानी की योजनाएं स्वीकृत नहीं हुईं तो गर्मियों को देखते हुए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार है क्या?

श्री अध्यक्ष: यह अलग प्रश्न है, इसकी तैयारी ही नहीं है। यह अलग प्रश्न है। अगला प्रश्न। श्री जोगेश्वर गर्ग।

जालौर में डी एम एफ टी के कार्य

327. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार को विधान सभा क्षेत्र जालौर में डीएमएफटी मद में विगत

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

पांच वर्ष में कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मद में प्राप्त धनराशि को व्यय करने हेतु क्या प्रक्रिया निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मद में प्राप्त धनराशि को विगत पांच वर्ष में कहां-कहां, किस-किस कार्य पर व्यय किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) विधान सभा क्षेत्र जालौर में अवस्थित रियायतों से जालौर जिले के डीएमएफटी फण्ड में वर्ष 2016-17 से 2021-22 (दिनांक 28.02.2022 तक) में रुपये 486.03 लाख अंशदान के रूप में प्राप्त हुए हैं। वर्षवार विवरण निम्न है:-

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**प्राप्त अंशदान राशि (रुपये लाख में)**
1	2016-17	50.65
2	2017-18	75.16
3	2018-19	67.89
4	2019-20	81.12
5	2020-21	132.45
6	2021-22 (दिनांक 28.02.2022 तक)	78.76
	कुल	**486.03**

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रताप सिंह जी, बार-बार कहना पड़ता है। This is very unfortunate. या तो आप लास्ट की बेंच पर बैठना पसन्द करो तो ठीक रहेगा।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ इन-जस्टिस हुआ है।

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठें। जस्टिस करेंगे, अभी आप बैठो। पहले बैठें प्लीज। पहले अपने आपका ठीक करें जस्टिस, फिर सब करेंगे। प्लीज, बैठें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। बैठें आप। इसी तरह आज्ञा का पालन करते रहें। बैठें आप।

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (2) डीएमएफटी फण्ड में जमा राशि को व्यय करने की प्रक्रिया राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के नियम 15 में दी गयी है। सम्बन्धित नियम की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) जालौर जिले के डीएमएफटी फण्ड में जमा राशि में से विधान सभा क्षेत्र जालौर में वर्ष 2016-17 से 2021-22 (दिनांक 28.02.2022 तक) की अवधि में विभिन्न विकास कार्यों पर रुपये 180.80 लाख तथा सिलिकोसिस बीमारी से मृतक आश्रितों को रुपये 20.00 लाख सहायतार्थ भुगतान में व्यय किये गये। वर्षवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट 2 व 3 पर उपलब्ध है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके अधिकारियों को जालौर विधान सभा क्षेत्र की भौगोलिक सीमा नहीं मालूम है? उन्होंने आकोली और बागरा दोनों गांव जालौर में बताये हैं, जो कि आहोर में आते हैं। इस हिसाब से आपकी यह गणित गलत है।

श्री अध्यक्ष: आपको अधिकार है, गलत का तरीका दूसरा है। उनके खिलाफ लेकर आओ, गलत उत्तर के लिए तरीका है। लेकर आइये न। प्रश्न पूछिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): उत्तर गलत दिया है, पूछूं तो सही इनसे कि उत्तर गलत क्यों दिया?

श्री अध्यक्ष: प्लीज, उसके लिए तरीका है, बताया न। सीनियर आदमी हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): इसलिए जो मेरे खाते में ज्यादा बता दिया है, वह और कम आता, सवा करोड़ से ज्यादा मेरे हिस्से में नहीं आता है। यह डीएमएफटी जिसकी फुल फार्म है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट, मेरा, मंत्री महोदय, सीधा आपसे प्रश्न है कि इस ट्रस्ट की भावना को समझते हुए, जो नियम इस ट्रस्ट के फण्ड वितरण के बने हुए हैं, उपयोग के, उस पर जनता का ट्रस्ट न तोड़ते हुए, जिस क्षेत्र से पैसा आ रहा है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, I will not allow it. प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप?

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं। अगला प्रश्न, हो गया वापस। आप पिन पाइंट प्रश्न पूछें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): साहब, पिन पाइंट ही पूछ रहा हूं। इसका जवाब तो...

श्री अध्यक्ष: क्या पूछ रहे हैं, प्लीज। आपको मिला है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): जिस क्षेत्र से पैसा आ रहा है, आप कलेक्ट कर रहे हैं, उस प्रभावी क्षेत्र के लोगों और उस प्रभावी क्षेत्र के डवलपमेंट के लिए आप पैसा खर्च करेंगे या नहीं करेंगे? इसका वादा करते हैं क्या आप?

श्री अध्यक्ष: इसमें लिखा हुआ है क्या है?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने बात बतायी कि जालौर की जो जानकारी दी है, वह गलत है। मैं इसकी जानकारी करा लूंगा। किसी ने गलत जानकारी दी है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। साथ ही, जो आपने डीएमएफटी फण्ड के वितरण की बात की, तो इसके लिए गवर्नर काउंसिल, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर हैं, आप खुद भी उसके सदस्य हैं, वहीं पर निर्णय होता है। आप स्वयं अपना निर्णय कराने में सक्षम हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। Please, I am sorry.

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): हमको मीटिंग में नहीं बुलाया गया।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल। I will not allow it. रिकार्ड नहीं होगा। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप बैठें। जस्टिस नहीं करते, अपने आप कमेन्ट करेंगे। I don't want your certificate for justification. I don't want your certificate.

बून्दी में ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पद

328. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बून्दी की ग्राम पंचायतों में लम्बे समय से ग्राम विकास अधिकारी के पद रिक्त चल रहे हैं व उक्त अधिकारी के पास 2-3 ग्राम पंचायतों का प्रभार होने के कारण पंचायतराज की योजनाओं

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

का संचालन समय पर नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो किन-किन ग्राम पंचायतों में, कब से पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नई भर्ती कर स्थायी नियुक्तियां प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा नई भर्ती करने अथवा रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों को संविदाकर्मी के रूप में नियुक्ति प्रदान कर उक्त कार्यों को समय पर सम्पादित कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त की क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पंचायती राज मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) बून्दी जिले की ग्राम पंचायतों में 84 ग्राम विकास अधिकारी के पद रिक्त चल रहे हैं, जिनमें से नवीन ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों पर ग्राम विकास अधिकारियों को कार्यव्यवस्थार्थ अतिरिक्त चार्ज देकर कार्य सम्पादित करवाया जा रहा है तथा विभागीय पत्र क्रमांक 496 दिनांक 08.03.2022 द्वारा ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ लिपिक ग्राम पंचायत में एक दूसरे के लिंक आफिसर के रूप में कार्य करेंगे, जिससे कि एक कार्मिक की अनुपस्थिति में दूसरा कार्मिक उसका भी कार्य सम्पादित कर सकेगा, के संबंध में समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। ग्राम पंचायतों में दिनांकवार रिक्त चल रहे ग्राम विकास अधिकारी के पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

जी हां। विभागीय पत्र क्रमांक 430 दिनांक 11.02.2021 द्वारा ग्राम विकास अधिकारियों के 3,896 रिक्त पदों की भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अर्थना भिजवायी गयी थी, जिसके क्रम में बोर्ड द्वारा दिनांक 27-28 दिसम्बर, 2021 को प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जा चुकी है।

इसके पश्चात् उक्त भर्ती में सक्षम स्वीकृति उपरांत 1,500 अतिरिक्त पदों को उक्त पदों में सम्मिलित करते हुए कुल 5,396 पदों पर भर्ती हेतु संशोधित अर्थना विभागीय पत्र क्रमांक 367 दिनांक 21.02.2022 द्वारा कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवायी जा चुकी है।

(2) जी हां। ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पदों के मद्देनजर समेकित पारिश्रमिक के आधार पर सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारियों की भी सेवाएं ली जाने हेतु विभागीय पत्र दिनांक 02.02.2021 द्वारा समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये।)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री से निवेदन है कि क्या यह सही है कि हाल ही पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ सहायक, जिसे हम एलडीसी कहते हैं, एक-दूसरे के लिंक आफिसर के रूप में कार्य करेंगे? और अनुपस्थिति में एक-दूसरे के दायित्व निर्वहन करने के निर्देश जो आपने दिये हैं, इसको यदि विभाग स्पष्ट करे कि केवल ग्राम विकास अधिकारी की अनुपस्थिति में ही कनिष्ठ सहायक को कार्यभार दिया जा सकता है और पद रिक्त होने पर कनिष्ठ सहायक को ग्राम विकास अधिकारी के पद का चार्ज दिया जायेगा, क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी की अनुपस्थिति में...

श्री अध्यक्ष: माननीय, प्रश्न पूछ रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): सर, प्रश्न ही है। उसमें पद होने पर सहायक अभियन्ता, अतिरिक्त विकास अधिकारी या ब्लाक शिक्षा अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी को चार्ज दिया जाता है, न कि पद रिक्त होने पर। यह तो मेरा पहला प्रश्न है।

दूसरा प्रश्न मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो ग्राम विकास अधिकारी, जहां पर हमारे हैं, उसका जो पद रिक्त है, वहां पर कनिष्ठ सहायक व कृषि पर्यवेक्षक को चार्ज दिये जाने की बात मैं बोल रही हूं, इसको आपकी करने की मंशा है क्या?

दूसरा, दो लाइन का मेरा प्रश्न है कि विभागीय आदेश जो आपने 02.02.2021 निकाला है, इसके द्वारा सेवानिवृत्त विकास अधिकारी की सेवा लेने के आदेश की प्रक्रिया बहुत जटिल है, इसको आप सरल करना चाहते हो क्या? बस इतना सा मेरा प्रश्न है।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपका पहला प्रश्न यह है, कि कनिष्ठ लिपिक जो हमारे लगे हुए हैं, जहां ग्राम विकास अधिकारी नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर हम कनिष्ठ लिपिकों को लगायेंगे, अनुपस्थिति नहीं है, इस आर्डर में थोड़ा-सा सुधार करेंगे। आपके बून्दी जिले में जितने भी ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पद हैं, जब तक हमारी भर्ती नहीं हो जाती तब तक ग्राम विकास अधिकारियों की जगह, जो लिंक अधिकारी हमारे कनिष्ठ लिपिक हैं, वे पूरे लगा दिये जायेंगे। आपके विधान सभा क्षेत्र व आपके जिले में ज्यादा से ज्यादा तीन या सात दिन में रिक्त पद भर दिये जायेंगे।

(श्री रमेश चन्द मीना)

दूसरा, आपने जो संविदा पर रिटायर्ड ग्राम सेवक की बात कही है, तो उसमें कुछ लिमिटेशन्स हैं, वे तो होनी भी चाहिये, 65 साल से ऊपर का नहीं हो, वह फिजीकल फिट हो, ये सारी व्यवस्थाएं, जो काम करने लायक हो, तो कोई भी ग्राम सेवक है, जो रिटायर हो गया है, किसी ने भी अभी तक एप्लीकेशन नहीं दी है। अगर कोई एप्लीकेशन देता है, वह काम पर लगना चाहता है तो उसको हम लगायेंगे।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): धन्यवाद, साहब।

श्री अध्यक्ष: सुश्री दिव्या मदेरणा।

ओसियां में उचित मूल्य की दुकानें

329. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र ओसियां में उचित मूल्य की कितनी दुकानें स्वीकृत हैं तथा विगत तीन वर्षों से कितने राशन डीलर कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की दुकानों पर वर्ष 2019-20 व 2020-21 में प्रतिमाह निर्धन परिवारों को कितना गेहूं, चावल, चीनी एवं अन्य खाद्य वस्तुएं वितरित की गईं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) विधान सभा क्षेत्र ओसियां में 128 उचित मूल्य की दुकानें स्वीकृत हैं। विगत 3 वर्षों से 107 राशन डीलर कार्यरत हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त दुकानों पर वर्ष 2019-20 व 2020-21 में प्रतिमाह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित निर्धन पात्र परिवारों को गेहूं और अन्त्योदय परिवारों को वितरित चीनी का माहवार विवरण परिशिष्ट-2 संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं बहुत जगह पर चीनी का स्टाक तो है, लेकिन वह खराब हो रही है, क्योंकि राशन ऑनलाइन एप पर एक साल से ऑप्शन बंद है। क्या आप बिना डांट लगाये, ऑप्शन पुन: चालू कर चीनी वितरण का विचार रखते हैं?

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

एक मेरा प्रश्न और है, फूड सिक्योरिटी एक्ट के अन्दर बहुत सारे गांव में गरीबों के नाम कट गये हैं, क्या सरकार वहां पर वापस सर्वे करवाकर उनके नाम जोड़ने का विचार रखती है?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दोनों क्वेश्चन का जवाब।

श्री अध्यक्ष: दूसरा क्वेश्चन irrelevant है, पहले का जवाब दे दें।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दूसरे का भी दे दूं।

श्री अध्यक्ष: ना-ना, प्लीज। जो भी irrelevant क्वेश्चन है, उसका जवाब, I will not allow it. सिर्फ रेलेवेंट क्वेश्चन का सप्लीमेंट्री जवाब दें।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मुझे दोनों का पता है, इसलिए।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप जवाब दे दें, नहीं तो आप बैठें। This is a wrong practice.

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, चीनी के वितरण की जहां तक बात है, चीनी का वितरण राजस्थान में 6 लाख अन्त्योदय परिवारों को किया जाता है। एक परिवार को एक किलो चीनी मिलती थी। 2020-21 तक चीनी का वितरण किया गया, जब परिवारों की डिमाण्ड बंद हो गयी तो हमने भारत सरकार को एक पत्र लिखा कि ये जो एक किलो चीनी के 20 रुपये मिलते हैं, वह हम इनके खातों में जमा करा दें, क्योंकि चीनी लेने वालों की संख्या बहुत कम है। भारत सरकार उसके लिए तैयार नहीं हो रही है। 2020-21 के बाद चीनी का उठाव बंद कर दिया गया है। यह चीनी सिर्फ अंत्योदय परिवारों को मिला करती थी और खाद्य सुरक्षा गारन्टी कानून में हम सब जगह नाम जोड़ना चाहते हैं, लेकिन केन्द्र सरकार प्राथमिकता नहीं दे रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, I said, no. दूसरा सप्लीमेंट्री है।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): सर, जो आलरेडी स्टाक में पड़ी है और खराब हो रही है, उसका तो वितरण करना चाहिये, आगे बंद कर दें।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आलरेडी स्टाक में हमारे पास चीनी नहीं है और यदि आपके पास ऐसी कोई

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

सूचना है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे। यदि कहीं चीनी पड़ी हुई है और इस तरह का मामला है, तो उसकी जांच करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रूपा राम।

मकराना में आंगनबाड़ी केन्द्र

330. श्री रूपा राम (मकराना): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं? उक्त केन्द्रों पर पोषाहार में क्या-क्या वितरित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में पोषाहार वितरण का कार्य किस-किस संस्था, फर्म के द्वारा करवाया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत दो वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र के उक्त केन्द्रों का किस-किस स्तर के अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया? क्या निरीक्षण के दौरान उक्त केन्द्रों पर कोई अनियमितताएं पाई गईं? यदि हां, तो कहां-कहां व किन-किन केन्द्रों पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती ममता भूपेश): (1) विधान सभा क्षेत्र मकराना में बाल विकास परियोजना मकराना संचालित है, जिसमें 246 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 13 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र, कुल 259 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वितरित किये जाने वाले पोषाहार में गेहूं, चावल एवं चना दाल वितरित किये जाते हैं।

(2) वर्तमान में विभाग द्वारा गेहूं, चावल भारत सरकार से आबंटित अनुदानित दरों पर भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त किया जा रहा है एवं चना, दाल भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नैफेड) के माध्यम से क्रय कर उक्त सामग्री को राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा उठाव, परिवहन एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों तक आपूर्ति का कार्य किया जा रहा है।

(3) विगत 2 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र मकराना के केन्द्रों पर जिला स्तरीय अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी व महिला पर्यवेक्षकों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किये गये हैं।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर निरीक्षण के दौरान 40 सामान्य अनियमितता पायी गयीं, जिनका तत्समय ही निस्तारण कर दिया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रूपा राम (मकराना): अध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड 2 के बारे में जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से। मैंने पूछा था कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में पोषाहार वितरण का कार्य किस-किस संस्था, फर्म के द्वारा करवाया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें। यह तो उसी तरह आपका जवाब हो गया कि मैं पूछ रहा हूं कि भाई कितने थे और काम क्या कर रहे थे, तो आप कह रहे हो कि पिताजी चार भाई थे और काम हम ही कर रहे हैं। इसका जवाब...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप ही जवाब दे रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं?

श्री रूपा राम (मकराना): एक मिनट, इसका जवाब यह आ रहा है कि वर्तमान...(व्यवधान) मैंने पूछा कि...

श्री अध्यक्ष: दुबारा पूछ लो जो पूछना है आपको।

श्री रूपा राम (मकराना): उक्त विधान सभा क्षेत्र में पोषाहार वितरण का कार्य किस-किस संस्था, फर्म के द्वारा करवाया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष: बस ठीक है, माननीय सदस्य।

श्री रूपा राम (मकराना): इसका इन्होंने जवाब दिया है कि खरीद रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मैंने पढ़ लिया है। माननीय मंत्री जी, जवाब रिलेवेंट नहीं है, उनका प्रश्न बिलकुल ठीक है। किन-किन संस्थाओं से किया है, उसका जवाब दे दो।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, नैफेड और एफसीआई के द्वारा किया जा रहा है और हमारा जो पीडीएस सिस्टम है उसके द्वारा बांटा जा रहा है। अध्यक्ष जी, तीन ही संस्थाओं का इन्वोल्वमेंट है, और तो है नहीं।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, ठेकेदार प्रथा है और ठेकेदार का नाम भी पता है। मुझे पता नहीं जान-बूझकर ठेकेदार का नाम

श्री रूपा राम)

क्यों छिपाया है, पूरे नागौर जिले में ठेकेदार एक ही है। मैं इसलिए इस प्रश्न को महत्वूपर्ण मानता हूं कि इससे पहले बहुत बड़ा घोटाला हुआ है मुकदमे हुए हैं, लोग जेल में हैं। किसी अधिकारी ने माननीय मंत्री महोदय से जान-बूझकर नाम छिपाया है। ठेकेदार का नाम है मैसर्स भाटी ट्रेडर्स एंड सप्लाई और हमारे सीडीपीओ की पोस्टें हैं 13, जिनमें से 10 खाली हैं, 3 हैं इसलिए मेरा आपसे निवेदन है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। मंत्री जी, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, कोई ठेकेदार है या नहीं है, इसका जवाब दे दें।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग द्वारा गेहूं, चावल, दाल तीनों चीजें क्रय करके नैफेड से भारतीय खाद्य निगम को दी जाती है और आगे सप्लाई करने का कार्य हमने उनको दे रखा है। अब उनके कौन है आगे नीचे, वो किससे करवा रहे हैं, यह जिम्मेदारी खाद्य विभाग की है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उनकी रेस्पोंसिबिलिटी है? मंत्रालय की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी कि वह नीचे जाकर बंट रहा है या नहीं बंट रहा है? उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर हमारी जांच हो रही है और जो हमारा जांच करने का सिस्टम है उसके अन्दर भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, डिप्टी लेवल के ऊपर जांच साल की, महीने की फिक्स होती है, सीडीपीओ की फिक्स होती है, एलएस की फिक्स होती है जो जाकर आंगनबाड़ी केन्द्र के ऊपर बंट रहा है कि नहीं बंट रहा है। कंसर्निंग जो लाभार्थी हैं उनको भी जाकर उनके घर भी जाकर पूछा जाता है और कोरोना काल जो हमारा गया उसमें तो हमने घर-घर जाकर बांटा है, अध्यक्ष जी, एक-एक लाभार्थी के।

श्री रूपा राम (मकराना): नहीं बंट रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्लीज, आप कह रहे हो कि एफसीआई से नीचे दिया जाता है, अब एफसीआई से जाने के बाद वहां ठेकेदार बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है, इसकी जिम्मेदारी तो विभाग की होगी, तो क्या जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि किसी फर्म द्वारा ठेके लेकर जिस तरह का गबन हो रहा है, तो क्या आपने उसको चैक करने की कोशिश की या करेंगे?

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चैक करने की कोशिश तो कर रहे हैं और की भी है लेकिन हमारे पास कोई शिकायत आयी नहीं किसी लाभार्थी द्वारा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य बोल रहे हैं ऐसा हो रहा है।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अगर ये कह रहे हैं कि कोई ठेकेदारी प्रथा चल रही है जबकि हमारा तो पारदर्शी ट्रांसपेरेंट काम चल रहा है। अगर ये कह रहे हैं तो मैं जांच करवा लूंगी इनकी कांस्टिट्यूएंसी की कि ये क्या कह रहे हैं, किसके द्वारा ठेका किया जा रहा है, लेकिन हमारा विभाग पारदर्शिता से काम कर रहा है और हर जगह जाकर आंगनबाड़ी वर्कर पूछती हैं, लाभार्थी को घर-घर जाकर सप्लाई करने की व्यवस्था हमारी सुचारु चल रही है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती कृष्णा पूनियॉं।

झुन्झुनूंभादरा सड़क का निर्माण

331. श्रीमती कृष्णा पूनियॉं (सादुलपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या बजट घोषणा वर्ष 2021-22 में झुंझुनूंराजगढ़ व राजगढ़-भादरा सड़क की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या अब तक उक्त सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है? क्या सरकार उक्त सड़क को बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): जी हां। झुंझुनूं-राजगढ़ राजमार्ग हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि 214.19 करोड़ रुपये दिनांक 09.06.2021 को जारी की जा चुकी है। इस सड़क के निर्माण हेतु प्रथम बार निविदा दिनांक 12.07.2021 को आमंत्रित की गई थी, जिसमें एकल निविदा ऊंची दर पर प्राप्त होने के कारण निरस्त कर दी गयी। तत्पश्चात् दूसरी बार निविदा दिनांक 08.12.2021 को आमंत्रित की गयी, जिसकी वित्तीय निविदा दिनांक 09.03.2022 को खोली जा चुकी है, जो स्वीकार योग्य है। सक्षम स्वीकृति उपरान्त अनुबन्ध सम्पादित कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्माण कार्य शुरू किया जाना प्रस्तावित है।

राजगढ़-भादरा राजमार्ग हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि 155.69 करोड़ रुपये दिनांक 09.06.2021 को जारी की जा चुकी है। इस सड़क

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

की फिजिबिलिटी रिपोर्ट अद्यतन का कार्य प्रगति पर है, तत्पश्चात् विश्व बैंक से अनुमोदन उपरान्त निविदा आमंत्रित की जा सकेगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्माण कार्य शुरू किया जाना प्रस्तावित है।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं बिना फिजीबिलिटी रिपोर्ट के निविदा जारी की जा सकती है क्या?

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बगैर फिजीबिलिटी रिपोर्ट के निविदा जारी नहीं की जा सकती।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): लेकिन यह घोषणा एक ही घोषणा थी जिसमें से एक तरफ से तो निविदा जारी हो चुकी है, यह आपके द्वारा बताया गया है और दूसरा आपने वर्ल्ड बैंक का जिक्र किया क्योंकि बजट घोषणा थी, तो मैं इस आन्सर से आपसे संतुष्ट नहीं हूं।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, जब भी हम फील्ड में होते हैं यह बजट घोषणा है चूंकि...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। प्रश्न।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): साहब, वही पूछ रही हूं क्योंकि जनता हमसे सवाल करती है। 2021-22 की घोषणा थी अभी 2022-23 में इसे बनाने का निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही गयी है। कोई डेडलाइन है क्या? अगर नहीं है, तो तब तक क्या रिपेयरिंग करने की भी सरकार मंशा रखती है?

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सही है कि बजट घोषणा एक ही है पर पैकेज दोनों के अलग-अलग हैं और उसमें जो मैंने बताया कि एक सड़क तो जो हमारी है यह तो हाइब्रिड एन्युटी मोडल पर है और दूसरी जो सड़क है हमारी वह ईपीसी मोडल पर है, तो निश्चित तौर पर दोनों अलग-अलग हैं, तो उनमें थोड़ा समय फिजीबिलिटी में लगता है और मैंने कह ही दिया, आप कह रहे हैं कि आन्सर गलत है तो फर्स्ट में मैंने आपको कहा कि 2022-23 में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा परन्तु वर्ल्ड बैंक की कुछ कंडीशंस होती हैं 6 महीने के अन्दर-अन्दर वर्ल्ड बैंक हमें स्वीकृति देता है, तो यह जो आन्सर दिया है आप मुझे बता दें कि कैसे गलत है? जब स्वीकृति हो गयी, एनआईटी हो गयी, उसका एग्रीमेंट हो गया और काम शुरू करने की हम लोगों ने तारीख दे दी कि हम लोग इसमें अक्टूबर में काम शुरू करा देंगे तो फिर आन्सर कहां से गलत हो गया?

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। अगला प्रश्न। श्री रामनारायण मीना।

अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग व सवर्णों की अधिकतम आय सीमा

332. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग तथा सवर्णों को सुविधा प्राप्त करने हेतु अधिकतम आय सीमा निर्धारित है? यदि हां, तो कितनी-कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त के लिए निर्धारित अधिकतम आय सीमा को समाप्त करने या बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री टीकाराम जूली): (1) विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग तथा सवर्णों को सुविधा प्राप्त करने के लिए योजनावार निर्धारित आय सीमा का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक पिछड़ा वर्ग हेतु संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनायें केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें आय सीमा का निर्धारण भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है एवं अन्य योजना में राज्य स्तर पर आय सीमा बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी चाहता हूं क्या उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए पांच लाख की आय सीमा है और आदिवासियों के और वंचित वर्ग के लिए मात्र दो लाख पचास हजार है?

श्री अध्यक्ष: रिलेवेंट प्रश्न करें, इर्रिलेवेंट नहीं। अगला प्रश्न। प्लीज, मैं पढ़ता हूं हर चीज को। (Interruptions) Please be seated. No. I will not allow it. श्री राजेन्द्र राठौड़। प्लीज, बैठें। आपका रिकार्ड नहीं होगा।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): 000

श्री अध्यक्ष: प्रश्न लिखकर दीजिये, दुबारा प्रश्न लगेगा। यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। बैठें आप। प्लीज, रिकार्ड नहीं होगा। माननीय सदस्य, ...(Interruptions) please don't argue. बैठें आप प्लीज। आप नीचे बैठें। I am on legs. I am on legs. (Interruptions) I am on legs. I said, be seated. I said, be seated. I will not tolerate it. Be seated. (interruptions) I said, be seated. I will name you. Don't compel me to do this. आप अपने आप में सीनियर होंगे। प्रश्न पढ़ लें दुबारा। (Interruptions) I will not allow it. I said, I will not allow it. It is my privilege. It is my privilege. Be seated. (interruptions) I said, it is my privilege. चलेगा कि नहीं चलेगा, आपकी च्वाइस पर नहीं चलेगा। Mr. Marshal. I will name you Mr. Ramnarain. I will name you. I will name you. Parliamentary Minister, I will not tolerate it and an unpleasant duty I have to do. I am extremely sorry. पढ़ते नहीं है सप्लीमेंट्री क्या पूछना है, सीनियर आदमी हैं, मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अगला प्रश्न। श्री राजेन्द्र राठौड़।

ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की योजना

333. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने विगत तीन वर्ष में खुशखेड़ा, नीमराणा, भिवाड़ी, टपूकड़ा क्षेत्र को सम्मिलित कर एक हजार करोड़ रुपये की ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रीयल टाउनशिप बनाने की घोषणा की थी? यदि हां, तो जनवरी, 2022 तक उक्त योजना में कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने 750 करोड़ की मारवाड़ इंडस्ट्रीयल क्लस्टर बनाने की घोषणा की थी? यदि हां, तो जनवरी, 2022 तक इसमें कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा मारवाड़ इंडस्ट्रीयल क्लस्टर योजना के लिए रीको द्वारा रीजनल डवलपमेंट आथोरिटी बनाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त के लिए क्या-क्या कार्रवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्रीमती शकुन्तला रावत): (1) जी हां। वित्तीय वर्ष

(उद्योग मंत्री)

2021-22 के राज्य बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बिन्दु संख्या 95 पर ग्रेटर भिवाड़ी इण्डस्ट्रियल टाउनशिप के संबंध में घोषणा की गयी है।

उक्त घोषणा के अनुसार ग्रेटर भिवाड़ी इण्डस्ट्रियल टाउनशिप के प्रथम चरण में 1000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाना है। ग्रेटर भिवाड़ी इण्डस्टियल टाउनशिप का भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण होना प्रक्रियाधीन है। खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराणा औद्योगिक निवेश क्षेत्र के प्रथम चरण हेतु कुल 532 हैक्टेयर निजी भूमि की अवाप्ति हेतु 468.64 करोड़ रुपये के मुआवजे का अवार्ड जारी किया गया है। दिनांक 15.03.2022 तक लगभग 124.12 करोड़ रुपये मुआवजे के मद में तथा 33.16 लाख रुपये अन्य मद में भुगतान किया जा चुका है।

(2) जी हां। वित्तीय वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बिन्दु संख्या 96 पर जोधपुर-कांकाणी-रोहट-पाली मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ इण्डस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की घोषणा की गयी है।

मारवाड़ इण्डस्ट्रियल क्लस्टर के भौगोलिक क्षेत्र के निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यद्यपि डीएमआईसी योजना के तहत राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत पाली जिले की रोहट तहसील के 9 गांवों की भौगोलिक सीमा को सम्मिलित करते हुए जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र निवेश क्षेत्र अधिसूचना दिनांक 12.10.2020 को घोषित किया जा चुका है तथा रीको को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में पदाभिहित किया गया है। यह एक महत्वाकांक्षी आधारभूत परियोजना है जिसमें चरणबद्ध रूप से सुनियोजित विकास किया जायेगा। इसलिए निजी भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है, जिसके मुआवजा पर लगभग 700 से 750 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे तथा यह वित्तीय भार क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में रीको द्वारा वहन किया जायेगा।

(3) जी हां। मारवाड़ इण्डस्ट्रियल क्लस्टर योजना के तहत रीको को रीजनल डवलपमेंट अथोरिटी बनाने की नीतिगत घोषणा राज्य के वर्ष 2021-22 के बजट में की गयी है। खण्ड-2 में वर्णित जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र निवेश क्षेत्र हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 12.10.2020 जारी कर रीको को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण पदाभिहित किया

(उद्योग मंत्री)

जा चुका है। रीको को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण पदाभिहित करने के उपरान्त की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि खण्ड 1 व खण्ड 2 में आपने दो चीजों को स्वीकार किया कि बजट 2021-22 के पैरा 95 में 1000 करोड़ की ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप और पैरा 96 में 750 करोड़ के मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर की घोषणा आपने की। इसमें आगे आप स्वीकार करती हो कि ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो 1000 करोड़ की है, उसका भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण होना प्रक्रियाधीन है। अभी भौगोलिक क्षेत्र क्या है, पता नहीं है। इसी तरह 750 करोड़ की लागत से बनने वाले मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर का भी भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण प्रक्रियाधीन है। मैं पूछना चाहता हूं कि चूंकि यह 1750 करोड़ का भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण नहीं हुआ है इसलिए एक पैसा भी इसमें खर्च नहीं हुआ है यह कब तक कर दिया जायेगा? सरकार के आने वाले शेष कार्यकाल में 1750 करोड़ की बजटीय घोषणा जो इसी वर्ष में पूरी होनी थी, क्या उस घोषणा के अनुरूप आप इसको पूरा करेंगे?

नंबर दो, चूंकि आपने कहा कि इसका भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण नहीं हुआ है तो 2022-23 के बजट में इसमें कितनी राशि का प्रावधान किया गया है और कौनसे हैड में किया गया है?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया पहले से चल रही थी। पिछली सरकार में मुआवजा कम दिया गया था। कुल मिलाकर रीको द्वारा 41.66 करोड़ मुआवजा दिया जा चुका है। NICDIT और RICDCO का गठन कर दिया गया है। राजस्थान इंडस्ट्रीयल कोरिडोर डवलपमेंट कोरपोरेशन का और नेशनल इंडस्ट्रीयल कोरिडोर डवलपमेंट एण्ड इम्प्लीमेंट ट्रस्ट का गठन कर दिया गया है। यह भारत सरकार की योजना है, इसमें राजस्थान सरकार 51 परसेंट और 49 परसेंट भारत सरकार देगी। इसका एमओयू साइन हो चुका है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, रेलेवेंट क्वेश्चन का जवाब दें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): रीको की जमीन का जो भुगतान किया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, तीन प्रश्न रेलेवेंट हैं, 1750 करोड़ के अगेंस्ट में कितना हुआ? भौगोलिक क्षेत्र निर्धारित हुआ या नहीं हुआ? टू द पाइंट बताइए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): 41.46 करोड़ का रीको द्वारा पेमेंट कर दिया गया है, बाकी हम पेमेंट कर रहे हैं। वर्तमान सरकार में केबीएनआरआई के द्वारा, रीको के द्वारा पेमेंट लगातार जारी है। अवाप्त भूमि के लिए 100-200 करोड़ हम डेली का मुआवजा दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, इतना-सा प्रश्न पूछा है कि..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण हो गया क्या?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण हो गया, लेकिन उसमें अवाप्त भूमि का धीरे-धीरे अवार्ड दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपने जो पूछा, वही बात है। जब आपका भौगोलिक क्षेत्र ही निर्धारित नहीं हुआ तो अवाप्ति कैसे शुरू हो सकती है? निजी खातेदार को अवाप्ति का पैसा कैसे दे सकते हो? कम से कम पहली आवश्यकता है कि उसका भौगोलिक क्षेत्र निश्चित हो जाय, वह हुआ ही नहीं। अब आपके इस साल के 15-20 दिन तो कुल रहे हैं, अगर भौगोलिक क्षेत्र ही तय नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, मुझे यह समझायें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): 1100 एकड़ राजकीय भूमि में से कम से कम 525 एकड़ पर रीको ने कब्जा कर लिया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): वह तो गवर्नमेंट की है, उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। सवाल तो यह है कि निजी खातेदार से जो आपने जमीन ली है और जिसके एवज में आपने इतने करोड़ रुपया तय किया, जब आपका भौगोलिक क्षेत्र तय ही नहीं हुआ तो किस प्राइवेट व्यक्ति की जमीन इसमें आ रही है, यह कैसे निर्धारित करोगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, इसको अलग ढंग से लेकर आएं, क्वेश्चन में इतना डिटेल में नहीं जाएं। अगला प्रश्न। (व्यवधान) अलग ढंग से लेकर आएं। स्थगित नहीं, अलग ढंग से लेकर आएं। अगला प्रश्न। श्री नरेन्द्र नागर।

खानपुर में माडा योजना के गांव

334. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर के कितने गांव माडा योजना में आते हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना में विगत तीन वर्षों में कितनी राशि किस-किस गांवों में स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में 83 गांव माडा क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खानपुर में माडा क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों में आश्रम छात्रावास मउबोरदा में भवन मरम्मत कार्य हेतु राशि 5.00 लाख रुपये व आश्रम छात्रावास मउबोरदा में रंगरोगन/ मरम्मत कार्य एवं रेन वाटर होर्वेस्टिंग सिस्टम हेतु राशि 1.00 लाख रुपये, कुल राशि 6.00 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने खण्ड 1 में बताया कि 83 गांव मेरे क्षेत्र में आते हैं और इनमें पिछले तीन साल में 6 लाख रुपये आपने खर्च किये। माननीय मंत्री महोदय, उदयपुर संभाग में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। माननीय मंत्री महोदय, आप क्या समानता का व्यवहार करते हुए, पारदर्शिता रखते हुए आगे आने वाले समय में ज्यादा राशि देने का विचार रखते हैं?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कंस्ट्रक्शन की राशि आती है वह माननीय जन प्रतिनिधियों के निवेदन पर या जन प्रतिनिधियों की अनुशंसा पर की जाती है और व्यक्तिगत योजनाओं में हमारे झालावाड़ जिले में डेयरी में और अन्य योजनाओं में करीब 17 लाख रुपये और 36 लाख रुपये जिला परिषद् में पड़े हुए हैं। एजुकेशन से संबंधित जो भी राशि है, वह वहां विभाग द्वारा हमारे यहां ऑनलाइन आवेदन किये जाते हैं, वह राशि हमने उनको उपलब्ध करा दी है।

श्री अध्यक्ष: और राशि देने की मंशा रखते हैं क्या? यह पूछ रहे हैं वह।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): आपकी अनुशंसा पर गुणावगुण के आधार पर राशि देय होगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। ज्ञानचंद पारख।

नवजीवन योजना के लाभार्थी

335. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 तक आबकारी से कितना राजस्व प्राप्त हुआ तथा किस-किस जिले में कितनी-कितनी अतिरिक्त देशी एवं अंग्रेजी शराब की दुकानें आबंटित की गयीं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या आबकारी की आय का एक प्रतिशत भाग नवजीवन योजना में देने का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक उक्त आय की कितनी-कितनी राशि उक्त योजना हेतु दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आबकारी से आय की एक प्रतिशत राशि नवजीवन योजना में व्यय करने का प्रावधान होने के उपरान्त भी बहुत कम राशि ही व्यय की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार आबकारी से आय की एक प्रतिशत राशि व्यय करने के प्रावधान की बजाय उक्त एक प्रतिशत राशि नवजीवन योजना सेस के रूप में लेने का प्रावधान कर इस सेस की आय को नवजीवन योजना में ही व्यय करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो किन-किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आबकारी मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 तक आबकारी से प्राप्त राजस्व का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

उक्त वर्षों में जिलेवार स्वीकृत मदिरा दुकानों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) नवजीवन योजना संचालन दिशा-निर्देश 2015 के अनुसार इस योजना के लिए वित्तीय स्रोत आबकारी राजस्व की एक प्रतिशत राशि होगी।

(आबकारी मंत्री)

इस योजना के लिए विगत तीन वर्षों में किए गए बजट प्रावधान का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) नवजीवन योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। योजना के क्रियान्वयन हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रस्तुत मांग व आवश्यकता के आधार पर प्रतिवर्ष बजट प्रावधान किया जाता है तथा योजना के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत व्यय किया जाता है। वर्तमान में नवजीवन योजना सेस लगाने सम्बन्धी कोई विचार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बिन्दु संख्या 2 में बताया है कि आबकारी राजस्व की एक प्रतिशत आय नवजीवन योजना के लिए है। आपने परिशिष्ट-1 में जो आबकारी विभाग की आय बतायी है, उसके बाद में जो खर्चा बताया है, माननीय मंत्री महोदय, जो आबकारी की आय का जो 1 प्रतिशत बनता है, उसका मात्र तीन या साढ़े तीन परसेंट ही खर्च हो रहा है। यह माननीय मुख्य मंत्री जी की बहुत ही महती योजना थी, उन्होंने इसी सदन में घोषणा की थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। उसके बावजूद इस योजना की इस तरीके से या यह कहूं कि यह योजना एक तरह से लगभग समाप्त हो रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसको आबकारी सेस के रूप में लेंगे, नवजीवन सेस के रूप में लेंगे तो वह राशि बन जायेगी और अवैध शराब के धन्धे से जुड़े हुए परिवार हैं, उनके कल्याण के लिए यह राशि काम आ जायेगी। इसमें क्वेश्चन है कि आप इसमें नवजीवन सेस के रूप में विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं?

दूसरा, जो एक परसेंट का प्रावधान किया है, उसके अनुसार सामाजिक कल्याण विभाग से प्रस्ताव मंगाकर उतनी राशि व्यय करेंगे या नहीं करेंगे, यह मुझे कहना है।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि सेस लगाने का तो कोई विचार नहीं है। जो राजस्व के अनुसार 1 प्रतिशत खर्चा नहीं हो रहा है, वह सही बात है। आपके समय में भी 2016 में इसकी योजना बनी थी, 1 प्रतिशत खर्च करने की। ये सारा काम सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को दिया था। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट डीएफसी से जितनी मांग करता है, निश्चित रूप से वह धन उपलब्ध करवाया जाता है।

(श्री परसादी लाल)

सोशल जस्टिस के माननीय मंत्री महोदय हैं, उनकी चेयरमैनशिप में एक स्टेट लेवल की कमेटी बनी है, जो इस काम को देखती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर की चेयरमैनशिप में कमेटी बनी हुई है। वहां माननीय विधायक भी उसमें सदस्य हैं, प्रधान हैं, सरपंच हैं, सारे लोग हैं। निश्चित रूप से जो कार्ययोजना सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट वित्त विभाग को भेजेगा, वह पैसा इनको मिल जायेगा। वह हर साल मिलता है। उसमें से खर्च करते हैं। आपने भी पूरी कोशिश की और हमारे समय में भी कोशिश हुई। जब योजनाएं कम बनाकर भेजेंगे, जितनी योजना बनाकर भेज रहे हैं उतना पैसा मिल रहा है, धन की कोई कमी नहीं है। जितना हम भेजेंगे, उतना हम देंगे, इसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती शोभा चौहान।

पशुधन बीमा योजना में पशुओं का बीमा

336. श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त योजनाओं की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत बीमा किया जा रहा है? यदि हां, तो वर्ष 2020 व 2021 में कितने पशु बीमित किये गये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा पशुधन हेतु किसी बीमा कंपनी से वर्ष 2019 से 2021 तक एम.ओ.यू. किया गया है? यदि हां, तो एम.ओ.यू. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) जी हां। प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में पशुपालन विभाग के माध्यम से प्रदेश में दिनांक 01.10.2018 से पशुधन बीमा योजना निम्न कारणों से संचालित नहीं है:-

(i) वर्ष 2018-19 में प्रदेश में पशुधन बीमा हेतु बीमा कंपनियों से तत्समय भारत सरकार के स्तर से निर्धारित प्रीमियम दरों से अधिक प्रीमियम दर प्राप्त होना।

(पशुपालन मंत्री)

(ii) वर्ष 2019-20 में भारत सरकार से निर्धारित समय पर राशि प्राप्त नहीं होने के कारण निविदा जारी नहीं की गई।

(iii) वर्ष 2020-21 में किसी भी बीमा कम्पनी द्वारा निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया।

(iv) वर्ष 2021-22 में भारत सरकार से प्राप्त संशोधित प्रीमियम दर अनुसार दिनांक 28.10.2021 को निविदा जारी की गयी, परन्तु मात्र एक बीमा कम्पनी से प्रदेश के दो सम्भाग यथा-जयपुर एवं अजमेर हेतु ही निविदा प्राप्त हुई।

वर्ष 2020 एवं 2021 में बीमित किये गये पशुओं की संख्या शून्य है।

राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में 6 लाख पशुपालकों के पशुओं का बीमा किये जाने हेतु राशि रुपये 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत प्रदेश में पशु बीमा हेतु निविदा कार्य प्रक्रियाधीन है। निविदा प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न होने एवं बीमा कंपनी से एम.ओ.यू. किये जाने पर पशुधन का बीमा कर प्रदेश के पशुपालकों को लाभान्वित किया जा सकेगा।

(3) जी नहीं। पशुपालन विभाग के माध्यम से प्रदेश में दिनांक 01.10.2018 से पशुधन बीमा योजना अंतर्गत बीमा कंपनी से एम.ओ.यू. निम्न कारणों से नहीं किया गया:-

(i) वर्ष 2018-19 में प्रदेश में पशुधन बीमा हेतु बीमा कंपनियों से तत्समय भारत सरकार के स्तर से निर्धारित प्रीमियम दरों से अधिक प्रीमियम दर प्राप्त होना।

(ii) वर्ष 2019-20 में भारत सरकार से निर्धारित समय पर राशि प्राप्त नहीं होने के कारण निविदा जारी नहीं की गई।

(iii) वर्ष 2020-21 में किसी भी बीमा कम्पनी द्वारा निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया।

(iv) वर्ष 2021-22 में भारत सरकार से प्राप्त संशोधित प्रीमियम दर अनुसार दिनांक 28.10.2021 को निविदा जारी की गई, परन्तु मात्र एक बीमा कम्पनी से प्रदेश के दो सम्भाग यथा-जयपुर एवं अजमेर हेतु ही निविदा प्राप्त हुई।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि बजट 2022 और 2023 में बजट प्रावधान के अनुसार पशुधन बीमा हेतु सरकार की क्या कार्ययोजना है? मेरा दूसरा सवाल है कि वर्ष 2020-21 में पशु धन बीमा हेतु सरकार ने कब-कब निविदाएं निकालीं तथा इस हेतु क्या-क्या विशेष प्रयास किये गये?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पशुधन बीमा आपके समय में 2016 से 2018 तक हुआ। जैसा कि उत्तर में बताया कि 01.10.2018 के बाद कोई बीमा नहीं हुआ, इसका कारण है कि जो प्रीमियम दर है, वह भारत सरकार तय करती है। इसमें भारत सरकार की चार कम्पनियां हैं, बाकी प्राइवेट कम्पनियां हैं। लगातार प्रयास करने के बाद भी कोई कम्पनी निविदाओं में भाग नहीं ले रही थी, क्योंकि भारत सरकार जो प्रीमियम दर तय करती है, उससे कम वे लगाते थे। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि 2016 से 2018 के दौरान जो बीमा हुआ और जो क्लेम हुए और कम्पनियों को जो घाटा लगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय 22 करोड़ का तो प्रीमियम आया और 47 करोड़ रुपये कम्पनियों को देने पड़े। उसके बाद कम्पनियों ने अपने हाथ खींच लिए।

मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि इसमें काफी क्वेश्चन लगे हुए हैं। भारत सरकार ने एक नयी गाइडलाइन जारी की है। हमने समय-समय पर पत्राचार किया। हमारे विभाग द्वारा भी पत्राचार किया गया और चीफ सेक्रेटरी ने भी भारत सरकार से पत्राचार किया। उसके बाद भारत सरकार ने जुलाई, 2021 में नई गाइडलाइन जारी की है। मैं यह मानकर चलता हूं कि आने वाले 15 दिनों में हाल ही में मुख्य मंत्री जी ने जो डेढ़ सौ करोड़ की घोषणा की है, उसमें हम नये टेण्डर लगाकर निश्चित तौर पर आने वाले समय में पशु धन बीमा को आगे बढ़ायेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इसमें मैं जितना समझा हूं, वह यह है कि राजस्थान में अभी तक पशु बीमा शुरू ही नहीं हुआ। यही कह सकते हैं। यही हुआ है। हम जो जनता को बारबार कहते हैं कि हमारे यहां पशु बीमा होगा, पशु बीमा होगा, तो क्या आप और केन्द्र सरकार एक जगह पर बैठकर कोई निर्णय नहीं कर सकते? क्या और किन्हीं राज्यों में पशु बीमा नहीं हो रहे हैं?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने जो बात कही है, वह बिलकुल सही है। मैंने आपको बताया और हमने पत्राचार भी किये हैं, उसके लिए मैं आपको बता दूं। वर्ष 2018-19 में निविदा जारी की गयी थी, उसके बाद दिनांक 10 जनवरी, 2019 को एक पत्र शासन सचिव, पशुपालन विभाग द्वारा लिखा गया। दिनांक 18 जून, 2020 व 11 अगस्त, 2020 को फिर शासन सचिव, पशुपालन विभाग द्वारा भारत सरकार को लिखा गया कि अपनी गाइडलाइन में आप परिवर्तन करें ताकि हमारे यहां पर बीमा हो सके। उसी बात को मानते हुए भारत सरकार ने नयी गाइडलाइन जारी कर दी। मैंने आपको बताया कि 21 जुलाई को गाइडलाइन जारी की है। डेढ़ सौ करोड़ का बजट राजस्थान सरकार ने रखा है और आने वाले 15 दिनों में ये निविदाएं जारी कर दी जायेंगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुरेश टाक।

किशनगढ़ के विद्यालयों में पेयजल कनेक्शन

337. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा 31 मार्च, 2021 तक ग्रामीण क्षेत्रों के सभी विद्यालयों, पंचायत भवनों, आंगनबाड़ी केन्द्रों व स्वास्थ्य केन्द्रों पर पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने की कार्ययोजना बनाई गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के विभिन्न राजकीय विद्यालयों, पंचायत भवनों, आंगनबाड़ी केन्द्रों व स्वास्थ्य केन्द्रों पर पेयजल कनेक्शन नहीं हैं? यदि हां, तो पेयजल कनेक्शन से वंचित उक्त का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) जल जीवन मिशन के अंतर्गत दिनांक 02 अक्टूबर, 2020 से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों को नल योजना द्वारा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 100 दिवसीय कार्ययोजना आरम्भ की जाकर विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों को दिनांक 02 अक्टूबर, 2021 तक जल संबंधों से जोड़ने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये।

प्रदेश में विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, ग्राम पंचायत भवनों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों को नल योजना द्वारा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

सूचना को विभाग द्वारा केन्द्र सरकार के समेकित प्रबन्धन सूचना तंत्र (आई.एम.आई.एस.) पर नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है तथा दिनांक 10.03.2022 की स्थिति के अनुसार, 68.50 प्रतिशत विद्यालयों, 79.30 प्रतिशत ग्राम पंचायत भवनों, 55.50 प्रतिशत आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा 64 प्रतिशत स्वास्थ्य केन्द्रों में नल योजनाओं अंतर्गत जल संबंध दिये जा चुके हैं। विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों हेतु क्रियान्वित की जा रही पेयजल परियोजना/अन्य जल योजनाओं से प्रदेश के नल योजना से वंचित एवं शेष रहे विद्यालयों, ग्राम पंचायत भवनों, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों को जल संबंधों द्वारा चरणबद्ध रूप से माह मार्च, 2024 तक पेयजल उपलब्ध कराया जाना निर्धारित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में स्थित 213 राजकीय विद्यालयों में से 71 विद्यालय, 41 पंचायत भवनों में से 14 भवन, 221 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 129 केन्द्र तथा 59 स्वास्थ्य केन्द्रों में से 27 स्वास्थ्य केन्द्रों में जल संबंधों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है।

नल योजना अंतर्गत जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति से उक्तानुसार लाभान्वित एवं वंचित राजकीय विद्यालय, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं स्वास्थ्य केन्द्रों संबंधी वांछित विवरण क्रमश: परिशिष्ट-अ, परिशिष्ट-ब, परिशिष्ट-स एवं परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड ''ब'' में आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से केवल इतना जानना चाहता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में अब तक स्वच्छ पेयजल से वंचित रहे राजकीय विद्यालयों, पंचायत भवनों, आंगनबाड़ी केन्द्रों और स्वास्थ्य केन्द्रों में कब व कितने समय में नल योजना के अन्तर्गत जल सम्बन्धों द्वारा पेयजल आपूर्ति हो जायेगी?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र का माननीय सदस्य ने पूछा है, असल में यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये 100 दिवसीय कार्ययोजना केन्द्र सरकार ने बनाई थी, जिसे बाद में 02 अक्टूबर, 2021 तक उन्होंने बढ़ा दिया था। माननीय नेता, प्रतिपक्ष सोच रहे होंगे कि इसमें लिखा है 100 दिवसीय

(डा. महेश जोशी)

कार्ययोजना, यह आरम्भ में 100 दिवस के लिए थी, इसे बाद में केन्द्र सरकार ने बढ़ाकर 02 अक्टूबर, 2021 तक के लिए कर दिया था। स्थिति यह है कि इसमें कई विभागों का समन्वय होना है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, रिलेवेंट क्वेश्चन है कि किशनगढ़ में कब कर रहे हैं? सीधी बात है, उनका सीधा प्रश्न है।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसका पूरा विवरण अ, ब, स, द में दिया है। मैंने निवेदन यह भी किया है कि शेष कार्य प्रगति पर है और जो हमारा टारगेट है जल जीवन मिशन का बचा हुआ, उस टारगेट को 2024 तक पेयजल उपलब्ध कराया जाना निर्धारित है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उनका सीधा प्रश्न है कि किशनगढ़ में 213 में से 71 विद्यालयों में नहीं हैं, 41 पंचायत में से 14 में नहीं हैं, ये जो उनका काम है, ये कब पूरा कर देंगे? स्पेसिफिक क्वेश्चन है।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि ये जो शेष हैं, 2024 तक जल जीवन मिशन हमारा चल रहा है, उसके अन्तर्गत ही पूरे कराये जा सकेंगे। इसमें परेशानी हमारी एक है, हम अलग-अलग चीजों में नहीं कर सकते हैं कि स्कूल में एक लाइन बिछा दें और जल जीवन मिशन से गांव के लिए दूसरी लाइन बिछाएं। हमने इसका टारगेट जल जीवन मिशन से ही जोड़कर रखा है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गिरधारीलाल।

श्रीडूंगरगढ़ में पोटाश एक्सप्लोरेशन का कार्य

338. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के गांव लखासर में खान मंत्रालय भारत सरकार की कंपनी एम.ई.सी.एल. के द्वारा पोटाश एक्सप्लोरेशन का कार्य चल रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार की कंपनी आर.एस.एम.एम.एल. का खान मंत्रालय भारत सरकार की कम्पनी एम.ई.सी.एल. के साथ एम.ओ.यू. हुआ है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गिरधारीलाल)

(3) एम.ई.सी.एल. कंपनी के द्वारा लखासर गांव में किसानों के खेतों में चलाये जा रहे एक्सप्लोरेशन कार्य के बदले में खेत मालिकों को कितनी-कितनी मुआवजा राशि दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के लखासर गांव में खान मंत्रालय, भारत सरकार की कम्पनी मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (एम.ई.सी.एल.) द्वारा वर्तमान में खनिज पोटाश के एक्सप्लोरेशन का कार्य नहीं किया जा रहा है।

(2) जी हां। खनिज पोटाश की सोल्यूशन माइनिंग की फिजिबिलिटी स्टडी हेतु राज्य सरकार के उपक्रम आर.एस.एम.एम.लि., खान मंत्रालय, भारत सरकार की कम्पनी एम.ई.सी.एल. एवं खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार के मध्य एक एम.ओ.यू. दिनांक 21.01.2021 को हुआ, एम.ओ.यू. की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) एम.ई.सी.एल. द्वारा लखासर गांव में खनिज पोटाश के एक्सप्लोरेशन कार्य के बदले में खेत मालिकों को कोई भी मुआवजा राशि नहीं दी गई है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा, त्रिपक्षीय समझौते के बिंदु संख्या 5 पर अन्तरराष्ट्रीय सलाहकार की नियुक्ति के लिए 5 करोड़ से अधिक की राशि निर्धारित की गयी। अन्तरराष्ट्रीय सलाहकार को असाइनमेंट देने पर 30 प्रतिशत, व्यावहारिकता रिपोर्ट देने पर 50 प्रतिशत और एस.एल.ई.सी. के द्वारा रिपोर्ट की स्वीकृति प्राप्ति पर 10 प्रतिशत देने का प्रावधान है। मगर सबसे ज्यादा प्रभावित वहां का किसान हो रहा है, मैं यही जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इन प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? विचार रखती है तो कितना, कब या नहीं?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य जी ने जो मुआवजे वाली बात की है, खोज का कार्य अस्थायी प्रवृत्ति का होता है और जहां ड्रिलिंग होती है, यदि वह खातेदारी भूमि हो तो किसान से सहमति के आधार पर होती है, इसके लिए नियमों में मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। यदि खोज के रिजल्ट अच्छे आते हैं और उत्पादन शुरू होता

(श्री प्रमोद भाया)

है, उस हेतु भूमि की आवश्यकता होती है तो नियमों के अनुसार मुआवजा देने का प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संयम लोढ़ा।

सिरोही की ग्राम पंचायतों में नरेगा कार्य

339. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र सिरोही की ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा में वर्ष 2021 में कौन-कौन से कार्य की स्वीकृति का प्रस्ताव सिरोही व शिवगंज पंचायत समिति को कब-कब भेजे गए? उक्त में कौन-कौन से कार्य दिसम्बर, 2021 तक स्वीकृत नहीं हुए अथवा प्रारम्भ नहीं हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सिरोही की ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2021 में पंचायत समिति शिवगंज व सिरोही को माह दिसम्बर, 2021 तक स्वीकृति हेतु भेजे गये कार्यों के नाम, पंचायत समिति में प्रस्ताव प्राप्ति की दिनांक एवं कार्यों की भौतिक स्थिति (स्वीकृति से शेष/प्रारम्भ/ अप्रारम्भ) का पंचायत समितिवार, ग्राम पंचायतवार तथा कार्यवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कैटेगरी 4 के जो व्यक्तिगत लाभ के प्रस्ताव जितने 2021 में भेजे गये, एक भी काम स्वीकृत नहीं हुआ। इसका कारण बता दीजिए?

श्री अध्यक्ष: स्वीकृत कराने हैं या कारण पूछना है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जो भी जवाब देना चाहें, सरकार मालिक है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आपने पूछा कारण, कारण पूछना है या स्वीकृति?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कारण बता दें, कार्यवाही बता दें, क्या दलित आदिवासी विरोधी मानसिकता से काम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, काफी है इतना।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य ने जो बात की है, व्यक्तिगत लाभ के जो काम होते हैं, अनुसूचित जाति, घुमन्तू, ये सारी जो गरीबी रेखा से नीचे, मैला प्रधान वाले, शारीरिक रूप से विकलांग, इनके व्यक्तिगत वर्ग के जो काम हैं, हमारा जो मेन क्राइटेरिया रहता है कि 60 परसेंट के करीब काम कृषि से संबंधित हों और 65 परसेंट जो वर्क हैं, वे जल संरक्षण से, मतलब कृषि से संबंधित हैं। यह सभी चीजें हैं। इस प्रकार के जो वर्क हैं, उनसे सम्बन्धित जो कार्य नहीं हो पाये हैं, काफी कार्य स्वीकृत हैं, लेकिन इसमें लम्बा समय लगता है। कुछ ऐसे नोर्म्स बने हुए हैं कि आपको एक-एक काम की बता दूं कि क्यों नहीं हुए?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इनका एक प्रश्न और सुन लीजिए।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इन्होंने ये कहा है कि..

श्री अध्यक्ष: इनका एक प्रश्न और सुन लो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं सिर्फ यही जानना चाह रहा हूं, आपने खुद ने यह जानकारी दी है कि 2021 में कौन-कौन से प्रस्ताव भेजे गये। एक भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया एस.सी./एस.टी. के इंडिविजुअल बेनिफिशियरी का, इसका जवाब दीजिए आप।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसमें जो वर्क हैं आपके, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, एक मिनट, बता देता हूं कि उसमें कहीं विभाग से एन.ओ.सी. नहीं मिली है जल संसाधन से, कहीं कोई वर्क रिपीट हो रहा है किसी अन्य कारण से, बहुत से ऐसे कारण हैं, एक-एक वर्क का मैं बताऊंगा तो लम्बा हो जायेगा। दस्तावेज बहुत सारे हैं। मैं इनको उपलब्ध करा दूंगा मेरे पास जो वर्क हैं इनके।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उत्तर तो सुनिए। वापस हाथ खड़ा कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, बोलिए।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): महात्मा गांधी मास्टर परिपत्र 2020 के अध्याय मांग, रोजगार पत्र प्राप्ति बिन्दु संख्या, प्रत्येक ग्राम पंचायत में श्रमिकों द्वारा रोजगार की मांग को पूरा करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में संख्या कार्य उपलब्ध होनी चाहिए। प्रत्येक गांव में कम से कम श्रम प्रधान सार्वजनिक कार्य जो विशेष रूप से

(श्री रमेश चन्द मीना)

कमजोर समूह, विशेष रूप से वृद्ध और विकलांगों के लिए उपयुक्त हो, जिस मांग के अनुसार काम प्रधान के लिए हर समय खुला रखा जायेगा। ये भी ध्यान रखा जायेगा पूर्व में चल रहे अधूरे कार्यों को पहले पूरा किया जायेगा, तत्पश्चात् नये कार्यों को प्रारम्भ किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: उत्तर सुनना ही नहीं है आपको।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जो निरस्ती के कारण हैं, योजना में स्वीकृत पूर्व निर्मित हैं...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक मिनट बैठिए। जो इंडिविजुअल बेनिफिसिशियरीज के काम हैं, वह सिरोही में शुरू होंगे या नहीं होंगे? दैट्स ऑल।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जो वार्षिक प्लान में लिया हुआ होगा पहले, नहीं लिया है, अनुमत नहीं है तो नहीं हो पायेंगे। जो ले रखे हैं, अनुमत हैं, वह कराये जायेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, आपने खुद ने उत्तर दिया है। सबमें लिखा हुआ है, स्वीकृति शेष। कितने इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज के प्रस्ताव भेजे, पंचायती राज संस्थाओं ने, सबमें स्वीकृति शेष लिखा हुआ है। या तो आप बिना पढ़े उत्तर दे रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। जब आपने कह दिया है, कार्य-योजना में सम्मिलित हो जायेगा। बात खतम हुई।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): तकनीकी दृष्टि से जो स्वीकृत नहीं है। लैंड रिकार्ड, बहुत सारे कारण हैं.

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, हो गया। अगला प्रश्न। श्रीमती मीना कंवर।

शेरगढ़ में राशन की दुकानें

340. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां) (श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़) के स्थान पर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कितनी राशन की लाइसेंसशुदा दुकानें कहां-कहां व कब से संचालित हैं? पंचायत समितिवार, स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में अधिकतर राजस्व

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

गांव उक्त दुकानों से वंचित हैं? यदि हां, तो वंचित राजस्व गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वंचित राजस्व गांवों में उक्त नवीन दुकानों का संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित 166 उचित मूल्य दुकानों का पंचायत समितिवार विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	**पंचायत समिति**	**उचित मूल्य दुकानें**
1	बालेसर	46
2	सेखाला	49
3	शेरगढ़	71
	योग	**166**

उक्त उचित मूल्य दुकानों का स्थानवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में विभिन्न कारणों से 20 उचित मूल्य दुकानें अटैचमेन्ट में चल रही हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में कोई भी राजस्व गांव सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन सामग्री प्राप्त करने से वंचित नहीं है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के तहसील बालेसर शेरगढ़ एवं सेखाला में 14 रिक्त अतिरिक्त उचित मूल्य दुकानों हेतु दिनांक 25-02-2022 को विज्ञप्ति जारी की जाकर आवेदन मांगे गये हैं, जिसमें नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया संपादित कर उचित मूल्य दुकानों का आबंटन किया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): नवीन दुकानों के संचालन के आबंटन के लिए समिति का गठन कई जगह पर नहीं हुआ है, वह कब तक करा देंगे?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नवीन दुकानों के आबंटन के लिए आप जो भी डेट निर्धारित करेंगे उस दिन, आबंटन की कमेटी कई जगह बना दी गयी है, कई जगह नहीं बनी हैं, आपके यहां भी करवा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(समय: 12.00 बजे)

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

आज चर्चा है, मुखबन्द भी है इसलिए आज स्थगन प्रस्ताव नहीं लिए हैं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त जितने भी प्रस्ताव हैं, 20 हैं, उनको आज पढ़वाया जायेगा।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में मुख्य मंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बिल्डिंग बॉयलाज के अनुसार निर्माण में दोहरे मापदण्ड अपनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के टाटगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री बाबू लाल, सदस्य की ओर से तहसील महुवा व नदबई के ग्राम रिगसपुरा, गिरसपुरा का वास, दौलतपुरा, नकटपुर, सतलावा व मंगरख्या आदि को कठूमर से हटाकर पुन: नदबई से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से अनूपगढ़ को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से बाड़मेर ज़िले में सरकार द्वारा संचालित पेयजल योजनाओं में सिंगल फेज मोटर पम्प लगाकर पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर शहर के जरूरतमंदों को प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत तत्काल मकानों के पट्टे दिये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से पीटीआई भर्ती वर्ष 2018 में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्रीमती सूर्यकांता व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में संचालित सरकारी चिकित्सालयों में उनके स्तर के अनुरूप सुविधाएं व संसाधन उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से अलवर ज़िले में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में लम्बित आवेदकों को ऋण स्वीकृत नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हुरड़ा की सड़कों को निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से महाराणा प्रताप स्मारक स्थल चावण्ड एवं महाराणा प्रताप समाधि स्थल बण्डोली को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री गणेश घोघरा, सदस्य की ओर से प्रदेश में पटेल/पाटीदार समुदाय को EWS प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री पुखराज, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम बुद्धनगर में शहीद केसाराम विश्नोई के स्मारक हेतु भूमि आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री राजकुमार गौड़, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर ज़िले में पंजाब से नहरों में आ रहे प्रदूषित पानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से होम्योपैथिक चिकित्सकों के नवीन पद सृजित कर संविदा होम्योपैथिक चिकित्सकों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।

(16) श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में निर्मित जीएसएस में घटिया सामग्री उपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदाकर्मियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।

(18) श्रीमती मंजु देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जायल में

(श्री अध्यक्ष)

ग्राम जोधियासी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में।

(19) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से प्रदेश में गौ-माता को संरक्षण तथा गौ तस्करी, गौ हत्या व भू-माफियाओं द्वारा गोचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में।

(20) श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से प्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित किये जाने, किसान सम्मान योजना की राशि को 12 हजार प्रतिवर्ष दिये जाने तथा चकबंदी के अभाव में ज़मीनों की खातेदारी जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

माननीय सदस्य, आज मुखबंद भी है। माननीय मंत्री जी चार बजे के करीब जवाब देंगे। उसके बाद हम मुखबंद से अन्य मांगें पारित करेंगे, इसलिए माननीय सदस्यों से निवेदन है, पार्टी के सचेतकों से निवेदन है कि समय का निर्धारण इस तरह से करें कि माननीय मंत्री जी का जवाब 4 बजे शुरू हो सके।

श्री समाराम गरासिया।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

पिण्डवाड़ा-आबू में बिल्डिंग बॉयलाज के अनुसार निर्माण कार्य में दोहरे मापदण्ड

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पिंडवाड़ा-आबू में माउण्ट आबू निदेशालय का पत्र क्रमांक 50663, दिनांक 26.02.2021 यह कहता है कि मॉडल राजस्थान विनियम लागू है, जिसका हवाला देकर सक्षम व्यक्ति इस सम्पत्ति को सीज मुक्त कर विनियम के आदेश दिये गये हैं। नगरपालिका के द्वारा निदेशालय को भेजा गया एक पत्र क्रमांक 2861, दिनांक 24.03.2021 यह दर्शाता है कि विनियम, 2020 आबू पर्वत पर लागू नहीं हैं, बल्कि विनियम 2019 लागू हैं। निदेशालय द्वारा भेजा गया एक पत्र क्रमांक 536645, दिनांक 19.04.2021 फिर सक्षम व्यक्ति को

(श्री समाराम गरासिया)

फायदा पहुंचाने हेतु कहा गया है कि विनियम् 2019 लागू है। दिनांक 02.02.2022 को नगरपालिका आयुक्त के पत्र 4739 में यह दर्शाया है कि एनजीटी के आदेश 10.03.2021 के अनुसार 2019 भी आबू पर्वत पर लागू नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, क्या कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): प्रदेश कांग्रेस ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय, माननीय।

(समय: 12.05 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): दिनांक 02.02.2022 को नगरपालिका आयुक्त के पत्र...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया सुनिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, यह विपक्ष का रोल ही नहीं कर पा रहे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, ये हमें भड़का रहे हैं। ये चाहते क्या हैं (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: कृपया बैठिये। प्लीज, आप पढ़िये, पढ़िये।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): सभापति जी, शुरू से पढ़ूं क्या?.. (व्यवधान) ...

श्री सभापति: आप पढ़िये अपनी बात।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): फिर से पढ़ता हूं, शुरू से।

सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पिंडवाड़ा-आबू में माउण्ट आबू निदेशालय का पत्र क्रमांक 50663, दिनांक 26.02.2021, यह कहता है कि मॉडल राजस्थान विनियम लागू है, जिसका हवाला देकर सक्षम व्यक्ति, इस सम्पत्ति को सीज मुक्त कर, विनियम के आदेश दिये गये हैं। नगरपालिका के द्वारा निदेशालय को भेजा गया ...

श्री सभापति: कृपया, आपस में बात नहीं करें।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): एक पत्र क्रमांक 2861, दिनांक 24.03.2021 यह दर्शाता है कि विनियम, 2020 आबू पर्वत पर लागू नहीं हैं, बल्कि विनियम, 2019 लागू हैं। निदेशालय द्वारा भेजा गया एक पत्र क्रमांक 536645, दिनांक 19.04.2021 फिर सक्षम व्यक्ति को फायदा पहुंचाने हेतु कहा गया है कि विनियम, 2019 लागू है। दिनांक 02.02.2022 को नगरपालिका आयुक्त के पत्र 4739 में यह दर्शाया है कि एनजीटी के आदेश 10.03.2021 के अनुसार 2019 भी आबू पर्वत पर लागू नहीं है। क्या राज्य सरकार को एनजीटी के 10.03.2021 के आदेशों की जानकारी नहीं है, जो नगरपालिका आयुक्त को है। सरकार यह दोहरी नीति क्यों अपना रही है? आबू पर्वत की जनता के साथ अन्याय क्यों? यह सुविधा प्रभावशाली लोगों को ही क्यों? समस्त जनता को क्यों नहीं दी जा रही है? सरकार यह बताये कि आखिर आबू में कौनसा कानून लागू है? माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने स्वयं लोक सभा चुनाव पूर्व बड़े जोर-शोर से आबू पर्वत के लोगों को बिल्डिंग बॉयलाज की घोषणा कर जनता को सौगात दी थी, लेकिन धरातल पर आज भी स्थिति इनके बिलकुल विपरीत है। सरकार केवल प्रभावशाली व्यक्तियों को लाभ पहुंचा रही है, लेकिन आम आदमी के पास अपने भवन को रिपेयर करने हेतु एक बैग सीमेंट पकड़ा जाता है, तो उससे 10 से 25 हजार तक जुर्माना वसूल किया जाता है।

मेरी सरकार से मांग है कि आम जनता को परेशान न कर सबके साथ एक समान व्यवहार करे। धन्यवाद

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह जी रावत (अनुपस्थित)। श्री बाबू लाल जी, कठूमर (अनुपस्थित)। श्रीमती संतोष।

अनूपगढ़ को जिला बनाया जाना

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत अनूपगढ़ को राज्य का नया जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख।

सभापति महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र अनूपगढ़ भारत पाक अन्तरराष्ट्रीय सीमा का सीमावर्ती उपखण्ड है। अनूपगढ़ को जिला बनाने के लिए जिला बनाओ संघर्ष समिति द्वारा 9 फरवरी, 2012 से उपखण्ड कार्यालय अनूपगढ़ के सामने धरना शुरू किया गया था और 10 वर्ष पूर्ण हो गये हैं।

(श्रीमती संतोष)

अनूपगढ़ को जिला बनाने के लिए काफी समय से मांग की जा रही है। प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर भी अनूपगढ़ सभी मापदण्ड पूर्ण करता है। राज्य के प्रशासनिक ढांचे की मजबूती के लिए भी नये ज़िले बनाये जाने की आवश्यकता है। अनूपगढ़ जिला बनाने से प्रशासनिक नियंत्रण कानून-व्यवस्था एवं आमजन को शीघ्र प्रशासन से सहायता मिलेगी। अनूपगढ़ अन्तरराष्ट्रीय भारत-पाक सीमा से केवल 10 किमी. की दूरी पर है। अनूपगढ़ में प्रशासनिक दृष्टि से समस्त विभागों के कार्यालय स्थापित हैं। ज़िले के कार्यों के लिए अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र की उप-तहसील 2 केएलडी (365 हैड) व घड़साना के कार्यों के लिए उपखण्ड जिला मुख्यालय से 215-180 किमी. दूरी पर है। अनूपगढ़ भी जिला मुख्यालय से लगभग 130 किमी. की दूरी पर है।

आमजन को अपने जिला स्तरीय कार्यों के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, इसमें समय व पैसे की बरबादी होती है। स्थानीय जनता को परेशानी हो रही है। अनूपगढ़ को जिला बनाओ संघर्ष समिति द्वारा 2013 में माननीय मुख्य मंत्रीजी से प्रतिनिधि मण्डल अनूपगढ़ से पैदल आकर भी मिला था, लेकिन 9 वर्ष हो गये, जिले की घोषणा नहीं हुई है। अनूपगढ़ को जिला बनाने की सरकार द्वारा भी कमेटी बनायी गयी थी, जिसमें अनूपगढ़ भौगोलिक दृष्टि व प्रशासनिक स्तर पर भी सभी मापदण्ड पूर्ण करता है, लेकिन अभी तक क्रियान्विति नहीं हो पायी है। अनूपगढ़ को जिला बनाया जाना उचित है।

अत: आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी का अनूपगढ़ को जिला बनाने के लिए विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से ध्यान आकर्षित कर रही हूं।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री हमीर सिंह भायल।

बाड़मेर में पेयजल योजनाओं में सिंगल फेज मोटर पम्प का प्रयोग

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धित नियम 295 के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संचालित योजनाओं में सिंगल फेज के मोटर पम्प लगाकर पेयजल उपलब्ध करवाने के क्रम में निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में पेयजल को लेकर वर्तमान में स्थिति बहुत ही विपरीत है। पुराने समय में सिवाना क्षेत्र बाड़मेर जिले का एक मात्र भूमिगत जलस्तर का भण्डार वाला क्षेत्र था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गयी हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट। माननीय मंत्री महोदय से भी यह निवेदन है कि कृपया आपस में बात नहीं करें। मंत्रीगण से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस तरह बात नहीं करें, प्लीज। पढ़िये आप।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): सिवाना और सिणधरी उपखण्ड के सभी गांवों में भूमिगत जल स्तर रसातल में चला गया है। जलदाय विभाग द्वारा पेयजल की आपूर्ति हेतु सभी नलकूपों में थ्री फेज के पम्प लगाकर पानी दिया जाता है। कम मात्रा में पानी होने से पूरे समय तक पानी की सप्लाई नहीं देने से सभी स्थानों पर पम्प जलने की शिकायत आती रहती है, जिसके कारण से विभाग को लाखों रुपये का नुकसान होता है और समय पर आमजन को पेयजल भी नहीं दिया जा सकता है। अभी सिवाना और सिणधरी उपखण्ड के लिए मीठा पानी दिये जाने की जो परियोजना बनी हुई है, उससे पेयजल दिया जाना सम्भव नहीं है तो कम मात्रा का भूमिगत जल का पूरा उपयोग हो सके और सिंगल फेज बिजली भी निर्बाध रूप से मिलती है, तो जनता को पानी भी अधिक मिल सकेगा।

क्षेत्र के कई गांव ऐसे भी हैं जिनमें स्कीम जलदाय विभाग की चलायी जा रही है लेकिन विभाग का कोई भी कर्मचारी नहीं होने से आमजन को समय पर पेयजल नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों को लेकर विभाग लेबर का प्रबन्धन करके भी राहत प्रदान कर सकता है। अभी कर्मचारी-विहीन ग्राम पंचायतों की सभी स्कीम को स्थानीय ग्राम पंचायत चला रही है, जिससे व्यय भार बिना स्वीकृति के किया जाना सम्भव नहीं है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि जलदाय विभाग और बिजली विभाग का आपस में समन्वय स्थापित करके कम पानी वाले नलकूपों में सिंगल फेज मोटर पम्प डालने और कर्मचारी-विहीन सभी गांवों की स्कीम चलाने के लिए लेबर व्यवस्था करवाकर राहत प्रदान करायें।

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): होली के पावन अवसर पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं और रामा-श्यामा होली का। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपने जो लिखा है, वह ही पढ़ना है। बाकी डिलीट कर दीजिए। श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर शहर में प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान में पट्टों की प्रदायगी

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत अजमेर शहर के जरूरतमंदों को प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत तत्काल पट्टे देने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, राज्य सरकार ने कच्ची बस्तियों के नियमन एवं पुरानी बसावट वाली कालोनियों के प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पूरे प्रदेश भर में 10 लाख पट्टे बांटने का न केवल जबरदस्त हो-हल्ला किया, बल्कि समाचार पत्रों की खूब सुर्खियां भी बटोरीं लेकिन करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाने के बाद भी अजमेर के मामले में परिणाम ढाक के तीन पात ही रहे हैं। 02 अक्टूबर, 2021 से प्रारम्भ यह अभियान 31 मार्च को समाप्ति पर है लेकिन अजमेर के दर्जनों वार्डों के हजारों जरूरतमंद-वासियों को अब तक भी मकानों के पट्टे नहीं मिले हैं। बड़ी आस में लोगों ने हजारों रुपये खर्च कर मकानों की फाइलें तैयार कीं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज। डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं-नहीं, इस तरह नहीं। (व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): यह समस्या इनकी तरफ से है। ये चुगली शुरू कर देते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया साइलेंस बनाकर रखें। आप पढ़िये। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मुझे पढ़ने तो दिया जाये। (व्यवधान)

श्री सभापति: पढ़िये आप।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सेवा शुल्क के नाम पर प्रति फाइल 1500 रुपये भी जमा कराये। हालांकि, लाखों रुपये खर्च कर कैम्प भी लगाये गये, लेकिन ये कैम्प पट्टे देने के बजाय जन्म प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वैवाहिक प्रमाण पत्र, इत्यादि रूटीन के कार्य तक ही सीमित रहे। वार्ड 62, 63, 64, 65 सहित दर्जनों वार्डों के निवासियों को अब तक भी पट्टे मिलने की आस है। अभियान समाप्ति के महज कुछ दिन शेष रहने के चलते दशकों से

(श्री वासुदेव देवनानी)

पट्टे मिलने के इंतजार में पथराई अजमेरवासियों की आंखों को भी अब आस टूटती दिखाई पड़ रही है। सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के चलते पट्टे नहीं मिलने से शहरवासियों में सरकार और प्रशासन के प्रति भारी रोष व्याप्त है।

अत: मेरा आग्रह है कि विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत अजमेर शहर के जरूरतमंदों को प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत तत्काल पट्टे देने हेतु सम्बन्धित विभाग को पाबन्द करायें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह।

पी.टी.आई. भर्ती परीक्षा, 2018 में हुई अनियमितता की जांच हेतु उच्च स्तरीय कमेटी का गठन

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव-पी.टी.आई. भर्ती वर्ष, 2018 में पदों की बढ़ोतरी नहीं करने एवं भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा वर्ष 2018 में 4655 पदों हेतु शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (पी.टी.आई.) ग्रेड-III का विज्ञापन जारी किया गया। इस भर्ती की परीक्षा दिनांक 30.09.2018 को आयोजित की गयी। इस भर्ती परीक्षा का परिणाम बोर्ड द्वारा दिनांक 29.01.2019 को जारी किया गया। पी.टी.आई. भर्ती, 2018 में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा विभिन्न अनियमितता, धांधली एवं नियमों की अवहेलना की गयी है, जिससे पात्र अभ्यर्थियों को दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापित पद 4 हजार 655 के विरुद्ध 4 हजार 748 पदों का रिजल्ट जारी किया गया है, जबकि किसी भी भर्ती में विज्ञापित पद पूर्ण होने के उपरान्त शेष रिजल्ट प्रतीक्षा सूची से भरे जाने का प्रावधान है। शारीरिक शिक्षक भर्ती वर्ष 2013 में नियुक्त हो चुके अभ्यर्थियों ने गृह जिला प्राप्त करने के लिए वर्ष 2018 की शारीरिक शिक्षक भर्ती में आवेदन किया और करीब 390 सामान्य पदों पर चयन कर उन्हें नियुक्ति प्रदान कर दी गयी, जबकि वे पहले से ही समान कैडर व समान पद पर नियुक्त थे। ऐसे करीब 390 अभ्यर्थियों के चयन होने से बेरोजगार

(श्री प्रताप सिंह)

शारीरिक शिक्षकों को आजीवन बेरोजगार रहने को मजबूर कर दिया। पी.टी.आई. भर्ती वर्ष 2018 में एस.टी./एस.सी. वर्ग के 150 पदों का बैकलॉग नहीं भरे जाने से अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति से वंचित होना पड़ रहा है। इसी प्रकार एम.बी.सी. और ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के आरक्षण का बिल एक ही दिन लागू किया गया। सरकार ने प्रक्रियाधीन भर्तियों में पद बढ़ाने का निर्णय भी लिया। सरकार ने पी.टी.आई. भर्ती, 2018 में एम.बी.सी. वर्ग के पद बढ़ाकर लाभ दे दिया किन्तु ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के पद नहीं बढ़ाये गये। इस प्रकार सरकार ने भेदभाव कर सैकड़ों बेरोजगारों के साथ अन्याय किया है।

विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदेश की भर्तियों में प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्य न मानने की आवाज लगातार उठायी, किन्तु सरकार की मनमानी के चलते उस पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है, जबकि राजस्थान में युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार के अवसर होने के बावजूद बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है। कई राज्यों ने रोजगार के अवसर वहां की सरकार ने दूसरे राज्यों के लिए बंद कर दिये हैं, ऐसे में प्रदेश के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को सही निर्णय लिया जाना चाहिए।

पी.टी.आई. भर्ती, 2018 में अभी भी समस्त पदों का परिणाम जारी किया जाना शेष है। सरकार ने प्रयोगशाला सहायक, एल.डी.सी., नर्सिंग आदि भर्तियों में पद बढ़ाये हैं। ऐसे में पी.टी.आई. भर्ती, 2018 में भी कम से कम 500 पद बढ़ाये जाने चाहिए, जिससे बेरोजगारों के साथ न्याय हो सके। पी.टी.आई. भर्ती, 2018 में हुई विभिन्न अनियमितताओं एवं धांधली की जांच किये जाने हेतु उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाना चाहिए।

अत: निवेदन है कि पी.टी.आई. भर्ती वर्ष, 2018 में 500 पद बढ़ाये जाने एवं भर्ती प्रक्रिया में हुई विभिन्न अनियमितता व धांधली की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किये जाने हेतु निर्देश प्रदान करने का श्रम करायें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकांता जी व्यास।

सूरसागर स्थित राजकीय अस्पतालों में सुविधाएं एवं संसाधनों की अनुपलब्धता

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं राज्य सरकार का ध्यान विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में चल रहे सरकारी चिकित्सालयों में उनके स्तर के अनुरूप सुविधाएं एवं संसाधन नहीं होने की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं।

1. प्रतापनगर के सैटेलाइट अस्पताल को पिछले वर्ष माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जिला अस्पताल के स्तर पर क्रमोन्नत किया था, परन्तु आज दिन तक उसमें किसी भी प्रकार के संसाधन एवं सुविधाओं की वृद्धि नहीं हुई है। वहां पर विशाल भूमि उपलब्ध है जिसका पट्टा भी मैंने इस वर्ष जारी करवा दिया है।
2. इसी प्रकार राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में भी सैटेलाइट स्तर के अनुरूप सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।

उक्त दोनों ही अस्पताल आवासन मण्डल की कालोनियों में बसे हुए हैं, जहां सघन आबादी क्षेत्र है। साथ ही उसके निकटस्थ ही अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र एवं समाज के कमजोर एवं वंचित वर्ग के निवासियों की कई बस्तियां आबाद हैं। उन लागों को उनके आवास के निकट सुविधा नहीं मिलने के कारण वे कई बार निजी अस्पतालों के महंगे खर्चों के शिकार बनते हैं।

अत: मेरा अनुरोध है कि सरकार उक्त दोनों अस्पतालों में उनके स्तर के अनुरूप भवन, जांच सुविधाएं, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा उपलब्ध कराये। साथ ही उक्त दोनों केन्द्रों को सुरक्षित प्रसव केन्द्र के रूप में भी विकसित करने के प्रयास के लिए समुचित संसाधन उपलब्ध कराये जायें।

श्री सभापति: श्री संजय शर्मा।

अलवर में इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में आवेदकों को ऋण स्वीकृति

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि कोरोना के कारण जिन मजदूरों और वेंडरों का रोजगार छिन गया, उन्हें स्वरोजगार के लिए इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में बिना गारन्टी के 50 हजार रुपये

(श्री संजय शर्मा)

का लोने देने की घोषणा सरकार ने की थी, लेकिन अलवर जिले में इस योजना की स्थिति संतोषजनक नहीं रही है। मजदूरों और वेंडरों की लोन की फाइल बैंकों में अटक गई है। लोन के लिए अलवर नगर परिषद् और जिले की 11 नगरपालिका क्षेत्रों में 4668 लोगों ने आवेदन किया। पहले तो करीब 15 हजार 27 के लक्ष्य पर आवेदन ही 43.04 प्रतिशत आये और उन्हें भी बैंकों ने अटका दिया। 12 शहरी क्षेत्रों में 29 बैंकों ने मात्र 100 लोगों को 33.75 लाख रुपये का लोन दिया है, जबकि 6183 फाइल बैंकों में अटकी हुई हैं। कई फाइलें दस्तावेजों की कमी के कारण रिजेक्ट की गई हैं। बैंकों के आंकड़े चौकाने वाले हैं। किशनगढ़बास, थानागाजी, लक्ष्मणगढ़, तिजारा, बानसूर, भिवाड़ी व रामगढ़ में किसी को भी लोन नहीं मिला। खेड़ली में केवल एक आवेदक को लोन दिया गया। अलवर में 1.60 प्रतिशत, राजगढ़ में 0.36 प्रतिशत, बहरोड़ में 0.60 प्रतिशत, खैरथल में 0.84 व खेड़ली में 0.18 प्रतिशत आवेदकों को लोन दिया गया है।

ऑनलाइन आवेदन करने वाले श्रमिक असंगठित क्षेत्रों के मजदूर और रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार हैं, जिनके आवेदनों को नगर परिषद् ने वेरीफाई और कलेक्टर के प्रतिनिधि की ओर से अप्रूव किया गया है, लेकिन लोन दिलाने में बैंकों की कार्य प्रणाली के सामने जिला प्रशासन भी फेल हो रहा है। पिछली बैठक में कलेक्टर ने बैंको को लोन देने के निर्देश दिये, लेकिन स्थिति में आज दिनांक तक कोई बदलाव नहीं आया है। नगर परिषद् की ओर से पेंडिंग फाइलों का निस्तारण करने के लिए बैंकों से सम्पर्क करने पर स्पष्ट जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। बैंक आवेदकों की ओर से कॉल रिसीव नहीं करने की बात कह रहे हैं, जबकि उन्हें नगरपालिका द्वारा कॉल करने व बैंक से कॉल नहीं आने की बात कह रहे हैं। सरकार द्वारा बैंकों को तुरन्त निर्देश जारी किए जायें कि पेंडिंग फाइलों का शीघ्र निस्तारण कर उक्त योजना के आवेदकों को ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जाकर उन्हें राहत प्रदान की जा सके।

अत: इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से मांग कर निवेदन करना चाहता हूं कि जनहित में इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में लम्बित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कर आवेदकों को लोन स्वीकृत कर उन्हें राहत प्रदान करने का श्रम करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जब्बर सिंह सांखला।

आसीन्द-हुरड़ा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हुरड़ा में कई सड़कें ऐसी महत्वपूर्ण हैं जो पिछले 20 सालों से टूटी पड़ी हैं, मगर सरकार से बार-बार मांग करने तथा आग्रह करने पर भी आज तक सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। कई बार अधिकारियों को मैंने मौका दिखाया और अधिकारियों ने भी प्रपोजल बनाकर सरकार को भेजे, मगर सरकार में बैठे मंत्री महोदय ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने मेरे जिले के प्रभारी मंत्रियों को, जो अब तक तीन मंत्री महोदय प्रभारी लग चुके हैं। मैंने सभी को कई बार आग्रह किया, निवेदन किया, मगर मैं या तो भाजपा का विधायक हूं इसलिए या और कोई वजह हो सकती है जिससे मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है।

मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता की बहुत ही लम्बे समय से मांग है। जनता की भावना और उनके दर्द को समझते हुए ये कुछ सड़कें हैं कई वर्षों से टूटी हुई हैं इनको बनाने के लिए, चाहे डीएमएफटी फण्ड से बनवाने के लिए जिला कलेक्टर महोदय को आदेश फरमायें। सड़कें निम्न प्रकार हैं:- कटार चौराहे से कटार, सोहनपुरा से भादसी, बालापुरा से आंकड सादा, आसीन्द से दहीमथा, ओजियाणा से हट्रण्डी, बगतावरपुरा से सोड़ार, सरेरी स्टेशन से भवानीपुरा, मोड का निम्बाहेड़ा से गांगलास, नाहरमंगरा से गायत्रीनहर, शम्भूगढ़ से बरसनी तथा जो सड़कें कच्ची हैं और अति आवश्यक हैं, जिनकी मांग लम्बे समय से की जा रही है, वे निम्न हैं:- कालियास से इनाणी खेड़ा, बरसनी से दांतड़ा, सापौला से रामगढ़, खातीखेड़ा से आनन्दीपुरा, कोटड़ी से आगूचा, मालासेरी घाटी से आमेसर, उदलपुरा से रायला, गांगलास से छोटी रूपाहेली, खातौला से सूलवाड़ा, एन एच 148 से चैनपुरा वाया अर्जुनपुरा, परासोली से रायरा, धौली से जबरकिया, विजयनगर चौराहा (बदनौर) से आकड़सादा, सिरोली घाटी से कटार, परा से भैरूखेड़ा, लक्ष्मीपुरा से जालमपुरा, लाछूड़ा से तिलोली, तिलोली से नंगपुरा, पांडरू से तिलोली, झालरा से जागीभाटा, परा से भरालिया तथा और भी कई गांवों की महत्वपूर्ण सड़कें हैं, जो आज तक पक्की नहीं हो पायी हैं।

अत: मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे जिले में डीएमएफटी

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

का बहुत बड़ा फण्ड आता है और उस फण्ड में मेरे विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हुरड़ा का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा होता है फिर भी यहां की जनता की मांग के अनुसार सड़कें नहीं बनाई जाती हैं।

अत: आप जिला कलेक्टरजी को आदेश फरमाकर आसीन्द-हुरड़ा की जनता की इस वाजिब व उचित अति आवश्यक मांग के अनुसार सड़कों का निर्माण कराने की कृपा करावें।

श्री सभापति: श्री अमृतलाल मीणा।

महाराणा प्रताप स्मारक स्थल, चावण्ड एवं महाराणा प्रताप समाधि स्थल, बण्डोली का पर्यटन स्थलों के रूप में विकास

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए निवेदन है कि:

1. राजस्थान सरकार द्वारा गत वर्ष जारी किये गये पर्यटन विकास के बजट में महाराणा प्रताप जहां मृत्यु को प्राप्त हुए, उनकी पुण्य स्थली चावण्ड महाराणा प्रताप स्मारक स्थल, चावण्ड एवं महाराणा प्रताप समाधि स्थल, बण्डोली, चावण्ड पर पर्यटन विभाग द्वारा पूरे वर्ष में किसी भी प्रकार का बजट जारी नहीं किया गया।
2. महाराणा प्रताप स्मारक स्थल, चावण्ड एवं महाराणा प्रताप समाधि स्थल बण्डोली, चावण्ड को विकसित करने हेतु उप-निदेशक, पर्यटन विभाग, उदयपुर द्वारा निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर को 46 लाख रुपये के कार्य करने हेतु प्रस्ताव भेजे गये। उस बजट को पूरा वर्ष बीत जाने पर भी आज तक पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृति जारी क्यों नहीं की?
3. महाराणा प्रताप स्मारक स्थल, चावण्ड की दीवारें धंसकर टूट रही हैं, उस पर पर्यटन विभाग का ध्यान नहीं है। क्या पर्यटन विभाग सिर्फ शहरों के पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए बना है? गांवों के पर्यटन स्थलों को पर्यटन विभाग क्यों नजर अंदाज करता है?
4. पूरे वर्ष भर में एक भी बार पर्यटन विभाग के अधिकारी स्मारक स्थल, चावण्ड और समाधि स्थल बण्डोली, चावण्ड नहीं आये।

(श्री अमृतलाल मीणा)

5. पर्यटन विभाग की वेबसाइट और पर्यटन सर्किट के मानचित्र में आज तक महाराणा प्रताप का स्मारक व समाधि स्थल बण्डोली, चावण्ड में दर्शाया नहीं गया है।

6. महाराणा प्रताप स्मारक स्थल, चावण्ड एवं समाधि स्थल बण्डोली, चावण्ड को विकसित करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा बजट जारी नहीं करना।

7. महाराणा प्रताप स्मारक समिति, चावण्ड द्वारा बार-बार पर्यटन विभाग, राज्य सरकार से स्मारक स्थल एवं समाधि स्थल की दीवारें, जो ढहने की स्थिति में हैं, उनकी मरम्मत कराकर समाधि स्थल के गार्डन को तालाब में ढहने से बचाया जा रहा है।

8. महाराणा प्रताप की पुण्य स्थली, चावण्ड के निवासियों ने सन् 1972 में महाराणा प्रताप स्मारक समिति, चावण्ड का गठन किया। महाराणा प्रताप स्मारक समिति, चावण्ड 1972 से निरन्तर इन स्थलों के विकास के लिए कार्य कर रही है। इस समिति को उपखण्ड स्तरीय पर्यटन समिति में क्यों नहीं रखा गया है?

9. महाराणा प्रताप की अन्तिम राजधानी, जो मेवाड़ की तीसरी राजधानी चावण्ड के नाम से विख्यात है।

10. विश्वविख्यात सलूम्बर में हाड़ी रानी का महल, झरोखे, दरवाजे, खिड़कियां और रख-रखाव तथा बजट भी पर्याप्त उपलब्ध कराया जाए।

11. जयसमन्द झील मीठे पानी की झील है। यहां पर हवामहल, रूठी रानी का महल और जयसमन्द झील बांध का मरम्मत का कार्य किया जाए।

12. जयसमन्द झील पर अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जी.एस.एस. को हटाया जावे। आए दिन बन्दर बिजली के करंट से मरते हैं। यह पर्यटन स्थल है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गणेश घोघरा।

पटेल/पाटीदार समुदाय को EWS प्रमाण-पत्र

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष

(श्री गणेश घोघरा)

उल्लेख प्रस्ताव के जरिए निवेदन है कि EWS प्रमाण-पत्र में विसंगतियां हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

1. यह कि भारत सरकार ने अपने नोटिफिकेशन नं. 36039/1/2019, दिनांक 31.01.2019 द्वारा देश की अनारक्षित जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े, कमजोर लोगों को केन्द्रीय भर्तियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही, आर्थिक रूप से पिछड़े होने की शर्तों का निर्धारण भी किया गया है।
2. यह कि केन्द्र के प्रावधानों की अनुपालना में प्रत्येक राज्य सरकार ने भी अपने राज्य के अनारक्षित वर्गों के आर्थिक पिछड़ों को भी राज्य की भर्तियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था दी है। साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान के लिए शर्तों का निर्धारण किया है।
3. चूंकि राजस्थान सरकार की शर्तें केन्द्र सरकार की शर्तों से कुछ अलग हैं, अत: राजस्थान में निवासरत अनारक्षित वर्गों के आर्थिक पिछड़ों के EWS प्रमाण-पत्र केन्द्र व राज्य के लिए पृथक बनते हैं तथा दोनों ही प्रमाण-पत्रों को जारी करने का अधिकार स्थानीय प्रशासन को दिया गया है।
4. यह कि राजस्थान में निवासरत पटेल/पाटीदार समुदाय को केन्द्र सरकार अनारक्षित श्रेणी (सामान्य वर्ग) में मानती है। दूसरी ओर राजस्थान सरकार ने वर्ष 1998 से पटेल/पाटीदार समुदाय को ओबीसी वर्ग में अधिसूचित किया है।
5. यह कि राज्य सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग मानने से पटेल/पाटीदार वर्ग के लोग राज्य EWS प्रमाण-पत्र के लिए अपात्र हैं, परन्तु केन्द्र सरकार पटेल/पाटीदार वर्ग को अनारक्षित श्रेणी में मानती है, तो केन्द्रीय EWS प्रमाण-पत्र (केन्द्र की शर्तों को पूर्ण करने वाले) बनवाने के लिए पात्र होने चाहिए, परन्तु स्थानीय प्रशासन पटेल/पाटीदार समुदाय के EWS आवेदन को ओबीसी वर्ग में आने का हवाला देकर EWS प्रमाण-पत्र को बनाने से इंकार कर देता है। चूंकि केन्द्र हमें ओबीसी वर्ग में नहीं मानता है तो पटेल/पाटीदार समुदाय के लोगों का EWS प्रमाण-पत्र बनना चाहिए।

(श्री गणेश घोघरा)

अत: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त जनहित के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए विसंगतियां दूर करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पुखराज।

बुद्धनगर (भोपालगढ़) में शहीद केसाराम विश्नोई के स्मारक हेतु भू-आबंटन

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में आजादी के बाद शहीद हुए सैनिकों के सम्मान हेतु शहीद स्मारक बनाने हेतु समय-समय पर भूमि का आबंटन किया जाता रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव बुद्धनगर के अमर शहीद केसाराम विश्नोई (03 अप्रैल, 1999) का गांव, पैतृक निवास जोधपुर जिले की जोधपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में आता है। उनका शहीद स्मारक बनाने हेतु भूमि आबंटन की आवश्यकता होने पर शहीद के परिवार की ओर से अगस्त, 2018 में शहीद के बुद्धनगर के खसरा नम्बर 1113 गैर-मुमकिन लाटा (आबादी) भूमि में से स्मारक निर्माण हेतु आवेदन किया गया, लेकिन जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नवीन भूमि आबंटन नीति, 2015 में शहीद स्मारक हेतु भूमि आबंटन का उल्लेख नहीं होना बताकर अगस्त, 2018 में ही राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्रदान करने का लिखा, जो अभी तक अप्राप्त है। शहीद के स्मारक के लिए आवेदित आबादी भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि से शहीद स्मारक हेतु भूमि का आबंटन किया जाना शहीद के सम्मान के लिए आवश्यक है, जबकि जोधपुर विकास प्राधिकरण की सीमा से बाहर राजस्व भूमि में राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन, 2009 के तहत शहीदों के स्मारकों हेतु भूमि आबंटन किया जा रहा है।

अत: मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं स्थानीय निकाय मंत्री से आग्रह है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में आने वाले शहीद केसाराम विश्नोई के पैतृक गांव बुद्धनगर तहसील एवं जिला जोधपुर का भूमि का आबंटन करवाने हेतु आदेश जारी कर लम्बित प्रकरण का निस्तारण करावें। इससे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि की दिशा में एक सराहनीय कदम होगा और समाज में सकारात्मक संदेश भी जाएगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजकुमार गौड़।

श्रीगंगानगर में पंजाब से नहरों में आ रहा प्रदूषित जल

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): माननीय सभापति महोदय, श्रीगंगानगर जिले में पंजाब से नहरों में आ रहे प्रदूषित पानी को रोकने के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव के तहत निवेदन है कि मैंने राजस्थान की नहरों में पंजाब से आ रहे दूषित व जहरीले पानी के सम्बन्ध में अनेकों बार विधान सभा में आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराया है। आज पुन: निवेदन है कि श्रीगंगानगर में वर्तमान में पंजाब से हमारी नहरों में आ रहे पानी के खतरनाक स्तर पर प्रदूषित होने की वजह बांधों से पानी की निकासी कम करना है। गत दिनों पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बरसात के चलते भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने पोंग और भाखड़ा बांधों से पानी की निकासी कम कर दी थी। इससे सतलज-ब्यास नदियों के पानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया और वही पानी गंगनहर, भाखड़ा और इन्दिरा गांधी नहरों में आया है। इन तीनों नहरों का पानी राजस्थान के दस जिलों में सिंचाई के साथ पेयजल के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है।

सभापति महोदय, पंजाब से हमारी नहरों में फैक्ट्रियों का कैमिकलयुक्त पानी, चमड़े की फैक्ट्रियों का गन्दा पानी, सीवरेज का पानी इत्यादि डाला जाता है, जिससे इन नहरों के गन्दे पानी से यह इलाका कैंसर जैसी गम्भीर बीमारी से पीड़ित है।

नहरों में प्रवाहित किये जाने वाले दूषित जल की रोकथाम करने हेतु आपसे पुन: आग्रह करना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री महोदय भी इस सम्बन्ध में 2 बार पंजाब गये भी थे एवं तत्कालीन मुख्य मंत्री जी से इस बारे में बात भी की थी। उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का आश्वासन भी दिया था, परन्तु इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

सभापति महोदय, मैं, केन्द्रीय सिंचाई मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जहरीले पानी का मामला अन्तरराज्यीय स्तर का सिंचाई पानी का मामला केन्द्र सरकार के अधीन है। अत: केन्द्रीय मंत्री जी राजस्थान में आने वाले जहरीले पानी को बंद करवाने की कृपा करें।

अत: श्रीमान् जी से अनुरोध है कि उक्त समस्या का स्थायी रूप से समाधान करवाने हेतु पंजाब सरकार पर दबाव बनायें व इस समस्या का स्थायी समाधान कराने का कष्ट करें, ताकि इलाके की जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

होम्योपैथिक चिकित्सकों के नवीन पदों का सृजन व संविदा चिकित्सकों का नियमितीकरण

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत होम्योपैथिक चिकित्सकों को नियमित करने के संबंध में विशेष उल्लेख की सूचना।

सभापति महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दुनिया में ऐलोपैथी के बाद होम्योपैथिक द्वितीय बड़ी चिकित्सा पद्धति है। इस चिकित्सा पद्धति ने कोरोना महामारी में अच्छा कार्य किया है।

पूरे प्रदेश में 303 होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज हैं जबकि आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज 4476 हैं। राजस्थान में आज तक 10 हजार से ज्यादा होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की डिस्पेंसरीज की संख्या राजस्थान में अन्य राज्यों से कम है। अन्य राज्यों, जैसे बिहार में 1280, बंगाल में 1541, यूपी में 1583 डिस्पेंसरीज हैं।

विधान सभा सदस्य, जन प्रतिनिधियों व आयुष होम्योपैथिक चिकित्सकों के द्वारा दिये गये ज्ञापन व मांग के आधार पर 2 माह पूर्व निदेशालय, होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग द्वारा उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर को पत्राचार कर होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के 656 नवीन पद सृजित कर संविदा होम्योपैथिक चिकित्सकों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में किया था, जिसका आज तक कोई अता-पता नहीं है। संविदा होम्योपैथिक चिकित्सक पिछले 25 दिन से धरने पर बैठे हैं।

अत: सरकार से होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के 656 नवीन पद सृजित कर संविदा होम्योपैथिक चिकित्सकों को नियमित किये जाने की पुरजोर मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप कासनियां।

सूरतगढ़ में जी.एस.एस. के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत

(श्री रामप्रताप कासनियां)

विशेष उल्लेख विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के 1 जीपीएम (राजाणा) 33 केवी जीएसएस सब स्टेशन में घटिया सामग्री लगाने से आये दिन इंसुलेटर जलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

सभापति महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि देश में सबसे महंगी बिजली की मार झेल रहे प्रदेश के विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के 1 जीपीएम (राजाणा) में हाल ही में जीएसएस का निर्माण 1 वर्ष पूर्व विद्युत विभाग द्वारा करवाया गया था। जीएसएस निर्माण का उद्देश्य तो उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों से निजात दिलाना था, परन्तु विभाग के अधिकारियों व ठेकेदारों की सांठगांठ ने परेशानियों को और भी बढ़ा दिया है। ठेकेदार व अधिकारियों की मिलीभगत से इस जीएसएस का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप न करके इसके निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। जीएसएस निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग से आये दिन इंसुलेटर जल रहे हैं, जिसके नतीजे में बार-बार कट लग जाते हैं। किसानों की पानी की मोटरें वोल्टेज की समस्या के कारण जल जाती हैं। काश्तकारों को पानी हेतु बिजली समय पर नहीं मिल पा रही है। पेयजल सप्लाई भी प्रभावित हो रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच करवाकर सम्बन्धित अधिकारियों व ठेकेदारों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करें व घटिया सामग्री को तत्काल बदलवाया जाये, ताकि काश्तकारों को उक्त समस्या से निजात मिल सके।

(समय: 12.44 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मेन्द्र कुमार।

विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदाकर्मियों का नियमितीकरण

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत हजारों संविदाकर्मी नियमित होने का इंतजार

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

कर रहे हैं। सरकार ने चुनाव घोषणा-पत्र में इन्हें नियमित किये जाने का वादा किया था, लेकिन 2 साल पूर्ण होने पर भी सत्ता में आते ही वादा भूल गयी। कमेटी का गठन किया गया, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट नहीं आयी।

प्रदेश के विभिन्न विभागों में लगभग 4 लाख संविदाकर्मी कार्य कर रहे हैं। संविदाकर्मी किसे माने और किसे नहीं माने, कमेटी यह भी तय नहीं कर पायी। संविदाकर्मी लगातार सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी की है। अब कर्मी आन्दोलन की राह पकड़ते नजर आ रहे हैं।

मेरी सरकार से मांग है कि घोषणा के अनुसार इन्हें नियमित किया जावे। जनता जल योजना 6500, एनआरएचएम मैनेजमेंट 2800, फॉर्मासिस्ट 3000, एनयूएचएम 2200, एमएनडीवाई 4400, आंगनबाड़ी में 1.50 लाख, मदरसा व पैराटीचर वंचित 4500, लोक जुम्बिश 2200, विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक 27000, नरेगा कर्मी 19000, प्रेरक 12000, समाज कल्याण विभाग के रसोइये व चौकीदार 910, होमगार्ड 28000, आईटीआई संविदाकर्मी 2500, कृषि मित्र 17000, एनआरएलएम कर्मी 1800, व्यावसायिक शिक्षक 1000, शिक्षा कर्मी 4500, कम्प्यूटर शिक्षक 5000, कुक कम हैल्पर 1 लाख, शहरों में विभिन्न अस्पतालों के केन्द्रों पर ठेके पर करीब 20 हजार संविदा-कर्मी लगे हैं, उनको सरकार नियमित करे।

वर्ष 2018 में चयनित 1041 पदों पर एएनएम को आज तक नियुक्ति नहीं दी गयी है, जबकि माननीय न्यायालय ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला कर दिया है। कोविड-19 की असामान्य परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने कोविड सहायक नियुक्त किये, जिन्होंने जान पर खेलकर इस विकट परिस्थिति में भी अच्छा कार्य किया, परन्तु सरकार ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और 31 मार्च के बाद इनको हटा दिया जायेगा। अभी तक इनको वेतन भी नहीं दिया गया। सरकार कोविड सहायक-19 के सम्पूर्ण वेतन का भुगतान करे तथा इनका कार्यकाल बढ़ाये।

कृपया इन सभी विभागों के संविदाकर्मियों को नियमित करने की कृपा करावें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती मंजु देवी।

जोधियासी (जायल) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नयन

श्रीमती मंजु देवी (जायल): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जोधियासी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल में ग्राम जोधियासी एक बड़ा कस्बा है, जिसके आसपास के 10-15 किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 20 गांव तथा कई ढाणियां हैं। यहां के लोग कृषि व पशुपालन का कार्य करते हैं। उक्त गांवों के केन्द्र में जोधियासी है। यह एक बड़ा गांव है जहां पर मात्र एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्षो से संचालित है। चिकित्सा की दृष्टि से आसपास कोई दूसरी सुविधा यहां नहीं है।

जोधियासी पीएचसी पर मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है। पीएचसी पर मात्र एक एमओ (डाक्टर) है, जिसके कारण इलाज कर पाना सम्भव नहीं होने की स्थिति में अधिकांश मरीजों को नागौर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में गरीब लोगों को दवाई से ज्यादा किराया-भाड़ा व समय की बर्बादी करनी पड़ती है।

अत: माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि राजकीय प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, जोधियासी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का कष्ट करावें ताकि गरीब जनता को निकटतम चिकित्सा केन्द्र पर उचित इलाज मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश।

गौ वंश का संरक्षण एवं गोचर भूमि की अतिक्रमण से मुक्ति

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में वर्तमान में आज हिन्दू संस्कृति के मूल स्तम्भ गौ माता पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है एवं हिन्दू संस्कृति की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप दिन-प्रतिदिन गौ तस्करी, गौ हत्या की घटनाएं, भू-माफियाओं द्वारा गैर कानूनी तरीके से गोचर भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इससे

(श्री अविनाश)

गौ माता के हितों का हनन हो रहा है। इन सभी बढ़ती हुई घटनाओं को लेकर प्रदेश के गौ भक्तों द्वारा राजस्थानी विख्यात भजन गायक श्री ओम मूंडेल डिगरना के नेतृत्व में लम्बे समय से गौ माता के हितों को लेकर शान्तिपूर्ण तरीके से धरने-प्रदर्शन किये जा रहे हैं। श्री ओम मूंडेल द्वारा हिन्दुस्तान भर में नि:शुल्क भजन संध्या कर गौ माता के संरक्षण के लिए स्थानीय भामाशाहों से एक ही रात में लाखों-करोड़ों रुपये का चन्दा इकट्ठा कर उन्हीं गौ शालाओं को दिलवाया जाता है।

हाल के महीनों में तमाम हिन्दू संगठनों, कामधेनु सेना, अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा राजस्थान सरकार से अपनी 11 सूत्रीय गौ क्रान्ति जन आन्दोलन की मांगों में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाना, प्रदेश की गौचर भूमि कब्जा मुक्त हो, गौ हत्यारों व गौ तस्करों को फांसी हो, गोचर भूमि पर कब्जा करने वाले भू-माफियाओं पर गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाये, गौ माता पर अत्याचार करने वालों पर कठोर कार्यवाही हो, गौ माता के दूध को उच्चतम मूल्य पर खरीदा जाये, गौ माता पालने वाले किसानों को 3 हजार रुपये प्रति माह अनुदान दिया जाये, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला के नाम पर जमीन आबंटन कर गौशाला, नन्दीशाला का निर्माण किया जाये, प्रदेश की तमाम गौशालाओं को समय-समय पर उचित अनुदान बढ़ाकर दिया जाये, मन्दिरों की जमीन कब्जा मुक्त हो, गौ भक्तों एवं गौ रक्षकों पर दर्ज मुकदमे सरकार वापस ले। इन प्रमुख मांगों को पूरा करने का आह्वान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी गौ भक्त होने के नाते राजस्थान सरकार से मांग है कि उपरोक्त सभी मांगें अति शीघ्र पूर्ण कर गौ भक्तों की भावनाओं का सम्मान करे।

श्री अध्यक्ष: श्री बलवीर सिंह लूथरा।

संविदाकर्मियों का नियमन, किसान सम्मान निधि में वृद्धि व जमीनों की खातेदारी

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के सभी सरकारी विभागों में, चाहे वो जलदाय विभाग हो, तहसील

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

आफिस हो, नगरपालिका, पंचायत विभाग हो, महिला बाल विकास अथवा मेडिकल विभाग हो, इन सभी सरकारी विभागों में जितने भी संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, उनको स्थायी किया जाये। जब तक इनको स्थायी नहीं किया जाता है, तब तक इनको 30 हजार रुपये प्रति माह वेतन दिया जाये। जिस प्रकार केन्द्र सरकार किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत प्रत्येक किसान को 6 हजार रुपये प्रति वर्ष देती है, मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि केन्द्र की तर्ज पर राजस्थान सरकार भी प्रदेश के प्रत्येक किसान को 12 हजार रुपये प्रति वर्ष दे, यदि वह अपने आपको किसानों की हितैषी समझती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विजयनगर तहसील के गांव गोमावाली बरानी, धांधड़ा बरानी के सैकड़ों किसानों की जमीनें चकबन्दी के अभाव में खसरों में पड़ी हैं, जिससे न तो किसान सिंचाई कर पा रहे हैं, न ही इन्हें खातेदारी मिल पा रही है। चकबन्दी के लिए सरकार सैटलमेंट विभाग को नियुक्त करे। गांव ठण्डी ठाकरी की सोसाइटी भूमि को खातेदारी जारी कर किसानों को उनकी कृषि भूमि का मालिकाना हक दिलवाया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि उपरोक्त विषय पर उचित कार्यवाही की जाये।

श्री अध्यक्ष: अधिसूचनाएं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्न दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.2(32)वित्त/कर/2018-128 दिनांक 10.03.2022 जिसके द्वारा राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज कारपोरेशन के पक्ष में निष्पादित 4000 करोड़ रुपये के ऋण इकरारनामों पर आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) को स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गयी है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.2(42)वित्त/कर/2009-129 दिनांक 10.03.2022 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पक्ष में निष्पादित 300 करोड़ रुपये के ऋण इकरारनामों पर राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गयी है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन। श्री अंजना उदयलाल।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (तिलम संघ) जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में वर्णित राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 54(14) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (तिलम संघ) जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक।

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मन्त्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जन संचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक, 2022, श्री बुलाकी दास कल्ला।

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जन संचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक, 2022

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जन संचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जन संचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जन संचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: सौरभ विश्वविद्यालय, हिण्डौन सिटी (करौली) विधेयक, 2022, श्री बुलाकी दास कल्ला।

सौरभ विश्वविद्यालय, हिण्डौन सिटी (करौली) विधेयक, 2022

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सौरभ विश्वविद्यालय, हिण्डौन सिटी (करौली) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सौरभ विश्वविद्यालय, हिण्डौन सिटी (करौली) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सौरभ विश्वविद्यालय, हिण्डौन सिटी (करौली) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: ड्यून्स विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022, श्री बुलाकी दास कल्ला।

ड्यून्स विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ड्यून्स विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि ड्यून्स विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ड्यून्स विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 29 - नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास की प्रस्तुति

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 63,77,95,23,000/- (तिरेसठ अरब सतहत्तर करोड़ पचानवे लाख तेईस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(मांग संख्या 29 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-01 देखें।)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी जवाब देंगे, तो माननीय सचेतक ने नाम दिये हैं, वे समय का ध्यान रखें ताकि आखिरी वक्ता, मिस्टर लाहोटी तक उनको समय मिल सके, उस हिसाब से अकोमोडेट कर लें।

श्री रामलाल शर्मा।

(समय: 13.00 बजे)

मांग संख्या 29 पर विचार

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29 - नगर आयोजना व प्रादेशिक विकास पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, सत्ता प्राप्त करने के लिए, सत्ता में आने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और उसके बाद में सरकार चार बजट पेश कर चुकी है। घोषणा पत्र में जनता का यह विश्वास होता है कि सरकार उन घोषणाओं की क्रियान्विति करेगी।

(श्री रामलाल शर्मा)

अध्यक्ष महोदय, बजट में भी सरकार यह दिखाने की कोशिश करती है कि यह हमारा आईना है, हमारा दर्पण है और जनता को हम विश्वास दिलाते हैं कि बजट घोषणाओं को हम धरातल पर लायेंगे, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि सिर्फ लोक-लुभावनी घोषणाएं वोट प्राप्त करने के लिए और लोक-लुभावनी बजट घोषणाएं भी सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए सरकार ने की हैं।

(समय: 13.00 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, जब 2018 के चुनाव चल रहे थे, उस दौरान जनता के सामने इस बात की घोषणा की गयी कि हमारी सरकार आयी तो हम बीपीएल परिवारों को कम लागत पर आवास उपलब्ध करायेंगे, हम शहरी क्षेत्रों में पार्किंग की माकूल व्यवस्था करेंगे, अग्निशमन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण करेंगे, भू-परिवर्तन के मानकों के अन्दर रियायत देकर जनता को राहत पहुंचायेंगे। सरकार ने जनता को यह भी विश्वास दिलाया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली आवासीय योजनाएं बनेंगी।

सभापति महोदय, सरकार ने इस बात के भी सपने दिखाये कि हम शहरी क्षेत्रों में शापिंग सेंटर्स और शापिंग काम्प्लेक्स बनायेंगे, रोजगार उपलब्ध करायेंगे। शहरी क्षेत्रों में, नगरपालिका हो, यूआईटी हो, जयपुर विकास प्राधिकरण हो या अन्य शहरी निकाय हों, उनमें रिक्त पदों को भरने का काम करेंगे। जनता ने इन पर विश्वास किया और जब ये सत्ता में आये तो बजट पेश करने के बाद लोगों को यह लग रहा था कि सरकार बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे काम करेगी। जिन मुद्दों, जिन वादों के आधार पर सत्ता में आयी है, सरकार उनकी क्रियान्विति का काम करेगी।

सभापति महोदय, चार बजट पेश करने और सवा तीन साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद आज भी जनता अपने आपको ठगा-सा महसूस करती है कि सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया, जिसके आधार पर वह दावा कर सके कि हमने जनता के लिए कुछ बेहतरीन किया।

सभापति महोदय, एक काम जरूर इन्होंने किया है। इस विभाग के जो माननीय मंत्री महोदय हैं, शान्ती धारीवाल जी, नाम उनका 'शान्ति' है, पर सरकार के ही तीन मंत्रियों को अशान्त करने का काम जरूर इन्होंने किया।

(श्री रामलाल शर्मा)

तीन मंत्री बहुत परेशान हैं इस समय, खासतौर पर जयपुर के। जयपुर शहर के एक मंत्री तो ऐसे हैं, जो अपने आपको दबंग मंत्री कहते थे, शक्तिमान से अपनी तुलना करते थे, हर मुद्दे पर फ्रंट में आकर लड़ाई लड़ने का काम करते थे। मंत्री महोदय, आपकी इस काबिलियत का तो मैं भी कायल हूं कि आपने ऐसा इलाज किया है, आने वाले समय में लोग उसे याद रखेंगे।

सभापति महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि इन तीन बजटों में सरकार ने जो घोषणाएं कीं, सरकार ने घोषणा यह भी की थी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लेकर आयेंगे और जयपुर सहित प्रदेश के दूसरे शहरी क्षेत्रों में इन व्हीकल्स के आने के बाद प्रदूषण पर अंकुश लगेगा, पर्यावरण सुदृढ़ होगा और आम जन को राहत पहुंचेगी, लेकिन धरातल पर ऐसी कोई नीति और नीयत ही नहीं दिख रही, ऐसा कोई काम भी नहीं दिख रहा जिसके आधार पर सरकार यह कहे कि हमने ऐसा बेहतरीन काम किया।

सरकार ने इस बात के लिए अफसोस जाहिर किया था कि राजस्थान में आज भी लगभग 10 से 11 हजार अकाल मौतें सिर्फ और सिर्फ दुर्घटनाओं में होती हैं। सरकार ने कहा था कि हम ट्रोमा सेंटर डवलप करने का काम करेंगे। सरकार ने कहा था कि हम एक परिवहन नीति भी लायेंगे, जिसके अन्दर मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करेंगे ताकि दुर्घटनाओं में कमी आये, लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी सरकार की इस घोषणा पर दो कदम चलने का काम नहीं हुआ।

सरकार ने इस बात की भी घोषणा की थी कि हम क्रम से शुरुआत जयपुर से करते हैं और जयपुर को भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनायेंगे। आज भी जयपुर में ऐसा कोई चौराहा नहीं है जहां भिखारी आपको न मिलें। इन भिखारियों को पुनर्स्थापित करने की घोषणा भी सरकार ने की थी। सरकार ने कहा था कि हम इन्हें जगह उपलब्ध करायेंगे, सरकार इनके लिए सुविधाएं भी विकसित करने का काम करेगी। सरकार की ये घोषणाएं दो कदम भी नहीं चल पायीं।

सरकार ने घोषणा इस बात की भी की थी कि हम 50 प्रतिशत की छूट देकर आवासन मण्डल के मकानों को गरीब लोगों को उपलब्ध करायेंगे। चाहे आवासन मण्डल हो, चाहे जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित हों, कई फ्लैट ऐसे हैं जो गरीबों के लिए बनाये गये थे, लेकिन आज भी उन्हें गरीबों को आबंटित करने का काम नहीं हुआ।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, जयपुर में मैट्रो के द्वितीय फेज के लिए सरकार ने घोषणा की थी कि हम डीपीआर बनायेंगे और डीपीआर पर इतने रुपये खर्च करने का काम भी करेंगे, लेकिन दो कदम भी चलने का काम मैट्रो के क्षेत्र में नहीं हुआ। सभापति महोदय, आज दुर्घटनाएं अधिक होती हैं, ट्रैफिक जाम मिलता है, समय पर कोई मरीज हास्पिटल नहीं पहुंच सकता, समय पर कोई व्यक्ति एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकता, रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन नहीं पकड़ सकता। जयपुर का एक भी ऐसा रास्ता नहीं है, जहां किसी प्रकार के जाम की स्थिति न पैदा हो, इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि जो घोषणा आपने की थी सैकंड फेज में मैट्रो चलाने की, वह दो कदम भी नहीं चली। सभापति महोदय, हम किस पर विश्वास करें? सदन के नेता 2018 के चुनाव में गोविन्दगढ़ गये थे, चौमूं विधान सभा क्षेत्र के लोगों के बीच गोविन्दगढ़ में यह घोषणा करके आये कि हम गोविन्दगढ़ तक मैट्रो चला देंगे। अब गोविन्दगढ़ तक तो मैट्रो कब चलेगी, सदन के नेता की घोषणा है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आज भी आवश्यकता इस बात की है, ट्रैफिक का जो सबसे बड़ा दबाव है, वह इस बात का है कि सीतापुरा से लेकर हरमाड़ा तक इतना बड़ा दबाव है कि मैट्रो का सैकंड फेज यहां से लेकर यहां तक स्वीकृत होता है, तो मुझे लगता है कि जनता को राहत मिलेगी। आपके फर्स्ट फेज से जनता को इतनी राहत नहीं मिली, जितनी इस सैकंड फेज में इस रूट पर मैट्रो चलाने से मिलेगी। इंडस्ट्रियां यहां डवलप हो चुकी हैं, अधिकांश सरकारी कार्यालय यहां विकसित हो चुके हैं, एजुकेशन के हब यहां विकसित हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग यहां रोजगार की तलाश में आते हैं, सबसे ज्यादा प्रेशर यहां रहता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में मैट्रो की यह सुविधा सरकार तत्काल डीपीआर बनाकर उसे क्रियान्वित करने का काम करे।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन और है। जयपुर में पहले जो लाइनें बिछी हुई थीं, वे ब्रॉड गेज लाइनें नहीं थीं, मैट्रो लाइनें थीं। आज आवश्यकता इस बात की है कि अब जयपुर से निकलने वाले रींगस, सीकर तक मैट्रो लाइनें बिछ चुकी हैं। आज इन लाइनों पर भी यदि आप रेलवे के साथ कोलेबोरेशन करते हैं और अगर ट्रैफिक का दबाव कम करना चाहते हैं तो रींगस से लेकर दौसा, चाकसू से लेकर फुलेरा, इन ट्रेनों के रूट पर आप मैट्रो ट्रेन चलायेंगे कि नहीं? वह तो धरातल पर न जाने कब क्रियान्विति होगी,

(श्री रामलाल शर्मा)

पर यह ट्रैक बना हुआ है, इस पर यदि डीएमयू ट्रेन चलती है या शटल ट्रेन चलती है तो मुझे लगता है कि आस-पास के रहने वाले लोगों को काफी रिलीफ मिल सकता है।

सभापति महोदय, एक मेरा निवेदन है कि सरकार ने घोषणा इस बात की भी की थी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, एक भी ऐसा विभाग नहीं रहेगा जिसमें भ्रष्टाचार हो, लेकिन बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है, जो भी अधिकारी-कर्मचारी पकड़ा जाता है, एसीबी के द्वारा ट्रैप होता है, चाहे वह कोटा में हो, अलवर में हो या जयपुर में हो, हर अधिकारी-कर्मचारी यह कहता है कि हमें पैसा ऊपर तक देना पड़ता है। मंत्री महोदय जब जवाब दें तो बताएं कि यह पैसा ऊपर तक कहां जाता है? इस छत के ऊपर तक जाता है या छत से ऊपर आसमान तक जाता है? जितने भी एसीबी के द्वारा ट्रैप किये गये अधिकारी-कर्मचारी हैं, उन सबने कहा कि हमें तो मजबूरी में लेना पड़ता है, क्योंकि ऊपर तक देना पड़ता है। आप यह भी बता दें कि ऊपर तक कहां देने पड़ते हैं?

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, प्रदेश की नगरपालिकाएं ऐसी हैं, जो आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। उनके उदाहरण भी मैं बाद में दूंगा, लेकिन राजनीतिक रूप से भेदभावपूर्ण तरीके से सरकार काम कर रही है और इसके दो उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अलवर में आपका सभापति कांग्रेस का था, एसीबी ने उसे ट्रैप किया। वह पदमुक्त होकर चला गया। जो वहां का उप-सभापति था, वह हमारी भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ था। आप उसे चार्ज देना नहीं चाहते थे। आपने उसे नियमों में किसी न किसी षड्यंत्र के तहत बर्खास्त कर दिया, उसे निलम्बित करने का काम किया। वह कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने उसे यथास्थिति के आदेश दे दिये। उसने ज्वॉइन तो कर लिया उप-सभापति के नाते, लेकिन आज भी दो महीने बीत जाने के बाद राजनीतिक द्वेषपूर्ण तरीके से उसे सभापति का चार्ज नहीं दिया गया है। मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरीके से राजनीतिक रूप से बायस्ड होकर आप काम न करें। आप शान्ति के प्रतीक हैं, सौहार्द्र के प्रतीक हैं, इसलिए उदार मन रखें। इस प्रकार के निर्णय जो अधिकारी-कर्मचारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें और इन्हें चार्ज दिलाने का काम भी करें।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, सरकार ने एक घोषणा इस बात की की थी कि अमुक-अमुक ग्राम पंचायतों को नगरपालिका बनाया जायेगा। अब जहां आपके अनुकूल नगरपालिकाएं बनी हैं, जो ग्राम पंचायतें थीं, उन सबके सरपंचों को आपने नगरपालिका अध्यक्ष के नाते घोषणा कर दी कि अमुक व्यक्ति अमुक नगरपालिका का अध्यक्ष होगा। पावटा जयपुर जिले के अन्दर है और पावटा ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाने की आपने घोषणा की, लेकिन पावटा के सरपंच को आज दिन तक आपने इस बात का चार्ज नहीं दिया कि वह नगरपालिका के कार्यकारी अध्यक्ष के नाते काम कर सके। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरीके की नीति राजनीतिक द्वेषता के आधार पर आप चला रहे हो वह उचित नहीं है। आप नियमों और नीति के तहत काम करें तो ज्यादा ठीक रहेगा।

सभापति महोदय, जिनकी चर्चा मैंने आपसे की है कि भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी हुई नगरपालिका के उदाहरण भी मैं आपको देना चाहता हूं। विधान सभा का पिछला सत्र था और मेरे यहां पर नगरपालिका में एक ई.ओ. कार्यरत थीं, उसको 27 करोड़ रुपये के टेंडर लगाने थे। 27 करोड़ रुपये के टेंडर जिन-जिन ठेकेदारों को लगाने थे उनको नगरपालिका की ई.ओ. कहती है कि तुम बेवकूफ हो क्या? कोई बीएसआर रेट से 15 परसेंट नीचे डालेगा, कोई 20 परसेंट नीचे डालेगा, कोई 25 परसेंट डालेगा, कोई 30 परसेंट डालेगा इसलिए आप एक काम करो और अपना पूल बना लो। मैं बीएसआर रेट पर टेंडर स्वीकृति कर देती हूं, मुझे 10 परसेंट देना। सभापति महोदय, ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं असत्य वाचन नहीं कर रहा हूं। 55 लोगों की डी.डी. निर्धारित तिथि से एक दिन पहले ही नगरपालिका के ई.ओ. द्वारा ले ली गयी। जिस दिन डी.डी. की अन्तिम तिथि थी उस दिन नगरपालिका में न जे.ईएन., न एस.ओ., न ई.ओ., कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं है। जब मैंने इसकी शिकायत तत्कालीन डीएलबी डायरेक्टर से की तो डीएलबी डायरेक्टर ने कहा कि मैं तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगाता हूं। जब दूसरे दिन रिपोर्ट आयी तो कहा कि, एमएलए साहब, आप गलत कह रहे हो। हमारे रिकार्ड के अन्दर तो 55 डी.डी. आये हैं और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। यह 55 डी.डी. का रिकार्ड हमारे पास है। मैंने उनसे कहा कि, डायरेक्टर साहब, आप एक काम कर लो, हमारी नगरपालिका, चौमूं के अन्दर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आप इस जे.ईएन. और ई.ओ. की लोकेशन निकलवा लो कि उस दिन ये थे कहां जिस

(श्री रामलाल शर्मा)

दिन डी.डी. लेने की अन्तिम तिथि थी? ये मौके पर थे ही नहीं, मौके पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है, डी.डी. लेने के लिए मौजूद नहीं है और 55 डी.डी. एक दिन पहले ही ले ली गयी। जब मैंने लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज मंगाने की बात की तो उससे पहले डायरेक्टर साहब ने सारे के सारे टेंडर निरस्त किये और टेंडर को दुबारा लगाने के निर्देश जारी किये। सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि भ्रष्टाचार में आकंठ तक जो ऐसे लोग डूबे हुए हैं, जो सरकार के पैसे का, जनता के कठिन परिश्रम और मेहनत की कमाई का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही भी करनी चाहिए।

सभापति महोदय, एक साल में आठ ई.ओ. चैंज कर दिये। सरकार के नुमाइंदे हैं, आपकी सरकार है, आपके ई.ओ. हैं। हमारे कहने से तो कोई ई.ओ. लगा नहीं रहे हैं और 8-8 ई.ओ. आप चैंज कर रहे हो, यानी किसी की योग्यता के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं है तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरीके से भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगायें और जो ईमानदारी से काम कर सकें उनको आप फील्ड पोस्टिंग दें। जिनकी एसीआर आपके पास पहले से ही मौजूद है कि इनके ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं, कृपा करके उनको फील्ड पोस्टिंग देने का काम नहीं करें।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि आज राजस्थान के अन्दर जयपुर विकास प्राधिकरण एक ऐसी संस्था है जिस संस्था के अन्दर शहर का जिम्मा है और ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर भी विकसित करने का जिम्मा है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी ग्राम पंचायतें थीं उनमें जो गोचर जमीनें थीं, सिवायचक जमीनें थीं, सारी की सारी जमीनें जयपुर विकास प्राधिकरण के अधीन आ गयीं। सभापति महोदय, अब आबादी का विस्तार है, ग्राम पंचायतों के अन्दर फैसेलिटी का विस्तार है तो एक नीतिगत निर्णय यह करो कि जिन ग्राम पंचायतों की जमीन जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्दर आयी है, हम इतनी जमीन आरक्षित करते हैं। चाहे वह आबादी विस्तार के लिए ग्राम पंचायत काम में ले, चाहे भौतिक रूप से जो सुविधाएं हमें विस्तार करनी हैं, चाहे सब-सेंटर वहां खोलना है, हास्पिटल वहां खोलना है, स्कूल वहां खोलनी है या जीएसएस वहां बनाना है, तो आने वाले समय में अगर सरकारी जमीन नहीं रहेगी तो ये सुविधाएं कैसे देंगे? जिस तरीके से जमीनों को खुर्द-बुर्द किया गया है उसमें अगर जमीन ही नहीं बचेगी तो आने वाले समय में आबादी विस्तार कैसे होगा और आने वाले समय में जो भौतिक सुविधाएं हैं, वे

(श्री रामलाल शर्मा)

कैसे विकसित होंगी तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इस ओर भी आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने का काम करें।

सभापति महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण ने कई योजनाएं ऐसी विकसित की हैं जिनको धरातल पर तो जे डी ए ने विकसित कर दी लेकिन उनके 10 परसेंट भी प्लाट नहीं बिके। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर में चाहे आनन्द लोक को ले लो, चाहे स्वप्न लोक को ले लो, शिवदासपुरा के अन्दर भी कई कालोनियां आज जे डी ए की ऐसी हैं जहां इन्होंने रोड बना दी, जहां इन्होंने बिजली के पोल खड़े कर दिये, ट्रांसफार्मर लगा दिया, पानी की टंकियां बना दीं। सारी सुविधाएं विकसित करने के उपरान्त भी एक भी प्लाट वहां बिकने का काम नहीं हुआ। मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी सरकार नीति लेकर आये पर उस नीति के तहत इन कालोनियों को आप विकसित करने का काम करें, सुविधाएं देने का काम करें, चाहे रियायती दरों के ऊपर आबंटन करने का काम करें ताकि आने वाले समय में ये विकसित होंगी। आज ये कालोनियां अपराध का केन्द्र बन चुकी हैं। आनन्द लोक और स्वप्न लोक की स्थिति यह है कि कभी वहां कोई मृत शरीर पाया जाता है, कभी बॉडी पायी जाती है, कभी वहां आपस के अन्दर झगड़े होते हैं, आपराधिक गतिविधियों का केन्द्र बन चुकी हैं। वहां जुआ खेलते हुए लोग मिलते हैं, दारू पीते हुए लोग वहां मिलते हैं। वहां से गुजरने वाले लोगों के साथ मारपीट करने वाला एक संगठित गिरोह विकसित हो चुका है, तो ये कानून व्यवस्था की दृष्टि से उचित नहीं है, इसलिए इसके ऊपर भी सरकार गम्भीरता से विचार करे।

मेरा एक निवेदन और है। नीतिगत निर्णय यह हुआ है कि जल ही जीवन है। जल को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति कोई भी मकान बनाता है, कोई भी कामर्शियल एक्टिविटी करता है तो उसको जल संरक्षण के लिए, वाटर रिचार्ज करने के लिए नीतिगत निर्णय सरकार का बना हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी उसकी पालना कोई नहीं करता। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसको आप कठोरता से लागू करें ताकि आने वाले समय के अन्दर जल से सम्बन्धित जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का भी निदान हो सके।

सभापति महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन है कि वर्तमान परिस्थितियों के अन्दर जिस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं उनमें सरकार ने घोषणा इस बात की भी की थी कि हम गरीब व्यक्ति को आशियाना

(श्री रामलाल शर्मा)

उपलब्ध कराने का काम करेंगे, हम घुमन्तु जातियों को भी आवास उपलब्ध कराने का काम करेंगे, हम एक निर्धारित प्लाट उनको देने का काम करेंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अब तक आपने कितने घुमन्तु जातियां, चाहे वह लोहार हो, चाहे बंजारा हो, चाहे अन्य हो, इन परिवारों को आपने जगह उपलब्ध कराने की बात की थी, पर मुझे नहीं लगता कि राजस्थान के अन्दर एक भी प्लाट आपने उपलब्ध कराने का काम किया होगा। मेरा सरकार से निवेदन है कि शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में जो प्रस्ताव आपके पास आये हुए हैं, चाहे वे जयपुर विकास प्राधिकरण के पास हों, चाहे आवासन मण्डल के पास हों, चाहे नगरपालिकाओं के पास हों, चाहे यू.आई.टी. के पास हों, मेरा आपसे निवेदन है कि इन परिवारों को भी आप जगह उपलब्ध कराने का काम करें ताकि सरकार की जो घोषणा है वह धरातल पर आ सके।

सभापति महोदय, एक मेरा निवेदन आपसे और है कि आज से सौ साल पहले से अगर कोई आबादी बसी हुई है, उस आबादी की कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं लेकिन पीढ़ियां बीत जाने के बाद में भी जब आज वर्तमान में उनका राजस्व रिकार्ड देखते हैं तो वह राजस्व रिकार्ड किसी व्यक्ति विशेष के नाम से बोलता है। खातेदारी व्यक्ति विशेष के नाम से बोलने की वजह से न वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, न प्रधानमंत्री आवास का मकान वे ले सकते हैं। कोई भी सरकारी कनेक्शन वहां नहीं ले सकते, पानी का कनेक्शन वहां ले नहीं सकते, बिजली का कनेक्शन वे नहीं ले सकते। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप नीतिगत निर्णय यह करें कि अगर सौ साल से कोई व्यक्ति काबिज है तो या तो सरकार उसकी डीएलसी का पैसा जिसके नाम है उसके खाते में जमा कराये और उनको पट्टा देने का काम करे क्योंकि यह बहुत बड़ी समस्या बहुत बड़ी आबादी की है और उनको राहत मिल सके।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्दर भी सरकार की कई जमीनें ऐसी हैं जिन पर लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, प्लाट बेच रहे हैं इसलिए उनके ऊपर भी आप कार्यवाही करने का काम करें।

लैंड बैंक बनाने की बात सरकार ने की थी कि हम लैंड बैंक बनायेंगे, लेकिन आज भी राजस्थान के अन्दर कोई लैंड बैंक नहीं बना। नगरपालिकाओं ने भी नहीं बनाया, यू.आई.टी. ने भी नहीं बनाया, जयपुर विकास प्राधिकरण ने

(श्री रामलाल शर्मा)

भी नहीं बनाया, इसलिए अपना लैंड बैंक बनाकर अपनी जमीन को सुरक्षित करने का काम करें ताकि भविष्य के अन्दर कोई अतिक्रमी नहीं हो।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी समस्या जो आज आम आदमी फेस कर रहा है वह यह है कि प्राइवेट सेक्टर के अन्दर एग्रीकल्चर....

श्री सभापति: दो मिनट में कन्क्लूड करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अभी तो 17 मिनट हुए हैं, 25 मिनट लिखे हुए हैं।

श्री सभापति: 20 मिनट हैं आपके।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, 25 मिनट हैं।

श्री सभापति: आपके यहां से 20 मिनट हैं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मेरा आपसे निवेदन है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर, शहरी क्षेत्र के अन्दर भी एग्रीकल्चर जमीनों के ऊपर कालोनियां काटकर लोग चले जाते हैं, कालोनी काटने के बाद में प्लाट खरीदने वाले प्लाट खरीद लेते हैं। जो कालोनाइजर हैं वे नक्शा बताते हैं, नक्शे के अन्दर टेम्पल बनाने के लिए भी जगह छोड़ी हुई है, पार्क बनाने के लिए भी जगह छोड़ी हुई है, अन्य फैसेलिटी के लिए भी जगह जगह छोड़ी हुई है। जो प्राइवेट व्यक्ति कॉलोनी काटता है तो सारी सुविधाएं उसके अन्दर दर्शाता है और उन सुविधाओं के ऊपर विश्वास करके लोग प्लाट खरीदते हैं, लेकिन जब जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्दर लैंड कन्वर्जन करायी जाती है तो सारी की सारी सुविधाएं लुप्त पायी जाती हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, कालोनाइजर अगर कोई कालोनी डवलप करता है तो उससे पहले जयपुर विकास प्राधिकरण से एप्रूव जरूर करवा ले या नगरपालिका से एप्रूव जरूर करवा ले ताकि जनता के साथ धोखा न हो।

सभापति महोदय, मेरा आपसे इतना निवेदन और है कि आज ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर भी जो नगरपालिकाएं हैं उन नगरपालिकाओं को आपने कुछ अधिकार दे रखे हैं। नगरपालिका अपनी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए या यूडी टैक्स के रूप में या अन्य जो आपकी रेवेन्यू बढ़ा सकती है उस तरीके के निर्णय करें, लेकिन चौमूं नगरपालिका क्षेत्र की समस्या मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। नगरपालिका चौमूं 2 लाख 60 हजार रुपये का एक पार्किंग ठेका देती है। 2 लाख 60 हजार रुपये का पार्किंग ठेका देने के उपरांत तीन दिन के

(श्री रामलाल शर्मा)

अन्दर एक भी स्कूटर, मोटरसाइकिल अगर नो पार्किंग जोन में है तो उस पर 500 रुपये की पैनल्टी लगायी। मैंने सम्बन्धित अधिकारियों को वहां कहा तो तीन दिन के अन्दर सवा लाख रुपये की अवैध कलेक्शन की वसूली वहां की जाती है। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि तीन दिन में सवा लाख रुपये जबकि एक साल का ठेका है 2 लाख 60 हजार रुपये का। वहां पर बाउंसरों के माध्यम से, असामाजिक व्यक्तियों के माध्यम से आम आदमी कोई मेडिकल की दुकान पर दवा लेने गया तो उससे भी 500 रुपये। इस तरीके से जो नगरपालिकाएं कार्य कर रही हैं उन पर अंकुश लगायें ताकि आमजन को राहत मिल सके।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन है कि राजस्थान में आवासन मण्डल की बहुत-सी कालोनियां ऐसी हैं...

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): बस दो मिनट। जिनकी अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू हुए कई साल बीत गये। मेरे चौमूं विधान सभा क्षेत्र के अन्दर भी 1984 से अवाप्त की हुई आवासन मण्डल की प्रक्रिया है, आवासन मण्डल ने सारा का सारा पैसा किसानों के खाते में जमा करा दिया। आवासन मण्डल के नाम से उसका नामान्तरण भी तस्दीक हो गया। आज भी रिकार्ड के अन्दर आवासन मण्डल मालिक है। ऐसी एक नहीं अनेक कालोनियां राजस्थान के अन्दर बनी हुई हैं। आप उन कालोनियों के लिए भी नीतिगत निर्णय बनायें। यदि किसी किसान से विवाद है, आप उसका निपटारा करें, कहीं टाइटल का विवाद है, उसका आप निपटारा करें, लेकिन यदि सरकार यह करती है कि हम डी-एक्वायर करने की कार्यवाही करेंगे तो, मंत्री महोदय, आपके ऊपर बहुत बड़े आरोप लगेंगे।

इन अवाप्तशुदा जमीनों को डी-एक्वायर करने की आवश्यकता नहीं है। आप इन अवाप्तशुदा जमीनों का बैठकर इनका समाधान निकालें। आवासन मण्डल के अन्दर इनको विकसित करने का काम करें। किसानों की मुआवजा राशि आप 15 परसेंट देना चाहते हैं या 25 परसेंट देना चाहते हैं, उनके साथ आप बैठकर तय करें लेकिन अगर डी-एक्वायर कर दिया तो मेरा सरकार पर सीधा-सीधा आरोप है, वह करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के लांछन के अन्दर या करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के दायरे में आयेगी। इसलिए डी-एक्वायर करने की बजाय समाधान निकालें और इन कालोनियों को विकसित करने का काम करें।

श्री सभापति: थैंक यू, माननीय सदस्य। श्री रोहित बौहरा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, एक अन्तिम निवेदन आपके माध्यम से करना चाहूंगा, जो नगरपालिका में भर्ती हुई है..

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-29 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): रोहित जी। मेरा एक निवेदन है।

श्री सभापति: आप समाप्त करिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): जो भर्ती आपने की है हरिजन समाज के लोगों के अलावा, भर्ती तो आपने सफाई कर्मचारी की कर ली, वे काम नहीं करते हैं। वे चेयरमैन के घर पर काम कर रहे हैं, ईओ के घर काम कर रहे हैं या अन्य जगह काम कर रहे हैं। सफाई के नाम पर जो भर्ती की गयी है, उनसे सफाई ही करवाने का काम करें अन्यथा इस भर्ती के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हरिजन समाज का हक है, उस समाज को हक दिलाने का काम करें।

शहरी क्षेत्रों के अन्दर रोजगार के अवसर जनरेट करते हैं। मेरी सरकार से मांग है कि एक चर्म बोर्ड बनाने का काम करें, जो चर्म उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, उनके रोजगार जनरेट हो सके। इसलिए चर्म बोर्ड बनायें, लोगों को राहत पहुंचाने का काम करें। आपने अवसर दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: आप शुरू कीजिये। श्री रोहित बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सबसे पहले तो मैं सीएम साहब और हमारे माननीय मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चलाया, कोविड की वजह से वह थोड़ा स्लो हुआ, जो आम आदमी की राजस्थान में परेशानी थी, किस तरह से उसको पट्टे दिये जायें, किस तरह से उसको सोशल सिक्योरिटी के रूप में ये पट्टे मिलें, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज करीब 2 लाख 27 हजार पट्टे, जो आज तक का रिकार्ड है, 2 लाख 27 हजार पट्टे पूरे राजस्थान में बंट चुके हैं। पहली बार ऐसा हुआ है। यह जो प्रशासन शहरों के संग चला था। भवन निर्माण, प्लाट हस्तान्तरण, विभाजन, लीज इस प्रकार के मौके पर ही 10 लाख 62 हजार आवेदकों का निस्तारण किया गया। यह सरकार जो करना चाह रही है, सरकार कहकर आयी कि हम इन मुद्दों पर सरकार बना रहे हैं, उन मुद्दों पर हमने गरीब आदमी, गरीब जनता को, इस

(श्री रोहित बौहरा)

तरह से फायदा पहुंचाया। पहले की बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से लूट मचा रखी थी, आपने लोगों के लिए 32 तरीके की रेट रखी थी। मंत्री जी ने और सीएम साहब ने मिलकर एक ऐसा डिसिजन किया कि ये जो 32 तरीके की रेट्स हैं, वे 3 तरीके की रेट्स में कम्प्लीट हो गयीं, जिससे आदमी को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। जैसे नगर निगम में यह रेट 500 गज तक के प्लाट की 100 रुपये हो गयी, नगर परिषद् में 75 रुपये हो गयी और नगरपालिका में 50 रुपये हो गयी। इतना फायदा मेरे ख्याल से लास्ट 70 साल में किसी सरकार ने दिया है तो अशोक गहलोत की सरकार ने और हमारे माननीय मंत्री जी की सोच ने, आज इतना बड़ा फायदा कॉमन आदमी को राजस्थान में मिला है।

ईडब्ल्यूएस, एलआईजी आवासों पर एमनेस्टी स्कीम चालू हुई। इसमें इंट्रेस्ट और जो पेनल्टी थी, उसको बिलकुल माफ कर दिया और एक बहुत बड़ा डिसिजन सात-आठ दिन पहले हुआ, 1999 से पहले कृषि भूमि पर बसी हुई जो कालोनियां थीं, उनको भी सरकार रेगुलराइज करना चाह रही है। दिसम्बर, 2021, 70:30 के रेशो में जो बची हुई थीं, जहां लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी थी, जो सरकार के पास लोगों का फीडबैक था, फीडबैक था कि जब तक आप ये 70:30 की कालोनियां, 2021 तक आप नहीं करोगे, एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है, जिससे आम आदमी को इतनी बड़ी राहत मिली। उसके लिए तहे दिल से आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, पूरे डिपार्टमेन्ट का इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।

अब भू-उपयोग परिवर्तन में इस बार सरकार ने 50 परसेंट की छूट दे रखी है। कोई उसका वन टाइम में पैसा दे दे तो उसको 5 परसेंट की और छूट मिल जाती है, नहीं तो सरकार ने एक साल में चार किस्तें कर दी हैं। मैन मुद्दा क्या है, जो सरकार करना चाह रही है। मैन मुद्दा है, आम आदमी को किस तरह से सहूलियत दी जाये।

मकान क्या है? मकान आदमी की एक सोशल सिक्योरिटी है। ताजिन्दगी यदि कोई ग्रांड फादर अपना मकान बनाता है तो पता चलता है कि उसके ग्रांड-सन, पड़पोतों तक मकान चलता है। वह गिरवी रख सकता है, आज यह जो कदम उठाया है, यदि आप इसको फाइनेंस की लैंग्वेज में देखो तो यह बहुत बड़ा कदम है। लोग-बाग़ पहले सूदखोरों के पास जाते थे कि हमारा

(श्री रोहित बौहरा)

मकान गिरवी रख लें और हमको ब्याज पर पैसा दे दें। वह सूदखोर दो रुपया सैकड़ा, तीन रुपये सैकड़े पर उसका मकान गिरवी रख लेता था, क्योंकि वह कहता था कि अभी तक तेरे पास पट्टा नहीं है, इसकी तो कोई वैलिडिटी नहीं है। यदि मेरे पैसे डूब गये तो मैं पैसे कहां से लूंगा? इसलिए वह इंट्रेस्ट रेट ज्यादा लगाता था। आप यह सोच देखें, तो यह है कि अब पट्टे मिलने के बाद हाउसिंग लोन या आपको एसेट बेस्ड लोन टोटल सात, सवा सात परसेंट पर मिल जाता है, तो कितना बड़ा फायदा इस सरकार ने आम आदमियों के लिए किया है। यदि आज आपके पास पट्टे रहेंगे तो सब चीजें रहेंगी।

पिछली बीजेपी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ चाटुकारिता की। लाहोटी जी, आपकी इंफोर्मेशन के लिए बता दूं, 2 लाख 27 हजार पट्टे मिल चुके हैं। ये दो महीने कोविड आ गया, इसलिए धीरे हो गया, नहीं तो आप ये देखोगे।

श्री सभापति: आप लाहोटी जी को नहीं, इधर बताइये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सरकार ने जो अल्टीमेटली कहा है, उतने पट्टे मिल जायेंगे। सर, बीच में डिस्टर्ब करते हैं तो उनको जवाब देना पड़ता है।

श्री सभापति: प्लीज बैठिये, Please, don’t invite him.

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सारे टेबल करवाओ।

श्री सभापति: आप प्लीज बैठिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आज सबसे बड़ा डवलमेंट किया। ये तो हमारे हाउसिंग बोर्ड को बीमारू छोड़ गये थे। इन्होंने तो बीमार कर दिया था। यह जो बीमारू का शब्द लाये थे, शब्दावली लाये थे कि स्टेट बीमारू है, ये हो गया, वो हो गया। आप कुछ नहीं करके गये। आपने हाउसिंग बोर्ड को बीमार कर दिया, हाउसिंग बोर्ड को बंद होने की कगार पर छोड़ गये। यह सरकार का दृढ़ निश्चय था कि हाउसिंग बोर्ड को किस तरह से हम ऊपर लेकर आये। आज हमारे पास 3,700 करोड़ का फण्ड है। 18 हजार मकान इन्होंने बनाकर, क्योंकि करप्शन इन्होंने किया, ये मकान बनवाते गये, मकान बेचे नहीं, उसमें से कमीशन खाते गये, इसीलिए इन्होंने हाउसिंग बोर्ड का यह हाल कर दिया। इनके जमाने में तो ऐसे काम चलता था कि मंत्रियों के यहां रेट तय हो जाती थी। जो रामलाल जी बोल रहे थे, मंत्रियों के यहां रेट तय होती थी, तब जाकर काम होता था। इसलिए आपका यह बुरा हाल हुआ। तीन-तीन मंत्री

(श्री रोहित बौहरा)

इसीलिए आपको बदलने पड़े, आपके यहां ये हाल था। आप यह मत बोलो, आपके यहां ये हाल था। सबको पता है, जगजाहिर था, जयपुर में सूची निकलती थी, इस चीज की यह बोली है। आप तो मेयर रह चुके हैं, आपको सब पता है।

आज स्मार्ट सिटीज का प्रोजेक्ट था। अल्टीमेटली केन्द्र सरकार ने क्या किया? स्मार्ट सिटीज में इस साल 31 मार्च तक का पैसा आयेगा और उसके बाद एक पैसा नहीं आयेगा। वह क्यों हुआ? क्योंकि राजस्थान की चार सिटीज की सैकण्ड पोजिशन आ गयी, डवलपमेंट इतना हुआ। इनके जमाने में वे स्मार्ट सिटीज गिनती में ही नहीं थीं। जब इन्होंने शुरू की थी, स्मार्ट सिटीज गिनती में ही नहीं थीं। आज सैकण्ड नम्बर पर स्मार्ट सिटीज आना शुरू हो गयी, तो उसका पैसा ही आना बंद कर दिया। पहले ग्रांट आती थी, अब इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपये का, कहते हैं न बड़े बोल, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करेंगे। 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करेंगे, वह ग्रांट के रूप में नहीं आयेगा, वह आपको 50 साल के लोन के रूप में आयेगा, 50 साल बाद इस राज्य सरकार को देना पड़ेगा। जितना लोन उठायेगी, उसको 50 साल बाद देना पड़ेगा, स्मार्ट सिटीज का पैसा, इसीलिए ये सब सोचते हुए, इनके बजट पर सोचते हुए, इसलिए मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट में 1500 करोड़ रुपया 6 स्मार्ट सिटीज के लिए देने की बात की। हमारा डवलपमेंट तो नहीं रुके, 6 स्मार्ट सिटीज को और पैसा मिला।

इसी तरह से हमारे आरयूआईडीपी में, हमने थर्ड फेज में 13,490 करोड़ रुपये 12 सिटीज के लिए पैसा दिया। इनके टाइम में वह पैसा इश्यू हुआ 3,490 करोड़ रुपये but progress निल-बटा-निल, क्योंकि कमीशन नहीं मिलता था, इसलिए प्रोग्रेस निल-बटा-निल हो गयी। 85 प्रतिशत प्रोग्रेस हुई इनमें और अभी तक we have spent 1800 crore rupees तीन साल में उसके अन्दर और हमारे को उम्मीद है कि इस साल वो प्रोजेक्ट्स धरातल पर आ जायेंगे, चौथे साल में पूरे प्रोजेक्ट्स धरातल पर आ जायेंगे। इसकी सफलता को देखते हुए इस सरकार ने 3,076 करोड़ रुपये की 14 सिटीज के लिए नयी स्कीम बनायी और एक साल के अन्दर 32 प्रतिशत इसकी प्रोग्रेस हो गयी और 518 करोड़ रुपये हम इस पर खर्च कर चुके हैं। इसी तरह से फेज 4 का जो सैकण्ड मतलब है एडीबी बैंक ने यह सब आपको पैसा दिया है। 2000 करोड़ की यह योजना है, 37 टाउन्स में है, इसकी डीपीआर बनने की प्रोग्रेस शुरू हो

(श्री रोहित बौहरा)

चुकी है और अभी यह शुरू ही हुआ है इसमें से 340 करोड़ रुपये के टेण्डर आलरेडी इश्यू हो चुके हैं। इतना फास्ट काम हो रहा है फिर भी इनकी बातें हैं न क्योंकि ये बड़ाई करना तो जानते ही नहीं हैं, किसी को एप्रिशियेट करना तो जानते ही नहीं हैं। एक पाइंट का एजेंडा है कि बुराई करनी है और कुछ नहीं करना।

सभापति महोदय, इसी तरह से जो आज राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के पास पैसा आया तो यह समझ में आया कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के पास पैसा है तो वह डवलपमेंट पर खर्च होना है। सेन्ट्रल पार्क की तरह जो ऑक्सीजन है, जयपुर सिटी का आक्सीजन है, उसी तर्ज पर मानसरोवर में 70 करोड़ रुपये से एक नया बड़ा पार्क बनाने की हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने और हमारे मंत्री महोदय ने घोषणा की। क्या जबरदस्त एक चीज बनायी है। उसी तरह से आज चौपाटी, कल ही मैं पेपर पढ़ रहा था, साहब, आप देखिये पहली बार यह पेपर की हैडलाइन है, आवासन मण्डल की कार्यप्रणाली और उपलब्धियों का अध्ययन करने आया कीनिया का प्रतिनिधिमंडल। Under the Chairmanship of the Minister, Housing Board has become a model. आज डिफरेंट कंट्रीज के लोगबाग इसको देखने आ रहे हैं, इसको समझने आ रहे हैं। चौपाटी आपने बना दी, पता पड़ा कि एक हजार आदमी वहां पर रोज जाता है। आपने एक सहूलियत क्रियेट कर दी। आपने एक मसाला चौक बनाया और दूसरा आपने एक चौपाटी बना दी। आज जयपुर में जाने की कहीं जगह है, जयपुर के व्यंजन खाने की जगह बन गयी। इतनी भीड़ होने लगी है। इसी रूप में आज 135 वर्ग के ऊपर 1,800 करोड़ रुपये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड भी खर्च कर रहा है।

सभापति महोदय, मंत्री जी से मेरा एक छोटा-सा सजेशन है। मंत्री जी, जब आप अपना मास्टर प्लान बनायें तो मास्टर प्लान को इस बार हमें बड़ा सोच-समझ कर बनाना पड़ेगा, नहीं तो यह मास्टर प्लान में हमें कभी हाई कोर्ट अटका देता है, कभी सुप्रीम कोर्ट अटका देता है। हम कहीं न कहीं इसमें अटकते हैं। हाउसिंग बोर्ड एक नयी दिशा में, एक नयी चीज से आप ऐसा मास्टर प्लान बनायें जिससे हमारे को यह जो प्रोब्लम आयी है, यह प्रोब्लम खतम हो जाये, तो यह मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी।

दूसरी रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी कि आपके पास डायरेक्टर लोकल

(श्री रोहित बौहरा)

बॉडीज है, मैं चाहता हूं कि उस आफिस को भी आप इसी तरह से स्ट्रेन्थन करें, उसमें कम से कम चार एडिशनल कमिशनर्स हों जो ईच जोन के ईस्ट, वेस्ट, नोर्थ, साउथ आफ राजस्थान में आप डिवाइड कर दो, कम से कम चार एडिशनल कमिश्नर हों। आपको इस आफिस को स्ट्रांग करना पड़ेगा क्योंकि आप जिस तरह से देखते हो आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक आफिसर नहीं है। मंत्री जी, आपके पास डिविजनल हैडक्वार्टर पर एक-एक डिप्टी डायरेक्टर लगा हुआ है, जिस तरह से सीईओज चलाते हैं, आपको भी उतना ही बजट देता है फाइनेंस कमीशन, आपकी नगरपालिकाओं को जिस तरह से उनकी मॉनिटरिंग सीईओ जिला परिषद् करता है, मैं चाहता हूं कि एक नया मॉडल, क्योंकि आपकी सोच बहुत पोजिटिव सोच रहती है।

श्री सभापति: तीन मिनट में कन्क्लूड कर लें, प्लीज।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, थोड़ा-सा टाइम दें। आपकी सोच बड़ी पोजिटिव रहती है तो मैं चाहता हूं कि आप कम से कम इसको स्टेट लेवल पर थोड़ा-सा आर्गेनाइज करें। यह 6 प्रोजेक्ट्स पिछली बार जब ये बीजेपी की सरकार गयी थी तो अनकम्प्लीट छोड़ गयी थी। इन 6 प्रोजेक्ट्स को हम लोगों ने कम्प्लीट कर दिया है, जैसे डाटी आरओबी, जाहोता आरओबी है, सीतापुरा आरओबी है, बम्बाला आरओबी है और बस्सी आरओबी है।

इसी तरह से एक डेजर्ट पार्क का 2 अक्टूबर को हमारे मुख्य मंत्री जी ने इनोग्रेशन किया है। डेजर्ट पार्क आज आपके टूरिस्ट मैप पर आ गया। जो आदमी आमेर महल जाता है वह डेजर्ट पार्क भी जाता है, उसको किशन बाग़ कहते हैं। आप पांच सौ आदमियों की एंट्री करते हो, वहां रोज एक हजार आदमियों की एंट्री हो रही है। सैटरडे, सनडे को आपको एडवांस में टिकट्स बेचने पड़ते हैं तो मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि एक डेजर्ट पार्क यदि इस साइड बनाया है तो एक डेजर्ट पार्क उस साइड भी बनायें। यह इतना पापुलर हो रहा है, तो यह आपके लिए एक रेवेन्यू अर्निंग का सोर्स हो जायेगा। एक बहुत ही सराहनीय कदम और हुआ कि आज हमारे शहर में सबसे बड़ी प्रोब्लम है पार्किंग की, पार्किंग पर करीब-करीब सौ करोड़ रुपये जे डी ए खर्च कर रहा है। यह एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है, जिससे कि पार्किंग की समस्या खतम होगी।

(श्री रोहित बौहरा)

मंत्री महोदय, आपसे मैं दूसरी चीज और कहूंगा कि आपने पिछले बजट में बात की थी कि यह जो रेड लाइट रहित, जैसा आपने कोटा शहर में रेड लाइट रहित काफी चौराहे किये हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस पर काम जल्दी से जल्दी शुरू करायें, जैसे लक्ष्मी मंदिर का चौराहा है, जवाहर सर्किल है उस पर काम जल्दी से जल्दी शुरू करायें, जिससे यहां पर जो ट्रैफिक का हैजार्ड है वह कम हो जायेगा, इससे लोगों की प्रोब्लम कम होगी, प्लस काफी जगह आपने आपके पुराने टैन्योर में स्लिप लेन्स बनायी थी, इस बार के टैन्योर में आपने एक भी स्लिप लेन नहीं बनायी है। जैसे तख्तेशाही रोड से आज मुड़ते हैं तो आपकी जमीन पड़ी हुई है, यदि उस पर स्लिप लेन बन जाये तो लोगों को ट्रैफिक में बहुत सुविधा मिल जायेगी, नहीं तो वो आगे ही आपका मन्दिर है, वहां पर हम सबको खड़ा होना पड़ता है, रेड लाइट पर सबको खड़ा होना पड़ता है। यदि स्लिप लेन बन जायेगी तो इधर का ट्रैफिक जवाहर लाल नेहरू रोड पर निकलना शुरू हो जायेगा तो ये कुछ ऐसे स्टेप जो आप लेते आये हो, इस बार आपके टैन्योर में स्लिप लेन वाला आपने एक भी काम नहीं कराया है। मेरी गुजारिश है इस पर थोड़ा-सा ध्यान दें क्योंकि जयपुर में ट्रैफिक का प्रोब्लम बहुत ज्यादा है, क्योंकि जयपुर एक ऐसा शहर है पूरे हिन्दुस्तान में जहां density of cars population is the highest in the Jaipur. एक-एक घर में तीन-तीन, चार-चार कारें हैं यह, as per the survey of the transport department. यह सबसे ज्यादा प्रोब्लम है, तो इसको थोड़ा-सा आपको देखना पड़ेगा।

(समय: 13.36 बजे)

(श्री ज्ञानचंद पारख, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह जो द्रव्यवती प्रोजेक्ट आपने बनाया है, पिछली सरकार बनाकर गयी द्रव्यवती प्रोजेक्ट। ऐसा प्रोजेक्ट जहां पानी सड़ता ही है। क्या सोच थी? ये मेयर थे, यहां पर हमारे जयपुर के एक्स मेयर साहब भी बैठे हैं, क्या सोच थी आपकी? आपने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जहां पानी सड़े, जहां मच्छर पैदा हो ...(व्यवधान) जहां मच्छर पैदा हो, आदमी बीमार हो, क्या आप सोच सकते थे कि जयपुर ऐसा बने?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप टोकें नहीं इनको। अब आप समाप्त करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मंत्री जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस द्रव्यवती प्रोजेक्ट में जो पानी स्टिल पडा हुआ है, जो पानी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, मच्छरों की बड़ी प्रोब्लम है, बदबू की बड़ी प्रोब्लम है। हम 1,600 करोड़ रुपये टाटा कंसलटेंसी को दे चुके हैं। मेरा निवेदन है कि आप इसको रिव्यू करें, पानी कहीं फंसे नहीं, पानी चला जाये जहां तक उसे जाना है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें आप।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): इस तरीके से यह काम हमारा हो जाये जिससे कि आम आदमी को काफी सहूलियत मिल सके, इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री सभापति: हां, पुष्पेन्द्र जी।

सूचना

बाली में युवक की हत्या

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): सभापति महोदय, मैं एक पाइंट आफ इन्फोर्मेशन देना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक जीतेन्द्र पुत्र श्री देवाराम जी मेघवाल जो जीएनएम है, जो ट्रेनिंग कर चुका है। उस व्यक्ति का कल शाम को 4-5 बजे जब वह अपने हास्पिटल से घर वापस जा रहा था, कुछ लोगों ने पूरी प्लानिंग से किस टाइम वह निकलेगा हास्पिटल से, उसकी पूरी रैकी करके बीच रास्ते में उसको रोक कर और कम से कम 15-20 चाकू के घाव से, कल शाम को उसकी मौत हो गयी है। आज बाली विधान सभा क्षेत्र में पूरा समाज, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपकी जानकारी सरकार तक पहुंच गयी है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): आज 2 हजार आदमी वहां इकट्ठे हुए हैं और सरकार से मैं यह अपील करता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाये और उसके परिवार को न्याय दिलायें और उसको आर्थिक मदद दी जाये।

श्री सभापति: आपकी बात सरकार तक पहुंच गयी है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ...(व्यवधान) वह कमाऊ पुत्र था, एकमात्र कमाऊ पुत्र था ...(व्यवधान) मैं, सभापति महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि उसके परिवार को कोई न कोई आर्थिक मदद की सरकार आज घोषणा करे ताकि उसके परिवार को सम्बल मिल सके। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठें।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, पूरे जिले में आंदोलन हो रहा है, जगह-जगह रास्ता जाम हो रहा है। पूरे जिले में हो रहा है। हम दोनों ही सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं कि मुलजिम को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाये। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपकी इन्फोर्मेशन सरकार तक पहुंच चुकी है। आप बैठें। श्री कालीचरण सराफ।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 29 पर विचार

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, आज अनुदान की मांग संख्या 29-नगर आयोजना और प्रादेशिक विकास पर विचार हो रहा है, इसमें मैं भी अपने आपको शामिल करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, चूंकि मुझे 20 मिनट का समय मिला है, इसलिए मैं 2 बजे फिक्स अपना संबोधन समाप्त कर दूंगा, तो थोड़ा-सा समय का ध्यान रखिए।

श्री सभापति: समय का आप ध्यान रखना।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं। जयपुर शहर में सफाई व्यवस्था सुचारु हो, इसलिए सरकार ने एक की जगह दो नगर निगम बनाये। एक तो जयपुर हेरिटेज और एक जयपुर ग्रेटर और 91 वार्ड की जगह 250 वार्ड बना दिये। माननीय सभापति महोदय, जयपुर की सफाई व्यवस्था आपने बीवीजी कंपनी को दे रखी है। बीवीजी कंपनी कहती है कि मेरे को पेमेंट नहीं मिलता। कुछ-कुछ दिन के बाद वह हड़ताल कर देती है। जयपुर हेरिटेज की मेयर और जयपुर ग्रेटर की मेयर, दोनों उससे असंतुष्ट हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि सारे पार्षद असंतुष्ट, सारे अधिकारी असंतुष्ट और उसके बाद भी उसका ठेका निरस्त क्यों नहीं होता? मेरा सुझाव है और मैं मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि बीवीजी कंपनी का ठेका निरस्त किया जाय

(श्री कालीचरण सराफ)

और एक कंपनी को ठेका नहीं देकर, नगर निगम में अगर जोनवाइज ठेके दिये जायेंगे तो सफाई व्यवस्था सुचारु रहेगी।

इसी प्रकार से सीवरेज की स्थिति है। आज आप अखबारों में पढ़ लीजिए, कभी वार्ड नंबर 145 में सीवरेज जाम, कभी वार्ड नंबर 71 में सीवरेज जाम, यानी सीवरेज जाम की रोज समस्या आती है। एक दिन यदि हमारे घर पर सीवरेज जाम हो जाय तो हमारा रहना दूभर हो जाता है। 3-3, 4-4 दिन तक उनकी व्यवस्था नहीं होती। मैं यह चाहूंगा कि इसका ठेका भी एक व्यक्ति को नहीं देकर, जोनवाइज अगर इसकी व्यवस्था की जायेगी तो निश्चित रूप से इससे हमें निजात मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि नगर निगम, नगर परिषद् और इनके सबके चुनाव हुए 15 महीने हो गये, परंतु अभी तक कई जगह कमेटियां ही नहीं गठित हुईं। क्यों नहीं बनी कमेटियां? आप जब अपना जवाब दो तब बता देना, बैठो आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एक निवेदन करूं, आज यह जो मांग है, वह यूडीएच पर है, एलएसजी पर नहीं है। थोड़ा-सा समझ कर बोलो आप।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ठीक है, विराजिए। मुझे पता है, आप विराजिए। आज तक यह परम्परा रही है कि नगरीय विकास की मांग पर जब डिस्कशन होता है तो उसमें स्वायत्त शासन भी घुस जाता है और जब स्वायत्त शासन पर चर्चा होती है तो उसमें नगरीय विकास भी आ जाता है। इसलिए मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि, श्रीमान जी, यह कमेटियां जल्दी बनाओ, नहीं तो इसमें अधिकारियों को भ्रष्टाचार की खुली छूट मिली हुई है। इसके लिए भी आप ध्यान दें।

अब मैं यूडीएच पर आता हूं। भारतीय जनता पार्टी का जब राज था तो हमने द्रव्यवती नदी बनाई। अभी हमारे राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि द्रव्यवती नदी, यदि आज यह नदी कम्प्लीट हो जाती तो द्रव्यवती नदी के कारण आज यह स्थिति देखने को नहीं मिलती परंतु उसका सीवरेज का पानी जो देहलावास में जाना चाहिये था, वह काम आपने पूरा नहीं किया। इसी तर्ज पर मैं बताना चाहूंगा कि करतारपुरा नाले पर निरंतर अतिक्रमण हो रहे हैं। यह नाला पांच बत्ती से निकलता है। यह नाला

(श्री कालीचरण सराफ)

11.4 किलोमीटर लम्बा है और बाईस गोदाम औद्योगिक क्षेत्र तक तो यह पक्का है और उसके बाद यह नाला कच्चा है। नाला कच्चा होने के कारण स्थिति यह है कि इसमें निरंतर अतिक्रमण हो रहे हैं और कई जगह तो नाला नाली के रूप में परिवर्तित हो गया है। इस नाले के दोनों तरफ लगभग 60 कालोनियां बसी हुई हैं, 50 हजार से ज्यादा लोग रहते हैं। 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसके लिए 21 करोड़ रुपया अमृत योजना में हमने स्वीकृत कराया था कि सीवरेज लाइन डाली जायेगी और सीवरेज लाइन डालने के साथ-साथ वहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाये जायेंगे। पर क्या पता क्यों आपकी सरकार आई और आपने वह काम बंद कर दिया। अब मैं आपसे यह मांग करना चाहूंगा कि आप इसको पक्का करवायें और पक्का करवाकर, यदि लोगों के अतिक्रमण हैं तो उसको अतिक्रमण से मुक्त कराएं। आपको ध्यान होगा कि जब बरसात आई तो आयुष नाम का एक बच्चा कार के साथ उसमें बह गया। इसी प्रकार से 24 जुलाई, 2018 को इसी जगह एक व्यक्ति बहा लेकिन स्थानीय लोगों के प्रयास से वह बच गया।

माननीय मंत्री महोदय, मुझे एक जानकारी मिली है, मैंने जे डी ए के अधिकारियों से बात की तो यह बताया कि इसको हम 30 मीटर चौड़ा करेंगे, नाले को पक्का करेंगे। एमएनआईटी की कोई रिपोर्ट आई है। उसके बाद 30-30 फीट की दोनों तरफ रोड बनायेंगे। यह अव्यावहारिक है, व्यावहारिक नहीं है। जब इसका आउट फॉल 25 मीटर है तो आप इसको 30 मीटर क्यों बनाना चाहते हो? जब आपका आउट फॉल ही 25 मीटर है तो इसकी चौड़ाई आप 25 मीटर ही रखिए और जो 30-30 फीट की सड़क आप दोनों तरफ बनाना चाहते हो, मैं चाहूंगा कि यह 30-30 फीट की सड़क बिलकुल व्यावहारिक नहीं है। इससे कम से कम एक हजार मकान टूटेंगे और फिर इसका विरोध होगा। मेरा कहना यह है कि आप नाले को 25 मीटर पक्का करें और इसके दोनों तरफ पेड़ लगाएं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि करतारपुरा नाले के दोनों तरफ, एक तरफ स्वेज फार्म, एक तरफ महेश नगर है, वहां एक फोर लेन की पुलिया बनायें, जिससे लोगों को आने-जाने में सुविधा मिल सके।

इसी प्रकार से, माननीय मंत्री महोदय, मालवीय नगर से निकलने वाले नाले की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मालवीय नगर में डी ब्लाक, सेक्टर नंबर 5, 6, 9, 14 और 15 से एक बरसाती नाला

(श्री कालीचरण सराफ)

गुजरता है, इस नाले के खुला होने के कारण नाले के दोनों और बसे हुए नागरिक उसमें कचरा डालते हैं। सरस संकुल जो कि पास में ही है, वहां दूध के शोधन से जो मैटेरियल निकलता है, उसे नाले में छोड़ देते हैं, जिसके कारण नाला खुला होने के कारण भयंकर बदबू आती है। नाले में कई जगह पेड़ हैं, इससे आस-पास की कालोनियों में पेड़ों की जड़ें उन मकानों में चली गई हैं। गिरधर मार्ग के दोनों ओर कमर्शियल बिल्डिंग होने के कारण सड़क पर वाहन खड़े रहते हैं। वहां पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा यह सुझाव है कि इस बरसाती नाले को कवर किया जाय और इस पर पार्किंग के लिए स्थान छोड़ा जाय और बच्चों के खेलने के लिए व्यवस्था की जाय। नाले के दोनों ओर की दीवारें टूट गई हैं और उसकी भी अभी तक मरम्मत नहीं हुई है। मैं यह चाहूंगा कि उक्त नाले की सफाई करके, दोनों तरफ की दीवार दुरुस्त करके यदि बच्चों के खेलने का एक मैदान वहां बनायेंगे और पार्किंग के लिए जगह बनायेंगे तो इसकी सुविधा मिलेगी।

माननीय मंत्री महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि लालकोठी आवासीय योजना में 13 कालोनियां हैं। सरकार एक तरफ तो यह घोषणा करती है कि हम सबको पट्टे देंगे, 10 लाख पट्टों की इन्होंने घोषणा कर दी। अभी हमारे राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य बड़े गर्व के साथ बता रहे थे कि हमने 10 लाख की घोषणा की और उसमें से 2 लाख और कुछ पट्टे हम दे पाये हैं। इसी प्रकार की स्पीड रही तो, माननीय मंत्री महोदय, आपकी सरकार तो पौने दो साल की और है, यह 10 लाख पट्टे आप कहां से दोगे? लालकोठी आवासीय कालोनी का जहां तक सवाल है, पृथ्वीराज नगर इसी स्थिति में है, वहां तो आप पट्टे दे रहे हो, पर लालकोठी आवासीय योजना में आप पट्टे नहीं दे रहे हो। बहाना क्या बनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए जे डी ए इसमें पट्टा देने से इनकार करता है, जबकि सरकार चाहे तो कैबिनेट के जरिए केवल एक आदेश जारी करके लोगों को राहत दे सकते हैं। प्रशासन शहरों के संग के अंतर्गत ऐसे मामले जो कोर्ट में लम्बित हैं, उन्हें सॉल्व करके आपने पट्टे देने का आदेश दे दिया। लालकोठी पर भी आप कृपा करो तो यह ठीक रहेगा।

लालकोठी आवासीय योजना में कृष्णा नगर-प्रथम, कृष्णा नगर-द्वितीय, फ्रेंड्स कालोनी, इन्द्रपुरी, ग्रेटर कैलाश, कैलाश विहार, एवरेस्ट कालोनी, सत्य विहार, रघु विहार, लक्ष्मी कालोनी, सरस्वती कालोनी, इनमें 850

(श्री कालीचरण सराफ)

भू-खण्डधारी हैं। 2001 में इसमें से 225 को तो आपने पट्टे दे दिये, उसके बाद पट्टों पर प्रतिबंध लग गया। मेरा आपसे अनुरोध कि निश्चित रूप से आप इनको भी पट्टे देने की कार्यवाही करेंगे। इसी प्रकार से सचिवालय नगर आवासीय योजना, सहकारिता विभाग की 1992 में यह योजना बनी थी, इसमें 724 लोगों को तो पट्टे दे दिये, 3 हजार लोग अभी भी इससे अछूते हैं। इसकी फाइल मंगवाकर इनको भी पट्टे दिये जायें, इसकी भी आप व्यवस्था करें।

आपने दस लाख पट्टे देने की घोषणा की है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उनियारा गार्डन, बापू नगर का शिवाड़ एरिया, मोती डूंगरी गणेजी के पीछे की बस्ती, संजय बस्ती, दुर्गापुरा स्थित खवास जी का बाग़, गांधी नगर मोड़ पर स्थित ओझा जी का बाग़, वर्षों से भूखण्डधारी यहां पर रह रहे हैं परन्तु उनको पट्टे नहीं मिले। प्रशासन शहरों के संग में भी यदि इसमें पट्टे मिलें तो आपका मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगा।

इसी प्रकार से देश के विभाजन के समय पुरुषार्थी आये थे। ये जयपुर शहर के राजापार्क में, आदर्श नगर में, गुरुनानक पुरा में, फ्रंटियर कालोनी में, 20 दुकान में आकर बसे थे। उनके पट्टे अभी तक नहीं मिले हैं। अधिकारियों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि उनको 240 गज का प्लाट अलाट हुआ था, इन्होंने 241 पर कब्जा कर रखा है। 70-70 साल हो गये, वे 241 के हैं तो उनको 241 का पट्टा दे दो। आपकी जो डिफरेंस की रेट है, वह रेट ले लीजिये, परन्तु पट्टे नहीं देने के कारण उनको बैंक से लोन नहीं मिलता है और उनकी व्यवस्था नहीं होती।

इसी प्रकार से मालवीय नगर के सेक्टर-9 में जो थड़ियां थीं, उनको वहां पर 2 बाई 2 मीटर के प्लाट अलाट किये थे। यह तय किया था कि इनसे 21 हजार रुपये लेंगे। 21 हजार रुपये में से पहली किस्त के 5 हजार रुपये ले लिए। उसके बाद 1993 से 2022, तीस साल हो गये, नगर निगम को फुर्सत नहीं है उनसे पैसे लेने की। मेरा यह कहना है कि जो शेष राशि है, उसको लेकर यदि उनको पट्टे मिल जायेंगे तो यह अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से रीको में। रीको की कई एक्वायर्ड लैंड हैं। जैसे जयपुर में तरुछाया नगर। ऐसा ही पूरे राजस्थान में है। वहां 40-50 साल से लोग पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं, पर उनको इसलिए पट्टे नहीं मिल रहे क्योंकि रीको ने अवाप्त कर रखी है। आप इनको अवाप्ति से मुक्त करिये, इनको नियमित करिये, जिससे कि वहां के लोगों का जीवन भी सुधर सके।

(श्री कालीचरण सराफ)

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि मैट्रो ट्रेन के दूसरे फेज का काम शीघ्र शुरू किया जायेगा, परन्तु इस बार के बजट भाषण में आपने वन-ए की घोषणा कर दी। इसके अन्तर्गत बड़ी चौपड़ से रामगंज चौपड़, रामगंज चौपड़ से सूरजपोल गेट, वहां से होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे तक मैट्रो चलाने की बात आपने कही है। जब आपने पहले फेज की घोषणा की थी, उस समय भी हमने कहा था कि इससे आपको फायदा नहीं होगा, ट्रैफिक नहीं मिलेगा पर नहीं माने। आज स्थिति यह है कि मैट्रो घाटे में चल रही है। आपने जो वन-ए फेज-बी की घोषणा की है, इस पर काम करेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। यदि आप वास्तव में जयपुर शहर की जनता को मैट्रो से फायदा दिलाने चाहते हैं तो सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया से, जैसा कि चौमूं से आने वाले माननीय विधायक कह रहे थे, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया से इसको शुरू कीजिये। एयरपोर्ट होते हुए एमएनआईटी कालेज और उसके बाद कॉमर्स कालेज, राजस्थान कालेज, राजस्थान यूनिवर्सिटी, उसके बाद एसएमएस हास्पिटल, महाराजा कालेज, महारानी कालेज और एमआई रोड से इसको वर्तमान में जो मैट्रो चल रही है उससे कनेक्ट करिये, फिर चांदपोल से झोटवाड़ा और झोटवाड़ा से अम्बाबाड़ी होते हुए इसको वीकेआई एरिया और हरमाड़ा तक ले जायें, तब तो यह प्रोफिटेबल होगा, अदरवाइज इससे प्रोफिट नहीं होगा।

इसी प्रकार से जयपुर शहर में तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ रही है, उसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि मुम्बई की तरह यहां भी हम उप नगरों को डवलप करें। उप नगर डवलपमेंट में यदि आप वहां पर केवल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना देंगे, उससे नहीं होगा। इसके लिए आपको रोड की कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, वहां पर बड़े-बड़े मॉल्स बनाने पड़ेंगे, आपको वहां पर स्कूल और कालेज की सुविधा देनी पड़ेगी। यदि यहां पर सब प्रकार की सुविधाएं देंगे तो ये उप नगर विकसित होंगे, जैसे कि बॉम्बे में मलाड है, अंधेरी है, जोगेश्वरी है, बोरीवली है, वैसे ही जयपुर शहर में चौमूं है, वाटिका है, अचरोल है, शिवदासपुरा, चाकसू है, ये डवलप हो सकते हैं। इसके लिए भी आप निश्चित रूप से समाधान करेंगे।

मैंने पहले भी कहा था और अभी हमारे रोहित बौहरा जी भी बता रहे थे कि यहां पर एक्सीडेंट बहुत होते हैं। लक्ष्मी मंदिर का तिराहा है और जवाहर

(श्री कालीचरण सराफ)

सर्कल है। यहां पर तो आपने काम चालू कर दिया, परन्तु रामबाग एवं जे डी ए सर्कल और ओटीएस चौराहे पर तीनों जगह, आपको ध्यान होगा कि जे डी ए चौराहे पर चार लोगों की मौत हो गयी थी। मैंने उस समय भी कहा था कि आपको किसने यह राय दी कि इनके सर्किल हटाओ। आज पूरी नई दिल्ली में सर्कल बने हुए हैं इसलिए वहां पर ट्रैफिक धीरे चलता है और एक्सीडेंट नहीं होते। आपने रामबाग सर्किल का सर्किल हटा दिया। जे डी ए चौराहे पर जो सर्कल था, उसको हटा दिया, उसके कारण वहां पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसका परमानेंट इलाज तो यह है कि आप वहां पर अण्डरपास बनवायें या ओवरब्रिज बनायें, परन्तु आप जब तक यह काम नहीं करते, तब तक रामबाग सर्कल या जे डी ए सर्किल और ओटीएस पर दुबारा से सर्कल बनायेंगे तो निश्चित रूप से इसका फायदा हमको मिलेगा।

राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि, साहब, प्रोजेक्ट पूरे नहीं किये हैं। मैंने एक प्रश्न लगाया था, उसमें मैंने पूछा कि जे डी ए ने जो प्रोजेक्ट चालू किये थे उनकी डेडलाइन क्या थी? पहला प्रोजेक्ट, द्रव्यवती नदी पुनरुद्धार योजना 16 अक्टूबर, 2018 को काम पूरा होना था, जवाब आया कि कार्य प्रगति पर है। हर बार यही जवाब आता है कि कार्य प्रगति पर है। जब तक आप सीवरेज का पानी देहलावास में, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में, तब तक वहां पर मच्छर भी रहेंगे और सीवरेज का पानी जाम रहेगा। इसका काम जल्दी से जल्दी पूरा करें। इसी प्रकार से अम्बेडकर सर्कल से सोडाला तिराहे तक का एलिवेटेड रोड का काम 09 जनवरी, 2019 को इसका काम पूरा होना था, जवाब आया कि कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार से झोटवाड़ा आरओबी के समानान्तर पंचायत भवन अम्बाबाड़ी टी-जंक्शन तक तीन लेन के नये आरओबी का निर्माण 13 दिसम्बर, 2020 को पूरा होना था, जवाब आया कि कार्य प्रगति पर है। श्रीमान जी, यह कार्य प्रगति पर कब तक रहेगा? अब तो आपके पौने दो साल और हैं, या हमारे राज में हम ही करेंगे, यह तो जरा बता दीजिये।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जयपुर शहर में जे डी ए या नगर निगम सड़क बनाते हैं। सड़क बनाते ही एक महीने बाद पीएचईडी वाले उसको खोद देते हैं, कभी टेलीफोन वाले खोद देते हैं, कभी प्राइवेट एजेंसियां खोद देती हैं। महाराज, इनमें सामंजस्य बैठाओ और सामंजस्य नहीं बैठता तो जैसे बॉम्बे और दिल्ली में डक्ट सिस्टम है और स्मार्ट सिटी में डक्ट सिस्टम की योजना

(श्री कालीचरण सराफ)

भी थी। यदि डक्ट सिस्टम डाल देंगे तो जितनी भी लाइनें हैं, चाहे टेलीफोन की लाइन हो, चाहे आपकी पीएचईडी की लाइन हो, ये सब उसमें से होकर गुजर जायेंगी और सड़कें नहीं खुदेंगी। आप मेरे साथ जयपुर शहर में चलो, पूरा जयपुर शहर खुदा पड़ा है। तिलक नगर जो कि जयपुर का पॉश इलाका है, वहां पर सड़कें खुदी पड़ी हैं। मैंने नगर निगम में कहा कि इसको बनायें तो कहा कि, साहब, पीएचईडी ने पूरे पैसे जमा नहीं कराये। पीएचईडी ने कहा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमने पूरे 90 लाख रुपये जमा करा दिये। यही झगड़ा चल रहा है। मैंने कहा कि मैं एक करोड़ रुपये मेरे विधायक कोष से दे देता हूं, बाबाओं जरा उसको पूरी करवाओ। एक करोड़ रुपये मैंने दिये हैं, उसके बाद सड़क पर काम चालू हुआ है। यह स्थिति नहीं आये, इसके लिए निश्चित रूप से हमको प्रयास करना चाहिये।

एक हाई कोर्ट का आदेश आया है कि जयपुर शहर में आवारा गायें जो कि इधर से उधर घूमती हैं, उनको पकड़ा जाये। कहां भेजें? इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि जयपुर शहर के चारों ओर कम से कम चार दिशाओं में आप डेयरी काम्प्लेक्स डवलप करें। वहां सारी सुविधायें दें। जब

(समय: 14.00 बजे)

आप डवपल करेंगे, सारी सुविधाएं वहां पर देंगे तो निश्चित रूप से फिर आप सख्ती कीजिए, गायों को पकड़िए, अदरवाइज गायों को पकड़ेंगे, हिंगोनिया गौशाला में भेज देंगे, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा, क्योंकि अब समय हो गया है, सभापति जी, मेरी ओर देख रहे हैं। जयपुर शहर संगमरमर की मूर्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पूरे देश में, पूरे विश्व में इसका एक्सपोर्ट भी होता है। करोड़ों रुपये का एक्सपोर्ट होता है। इसके लिए बस्तियों में लोग विरोध करते हैं क्योंकि उसमें आवाज होती है, धूल उड़ती है। मेरा कहना ये है कि इसका सर्वे करवाएं पूरे जयपुर शहर में कि कितने मूर्तिकार हैं, फिर उसके आधार पर योजना बनाकर जमीन एक्वायर कर मूर्तिकला के लिए एक पूरा नगर बनाएं। जो भी मूर्तिकार हैं, उनको सख्ती के साथ वहां पर शिफ्ट कीजिए, ऊपर मकान और नीचे दुकान। इसके आधार पर यदि आप करेंगे तो जयपुर की जनता को तो निजात मिलेगी, कि रोज की ठक-ठक और प्रदूषित धूल नहीं मिलेगी और वहां अच्छा काम होगा। वहां सारी औद्योगिक और जो भी सुविधा हम दे

(श्री कालीचरण सराफ)

सकते हैं, वह देनी चाहिये क्योंकि जयपुर नगर में मूर्तिकला एक बहुत बड़ा उद्योग है। करोड़ों रुपये की मूर्तियां यहां से जाती हैं। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): सभापति महोदय, मैं तो बहुत छोटी-सी बात मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में कहूंगा। सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अरबन डवलपमेंट का मतलब खाली सीमेंट कांकरीट के बहुत बड़े जाल-जंजाल को फैलाने से ही नहीं है। अरबन डवलपमेंट का मतलब यह नहीं है कि हाईराइज बिल्डिंग्स बन गयी और बहुत सुन्दर लगने लग गया शहर, बल्कि एक अच्छा वातावरण, अच्छा पर्यावरण, बहुत अच्छा प्लांड डवलपमेंट होना चाहिये। मास्टर प्लान की भी अवहेलना नहीं हो और जो जोनल प्लान बनाये गये हैं या छोटे-छोटे टाउंस के प्लान बनाये गये हैं, उनकी एडिहयरेंस रहे, लोग उनकी अवहेलना नहीं करें। जो प्लान डवलपमेंट तैयार किया गया है, जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है, उसकी अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिये, तभी एक अच्छा शहर, एक अच्छा कस्बा, एक अच्छी टाउनशिप डवलप हो पायेंगी।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुल दो अच्छे टाउन आते हैं चिड़ावा और पिलानी। चिड़ावा में सीवरेज लाइन सेंक्शन हो गयी थी, मंत्री महोदय, परन्तु वहां सिर्फ 61 परसेंट ही काम हो पाया है। मैं निवेदन करता हूं कि चिड़ावा की सीवरेज लाइन प्रोजेक्ट में खाली 61 परसेंट ही काम हुआ है। मैंने आपसे निवेदन किया था कि 39 परसेंट काम जो शेष है, वह काम भी पूरा होना चाहिये। अगर 39 परसेंट काम पूरा नहीं होगा तो जो काम किया है, उससे भी कोई खास मकसद हल नहीं होगा। दो एस.टी.पी. बने। कंपनी कहती है कि वे तो चालू हो गये लेकिन मैं निवेदन करता हूं, सभापति महोदय, जो मैं बिंदु बोल रहा हूं, माननीय मंत्री की तरफ से यहां somebody must note it. क्योंकि मैं चाहूंगा कि उसको तवज्जोह आप नोट कर रहे हैं, ठीक है।

मैं यह कह रहा हूं कि 61 परसेंट काम हुआ है चिड़ावा के सीवरेज प्रोजेक्ट में, 39 परसेंट के लिए मैंने माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया था। सैक्रेटरी साहब हैं, उनको भी मैंने लिखा था, अभी तक उसका कोई रेस्पांस मेरे पास आया नहीं है। मैं चाहता हूं कि जब तक वह पूरा काम नहीं होगा तो

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

क्या तो एस.टी.पी. काम करेगा, बीच-बीच में छोड़ दिया और कहीं चले गये। मैं आरोप तो किसी पर नहीं लगाता हूं लेकिन जिस कंपनी को काम दिया था उसने चिड़ावा शहर की जो अरबन लिमिट है, जो नगरपालिका की सीमा है, उसके बाहर जाकर काम कर दिया, जबकि वह सेंक्शन नहीं था और शहर के जो एरियाज हैं, उनको छोड़ दिया। इससे न तो आपका नालियों का बहाव पूरा होगा, न उसका कोई लेवल मेंटेंन होगा। उसको दोबारा दिखाया जावे। पिछला विधान सभा का जो सत्र आया था, उसमें मैंने यह बात उठाई थी। मैं आभारी हूं माननीय मंत्री महोदय का, उन्होंने शायद 41 लाख रुपये का जुर्माना उस कंपनी पर किया था। उसके बाद कंपनी के प्रतिनिधि आये भी, थोड़ा काम भी किया लेकिन वही ढाक के तीन पात है। इस ओर मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं कि वह 39 परसेंट काम सेंक्शन किया जावे और जो सड़कें उस सीवरेज डालने वाली कंपनी ने तोड़ी, उन सड़कों का हाल ये है कि जो नगरपालिका की बनी-बनाई सड़कें थीं वे और तहस-नहस हो गयीं। मैं मानता हूं उनका शायद एग्रीमेंट ये है कि जहां से उन्होंने तोड़ी हैं, वे उसी को ठीक करेंगे, लेकिन मान लो बीच में उन्होंने तोड़ दी तो वो तो सारी सड़क खराब हो गयी। जहां-जहां से उन्होंने तोड़ी, वह सड़क बिलकुल ठीक होनी चाहिये।

दूसरा निवेदन करता हूं कि अरबन डवलपमेंट के अन्तर्गत प्रोपर ड्रेनेज का सिस्टम भी होना चाहिये। जब तक ड्रेनेज का सिस्टम प्रोपर नहीं होगा, तब तक शहर का जो पानी है, वह बाहर नहीं जायेगा। गन्दा पानी एकत्र होगा, वातावरण खराब होगा, मच्छर डवलप होंगे, बीमारियां होंगी। एक बीमार शहर को आप अच्छा अरबन डवलपमेंट नहीं कह सकते। इसलिए चिड़ावा और पिलानी के लिए ड्रेनेज की योजना मंजूर की जावे। मैं तो यह निवेदन करता हूं कि आर.यू.आई.डी.पी. से चिड़ावा और पिलानी को, दोनों ही शहरों को, तीन नगरपालिकाएं हैं मेरे पास में, मैं लोकल सेल्फ का नहीं बोल रहा हूं बल्कि अरबन डवलपमेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि ये स्वायत्त शासन नहीं है, ये अरबन डवलपमेंट है, ऐसा नहीं है। इंटीग्रेटेड डवलपमेंट होगा, टाउन तो टाउन है, उसमें लोकल बॉडीज का एरिया आप अलग नहीं कर सकते। 25 करोड़ रुपये मात्र नगरपालिका, पिलानी को दिया आर.यू.आई.डी.पी. के माध्यम से।

मेरे यहां तीन नगरपालिकाएं हैं। विद्या विहार नगरपालिका, पिलानी भी है, पिलानी इट सेल्फ भी है और चिड़ावा भी है। मेरा विनम्र निवेदन है कि

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

आर.यू.आई.डी.पी. से इन तीनों ही नगरपालिकाओं को जोड़ा जावे ताकि एक अच्छा डवलपमेंट इन तीनों नगरपालिका क्षेत्रों का हो।

दूसरा, अगर शहर को पानी नहीं मिलता है तो ये सिर्फ पी.एच.ई.डी. की प्रोब्लम नहीं है, ये भी अरबन डवलपमेंट का एक हिस्सा है। एक अच्छी योजना, शुद्ध पानी के लिए अगर अरबन डवलपमेंट की किसी भी एजेंसी के मार्फत जो अरबन डवलपमेंट को टेकअप करती है, चाहे वह आर.यू.आई.डी.पी. हो या अन्य कोई एजेंसी हो, एजेंसी तो नयी-नयी तब डवलप होगी जब आइडियाज डवलप होंगे। पानी का सिस्टम भी, क्योंकि मेरे यहां पिलानी और चिड़ावा में भयंकर रूप से पानी की कमी आ रही है, लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। हालांकि पी.एच.ई.डी. कन्टींजेंसी प्लान बनाने की बात कह रही है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अरबन डवलपमेंट का जिनका कंसेप्ट है जिनका जिम्मा है, जिनका उत्तरदायित्व है, उनको भी चाहिये थोड़ा इस बिन्दु को देखें।

ब्यूटीफिकेशन अरबन डवलपमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अभी तक इन शहरों में ब्यूटीफिकेशन के नाम पर दस पैसे भी नहीं दिये गये हैं। मैं चाहता हूं कि कोई न कोई योजना बनवाई जाये जो हमारे यहां के अरबन डवलपमेंट के या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अधिकारी, जो इस काम को देखते हैं, वे जाएं, तीनों नगरपालिकाओं का विजिट करें और अगर वे उचित समझते हों तो मुझसे भी कांटेक्ट करें ताकि मैं शहर के जो मौजीज नागरिक हैं, उनके माध्यम से एक मीटिंग कराऊं और वे क्या चाहते हैं अरबन डवलपमेंट के लिए इन शहरों में, वह बात आप लोगों के सामने आ सके।

नगरपालिका क्षेत्र के लिए 15 किलोमीटर की रोड मिली है लेकिन 15 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है। वह तो बजट में मिल गयी, बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य मंत्री महोदय का। उनको तो पूरे राजस्थान का डवलपमेंट करना है, यह बात मैं मानता हूं। थोड़ा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी होता है लेकिन अरबन डवलपमेंट के पास कई रिसोर्सेज होते हैं। पैसा स्टेट बजट से ही नहीं आता, गवर्नमेंट आफ इंडिया से भी आता है, पैसा प्लान का भी आता है, दूसरी एजेंसीज का भी आता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इन दोनों शहरों को, तीनों नगरपालिकाओं को, पिलानी में दो नगरपालिका हैं, चिड़ावा में एक नगरपालिका है, उनको शामिल करते हुए कोई इस प्रकार

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

की योजना अरबन डवलपमेंट के लिए तैयार करें, उन शहरों के विकास के लिए, वहां एक स्वस्थ विकास के लिए कि वहां ब्यूटीफिकेशन भी हो, कोई नई योजना भी आए, सड़कों का भी विकास हो। सड़क में 15 किलोमीटर में तो कुछ भी नहीं होगा, बड़े-बड़े शहर हैं।

सेनिटेशन भी, हालांकि लोकल सेल्फ की बात माननीय मंत्री महोदय ने कही, मानते हैं, मैं इस बात को इंकार नहीं करता कि लोकल बॉडीज का काम है शहर की सफाई करना, लेकिन सेनिटेशन के बिना अरबन डवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है। एक बहुत अच्छी टाउनशिप डवलप कर दें और वह गन्दी हो जाये। इसके लिए भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

अंत में यही कहूंगा कि अरबन डवलपमेंट और लोकल बॉडीज, एक-दूसरे के ट्वींस हैं, कोर्डिनेशन करने की आवश्यकता है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के स्वस्थ विकास के लिए आप लोगों से निवेदन करता हूं। सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29 पर बोलने का अवसर दिया, आपका आभार। चूंकि माननीय मंत्री जी कोटा शहर से आते हैं, हालांकि वह अभी निकल गये, मैं समझता हूं कि वह एलईडी पर देख रहे होंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम कोटा शहर के वर्तमान हालात के विषय में सदन को अवगत कराना चाहता हूं। आज जिस तरीके से कोटा शहर पूरी तरह से खुदा पड़ा है, लोग रोजाना दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। जगह-जगह सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, समझ ही नहीं आता कि यह सड़क है या गड्ढों में सड़क है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 500 से भी अधिक पार्क हैं, 500 के 500 पार्क दुर्व्यवस्था के शिकार हैं। सारे पार्कों में कोई मेंटीनेंस नहीं होती है। लोग-बाग़ उसमें अन्दर जाने में भी डरते हैं। ऐसी स्थिति आज मेरे विधान सभा क्षेत्र के पार्कों की हो गयी है।

जो पीड़ा माननीय कालीचरण जी की थी, जो पीड़ा माननीय चन्देलिया साहब की थी, निश्चित रूप से एक विभाग यूआईटी और नगर निगम के द्वारा सड़कें बनाई जाती हैं। आरयूआईडीपी आती है, उन सड़कों को खोदकर उनमें सीवरेज की लाइन डालती है। सीवरेज की लाइन डालकर उसमें थेपड़े

(श्री संदीप शर्मा)

लगाकर उबड़-खाबड़ रूप से उसको सही कर देती है। वह काम बंद होता है, इतने में पीएचईडी आकर उसमें खड्डे कर देती है। निश्चित रूप से यह पैसों की बर्बादी भी है। जिस तरीके से लोग परेशान होते हैं, बहुत पीड़ा का विषय है। लोगों को इस विषय में बहुत शिकायत रहती है। कॉर्डिनेशन कमेटियां भी बनी हैं, कॉर्डिनेशन कमेटी की प्रगति रिपोर्ट कभी कोई लेता नहीं है। जिस तरीके से किसी अधिकारी की अध्यक्षता में वह कॉर्डिनेशन कमेटी भी बनाई जाती है तो मैं समझता हूं कभी उस पर कोई कॉर्डिनेशन, समन्वय, किसी प्रकार का बन नहीं पाता।

यही कारण है कि जिस तरीके से कोटा शहर में, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद भी देना चाहूंगा, उन्होंने कोटा को एक नया स्वरूप देने की कोशिश की है। कोटा को केडीए दिया है, उनको धन्यवाद देता हूं, परन्तु उनको हकीकत भी बताना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से कोटा शहर में विकास कार्यों के चलते अपार अव्यवस्थाएं हो रही हैं, जो वैकल्पिक रास्ते आपके विभागों ने दिये, उसमें जाम लगे रहते हैं। जाम के साथ-साथ दुर्घटनाएं होती हैं।

(समय:14.12 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

कई लोग आपके सौंदर्यीकरण की बलि चढ़ गये, कई लोग मौत के शिकार हो गये, हादसों के शिकार हो गये। संवेदकों को शीघ्र कार्य करने के लिए तो आपने उनके ऊपर पेनल्टियां लगाईं, लेकिन आपने एक भी मौत के हादसे पर किसी अधिकारी को जिम्मेदार नहीं बनाया, आपने संवेदक को जिम्मेदार नहीं बनाया, उनको किसी प्रकार से आपने दण्डित नहीं किया। हम मानते हैं कि आपके द्वारा जिस तरीके से शीघ्र कार्यों का इम्प्लीमेंटेशन कराया जा रहा है, लेकिन शीघ्रता के साथ-साथ सुरक्षा बहुत आवश्यक है। अनावश्यक अगर लोग मरते रहेंगे, विकास की बलि पर चढ़ते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि कोटा वाले इस बात से बहुत पीड़ित हैं, परेशान हैं।

आपने एक रोड सिग्नल फ्री कर दिया। उस सिग्नल फ्री में आपने खूब महंगे-मंहगे इलेक्ट्रिक के खम्भे भी लगाये हैं, आपने सुन्दर चित्रकारी से भी उसको बढ़िया किया है, लेकिन आप उसमें इतनी तकनीकी खामियां छोड़ गये कि लोग जीवनपर्यन्त उन खामियों को भुगतते रहेंगे।

(श्री संदीप शर्मा)

जिस प्रकार आपने न्यास के नालों में कालोनियां काट दीं, उसमें दनादन पैसे कमाने के चक्कर में यूआईटी ने उन नालों के अन्दर, जिससे पठारी क्षेत्र का पानी निकलता था, आज वह मार्ग अवरूद्ध हो जायेगा। आपने भी देखा है कि जब बाढ़ आती है कोटा शहर के जवाहरनगर तलवंडी सी-सेक्टर के घरों में पानी भर जाता है। आज यह नाले अवरूद्ध होने के बाद बरसात का पानी कहां निकल पाएंगा?

आपने कोटा शहर को रिवर फ्रंट दिया पर आपको याद रखना चाहिये था कि कोटा शहर में 34 गंदे नाले आज भी गिर रहे हैं। पहले भी 150 करोड़ रुपये आरयूआईडीपी के द्वारा बनाये एसटीपी प्लांट में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गये। अभी भी 250 करोड़ रुपये की लागत से एसटीपी नालों के ट्रीटमेंट का कार्य कर रही है। अगर यह सक्सेस भी हो जाते हैं तो आपकी डाउन स्ट्रीम के नालों का आप क्या करोगे? उनको इन एसटीपी में नहीं लिया गया है। चम्बल हमें प्राकृतिक वरदान के रूप में मिली हुई थी। इसको शुद्ध रखना, इसका पर्यावरण अच्छा हो, यह हमारा दायित्व था। इस ओर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में चम्बल नदी के किनारे बने धार्मिक पर्यटन गोदावरी धाम, मौजी बाबा की गुफा, चम्बल गार्डन, भीतरिया कुण्ड पुराने धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, जो कोटा शहर के लिए अभी तक पर्यटन का प्रमुख केन्द्र थे, उन पर आपकी निगाह नहीं पड़ी। यहां एक पैसा आपने खर्च नहीं किया। पूर्ववर्ती सरकार ने भीतरिया कुण्ड के विस्तार के लिए 15 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भिजवाये थे, आपने उनको खारिज कर दिया। इसी प्रकार 27 करोड़ के प्रस्ताव जीएडी से घटोत्कच सर्किल तक ग्रीन बेल्ट के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु प्रस्तावित बजट भी आपने खारिज कर दिया।

154 करोड़ की स्मार्ट शहर की पानी को लेकर योजना बनी थी, जिसमें 40-40 साल पुरानी जीर्णशीर्ण पाइप लाइनों को चेंज करना था, इंटेकवैल बनाने थे, वे योजनाएं आपने खारिज कर दीं।

सदन में मुझे इसी सरकार ने कोटा में मिनी सचिवालय की मांग को लेकर आश्वस्त किया था, लेकिन उसमें अभी तक एक योजना फलीभूत होती हुई मुझे नजर नहीं आती। कृपया आप जवाब देते समय बताना कि इसका काम कब तक प्रारम्भ हो जायेगा?

एरोड्रम स्थित भूमि से हवाई अड्डे का स्थानान्तरण होने के उपरान्त

(श्री संदीप शर्मा)

मेरा आपसे निवेदन है कि इस कोटा शहर को ग्रीन कोटा की आवश्यकता है, शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता है, कोटा के इस हवाई अड्डे को आप जब शम्भूपुरा में शिफ्ट करें तो 60 प्रतिशत भूमि कोटा की आने वाली पीढ़ी के लिए, शुद्ध प्राकृतिक पर्यावरण के रूप में उपहार देकर जायें।

कोटा में आये दिन श्वानों के हमले हो रहे हैं। नगर निगम पर यदि कम्प्लेंट कराई जाती है तो नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों का जवाब रहता है कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत हम इनको नहीं पकड़ सकते। आप पशु क्रूरता अधिनियम के तहत पशुओं पर भी संवेदनशीलता रखें। जिस तरीके से हमले में आदमी, बच्चे, औरतें घायल हो रही हैं, आपका विभाग उनके प्रति भी संवेदनशील रहे, बहुत आवश्यक है। श्वानों को उनकी श्वान शालाओं में भेजकर आप उनका रख-रखाव करें।

स्वच्छता को लेकर करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी शहर स्मार्ट शहर की रैंकिंग में हमेशा पीछे रहा है। मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। स्मार्ट शहर की रैंकिंग में केन्द्रीय शहर विकास मंत्रलाय द्वारा जारी रैंकिंग में कोटा शहर लगातार पिछड़ता जा रहा है। नगर विकास न्यास और निगम के द्वारा करोड़ों रुपये हरियाली पर खर्च किये जा रहे हैं लेकिन कोटा शहर में कहीं हरियाली नजर नहीं आती।

यूआईटी द्वारा आबंटित कालोनियों में आज भी आवश्यक सुविधाओं का नितान्त अभाव है। कोटा शहर की कई कच्ची बस्तियां, शिवपुरा, अनंतपुरा, तालाब गांव, बरडा बस्ती, क्रेशर बस्ती, आवली, रोजडी, नया गांव आदि, इन कालोनियों में काफी समय से लगभग 70-70, 80-80 साल से लोग-बाग़ रह रहे हैं। यहां आप इनको पट्टे उपलब्ध करवायें।

शहर से सटी हुई वन भूमियां हैं उन वन भूमियों का आप केन्द्र सरकार के पास प्रपोजल भेजे। वहां पर उसको चेंज कराकर...

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें। कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): दो मिनट में कर रहा हूं। उसको स्थानान्तरण कराकर 50-50 साल से इन बस्तियों में लोग रह रहे हैं, उनको पट्टे उपलब्ध करायें। कोटा शहर में हजारों की संख्या में फुटकर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वे अपना व्यापार कर रहे हैं। इन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी आप स्थान तय करें और उन्हें प्रोत्साहन देकर उनका रोजगार सुनिश्चित करें।

(श्री संदीप शर्मा)

कोटा शहर के कई समाजों ने भूखण्ड आबंटन के लिए आवेदन किया हुआ है, इन सभी समाजों को आप रियायती दर पर भूखण्ड आबंटित करें।

नगर विकास न्यास और नगर निगम के बड़े-बड़े प्लाटों पर पूरे वर्ष भर पानी भरा रहता है। यही कारण है कि कोटा में सबसे ज्यादा डेंगू का प्रकोप होता है, जिसमें कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और बीमार हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में गम्भीर प्रयास करने की आवश्यकता है।

आपके नगर निगम का जो फायर डिपार्टमेंट है, सिर्फ भ्रष्टाचार का पर्याय है। लेट-लतीफी कार्य प्रणाली से गत दिनों एक फैक्टरी में भीषण आग लग गयी। लगातार कहीं न कहीं आग लगी रहती है। फायर डिपार्टमेंट के लोग अपनी उगाही करने तक सीमित रहते हैं, उसके अलावा और कोई कार्य नहीं करते।

आपके द्वारा, प्रत्येक वार्ड पार्षद की अनुशंसा पर आपने नगर निगम द्वारा एक करोड़ के विकास कार्य स्वीकृत करे। इन एक करोड़ के कामों में वार्ड में क्या काम होंगे, उसमें से भी आप कह रहे हैं कि 50 लाख रुपये जो हारा हुआ पार्षद है, उसकी अनुशंसा पर करायें। या तो आप राशि को और बढ़ायें।

आप यदि शहर को वास्तव में पर्यटन नगरी बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको चम्बल की सफारी प्रारम्भ करनी पड़ेगी, चम्बल में क्रूज संचालन करना पड़ेगा, जिससे चम्बल के मनोहारी दृश्य विश्व के मानचित्र पर आयें। कोटा में पर्यटन बढ़े। आपको मथुराधीश के मंदिर के लिए मैंने स्वयं भी कई बार निवेदन किया है कि वहां का जीर्णोद्धार हो तथा वहां सुगम परिक्रमा मार्ग बनें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, थैंक यू। प्लीज।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): निश्चित रूप से कोटा की ओर लोगबाग आकर्षित होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री संयम लोढ़ाजी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, आज की इस मांग के प्रति सरकार की गम्भीरता इसी बात से सामने आ जाती है कि कैबिनेट का एक भी सदस्य इस हाउस के अन्दर मौजूद नहीं है। मैं आपसे यह विनती करूंगा कि आप मुख्य मंत्रीजी को इस बात का संदेश भेजें कि

(श्री संयम लोढ़ा)

कैबिनेट के सदस्य जब बजट पारित हो रहा है और इतनी महत्वपूर्ण मांग पर चर्चा हो रही है तो किस तरह की उदासीनता और लापरवाही दिखा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: हां पक्ष लॉबी में बैठे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): He is not a Cabinet Minister.

श्री सभापति: मिनिस्टर तो है न, बैठे हैं न, वे रहे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं, आप यही करना चाहते हैं तो करिये, हमें कोई एतराज नहीं है पर यह गलत है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, सदन की गरिमा कहां से कहां तक पहुंच गयी। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और एक बताओ न कि किसी के हाथ में कलम हो, इधर वालों के हाथ में कलम हो और आफिसर दीर्घा वालों के हाथ में कलम हो तो हमें यह लगता है वरना काहे का समय जाया करते हैं? आज विधान सभा, हाउस मुश्किल से पच्चीस दिन चलता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: नोट कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं, आप सत्तारूढ़ दल के लोगों को कहिये, ट्रेजरी बेंचेज के, ऐसा क्या अहंकार आ गया इनमें?

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मैं नोट कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य जो कुछ बोल रहे हैं, नोट किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह नोट कर रहे हैं तो यह कहां जायेगा?

श्री सभापति: मंत्री महोदय की तरफ से। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हम बोलें, तैयारी करके बोलें, सरकार को सुझाव दें और उनकी कमियां बतायें और हालत यह है कि एक भी, देखिये, आप हालत देखिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मैं नोट कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं, आप हो क्या चीज?

श्री सभापति: बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): दाल भात में मूसलचंद, आप मूसलचंदजी हो कौन? (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, इनको अपनी सीट पर बैठाइये। नहीं, इनको सीट पर बैठाइये वरना मैं मुख्य मंत्री की कुर्सी पर आकर बैठूंगा। इनको बैठाइये अपनी सीट पर। यह कोई तरीका थोड़े ही है। माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी की कुर्सी पर जाकर बैठ जाऊं? अगर यही हालत रही तो। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बैठाइये इनको सीट पर अपनी। इनको आप आदेश दीजिए। यह बैठे हैं मिनिस्टर की कुर्सी पर। Who is he? He is just an MLA. मतलब, कहीं तो डेकोरम, कोई हाउस का डेकोरम बचेगा या नहीं बचेगा? मैं धरने पर बैठता हूं, माननीय सभापति महोदय, या तो इनको सीट पर बैठाइये अपनी। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठ जाइये, बैठ जाइये। सचेतक महोदय, बुलाइये। (व्यवधान) कंटीन्यू, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): धन्यवाद, सर। माननीय सभापति महोदय, यह बिलकुल सही है कि राज्य के नगरीय विकास मंत्री नगरीय विकास का पर्याय बन चुके हैं। इस हाउस में उनसे ज्यादा स्वायत्त शासन, नगरीय विकास का विशेषज्ञ कोई दूसरा नहीं है और, माननीय सभापति महोदय, जब प्रशासन शहरों के संग अभियान का विराट कार्यक्रम मुख्य मंत्रीजी के सरकारी निवास पर आयोजित किया तो मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं ने यह कहा कि शान्ती धारीवालजी अभी भी मंत्री हैं और अगली बार भी मैं मुख्य मंत्री बनूंगा तो स्वायत्त शासन और नगरीय विकास मंत्री ये ही रहेंगे। उनकी विशेषज्ञता का पूरे राजस्थान को लाभ मिले, इस बात के लिए हम हमेशा प्रयास करते रहे। मैंने खुद ने कई बार उनसे व्यक्तिगत आग्रह किया कि आप हमारे जिले के दौरे पर आइये। आपके दौरे पर आने से हमारा पिछड़ा क्षेत्र लाभान्वित होगा, हमारे क्षेत्र की कमियां दूर होंगी और माउंट आबू जैसा राजस्थान का पर्वतीय स्थल हम अपने जिले में रखते हैं, उसके भी विकास में आपका अमूल्य मार्गदर्शन मिलेगा लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत खेद है कि इन चार साल में स्वायत्त शासन मंत्रीजी को सिरोही जिले में आने का समय नहीं मिला और उससे सिरोही जिले के लोग किस रूप में वंचित हुए, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री संयम लोढ़ा)

आबू रोड की नगरपालिका का उदाहरण देना चाहता हूं कि प्रशासन शहरों के संग अभियान की जो दुर्गति हुई, राजस्थान में किसी नगरपालिका की नहीं हुई होगी। कैसे? जनवरी, 2021 में इन्होंने विनोद बंसल को ई.ओ. लगाया। फरवरी, 2021 में उसको ए.पी.ओ. कर दिया। फिर वापस फरवरी में ही उसका निरस्त कर दिया। फिर मार्च में उसको वापस हटा दिया, तो वह हाई कोर्ट से स्टे लेकर आ गया। फिर 24 सितम्बर को रवि खन्ना को लगा दिया, वह आया नहीं। फिर 30 सितम्बर को पिंडवाड़ा के ई.ओ. को चार्ज दे दिया, उसने चार्ज लिया नहीं। फिर 6 अक्टूबर को नृसिंह लाल मीणा को ई.ओ. लगा दिया। फिर 14 अक्टूबर को उसको हटा दिया। फिर 25 अक्टूबर को माउंट आबू के कमिश्नर को चार्ज दे दिया। फिर 29 अक्टूबर को हिमांशु अग्रवाल को लगा दिया, फिर 13 दिसम्बर को उसको भी हटा दिया। फिर नृसिंह लाल को लगा दिया, वह आया नहीं और फिर 16 दिसम्बर को भंवरसेन को चार्ज दे दिया और फिर जनवरी के अन्दर अनिल झांझारिया या जो भी नाम है, उसको लगा दिया। यह इनकी परिकल्पना है प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाने की। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक 80 हजार की आबादी का कस्बा जिसके प्रति आप किस मानसिकता के साथ पदस्थापन करते हैं और आज दो महीने से वहां पर जे.ईएन. का पद खाली पड़ा है, तो मैं यह चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि यह अगली बार के मुख्य मंत्री के भी स्वायत्त शासन मंत्री होंगे लेकिन कम से कम हमारे जैसे छोटे जिले के, पिछड़े जिले के लोगों पर भी कृपा रखें कि वहां पर भी लोग रहते हैं, वहां के लोगों के भी काम हैं और इस तरीके से आपके तुगलकी आदेशों से वहां की व्यवस्था तहस-नहस हो रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या दुर्दशा है नवरत्न सलाहकार की? मेरे तो खुद बैठे-बैठे आंसू आने चालू हो गये।

श्री सभापति: पोंछ लीजिए, प्लीज। पोंछ लीजिए।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आप आइये न, रूमाल मैं भेजता हूं। आइये तो सही। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये- बैठिये। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): क्या हुआ? आइये साहब, रूमाल देता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये, प्लीज। बैठिये आप।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): लीजिये।

श्री सभापति: बैठिये। आप प्लीज, बोलिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं आपसे यह विनती करूंगा कि यह व्यवधान का समय आप काउंट मत करना।

श्री सभापति: नहीं-नहीं, यह तो डिलीट होगा, यह जो बीच में बोला गया है डिलीट होगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको जे.डी.ए. एक्ट का सैक्शन 8 का, 8/2/1 प्रोविजन सुनाता हूं:- "Appointment of Jaipur Development Commissioner, Directors, Secretary etc..." इसमें लिखा है, 8/2/1 में - "Director, Engineering who shall not be below the rank of Chief Engineer of Civil construction." यह तो है एक्ट का प्रोविजन, माननीय सभापति महोदय, और जयपुर डवलपमेंट अथोरिटी ने क्या किया? माननीय सभापति महोदय, अभी नगरीय विकास विभाग ने 25 फरवरी, 2022 को उसके जोइंट सैक्रेटरी-III ने एक आदेश जारी कर दिया। प्रशासनिक एवं कार्य व्यवस्था की दृष्टि से प्राधिकरण के अभियांत्रिकी कार्य को निम्नानुसार चार अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ में विभाजित किया जाता है:- वन, टू, थ्री, फोर और आदेश कर दिये चार डायरेक्टर के, जिसके अन्दर चीफ इंजीनियर रैंक के आफिसर भी नहीं हैं और यही इन्होंने पद बढ़ोतरी का वित्त विभाग को यह प्रस्ताव भेजा जे.डी.ए. ने, माननीय सभापति महोदय, वित्त विभाग ने टर्न डाउन कर दिया, अनुमति नहीं दी। उसके बाद बिना किसी अधिकार के इन्होंने यह चार डायरेक्टर अपाइंट कर दिये। क्या बंदरबांट हो रही है? माननीय सभापति महोदय, क्या यह लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट जो कि चीफ मिनिस्टर के पास है, उससे ऊपर हैं? किन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए कानून के प्रावधान के विपरीत जाकर और फाइनेंस डिपार्टमेंट जिसको रिजेक्ट कर चुका है, आपने यह अपाइंटमेंट कर लिए। माननीय सभापति महोदय, इसमें यह लिखा हुआ है जोइंट सैक्रेटरी-III के आदेश से कि यह आदेश सक्षम

(श्री संयम लोढ़ा)

स्तर से अनुमोदित है। कौनसा सक्षम स्तर है? आप तो आई.ए.एस. रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि चीफ इंजीनियर की पोस्ट की बढ़ोतरी आपको करनी है तो आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट से अनुमति लेनी पड़ती है। मैं आपके माध्यम से यह विनती करूंगा कि यह जो कानून के प्रावधान के विपरीत मनमर्जी से और जे.डी.ए. को नुकसान पहुंचाने की नीयत से, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की नीयत से यह जो आदेश वित्त विभाग के आदेश के विपरीत किया है, इसको सरकार निरस्त करे और जो-जो लोग इस प्रक्रिया में शामिल हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह विनती करूंगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपको यह निवेदन करूंगा कि पिछली सरकार मुख्यमंत्री जन आवास योजना, 2015 लेकर आयी थी और उसमें पहले थ्री-वन, थ्री-बी और अब यह लेकर आये हैं बी और सी, 20 जनवरी, 2020 को। अब थ्री-सी में इन्होंने यह क्या प्रोविजन कर दिया? एरिया घटा दिया। जीरो पाइंट फिफ्टी हैक्टेयर और जो पहले हंड्रेड परसेंट ई.डब्ल्यू.एस., एल.आई.जी. के लिए होता था, उसके अन्दर “minimum 20 per cent Plots for EWS, minimum 50 per cent Plots for LIG and remaining Plots for MIG-A category” और उसके साथ में 20 परसेंट प्लाट्स, कंस्ट्रक्शन जो है उसका प्रोविजन, minimum plots to be constructed इसमें यह प्रोविजन किया, “Out of total Residential Plots of EWS/LIG/MIG-A proposed in the scheme, developer has to construct EWS/LIG/MIG-A units upto G+1 Floors on minimum 20 per cent Plots under such category.” अब आप 20 परसेंट पर आ गये। किसको फायदा पहुंचाने के लिए आप यह प्रोविजन लेकर आये? यह लाने से पहले क्या आपने किसी तरह का कोई सर्वे किया था? आपको कौनसे इलाके में करना है? क्या इसकी मानिटरिंग का आपका सिस्टम है? मैं मंत्रीजी से चाहूंगा कि वह जवाब दे दें कि आपके द्वारा यह लाने के बाद ए.बी. और सी. में कितने एप्लीकेंट आये? यह खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है और राजस्थान में सब लोगों को पता है।

माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जन आवास योजना इसलिए लाई गई थी कि कमजोर वर्ग के लोगों को छत दी जा सके, उनको रहने का

(श्री संयम लोढ़ा)

ठिकाना दिया जा सके लेकिन जिस रूप में बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए आप यह 3 सी लेकर आये हैं, आने वाले वक्त में इसके गम्भीर परिणाम होंगे और सरकार बुरी तरह बदनाम हो जायेगी। मैं पहले ही आपको आगाह करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि स्वायत्त शासन विभाग को यह सोचना चाहिए कि आपकी नीचे हालत क्या है। क्या स्टाफ है आपके पास में? पूरा स्वायत्त शासन विभाग का काम ठेके पर चल रहा है। नगरपालिकाओं के अन्दर 60-60, 70-70 लोग कान्ट्रेक्ट पर लगाये गये हैं और महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण काम ठेके पर कराया जा रहा है। 200 से ज्यादा तो जे.ईएन. के पद इनके यहां पर खाली पड़े हुए हैं। आज आपको सोचना चाहिए कि मुख्य मंत्रीजी ने जब बजट घोषणा की तो सड़कों के काम दिये, आपको क्यों नहीं दिये। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर नगरपालिका क्षेत्र में, परिषद् क्षेत्र में, निगम क्षेत्र में दिये हैं। क्या नगरपालिका या परिषद् या निगम सड़क बनाने का काम नहीं करते हैं? करते हैं लेकिन आपकी पैठ इतनी खराब हो चुकी है कि मुख्य मंत्रीजी को यह निर्णय करना पड़ा कि हम पीडब्ल्यूडी के माध्यम से इन कामों को करवायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि हम बजट हर साल लेकर आते हैं लेकिन उससे पहले क्या हम यह सोचने का प्रयास करते हैं कि उन छोटी जगहों पर लोगों का जीवन बेहतर हो, लोगों की क्या जरूरतें हैं? जिला मुख्यालय की मैं बात करता हूं। पिछली सरकार ने सारे जिला मुख्यालयों में नगर परिषदें कर दीं। क्या जिला मुख्यालय पर भी एक ऐसी जगह विकसित की हमने कि शाम को कोई आदमी अपने परिवार को बच्चों के साथ ले जाकर एक घंटा बैठ सके? क्या बच्चों के मनोरंजन की भी कोई सुविधा विकसित की? निश्चित रूप से आप कर रहे हैं कोटा का विकास, आप जयपुर का विकास कर रहे हैं लेकिन जो दूर-दराज के छोटे-छोटे कस्बे हैं, उनका क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: डिस्टर्ब नहीं करें इनको, बोलने दें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि हर कस्बे में एक जगह सरकार को ऐसी विकसित करनी चाहिए जहां परिवार के लोगों को लेकर आदमी जा सके। आज जयपुर की क्या

(श्री संयम लोढ़ा)

स्थिति है? यहां से 25 किलोमीटर आगे तक जयपुर है, पीछे 25 किलोमीटर तक जयपुर है, पूरे राजस्थान का फ्लो जयपुर में आ रहा है। उसके लिए हमारे क्या इन्तजाम हैं? जो लोग आ रहे हैं, हजारों की तादाद में आवासहीन लोग, उनको आवास उपलब्ध हो सके, इस दिशा में हमारा कोई कान्क्रीट विजन है? सभापति महोदय, आपके पचासों बिल्डिंग खाली पड़ी हुई हैं। क्या उन लोगों को किराये पर देने का भी इरादा रखते हो? इतने बड़े शहर में लोगों के लिए किराये पर जगह लेना भी कितना मुश्किल है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, अरबन मिनिस्ट्री का सर्कुलर है लेकिन इसके बाद भी जे.डी.ए. और यूआईटी जो प्लाट्स बेचते हैं और उसमें उस सर्कुलर के मुताबिक स्थानीय निकायों का जो उनको पैसा देना चाहिए वह पैसा देते नहीं हैं और स्थानीय निकाय भी जो उनका पैसा वसूल करना है अरबन टैक्स, आज पूरे राजस्थान का फिगर मंत्रीजी यहां पर रख दें कि आपने नगरीय विकास कर कितना वसूल किया है? किसी का भी इस तरफ ध्यान नहीं है। बिना धन के तो कोई विकास हो नहीं सकता।

सभापति महोदय, सरकार लेकर आयी, इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। बहुत अच्छी मुख्य मंत्रीजी की सोच है कि वह यह लेकर आये, लेकिन नगरपालिकावाइज आप आंकड़े यहां पर रख देना कि नगरपालिकाओं ने कितने प्रस्ताव बैंकों को भेजे हैं? 10 फीसदी लोगों को भी इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में बैंकों ने लाभन्वित नहीं किया। एक अच्छी सोच के साथ कोई योजना सरकार लेकर आती है और उसमें नागरिकों को बार-बार फार्म भरने के बाद भी लाभ नहीं मिलता है। यही हाल प्रधानमंत्री आवास योजना का है। मैं अभी आबूरोड का जिक्र कर रहा था। प्रधानमंत्री आवास योजना में आबूरोड में एक मकान स्वीकृत नहीं हुआ। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में तो हो गये शिवगंज सिरोही में, लेकिन वहां भी पहली किस्त आयी तो दूसरी नहीं आयी। सभापति महोदय, किसी स्तर की कोई मानिटरिंग नहीं है। यह देखने की चेष्टा नहीं है कि नागरिक उसमें लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप पांच मिनट में समाप्त कर लें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जी, बिलकुल। पीएचईडी सीवरेज चार्ज लेती है लेकिन स्थानीय निकायों को नहीं देती। लाखों रुपया पीएचईडी के पास

(श्री संयम लोढ़ा)

इकट्ठा पड़ा है। जो म्युनिसिपल एक्ट पिछली सरकार लायी थी, उसमें कलेक्टर की भूमिका को बिलकुल खतम कर दिया। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को विनती करूंगा कि आप उसमें कलक्टर का रोल रखो। क्यों? पहले भी मैंने आपको सुझाव दिया था। आज राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी उस सुझाव को दिया। आपके पास सिस्टम क्या है चैक करने का? नगर परिषद् का अधिकारी किसी भी जगह कोई पट्टा दे दे, कोई परमिशन दे दे, कौन है चैक करने वाला? मौके पर कलक्टर सरकार का प्रतिनिधि बैठा हुआ है, उसकी भूमिका आपको रखनी चाहिए क्योंकि जिलों के अन्दर लोगों की आदत है, कोई भी काम होगा, किसी भी तरह की समस्या होगी, सीधा कलक्टर के पास जायेगा। आज कलक्टर के पास कोई आथोरिटी नहीं है इस काम को करने की। इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है।

गुलाब कोठारी वाले पिटिशन के अन्दर मास्टर प्लान के बारे में फैसला आया। क्या हुआ? क्या नीचे उसकी पालना हो रही है? राजस्थान का कोई कस्बा और शहर ऐसा नहीं होगा कि जहां उस जजमेंट की धज्जियां नहीं उड़ रही हों और स्थानीय निकाय मास्टर प्लान में कुछ है, परमिशन कुछ देते हैं, निर्माण कुछ होता है, कौन रोकेगा? रोकने का कोई मेकेनिज्म नहीं है, माननीय सभापति महोदय। इसी कारण से जो प्लानिंग मास्टर प्लान के माध्यम से की जाती है, वह पूरी ध्वस्त हो जाती है। आपने मास्टर प्लान बनाया, आपने वहां पर सड़क दे दी, वहां पर दूसरा बाईपास दे दिया, उसके पीछे, मास्टर प्लान के एग्जिक्युशन के पीछे फण्ड प्रोविजन क्या है? पांच रुपये आप मास्टर प्लान की कम्पलाइंस के मामले के लिए रखते नहीं हो, तो फिर उस मास्टर प्लान की कम्पलाइंस कैसे होगी? इसीलिए हर कस्बे के अन्दर बिना किसी प्लानिंग ऐसे मल्टीस्टोरी फ्लैट खड़े हो गये, रेजिडेंशियल। पड़ौस के घर वालों की निजता छिन गयी। फ्लैट में जो आदमी रह रहा है, उसके घर में झांक रहा है और जिसका घर चारों तरफ से बीच में आ गया, उसकी तो रोशनी खतम, उसकी हवा खतम। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को क्यों दखल देना पड़ा? इसलिए कि हम मास्टर प्लान तो बना देते हैं लेकिन नीचे उसको लागू नहीं करते हैं। लागू करने की हमारी मानसिकता भी नहीं है और हमारी मंशा भी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि

(श्री संयम लोढ़ा)

सरकार ने इन्दिरा रसोई शुरू की थी, मुख्य मंत्रीजी ने, यह एक बहुत कामयाब योजना है। कोरोना में भी और उसके बाद भी लाखों लोगों को इसके माध्यम से लाभन्वित होने का अवसर मिला। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह भी विनती करूंगा कि एक ऐतिहासिक निर्णय अशोक गहलोत साहब ने किया शहर में 100 दिन रोजगार देने का। जल्दी से जल्दी उस योजना को शुरू किया जाये, उसकी प्लानिंग की जाये। यहां मैं यह भी ध्यान में लाना चाहूंगा कि स्वायत्त शासन विभाग की अभी तक इस योजना पर काम करने की कोई तैयारी नहीं है, फिर आप अन्धाधुन्ध तरीके से काम निकालेंगे इसलिए इस पर पूरा फोकस करें कि यह शहरी रोजगार योजना कामयाब हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, लास्ट बात कहता हूं। लाखों रुपया इन नगर निकायों के अन्दर है। हाई कोर्ट में मुकदमे होते हैं, दुनिया भर के केसेज होते हैं, जिसमें पांच-पांच, दस-दस करोड़ रुपये की वसूली इन्वाल्व होती है। स्थानीय निकायों की तरफ से यह कोई देखने वाला व्यक्ति नहीं होता। जो आपके हाई कोर्ट जोधपुर में डी.डी.आर. बैठे हुए हैं, 40 नगरपालिकाएं उसको देखनी हैं, वह नगरपालिकाओं में झांक नहीं पाता है। वह इन हाई कोर्ट के मामलों को क्या सुपरविजन करेगा? इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि जिला स्तर पर स्थानीय निकायों के लिए आपको एक लीगल आफिसर अपाइंट करना चाहिए, जो हाई कोर्ट से जुड़े हुए सारे मैटर्स को देख सके। यह जो स्थानीय निकायों के पैनल लॉयर हैं, माननीय सभापति महोदय, यह सब सिफारिशी हैं और इनको कुछ नहीं आता। यह नगरपालिकाओं को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। अब आप हर केस के लिए तो डबल ए.जी. को लगा नहीं सकते, इसलिए मैं आपको विनती करूंगा कि आपका करोड़ों रुपया फंसा हुआ है और उस फंसे हुए पैसे की तरफ आपका ध्यान रहना चाहिए और लॉ का सिस्टम आपको मजबूत करना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री विठ्ठल शंकर अवस्थीजी।

मैं एक मिनट निवेदन कर दूं सभी माननीय सदस्यों से कि चार बजे माननीय मंत्री महोदय का रिप्लाई होगा, इसलिए जो समय की पाबन्दी है, वह अपन सभी के लिए है। सभी लोग आज अपने-अपने क्षेत्र में शायद जाना चाह रहे हैं तो रिपीटिशन नहीं करें और जो अपनी खुद की बात है, वह कहें। बाकी जो आप ठीक समझें, कहें, लेकिन सभी के लिए समय लगभग सात मिनट का होगा।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपकी बहुत-बहुत मेहरबानी कि मेरे आते ही आपने सात मिनट का समय पाबन्द किया।

श्री सभापति: यह सभी के लिए है।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आज शहरी विकास पर मांग संख्या 29 पर बहस चल रही है। इसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि प्राचीन काल से शहरों का महत्व हमारी संस्कृति में रहा है और हमारे यहां तो प्रात: स्मरण जो होता है, उसमें शहरों का स्मरण किया जाता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवन्तिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायक:। इन शहरों का महत्व इतना है कि इनको प्रात: स्मरण में जोड़कर रोज हम नित्य स्मरण करते हैं कि हमारे देश में ये शहर हैं, तो शहरों का महत्व प्राचीन काल से रहा है।

शहरी विकास में सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, जो मैंने 15 साल के विधायक कार्यकाल में देखी है, वह यह देखी है कि प्राइवेट कॉलोनाइजर को हम अनुमति देते हैं कालोनी विकसित करने की, वह सारी कालोनीज में अपनी व्यवस्थाएं करता है और एक्ट में यह निर्णय किया गया है या प्रावधान है कि वहां की बिजली, सड़क, पानी, सफाई की व्यवस्था, सारी प्राइवेट कालोनाइजर के जिम्मे रहेगी जबकि होता यह है कि प्राइवेट कोलोनाइजर अपनी कॉलोनी जब विकसित करता है तो विकास का चार्ज यू.आई.टी. में जमा करवाता है, लेकिन उसके बाद कालोनी विकसित करने के बाद प्राइवेट कोलोनाइजर तो अपने घर चला जाता है और वहां रहने वाले जो निवासी हैं, वह लगातार इस समस्या से ग्रसित रहते हैं कि वहां पेयजल की व्यवस्था नहीं होती है, वहां सड़कों की व्यवस्था नहीं होती है, वहां बिजली की व्यवस्था सही नहीं होती है, वहां सफाई की व्यवस्था नहीं होती है और जब जनता हमारे पास आती है और हम जनता से बात करते हैं, अफसरों से बात करते हैं तो अफसर यह कहते हैं कि प्राइवेट कालोनाइजर की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। जनता प्राइवेट कोलोनाइजर की उस यूआईटी और उस प्राइवेट कोलोनाइजर के बीच में फंसकर रह जाती है और लगातार लम्बे समय से, आज मेरे भीलवाड़ा शहर में लगभग 50-60 प्राइवेट कालोनी विकसित हो चुकी हैं और वहां पेयजल के लिए चम्बल की पूरी योजना लागू है, पूरे शहर में पांच लाख व्यक्तियों को मिल रहा है, लेकिन प्राइवेट कालोनी में रहने वाले 50 हजार व्यक्तियों को आज तक

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

पेयजल की सुविधा नहीं मिल पायी। वह प्राइवेट कालोनियां सफाई के लिए नगर परिषद् को कहते हैं तो वह कहते हैं कि हमारे को आदेश नहीं है प्राइवेट कालोनियों में सफाई की व्यवस्था करने का, रोड लाइट लगानी है तो हम नहीं लगा सकते। यूआईटी मना कर देती है, नगर परिषद् मना कर देती है। माननीय सभापति महोदय, यहां तक कि पेयजल जैसी जो सामान्य जीवन की आवश्यकता है, जिसके बिना जीवन ही सम्भव नहीं है। उस पेयजल के लिए आज लगातार 10 साल से हम भीलवाड़ावासी तरस रहे हैं। 50-60 हजार की आबादी परेशान हैं तो मेरा यह निवेदन है कि अगर आप एक्ट में संशोधन करें तो, माननीय सभापति महोदय, मेरा मंत्रीजी से आग्रह रहेगा कि यह केवल भीलवाड़ा शहर की समस्या नहीं है, पूरे राजस्थान की समस्या है कि प्राइवेट कोलोनाइजर को या तो ऐसा पाबन्द किया जाए कालोनी की स्वीकृति देने से पहले कि वह वहां सारी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से व्यवस्थित विकसित करके फिर उसके बाद कालोनी को बेचेगा, या फिर ऐसा करें कि सरकार अपने जिम्मे ले कि पेयजल, सफाई या बिजली और सड़क, यह व्यवस्थाएं लगातार, आज कोलोनाइजर एक बार तो अपनी व्यवस्थाएं करके चला जाएगा, लेकिन वह मेन्टीनेंस करता ही नहीं है और सारी जनता परेशान रहती है। इसलिए मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि अगर आप नियमों में संशोधन करना चाहें तो करिए, लेकिन प्राइवेट कोलोनाइजर भी हमारे ही मतदाता हैं, हमारी ही जनता है, आपकी जनता है तो उस जनता की सुविधा के लिए जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली, पानी, सड़क और सफाई, उनकी व्यवस्था माकूल हो सके, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे भीलवाड़ा शहर में छह साल पहले सीवरेज आया था और उसका कार्य छह साल पहले शुरू हो चुका। उस सीवरेज में अगस्त, 2020 में उसका समय पूरा हो गया, परन्तु आज भी पहले फेज के काम का चार बार समय बढ़ा चुकी यह सरकार, क्यों बढ़ा रही है, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चार बार समय बढ़ाने के बाद भी आज उसमें कनेक्शन की नौबत तक नहीं आ पायी है। आज वहां पर उन्होंने पूरे शहर को उधेड़कर रख दिया है। अब जाकर वह काम करना चाहते हैं। उन्होंने पूरे शहर को एक साथ ही उधेड़कर रखा है। पूरी जनता त्रस्त है। रूडिप को और उनके अधिकारियों को पाबन्द किया जाना चाहिए कि इस सीवरेज में जो सड़कें तोड़ी

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

जाती हैं, उन सड़कों का मजबूती से वापस पुनर्निर्माण किया जाए, अन्यथा उस शहर में बार-बार खड्डे पड़ते हैं और वह लीपापोती करके चले जाते हैं। इससे पूरे शहर की सड़कों की बदहाली हो जाती है। इतने सुन्दर शहर की +++ हो जाती है, तो सीवरेज के अधिकारियों को, रूडिप के अधिकारियों को पाबंद किया जाए कि एक तो समय पर कार्य पूरा होना चाहिए और दूसरा, उन सड़कों के निर्माण की उनकी जिम्मेदारी है, वह व्यवस्थित और कार्य क्वालिटी वाला होना चाहिए जिससे शहर की सुन्दरता को हम कायम रख सकें।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): असंसदीय शब्द बोल दिये। +++ हटा दो।

श्री सभापति: कोई भी असंसदीय शब्द बोलते हैं तो वह डिलीट माना जाता है, डिलीट ही करना है।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): भीलवाड़ा सिटी में यू.आई.टी. में नगर परिषद् का सवा सौ करोड़ रुपया बकाया है और पिछले 2013 से लगातार यू.आई.टी. पैसा नहीं दे रही है। यू.आई.टी. के एक्ट में प्रावधान है कि जो प्लाट यू.आई.टी. बेचेगी, उसका 15 प्रतिशत पैसा स्थानीय निकाय को दिया जाएगा और तत्काल प्रभाव से दिया जाएगा लेकिन वर्षों से आज सवा सौ करोड़ से अधिक पैसा भीलवाड़ा नगर परिषद् का यू.आई.टी. में बकाया है और यू.आई.टी. के सारे कार्य पेरीफेरी में करवाये जा रहे हैं, शहर में नहीं करवाये जा रहे हैं। जाने किस दबाव में पेरीफेरी में कार्य होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां आवश्यकता है वहां कार्य नहीं होते हैं। लेकिन शहर का पैसा, कमाई यू.आई.टी. की शहर की और सारा पैसा पेरीफेरी क्षेत्र में व्यय किया जाता है, तो मेरा मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा कि एक तो नगर परिषद् को सवा सौ करोड़ भीलवाड़ा यू.आई.टी. में जब बकाया है, वह तत्काल प्रभाव से दिलाया जाए, जिससे शहर के विकास का कार्य अवरुद्ध नहीं हो और लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए जन-प्रतिनिधियों के द्वारा शहर का विकास हो सके। अफसरशाही के कारण से हमारा शहर बर्बाद हो रहा है। उस यू.आई.टी. में सारा कार्य पेरीफेरी एरिये में न जाने कौन ले जाता है?

माननीय सभापति महोदय, हम बार-बार निवेदन कर चुके कि शहर का कार्य शहर में होना चाहिए या फिर आप एक अनुपात तय कर दीजिए कि

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

पेरीफेरी में इतने प्रतिशत कार्य होगा, बाकी का कार्य शहर में होगा। यह मनमर्जी का जो तरीका अफसरों का है, मेरा निवेदन है इसको तत्काल प्रभाव से बंद करके (व्यवधान)

श्री सभापति: Thank you very much.

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): दो मिनट, सर। दो मिनट प्लीज।

श्री सभापति: टाइम प्लीज।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): प्लीज सर।

श्री सभापति: एक मिनट में ही समाप्त कर दीजिए।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है, मंत्री महोदय आप ध्यान देंगे। यूआईटी भीलवाड़ा में जो जमीनें पेरीफेरी में शहर की यूआईटी को दी गयी थीं, अवाप्ति की गयी थी, सरकार के द्वारा दी गयी थी, उसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है भ्रष्टाचार शुरू करने का कि वह बिलानाम जमीनें वापस पंचायतों को देकर, क्योंकि अब उन जमीनों की कीमत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उन जमीनों में अब भू-माफियाओं का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, एक फाइल चल रही है भीलवाड़ा कलेक्ट्री में और यूआईटी में, मेरा निवेदन रहेगा कि जो जमीनें यूआईटी भीलवाड़ा को दी गयी हैं, वह यूआईटी भीलवाड़ा के ही अधिकार क्षेत्र में रहनी चाहिए न कि वापस पंचायतों को दी जाये जिससे इस भ्रष्टाचार से हम बच सकेंगे। भीलवाड़ा शहर में भू-माफियाओं का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है।

मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि कृपा करें और उस भीलवाड़ा यूआईटी के द्वारा अधिग्रहित जो जमीनें सरकार ने भीलवाड़ा यूआईटी के लैंड बैंक में दे रखी हैं, उन सारी जमीनों की यूआईटी भीलवाड़ा के मार्फत ही व्यवस्था हो। वह पंचायतों को वापस नहीं दी जाये।

श्री सभापति: धन्यवाद। समाप्त करिये, माननीय सदस्य। अब समाप्त करिये। टाइम बहुत हो गया। प्लीज।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: धन्यवाद। कुछ माननीय सदस्यों की तरफ से यह भी आया है कि मैटर उनके पास कुछ ज्यादा है। समय का अभाव है। उनको खुद को भी जाना है। अगर वह टेबल करना चाहें तो वह टेबल कर दें। कोई दिक्कत नहीं है। वह रिकार्ड पर आ जायेगा, उनका जो भी कहना है। बाकी लोग बोल लेंगे। श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): सभापति महोदय, मांग संख्या 29 पर आपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से 2-3 बातें निवेदन करना चाहूंगा कि कोरोना काल के दौरान इन्सान का जीवन सबसे महत्वपूर्ण था। उस दौरान नगरपालिका क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्र में पूरे राजस्थान में जिस तरीके से सरकारी अस्पतालों में आक्सीजन की कमी थी, उस कमी को दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन कोई काम हुआ जीवन बचाने के लिए, वह राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने नगरपालिका के माध्यम से आक्सीजन प्लांट लगाने का किया। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में नगरपालिका के माध्यम से 27 जिलों में 76 राजकीय चिकित्सालयों में 119 मेडिकल आक्सीजन प्लांट हमने लगाये हैं, जिस पर सरकार ने करीब 80 करोड़ रुपये खर्च किये, जिसका फायदा आज भी सारे राजस्थान के लोग ले रहे हैं। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, निश्चित तौर पर भय का वातावरण बना हुआ था, रोजगार था नहीं, उस दौरान सरकार द्वारा जनता के हित को देखते हुए जो फैसला किया कि जो 50-50 हजार रुपये का ऋण था वह बेरोजगारों को दिया जा रहा है, वह महत्वपूर्ण फैसला था। रोटी नसीब नहीं हो रही थी, धंधा नहीं था, सारे धंधे बंद हो गये थे। खासकर के जो दस्तकारी लोग थे, जो हाथ से काम करने वाले थे, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए मुख्य मंत्री जी ने जो फैसला किया, वह फैसला काबिले तारीफ है।

अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि सरकार यह बताये कि कितने लोगों ने एप्लाई किया है? मैं आपके माध्यम से निवेदन

(श्री जगदीश चन्द्र)

करुंगा कि अब तक 1.4 लाख लोगों ने बैंकों के माध्यम से इस लोन के लिए आवेदन किया है, जो आवेदन हो चुका है, जो लोन लोगों के पास हो चुके हैं, इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी हाउस में बैठे हैं। आरयूडीएफ का जो फंड बंद कर दिया गया था, उसको वापस उन्होंने चालू कर दिया है। इसके लिए मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पहली दफा नगरपालिका क्षेत्र में, जे.डी.ए. के क्षेत्र में, नगर निगम के क्षेत्र में जो सरकार के प्लाट अलाटमेंट किये जाते थे, उनको चेंज कर दिया जाता था, उनके बारे में कोई पूछने वाला नहीं था, पहली बार मंत्री जी ने अपने स्तर पर जो फैसला किया कि 6 परसेंट ब्याज के साथ हम उसकी रकम लौटायेंगे। अगर रकम नहीं लेगा तो उसके बराबर का हम उसको प्लाट देंगे। उसमें 3 प्रावधान किये गये हैं। जैसा प्लाट, वैसा का वैसा प्लाट उसको दूसरी जगह हम दे सकते हैं। अगर कोर्ट में मामला पैंडिंग है तो पहले एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा कि कोर्ट से केस को विथ्ड्रा करेगा, ताकि उसको कंपनसेट किया जा सके। यह महत्वपूर्ण फैसला है। यह छोटा फैसला नहीं है। लम्बे समय तक लोग चिल्लाते रहते थे कि हमें प्लाट अलाटमेंट हुआ सरकार की तरफ से और उस प्लाट का पजेशन हमको नहीं मिलता था।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से शहरों की आबादी बढ़ रही है, यह सरकार के लिए चिन्ता का विषय है। यह बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। हर गांव का आदमी शहर की तरफ दौड़ना चाहता है। शहर के अन्दर सारी फेसेलिटी होती हैं, स्कूल होता है, कालेज होता है, जितनी नगरीय सुविधाएं होती हैं, एमिनिटीज होती हैं वह शहर में ज्यादा बैटर होती हैं। इस पलायन को रोकना बहुत महत्वपूर्ण काम है। सरकार इस पर कोई न कोई विचार करे ताकि जो गांव से माइग्रेट होकर शहर में लोग आ रहे हैं, वह कहीं न कहीं रुकें। तब जाकर हम यह जो नगरीय व्यवस्था है, इसको ज्यादा बेहतर तरीके से कर पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रशासन शहरों के संग जो अभियान था, वह बहुत बड़ा अभियान था। 22 डिपार्टमेंट के लोग उस अभियान के दौरान बैठे हुए थे। नगरपालिका में काफी लोगों के म्यूटेशन के काम थे। किसी को खांचा भूमि के पैसे जमा

(श्री जगदीश चन्द्र)

करने थे, किसी का नक्शा पास होना था, किसी के निर्माण की स्वीकृति होनी थी। लम्बे समय से लोगों के पट्टे भी जारी होने थे। वह नगरपालिकाओं में इस कैंप के माध्यम से हुए हैं और अभी भी जारी हैं। मैं उम्मीद करता हूं मैं सरकार से अपील करूंगा कि रिवाइज कैंप्स को फिर चालू करें ताकि जो लोग वंचित रह गये हैं, उनको इस बात का फायदा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने पहली बार नीतिगत फैसले किये हैं। नगरपालिका एक्ट में 2-3 संशोधन किये हैं। राजस्थान विधिक संशोधन, 2021 पट्टा जारी करना और उसको खारिज करने का अधिकार नगरपालिका ने लिया है। पहले पट्टा जारी हो जाता था तो लोग उसका मिसयूज करते थे। सरकार ने फैसला लिया कि जिस परपज के लिए पट्टा लिया गया है, उसको खारिज करने का अधिकार भी नगरपालिका के पास आया है।

माननीय सभापति महोदय, नगरपालिका में नोमिनेशन का जो सरकार ने अडॉप्ट किया है, जिसमें नोमिनेशंस की तादाद बढ़ाई है, उसमें हैंडीकैप का भी प्रोविजन रखा है। वह भी एक महत्वपूर्ण फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है। जिन लोगों को समाज में कोई नहीं पूछता था, जिनकी बेकद्री होती थी, मुख्य मंत्री जी की संवेदनशीलता देखो आप, उसको ध्यान में रखते हुए हैंडीकैप का जो नोमिनेशन किया है, उसके लिए मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिन लोगों का नोमिनेशन किया है, अगर एक्ट में संशोधन करना पड़े तो उनको वोटिंग राइट्स भी प्रदान करें, ताकि वह अपनी हिस्सेदारी निभा सकें। यह मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि स्वच्छ भारत अभियान-2 में 28 शहरों में 70 लाख तक का कचरा उठाने के लिए 280 करोड़ चाहिए थे। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से 50 परसेंट राशि मांगी है, वह राशि अभी तक राज्य सरकार को नसीब नहीं हुई है। अब राज्य सरकार को केन्द्र सरकार की तरफ से राशि नहीं मिलेगी तो क्या उम्मीद कर सकते हो कि किस तरीके से हम उस काम को सिरे चढ़ा पायेंगे।

हमारे अपोजिशन के लीडर बैठे हुए हैं मैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि आप केन्द्र सरकार से रिक्वेस्ट करें कि जो राशि आपने यूडीएच में तय की है, केन्द्र सरकार का जो बजट था उसमें 76,549 करोड़ का प्रावधान यूडीएच में

(श्री जगदीश चन्द्र)

किया हुआ है जिसमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत पैसे का अभी खुलासा नहीं किया है कि कितना पैसा उन्होंने डिसाइड किया है। अगर यह क्लासीफाइड करते तो पता लगता कि कितना पैसा किस-किस मद में रखा गया है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया इस पर गौर करें ताकि जो अभियान माननीय मुख्य मंत्री जी ने चलाया है, इसको हम आगे बढ़ा सकें।

माननीय सभापति महोदय, हमारे साथी स्मार्ट सिटी की चर्चा कर रहे थे। बड़ा लम्बा-चौड़ा भाषण दे रहे थे।

श्री सभापति: कृपया अब समाप्त करें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): सभापति महोदय, अभी मेरी अपनी बात रह गयी। मेरा 15 मिनट का टाइम था।

श्री सभापति: वह टाइम आपका रिवाइज हो गया।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): आपने अपना टाइम ले लिया।

श्री सभापति: टाइम रिवाइज हो गया। प्लीज, समाप्त करें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): मेरे क्षेत्र की बात रह गयी। मैं बैठ जाता हूं।

श्री सभापति: करिये, करिये, बात करिये। कंटीन्यू करिये आप। कंटीन्यू करें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): 15 मिनट का टाइम डिसाइड किया गया था।

श्री सभापति: आप कंटीन्यू करें। बोलें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, स्मार्ट सिटी की बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। 4 स्मार्ट सिटी उदयपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर राजस्थान में डिसाइड किये गये थे, 72 परसेंट काम उदयपुर में, 27 परसेंट काम सबसे कम जयपुर में, 40 परसेंट कोटा में और 55 अजमेर में हुआ। उदयपुर में 72 परसेंट काम हुआ है। इसके बारे में गौर करने की बात है कि उदयपुर में 72 परसेंट क्यों हुआ है क्योंकि केन्द्र सरकार से स्मार्ट सिटी का पैसा रोक लिया गया है। यह काम धीमे हो गये हैं। केन्द्र सरकार ने जो घोषणा की थी, बजट में वाहवाही तो ले ली है लेकिन फिजिकल, जमीन पर उतारने के लिए केन्द्र सरकार ने पैसा रोक लिया है। यह बहुत ही चिन्ता की बात है।

(श्री जगदीश चन्द्र)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार ने जो हमारी एस.सी., एस.टी. की कालोनीज थी, जहां लाइटें नहीं होती थीं, अंधेरा होता था, रात में कोई जाता नहीं था, वहां अक्सर क्राइम होते थे। सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर बिजली, पानी और स्ट्रीट लाइट की सुविधाएं विकसित करने की जो मंशा जाहिर की है, 8,962 स्ट्रीट लाइट लगवायी जायेंगी। इसमें 31 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत भी करवायी जायेगी। इसमें 51.81 किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण भी कराया जायेगा। यह मुख्य मंत्री जी का फैसला है, इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में जोनल और सेक्टर डवलपमेंट प्लान अनिवार्य नहीं होगा। यह भी बहुत बड़ा फैसला है। छोटे-छोटे शहर हैं। सरकार के पास में कोई प्लान है नहीं। यह जो फैसला किया है इसमें निश्चित रूप से इसकी तारीफ की जानी चाहिए। अधिनियम 2009 में हमने इसमें संशोधन भी किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो मल्टी स्टोरीड फ्लैट्स थे, उसमें 2 परसेंट स्टाम्प ड्यूटी की पिछली बार भी रियायत दी गयी थी। माननीय मुख्य मंत्री

(समय: 15.00 बजे)

महोदय ने जनता के प्रति संवेदनशीलता दिखते हुए उसको 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया है, यह काबिले तारीफ है। जो सड़कें हमने दी हैं, 40 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, वो भी एक अच्छी बात है, इससे क्षेत्र का विकास होगा। खासकर जो रीट के एग्जाम देने वाले बच्चे थे, सरकार ने उनको भी इन्दिरा रसोई के माध्यम से निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया, यह भी एक अच्छा कदम है, सामाजिक तौर पर एक बहुत बड़ा काम है। लॉकडाउन के दौरान जो गरीब लोग थे, हजारों की तादाद में उनको खाने के पैकेट बांटे गये ताकि वो लोग भूखे न सोये, यह माननीय मुख्य मंत्री महोदय की संवेदना थी कि राजस्थान में कोई भूखा न सोये, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसका फैसला किया।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के दो-तीन महत्वपूर्ण मसले हैं जिनके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। सादुलशहर नगरपालिका में मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था, आज तक उसका रिकार्ड नहीं है जमीन का, पता नहीं कहां रिकार्ड है और कहां गायब है, सरकार

(श्री जगदीश चन्द्र)

ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। मेरा आपके माध्यम से आपसे निवेदन है कि सरकार रिकार्ड तो उपलब्ध कराये। जैसे सादुलशहर नगरपालिका की स्थिति है, बाकी नगरपालिकाओं की भी यही स्थिति है। सरकार कोई न कोई रास्ता निकालकर, कोई स्ट्रोंग रूम बनाकर रिकार्ड तो उपलब्ध कराये, जरूरत पड़े तो सरकार उसका इस्तेमाल कर सकती है।

माननीय सभापति महोदय, सादुलशहर नगरपालिका में एसटीपी लगाने की कृपा करें। पीएचईडी विभाग के माध्यम से जो दो ओवरहैड टैंक बनने हैं उनका पट्टा अभी तक नहीं दिया गया है, क्योंकि शहर की आबादी ज्यादा हो गयी है, 60 हजार के आसपास हो गयी है, दो ओवरहैड टैंक बनने हैं, नगरपालिका उसके लिए जमीन का पट्टा नहीं दे रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वो पट्टे भी मिलें पीएचईडी डिपार्टमेंट को ताकि उस पर काम कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, शहर में आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है, भयंकर समस्या है आवारा पशुओं की। आये दिन भयंकर एक्सीडेंट होते हैं। सरकार ने नन्दीशाला की तो घोषणा की है, लेकिन इस नगरपालिका क्षेत्र में इसका कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि एस.सी. व एस.टी. वर्गों के लिए नगरपालिका में जो भर्ती खोली गयी थी, सफाई कर्मचारियों की भर्ती खोली गयी थी, उन पर दूसरे आदमी भर्ती हो गये हैं, सफाई का काम नहीं हो रहा है उनसे, दूसरे आदमी बैठे हुए हैं, इसकी सरकार जांच करे कि वास्तव में जिस काम के लिए भर्ती खोली गयी थी वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर कम से कम जांच बैठानी चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से गलत सर्टिफिकेट देकर आ गया है या दूसरे काम में लगा है तो उसको मूल काम पर वापस भेजना चाहिए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मास्टर प्लान की अगर मैं बात करूं तो लम्बे समय तक गंगानगर शहर के तीन-तीन बार मास्टर प्लान बदल दिये गये हैं। अभी पता नहीं किसकी वजह से बदले जा रहे हैं, चारों तरफ शहर में अतिक्रमण हो रहा है, सरकार को रेवेन्यू का लोस हो रहा है, आये दिन नई कालोनियां बस रही हैं और वो जन-प्रतिनिधियों के लिए एक आफत बनती जा रही है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार उसकी जांच कराये।

(श्री जगदीश चन्द्र)

माननीय सभापति महोदय, नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका भवन पर दुकानें बनी हुई हैं। ऊपर छत का राइट है मालिकाना, दुकानदार पैसा भी देना चाह रहे हैं, लीज भी देना चाह रहे हैं लेकिन स्थानीय नगरपालिका प्रशासन की तरफ से इसमें कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सादुलशहर नगरपालिका की जो दुकानें हैं, जहां बिल्डिंग बनी हुई नगरपालिका की, उसके ऊपर छत का राइट तो कम से कम दुकानदारों को मिलना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की चार पंचायतें हैं, उन पंचायतों में कालोनियां बस गयी हैं, पंचायतों के पास पैसा नहीं है, उनको सीवरेज भी चाहिए, स्ट्रीट लाइट भी चाहिए, पार्क भी चाहिए। न नगर परिषद् उसे अपना मान रही है, न यूआईटी अपना मान रही है, कृपा करके इनका कोई न कोई रास्ता निकालें। सद्भावना नगर, शालीमार बाग़, गुलाबी बाग, 8जेड और अम्बिका एन्क्लेव, ये गंगानगर के चारों तरफ बसे हुए हैं। ये न तो नगरपालिका क्षेत्र में है, पंचायत का पार्ट है। पंचायत के पास डवलपमेंट का पैसा नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस समस्या का समाधान करे।

माननीय सभापति महोदय, एक आखिरी बात कहना चाहूंगा। मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य चले गये, वो मैट्रो के बारे में राय दे रहे थे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 2016-17 का बजट देखिये सरकार का, इनके मुख्य मंत्रीजी के मैट्रो के बारे में क्या विचार थे, उसके बाद हाउस को ये राय देनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 29 पर आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, पीड़ा बहुत है, किसको सुनायें? न मुझे गैलरी में कोई दिखायी दे रहा है और न यहां पर मंत्री की सीट पर कोई बैठा है।

श्री सभापति: बैठे हैं न मंत्रीजी। आप देखो तो सही।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): आपकी और मेरी मानेगा कौन?

श्री सभापति: नहीं, नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, नोट कर रहे हैं, आप बोलें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, ठीक है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने अपनी मंशा के अनुरूप दिनांक 14.03.2022 को सायं 4 बजे प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत नगरपालिका के सामने माननीय पूर्व विधायक गंगाजलजी मील, मुख्य अतिथि की उपस्थिति में नगरपालिका क्षेत्र के आम जनों के पट्टे वितरण होंगे। यानी बिल्ली को दूध की रखवाली। मेरा कहने का भावार्थ है कि मैं वर्तमान विधायक हूं और मुझे वहां होना चाहिए, पर मेरा यह कहना है कि जो लोग जयपुर से लेकर पूरे राजस्थान के अन्दर, सूरतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर अरबों रुपये की जमीन, अरबों रुपयों की सरकारी भूमि पर बड़े-बड़े लोगों ने कब्जे कर लिए, छोटे गरीब लोग हैं उनकी झोंपड़ियां दस साल से हैं, उनको उठाकर एक मिनट में नगरपालिका वाले आते है और दूर रख देते हैं। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं सूरतगढ़ नगरपालिका में पहले नगरपालिका अपने व्यक्तियों को भेजकर पिल्लर गड़वायेगी, तारबन्दी करवायेगी और फिर उस पर लिखेंगे, नगरपालिका की सम्पत्ति, बाद में प्राइवेट बन्दे और बन्दे कोई गरीब नहीं, बहु त बड़ेबड़े, अगर मंत्रीजी चाहेंगे तो मैं नाम तक बता दूंगा, पर यहां पर मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जमीन सरकारी अगर कोई है तो उसका नाम नगरपालिका सूरतगढ़ है। चांदी की सड़क बना देते, माननीय सभापति महोदय, मेरा तो कुछ नहीं है, मैं कोई ईर्ष्या से नहीं कह रहा हूं,

''किया चिन्ता न बैरी मरे,
ना चिन्ता धन होय,
पाणी में जै घी निकले तो
लूखो खावै न कोय।
मूसल की चोरी करो,
करो सुई को दान।''

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सूरतगढ़ के अन्दर सीवरेज के लिए आज बरसों हो गये अभी

(श्री रामप्रताप कासनियां)

तक पिछली सरकार के समय से सीवरेज स्कीम अधूरी पड़ी है। सीवरेज के जो चैम्बर हैं, जमीन से पांच-पांच, छह-छह इंच लगाकर छोड़ दिये, आये दिन उनसे एक्सीडेंट होते हैं, लोग मोटरसाइकल और स्कूटर से मरते हैं। माननीय सभापति महोदय, वहां पर पेयजल को दूषित कर दिया, पेयजल की पाइपों में सीवरेज का पानी, बड़े ही खेद का विषय है। मैंने शिकायत की माननीय सभापति महोदय, शिकायत होने के बाद जांच हुई, मेरे पास उस कम्पनी का जे.ईएन. गया, उसने किसी बन्दे को भेजकर कहा कि आपकी कोई सेवा चाकरी हो तो बता दो। मैंने कहा कि मैं जेल में ठुकवा दूंगा। किसने कहा तेरे को, किसने भेजा तेरे को? बाद में उसी ने आकर कहा, थोड़ा बहुत ज्यादा लग गया, क्या होना है जांच में, कुछ नहीं तो इन सीवरेज वाली कम्पनियों के सामने पूरा राजस्थान असहाय है, चाहे सरकार इधर की हो या उधर की हो, यह हकीकत है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कच्ची बस्तियों के नियमन के लिए सरकार ने वार्डवाइज कैम्प लगाकर ऑनलाइन आवेदन करवाये थे। ढाई-ढाई, तीन-तीन हजार रुपये लोगों के लगे और फिर भी पट्टे नहीं बने क्योंकि 2004 के सर्वे में नाम की शर्त लगा दी। माननीय सभापति महोदय, इसी सरकार ने 2008 और 2009 का सबूतों के आधार पर कच्ची बस्तियों का नियमन भी किया और उधर 2004 का सर्वे मान रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से उसके अनुपात में सफाई सेवकों को अति शीघ्र सूरतगढ़ में भर्ती की जाये, वहां पर जनसंख्या के विपरीत सफाई कर्मी बहुत ही कम हैं।

माननीय सभापति महोदय, प्राचीन गढ़ एवं प्राचीन ढाब का सौन्दर्यीकरण किया जाये। बहुत प्राचीन ढाब है राजाओं के टाइम की और गढ़ भी है। माननीय सभापति महोदय, अण्डरपास और ओवरब्रिज के, शहर की गलियों में स्ट्रीट लाइट नहीं है, वो तुरन्त लगायी जाये सभी जगह। शहर के सभी वार्डों में बिना भेद-भाव के जनसंख्या के अनुरूप विकास का पैसा लगना चाहिये, यह मैं सरकार से मांग करता हूं।

सीवरेज समस्या के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि अगर कोई सुधार करने वाला अधिकारी या मंत्री है तो मैं कान पकड़ लूंगा, नतमस्तक हो जाऊंगा। दावे के साथ कहता हूं कि सीवरेज कम्पनियों को कोई नहीं सुधार

(श्री रामप्रताप कासनियां)

सकता, चाहे गंगानगर देखें, चाहे हनुमानगढ़ देखें, कहीं भी जाएं, पूरे राजस्थान में समस्या बरकरार है। इतने कितने बड़े कम्पनी वाले हो गये? सभापति महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सूरतगढ़ की बची हुई सरकारी जमीन, अभी भी बचाएं, नगरपालिका को इनकम होगी। ये बड़े-बड़े भू-माफिया जमीन को हड़पते जा रहे हैं और नगरपालिका के माध्यम से ही ये हड़पने का काम करते हैं।

श्री सभापति: Thank You, साहब।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, चलें मैं तो आपकी बात मान लूंगा। सभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि मैं बीजेपी का विधायक हूं। मैं कोई भी शिकायत, पीड़ा आपके सामने प्रकट नहीं कर रहा हूं। मैं तो वह व्यक्ति हूं

"जर्रों में रहगुजर के चमक छोड़ जाऊंगा,

पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा,

शीशा हूं टूटकर भी खनक छोड़ जाऊंगा।।"

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री मेवाराम जी जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर चर्चा हो रही है। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने किस तरह से शहरों का विकास हो, उनकी समस्याओं के लिए हम क्या करें, महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये और मैं इसमें अपने आपको शामिल करता हुआ कहना चाहता हूं शहरों की आबादी बढ़ रही है और गांवों के लोग शहरों में मजदूरी के लिए आ रहा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं और शहर विकसित हो रहे हैं।

शहरों में मूलभूत सुविधाएं कि उन्हें क्या चाहिये, उन्हें जमीन का पट्टा चाहिये, रोड चाहिये, बिजली, सफाई और पानी की व्यवस्था, ये महत्वपूर्ण विषय हैं, जिनके लिए हमारी सरकार पूरा प्रयास भी कर रही है। अभी इस बजट में भी देखा होगा और हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत और हमारे मंत्री जी धारीवाल साहब पूरे प्रयास में लगे हैं कि किस तरह से शहर ठीक हों, शहरों की समस्याओं का समाधान हो, इसके पूरे प्रयास किये जा रहे हैं इस बजट में। मैं दोहराना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि समय कम है और आप फिर घण्टी बजा देंगे।

(श्री मेवाराम जैन)

मैं अपनी बातों पर आना चाहूंगा। इस बजट में बाड़मेर में हमें पिछले साल भी सड़कें दीं, इस बार भी शहर में सड़कें दीं और एक नहीं, तीन-तीन ओवरब्रिज दिये। आक्सीजन प्लांट दिया, टाउनहाल दिया, शहर के लिए सीवरेज के पैसे दिये, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर में नगर परिषद् और यूआईटी, दोनों ही काम कर रहे हैं। यूआईटी को करीबन 8-9 साल हो गये, पर बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें आज तक भी लोगों की समस्या है, उन्हें पट्टे देने की बात है, जो आबादी में बसे हुए लोग पहले से ही बैठे हैं और कृषि कालोनियां भी कट रही हैं, उनका भी न तो नियमन हो रहा है और न उनके विकास का कोई कार्य उस यूआईटी के क्षेत्र में हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं चाहूंगा, या तो यूआईटी के उस क्षेत्र में विकास के काम शुरू हों और लोगों की इच्छा तो यही है कि इस यूआईटी को भंग कर दिया जाये और वापस नगर परिषद् एरिया में जो आबादी क्षेत्र है, जो पुरानी ग्राम पंचायत एक बाड़मेर आगोर थी, करीबन उसकी आबादी 80 हजार होगी, वह एरिया शहर के बिल्कुल सटा हुआ है और आबादी बसी हुई है जहां लाइट-पानी सबकी सुविधा है, या तो शहर में उसे शामिल कर लें ताकि वहां की जनता की समस्या का समाधान हो सके।

सभापति महोदय, सीवरेज की मेरे से पूर्व सभी सदस्यों ने बात की, ''प्रशासन शहरों की ओर'' की बात की, पट्टे देने के लिए सरकार ने पूरे प्रयास किये कि किस तरह से हम वर्षों से बैठे लोगों को पट्टे दें, सभी जगह कैम्प लगें और उनमें पट्टे दिये जाएं। पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, जितने भी विभाग थे, उन सबके काम उन कैम्पों में हुए। उसमें कई ऐसी समस्याएं थीं, लोग कई सालों से सरकारी जमीनों पर बैठे हैं और उनका नियमन नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, वे 2009 के पहले से बैठे हैं, तो मैं यहां मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो सरकारी जमीनों पर हजारों लोग बैठे हैं, बाड़मेर की मैं बात करूं तो हजारों लोग बैठे हैं, उन्हें पट्टे नहीं मिल रहे हैं। वे वहां पक्के मकान बनाकर, लाइट का कनेक्शन लेकर बैठे हैं। उन्हें नियमित करने से करोड़ों रुपयों की आय हो जायेगी और उसी राशि से वह एरिया डवलप हो जायेगा। साथ ही, जो लोग पिछले काफी सालों से पट्टों के लिए तरस रहे हैं, उन्हें पट्टे मिल जायेंगे।

(श्री मेवाराम जैन)

सीवरेज की बात करें, बाड़मेर में सीवरेज का काम पहले तीन चरणों में हुआ। शहर का करीबन आधा सीवरेज का काम हुआ और वह भी अच्छी गुणवत्ता का नहीं हुआ। अगर चेक किया जाये तो उसमें भी वह आज कोई काम नहीं आ रहा है। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी इन्होंने घोषणा की है कि बाड़मेर में 100 करोड़ रुपये सीवरेज के लिए देंगे, ताकि जो पुराना और नया बाकी बचा हुआ सीवरेज का कार्य अच्छी तरह से हो, जो मेन समस्या शहर की है, उसे हम कैसे ठीक करें, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर लें प्लीज।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैं सिर्फ अपनी बात ही कह रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाउसिंग बोर्ड के लिए कई साल पहले बाड़मेर में जमीन एक्वायर हुई और एक्वायर होने के बाद में अभी तक वहां पर न तो कोई कालोनी बस रही है, न कोई मकान या प्लाट अलाट हो रहे हैं। उस जमीन का अवार्ड हो चुका है, कई सालों से अधरबीच में पड़ी है, या तो उसे वापस छोड़ दें या फिर हाउसिंग बोर्ड उसमें मकान बनाकर गरीबों को बांटे, जो वंचित हैं और जिसके लिए लोग चाह रहे हैं।

एक तो इसका यह निर्णय करें। एक बाड़मेर के पास में ही जमीन जो आपकी थी, शिवकर खुड़ाला के लिए, लिग्नाइट के लिए, वह न तो ले रहे हैं, अवाप्त हो गयी, किसानों को न तो पैसे मिल रहे हैं, वहां के लोग बैठे हैं, न वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन करने दे रहे हैं, मैं और किसान सारे ही कह रहे हैं या तो जमीन आप ले लें और जमीन नहीं लेते हैं तो आप इसे छोड़ दें। कोई एक निर्णय तो करें। आप 15 साल से उसे लटकाकर बैठे हैं। शहर के पास में जमीन आयी हुई है। सभी को पता है कि इससे पूर्व कई बार मैं यह कह भी चुका हूं।

सभापति महोदय, ये जो कैम्पों में पट्टे दिये जा रहे हैं, पट्टे के नियमन की राशि किसी की तो है 5 हजार, किसी की 10 हजार, किसी भूमि की 30 हजार, 40 हजार और अगर पंजीयन कराने जाते हैं तो उसके 50-50 हजार, 60-60 हजार, लाख-लाख रुपये लगते हैं, तो इस पंजीयन के कारण लोगों को

(श्री मेवाराम जैन)

पट्टे लेने में तकलीफ हो रही है कि इतने पंजीयन की राशि कैसे दें, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसे ठीक करें ताकि लोगों को पट्टे मिल जाएं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुरानी सौ साल से आबादी बसी हुई है और वहां पुराने मकान बने हुए हैं आज कोई वहां मकान तोड़कर बनाना चाहता है और बना रहा है तो उसे नगर परिषद् कहेगी कि आप सेटबैक छोड़ें। अब पुरानी सेटबैक छोड़ें, एक तो बिल्डिंग लाइन उसमें चेंज हो जाती है, दूसरी, इतनी जगह नहीं है कि उसे सेटबैक छोड़ें। फिर कोर्टों में वे जाते हैं और परेशान होते हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो सौ साल से बसे हुए हैं, उन्हें जीरो सेटबैक छोड़ने की आप छूट दें।

गाडोलिया लोहार और घुमक्कड़, जिनके लिए हम चाहते हैं, सरकार चाहती है कि उन्हें बसाया जाये, उन्हें नि:शुल्क भूखण्ड दें, आवास दें, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बाड़मेर में चयनित की हुई जमीन उनके नाम तो हो गयी, परन्तु अभी तक उनको बंटी नहीं है, तत्काल उनको बांटें ताकि उन गरीबों को राहत मिल सके। एक ओवरब्रिज आपने सैंक्शन कर दिया था, उसकी राशि आप ट्रांसफर करें ताकि उसका तीव्र गति से काम शुरू हो सके।

अन्त में मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी आपने बात चलायी कि हर नगर परिषद् में, पंचायत समिति एरिया में नन्दी गायें, आवारा बैल और गायें जिस तरह घूम रही हैं उनके लिए सरकार ने फैसला भी किया है कि आप नन्दीशालाएं खोलो। सरकार आपको अनुदान दे रही है, 9 महीने का अनुदान चलाने के लिए और जिला मुख्यालय पर, पंचायत समिति मुख्यालय पर 1 करोड़ 57 लाख रुपये तो अनुदान और 9 महीने का चलाने का दे रही है, तो फिर आप क्यों नहीं चला रहे हो? इससे आपकी समस्या ही खतम हो जायेगी और पशुधन बच जायेगा। इसलिए अपन बार-बार यह बात कर रहे हैं तो कम से कम आप मेहरबानी करके गायों के नाम से राजनीति न करें, अपने मन और दिल से करें कि हर नगर परिषद् एरिया में, पंचायत समिति क्षेत्र में जितने भी आवारा बैल और गायें हैं उनको नन्दीशाला खोलकर उसमें पालने का काम करें ताकि समस्या मिट जायेगी। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: थैंक यू।

सूचना

डूंगरपुर में घटिया गेहूं की आपूर्ति

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सर, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। कल डूंगरपुर जिले के अन्दर एफसीआई में जो 26 हजार मैट्रिक टन गेहूं आया है वह सारा का सारा गेहूं खाने लायक नहीं है। वह इतना घटिया किस्म का है कि उससे बदबू आ रही है। जिला प्रशासन, रसद विभाग और एफसीआई के जो अधिकारी हैं, वे इसमें किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। पहले भी इस तरह से गेहूं आया है। कल ही 26 हजार मैट्रिक टन आया है, जिसमें अधिकारियों की काफी लापरवाही है। वह गेहूं इंसानों के लिए ही नहीं, पशुओं के खाने लायक भी नहीं है इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार इस पर संज्ञान ले और जो घटिया किस्म का गेहूं आया है इसको जिले के अन्दर वितरित नहीं किया जाये। यदि वितरित होगा तो इसको खाकर लोग बीमार पड़ेंगे। हम चाहेंगे कि इस पर संज्ञान लें और जो अधिकारी मिले हुए हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: सरकार के नोटिस में आपकी बात आ गयी है। थैंक यू। श्री नरपत सिंह जी राजवी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 29 पर विचार

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण हो चाहे पहले यूआईटी हो, 1947 में जब हम आजाद हुए तो जयपुर की आबादी 97 हजार थी और आज लगभग 50 लाख की आबादी को हम कैटर कर रहे हैं। पुराने परकोटे के अन्दर तो ड्रेनेज व्यवस्था पूरी है, लेकिन यूआईटी या नगर निगम या जे.डी.ए. की एक भी कालोनी ऐसी है क्या जिसमें विकसित की हो, जिससे रेन वाटर ड्रेन हो सकता हो? योजना ही नहीं है। यूआईटी अगर लेगी तो कैचमेंट एरिया उसका बहुत कम होगा, कैचमेंट एरिया कम होगा तो पानी ओवरफ्लो होगा। कलेक्ट्री में, कलेक्ट्री के बाहर 3-3 फीट पानी भरता है और रेलवे स्टेशन के पास 4-4 फीट पानी भरता है। वाटर ड्रेन्स बनायी उसके बाद में लाभ मिला है। हमारे सीकर रोड में 14 नम्बर पुलिया जो एक्सप्रेस-वे है, उस स्थान से चौमूं पुलिया तक 7.2 किलोमीटर है, जिसमें 100.32 फीट का हाइट का डिफरेंस है, तो सारा पानी इधर ही फ्लो

(श्री नरपत सिंह राजवी)

होकर आयेगा। क्या व्यवस्था की है? दोनों तरफ नाले जरूर बनाये हैं। जे.डी.ए. ने बहुत अच्छा नाला बनाया है एक भवानी निकेतन के अन्दर से जो एमओयू हुआ उसके आधार पर, लेकिन उसके अन्दर पानी जायेगा कैसे? उसके अन्दर पानी ड्राफ्ट करने का सिस्टम नहीं है। एक प्लाट परसराम नगर में था 17 नम्बर या 7 नम्बर जिसे एप्रूव्ड मैप में नाला दिखाया हुआ है, फिर भी जे.डी.ए. ने पट्टा दे दिया। मैंने पत्र तो लिखा है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। जनता की सुविधा के लिए कम से कम यह तो करना ही चाहिए।

जितने भी रोड ओवरब्रिजेज हैं चाहे वह झोटवाड़ा ओवरब्रिज हो, चाहे वह खिरणी फाटक का हो, वहां के पानी का ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि नीचे सारी सीमेंट ही सीमेंट हो जाएगी, उसमें झोटवाड़ा ओवरब्रिज जो पहले बना हुआ था वहां से कच्ची ड्रेन से आर्मी एरिया में पानी जाता था वह बंद हो गयी। रेलवे लाइन दुबारा बन गयी, लेकिन जे.डी.ए. या नगर निगम ने पानी किधर से निकलेगा उसके बारे में कोई चिन्ता नहीं की। अजमेर रोड से दिल्ली रोड जोड़ने वाला एक्सप्रेस-वे है, उसकी ब्लेंकेट एनओसी दे दी। हर अण्डर ब्रिज के पास में दो मीटर का ड्राफ्ट मिलता है आपको और वहां से निकलता है और वहां से इलेक्ट्रिसिटी की 132 की लाइन निकल गयी तो दो मीटर कम से कम उसको खुद को सुरक्षित रखने के लिए जगह चाहिए। पानी की लाइनें भी उधर जायेंगी क्योंकि आपका निगम का एरिया उधर भी है। बिजली सब-स्टेशंस, पीएचईडी के लिए टंकियों के लिए आवश्यकता, ये आने वाले 50 वर्षों का विजन होना चाहिए, लेकिन इतनी गम्भीरता से विचार नहीं किया।

अण्डरपासेज अभी भी इंटरकनेक्टेड नहीं हुए हैं। जेडी.ए. तो कम से कम कहे कि यह कालोनीज का पानी है, इधर तो नहीं आयेगा लेकिन उनके खुद का पानी है, उसको निकालने के लिए क्या व्यवस्था की है? हमने कोशिश की है, एनएचएआई के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई है लेकिन अभी तक काम कुछ नहीं किया। आर्मी एरिया, अम्बाबाड़ी से लेकर खातीपुरा रोड तक 15-15 फीट आगे बढ़ गया। माननीय वन मंत्री तो विराजमान हैं, आप पहले रेवेन्यू मिनिस्टर भी थे, जरीब और जीपीएस सिस्टम से अगर नापोगे तो नाला आयेगा, और आयेगा तो जरीब तो नीचे भी जायेगी, ऊपर भी आयेगी। सड़कों के लिए छोड़ी गयी पुरानी जमीनें अगर एक बार आर्मी एरिया के अन्दर ले लेते हैं तो बड़ी परेशानी होती है और लेना बहुत मुश्किल होता है। इसका जोइंट सर्वे होना चाहिए। मैंने मुख्य मंत्री जी को पत्र भी लिखा था, लेकिन अभी तक

(श्री नरपत सिंह राजवी)

कोई कार्यवाही नहीं हुई। जेडी.ए. बिना इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप किये 400 कालोनीज तो मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में निगम को सुपुर्द कर चुका है और जब पत्र लिखते हैं तो एक्स.ईएन. का जवाब आता है कि यह एप्रूव्ड कालोनी तो है लेकिन नीतिगत निर्णय लिया जायेगा। एप्रूव्ड कब की है, 15 साल पहले की। इतना वैट कराकर जनता की परीक्षा मत लो।

अरबन एरिया में सीवर लाइन, अब छोटी-छोटी नगरपालिकाओं में सीवर लाइन डल रही है लेकिन सम्पूर्ण जयपुर में नहीं। डेंसिटी आफ पापुलेशन पृथ्वीराज नगर में तो ज्यादा नहीं है, लेकिन हरमाड़ा तो बहुत पुराना गांव है, 35 साल पहले से वाटर स्कीम उनकी चल रही है, तो सीवर लाइन वहां पर भी डल जाये। वह पुराने वाले सिस्टम में तो नहीं जा सकती। कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट जो अमानीशाह नाला में बना है उसके अन्दर उसको कनेक्ट कराने के लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा।

मल्टीस्टोरी बिल्डिंग्स को पीने का पानी। इस पर तो मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी कुछ बोला है लेकिन जो मल्टीस्टोरी बिल्डिंग जे.डी.ए. ने अलाट की है उसका सिस्टम भी डवलप कर दिया, पीने के पानी और बिजली का उनका खुद का देने का था लेकिन सिस्टम में, सर्कुलर में यह डाल दिया कि कामन ट्रीटमेंट प्लांट वे अपना खुद का लगायेंगे। सारा मकान बन गया, बिल्डिंग बन गयी तो अब जगह कहां रह गयी कामन ट्रीटमेंट प्लांट की? 45 ऐसे टावर्स हैं जिनको पीने का पानी उपलब्ध कराया जाये। उसके कारण से जो कंडीशन प्रीसिडेंट है वह कम से कम पूरी होनी चाहिए। सीवर में बिल्डिंग मैटेरियल, इण्डस्ट्रियल वेस्ट डालते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ा भी है लेकिन, सभापति महोदय, पनिशमेंट का कोई प्रावधान नहीं है। 151 में पाबन्द करके उसको मोटर व्हीकल एक्ट में करते हैं, जिसका कोई प्रोविजन नहीं है या ऐसा कोई स्पेशल एक्ट नहीं है। जब तक यह बंद नहीं करवायेंगे और इसका अलग से कोई प्रावधान नहीं करेंगे, सीवर लाइन सिस्टम पूरे राजस्थान में इसी तरह से फ्लाप होता जायेगा। एक बार तो पिछले कालखण्ड में जब माननीय अशोक जी गहलोत मुख्य मंत्री थे तो एक कैमरायुक्त मशीन आयी थी सीवर लाइन में सर्च के लिए, तो गद्दे तक उसमें निकले हैं तो थोड़ा सोशल अवैकनिंग की भी आवश्यकता है, जिसमें हमारे राजनीतिक दलों के सभी साथियों को उसमें को-ओपरेट करना चाहिए।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

प्रशासन शहरों के संग, सभापति महोदय, पट्टे दो तरह के हैं। एक तो प्रि-इंडिपेंडेंस पीरियड के जो स्टेट टाइम के पट्टे थे उन पर तो नाम सक्सेसर्स का होगा, तो उनमें टाइम क्यों लगना चाहिए? जो भी सक्सेसर है वह अधिकृत है और उसी को मिलेगा, दूसरे को तो मिलना नहीं है, लेकिन दबाकर बैठ जाते हैं। अभी जो लीज के पट्टे दे रहे हैं चाहे सोसायटीज के हों, चाहे गवर्नमेंट लैंड के हों, चाहे नियमन के हों, उनमें समय लग रहा है। जिनका 90ए या 90बी 10-10, 15-15 साल पहले हो गया, प्रकाशन भी हो गया, कम से कम उनको कंसोलिडेट कर उन्हें निकाल दें तो कम से कम राशि मिलेगी, आगे जमा भी होती रहेगी। सहभागिता योजना, आपने सीवर लाइन के लिए शुरू की। जहां-जहां सीवर लाइन और डल रही है, उसमें सहभागिता योजना वापस लागू करें। उनको लाभान्वित करने की व्यवस्था करें।

श्री सभापति: कृपया, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति जी, या तो नाम काट देना चाहिये था। मुझे पहले ही बता देते कि सात मिनट ही होगा। would not have spoken.

श्री सभापति: नहीं-नहीं, आपको पूरा 10 मिनट दिया है। जो पार्टी ने दिया है, वही मैं दे रहा हूं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): बाद में तो होता नहीं है। फिर भी, आप नहीं चाहते हैं तो नहीं बोलेंगे, हमें क्या दिक्कत है।

श्री सभापति: आप बोलिये।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मैं कह सकता हूं, जयपुर में एलईडी लाइट लगाने का अभियान चला था और डायरेक्ट्रेट आफ लोकल बाडीज ने एलईडी लाइट का सेन्ट्रलाइज्ड टेण्डर किया था। जयपुर में काम के लिए 2017 के बाद बहुत कम राशि मिली है। यहां पर अब काम नहीं हो पा रहे हैं। पार्षदगण एमएलएज के पीछे पड़ते हैं, जो भी कारपोरेशन है, जो कम्पनी है, काम नहीं कर रही है तो ब्लैक लिस्ट करें। उसके लिए किसी ने रोका थोड़े ही है।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। मैंने पत्र भी लिखा है गृह निर्माण सहकारी समिति के द्वारा एक स्कीम काटी गयी, 1982 में पैसा जमा करा दिया, सिवायचक दर्ज हो गयी, सिवायचक दर्ज होने के बाद में

(श्री नरपत सिंह राजवी)

तहसीलदार जी राज़ी नहीं हुए। उन्होंने जेडी.ए. को लेटर लिखा कि यह जमीन सिवाय चक है, यह एक्विजिशन में रह गयी है। उस खातेदार ने किसी सोसाइटी को बेची थी। उसका असत्य केस बनाकर, हालांकि इसकी खुद की फाइल में यह लिखा हुआ है कि perhaps amount has been deposited in the treasury और शायद यह सरकारी जमीन है। यह खातेदार है, खातेदारी जमीन रही है, इस पर पुनर्विचार होना चाहिये। इस मैटर में मैंने पत्र तो लिखा है, दुबारा भी लिखूंगा ताकि इन समस्याओं का समाधान हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आज मांग संख्या 29 यूडीएच पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, जबसे राजस्थान में अर्बनाइजेशन हुआ और खासतौर से जयपुर शहर में अर्बनाइजेशन हुआ, मुझे बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि सदन में बहुत से नेता आज बोले और सत्तापक्ष के भी बोले, विपक्ष के भी बोले, जयपुर के विधायक भी बोले, लेकिन एक भी आदमी ने कच्ची बस्ती की बात नहीं की। जिस आदमी को सबसे ज्यादा घरौंदे की जरूरत है, मकान की जरूरत है, उसके लिए किसी ने बात नहीं की। आज हम सब देख रहे हैं कि राजस्थान में और जयपुर में जो डवलपमेंट हुआ, ये तीसरा टेन्योर है हमारे यूडीएच मंत्री जी का और मुख्य मंत्री जी का, जब-जब कांग्रेस की सरकार आयी तब-तब कांग्रेस के राज में ही डवलपमेंट हुआ। वरना विकास नाम, गुजरात वाले कहते हैं, विकास तो ढांढो होग्यो, लोगों ने विकास नाम रखना बंद कर दिया, क्योंकि विकास नाम का पर्याय यह हो गया, मोदी जी ने इतनी बार विकास-विकास का नाम बोला कि गुजरात में आवाज लगने लग गयी कि विकास ढांढो होग्यो।

हमारे यूडीएच मंत्री और राजस्थान के मुख्य मंत्री ने अर्बनाइजेशन, कालोनाइजेशन का काम जयपुर शहर में किया। चाहे मसला टनल का हो, चाहे एलिवेटेड रोड का मसला, चाहे ओवरब्रिज का मसला हो, चाहे सेन्ट्रल पार्क का मसला हो। यह जेएलएन मार्ग डवलप हो रहा था। इनके राज में वहां फैसिलिटी की जमीन बेचकर वर्ल्ड ट्रेड पार्क बना दिया और सर्विस रोड पर उसकी पार्किंग

(श्री रफीक खान)

बना दी। मैं यह कह सकता हूं कि जब भी डवलपमेंट का काम जयपुर शहर में हुआ, राजस्थान में हुआ तो कांग्रेस के राज में हुआ।

सभापति महोदय, आपको एक बात और बता दूं कि 1998 में जब कांग्रेस की सरकार पहली बार राजस्थान में आयी तो जिस आदमी का मकान किसी बड़ी पॉश कालोनी में, प्राइवेट कालोनी में था और दो-पांच करोड़ की वैल्यू थी तो एक रुपये का लोन नहीं मिलता था, कोई रेगुलाइजेशन नहीं था। पूरे राजस्थान की हिस्ट्री में अगर मालिकाना हक किसी ने दिया तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने दिया और शान्ती धारीवाल ने दिया, मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने दिया। एक शेर जरूर बोलूंगा उनकी शान में:-

'वो लब कि जैसे साग़र-ए-सहबा दिखाई दे
दरिया में यूं तो होते हैं क़तरे ही क़तरे सब
क़तरा वही है जिसमें कि दरिया दिखाई दे'

इस पर हमारे राजस्थान में जयपुर में डवलपमेंट हुआ। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्री जी को और हमारे यूडीएच मंत्री जी को।

मालवीय नगर से आने वाले विधायक अभी-अभी दुबारा से सदन के अन्दर आये हैं, इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात उठायी। मैं बोल तो कुछ और रहा था, लेकिन इनको देखकर एक बात और बोल देता हूं, इनकी बात का जवाब देता हूं। इन्होंने बीवीजी को ठेका दे दिया, छोटी-छोटी कम्पनियों को ठेका दो। भाई, किसने दिया था ठेका? ठेका देने कौन आया था? आप ही लोग थे ठेका देने वाले, वो पीछे बैठे सांगानेर से आने वाले विधायक, किसकी बात कर रहे हो? आप द्रव्यवती नदी पर बात पूछते हैं, आप बोले कि द्रव्यवती नदी, सभापति महोदय कहते हैं कि द्रव्यवती नदी का 2018 में ठेका समाप्त हो जाना चाहिये, काम सम्पन्न हो जाना चाहिये था। 2018 तक कौन था? कौन था सत्ता में?

श्री सभापति: आप उनसे मत पूछिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): फिर क्यों नहीं हुआ पूरा? किससे सवाल कर रहे हो? पहले खुद में झांककर देखें कि किस काम की बात कर हो और गलतियां कौन कर रहा है?

श्री सभापति: ऐसा है, मेरी बात सुनिये। माननीय सदस्य, आप तो अपनी बात कहिये, आप उनको क्यों बोल रहे हो?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इन्होंने तो गलती की बीवीजी को देकर, अब तो उससे पीछा छुड़वाओ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): किसने ठेका दिया और अभी कौन मीडिएशन कर रहा था?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सन् 2018 और अब 2022 हो गया।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अभी करप्शन का चार्ज, अभी रामलाल जी बोल रहे थे।

श्री सभापति: ये अंकित नहीं होगा।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): करप्शन का चार्ज किस पर लगा?

श्री सभापति: प्लीज, बैठिये ।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): उसका कौन मीडिएशन कर रहा था? यहां कौन मीडिएशन कर रहा था?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप मेरी तरफ बोलिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): इनसे पूछो ग्रेटर नगर निगम के अन्दर कौन मीडिएशन कर रहा था? रामलाल जी ने करप्शन की बात उठायी। इस पर थोड़ी-सी बात बता रहा हूं। एक बात और बता दूं वाल्मीकि समाज की, इन्होंने कहा सफाई कर्मचारी में जनरल कर्मचारी भर्ती कर दिये। क्यों कर दिये और किसने कर दिये? सांगानेर के विधायक बैठे हैं, इन्होंने ही भर्ती किये हैं, सरकारी नियम में रिलेक्सेशन होना चाहिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): भर्ती डीएलबी ने की है। भर्ती नगर निगम नहीं करता है। पहले पूरी नॉलेज लें, पहले जानकारी लें और टेण्डर की भी जानकारी लें, कहां से हुए?

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): ये सही कह रहे हैं, जमीन पर ड्यूटी नहीं करते हैं, सफाई का काम नहीं करते हैं, आफिस में ड्यूटी लगवा लेते हैं। बात सही है, लेकिन भर्ती करने के दोषी ये ही हैं। मैं वाल्मीकि समाज के लिए आवाज उठाना चाहता हूं कि इस सफाई के मामले में भर्ती वाल्मीकि समाज को दी जाये और उनकी ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की बात आये तो उन्हीं के

(श्री रफीक खान)

परिवार में किसी को नौकरी दी जाये, यह उनके लिए आवाज उठाना चाह रहा हूं।

कच्ची बस्ती की बात, शुक्र है आज जयपुर से आने वाले सदन के अन्दर बैठे हैं। कच्ची बस्ती की आवाज एक आदमी भी नहीं उठा रहा है। जयपुर शहर में बहुत सारी कच्ची बस्तियां हैं, अरबन डवलपमेंट पर बहस हो रही है। जवाहर नगर कच्ची बस्ती पूरी फोरेस्ट इलाके में बसी हुई है, उसको डिनोटिफाई किया जाये। वन विभाग को दूसरी जमीन दी जाये, यहां सरकारी अधिकारी भी बैठे हैं और इसको तवज्जो दी जाये। पूरे फोरेस्ट एरिये में, जहां कच्ची बस्तियां बसी हुई हैं, उस एरिये को डिनोटिफाई किया जाये। इन लोगों को रेगुलराइज किया जाये, इन लोगों को आवास दिया जाये, आशियाना दिया जाये। यह मैं सदन से मांग करना चाहता हूं।

आगरा रोड पर बहुत बड़ी आबादी बस गयी है और बहुत समय से इकोलोजिकल के नाम पर वहां एक तरीके से जुल्म हो रहा है, एक्सटोर्शन हो रहा है। कोई भी आदमी अपनी जमीन पर मकान बनाता है तो जे.डी.ए. के अधिकारी वहां तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। सभापति महोदय, मैं सदन में आपके मार्फत मांग करना चाहता हूं कि इकोलोजिकल जोन को वहां से हटाया जाये और बहुत बड़ी लाखों की तादाद में बस चुकी है तो आम आदमी को उनके आशियाने पर कोई रूकावट नहीं हो, उनको मकान बनाने की इजाजत दी जाये। इकोलोजिकल हटेगा तो एक बहुत बड़े वर्ग को, करीब 40-50 हजार मकान वहां बस चुके हैं। मेरी कांस्टिट्यूएंसी में भी, रामगढ़ क्षेत्र में भी और बगरू क्षेत्र में भी, काफी बड़ा एरिया इस इकोलोजिकल के मामले से पीड़ित है, तो मैं यह चाहता हूं कि ये यहां से हटे और उसे न्याय मिले।

कानोता डैम में गन्दा पानी आता है, एसटीपी प्लांट लगा हुआ है, बारिश का पानी हम स्टोर नहीं कर सकते। एसटीपी प्लांट लगा हुआ है वह इनसफिशिएंट है। जितना पानी कानोता डैम में आता है वह ट्रीट होकर नहीं आता है। मेरी रिक्वेस्ट है सदन के मार्फत यूडीएच मंत्री से कि डैम में जो भी पानी आये, सारा ट्रीट होकर के ही पानी डेम के अन्दर जाये जिससे वहां का जो पानी जमीन में जाता है उस पानी की क्वालिटी अच्छी हो।

सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं कि गलता पीठ के ऊपर एक क्यारा डैम था। पानी का स्टोरेशन पहाड़ियों से उधर होता था और

(श्री रफीक खान)

वह पिछले कुछ सालों में टूट गया तो उसका रिनोवेशन कार्य हो, जिससे गलता पीठ के अन्दर जो पानी पहले की तरह आता था गोमुख से, वह पानी आये और पानी का भण्डारण हो। जितना भी पानी बारिश में बरसता है, वह बह करके चला जाता है। सभापति महोदय, मेरी गुजारिश है आपके मार्फत कि उसका रिनोवेशन हो, जीर्णोद्धार हो।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि अभी प्रशासन गांवों की ओर व प्रशासन शहरों की ओर लगाया गया, बहुत अच्छे से इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। मैं बधाई देता हूं मंत्री जी को और माननीय मुख्य मंत्री जी को और मैं यह कह सकता हूं कि जब-जब कांग्रेस की सरकार आयी तब-तब इन्होंने ध्यान दिया और हर तरफ जहां भी जो भी एलिजिबल आदमी मकान बनाकर बैठे थे, पुरखों से मकान बनाकर बैठे थे, पचास-पचास, सौ-सौ साल से मकान बनाकर बैठे थे, लेकिन मालिकाना हक के नाम पर कोई कागज नहीं था।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मुझे खुशी है इस बात की कि उन सबको आज इस कांग्रेस की सरकार ने, मुख्य मंत्री जी ने और यूडीएच मंत्री ने एक ऐसा तोहफा दिया है, मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और इस 30 तारीख को इसकी मियाद खतम हो रही है, इसको बढ़ाया जाये ताकि जो लोग बेनिफिट लेने से रह गये हैं उनको बेनिफिट मिले और सभी लोगों को अपने निवास का पट्टा मिल सके, ऐसी मैं अनुशंसा करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, दूसरी एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि एलईडी की बात अभी विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य हमारे साथी ने की। एलईडी लाइट का प्रपोजल और एलईडी लाइट का जो मॉडल यहां लगा जयपुर शहर के अन्दर, वह 2015 और 2017 के बीच में इन्होंने ही लगाया और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वह मॉडल ही खराब था और उसमें एक ही दिन में सारी लोकल बाडीज को बुला करके, पूरे राजस्थान की लोकल बाडीज को बुलाया जाता है एक ही दिन के अन्दर और एक कम्पनी सत्तर परसेंट सेविंग वाली कम्पनी को काम नहीं दिया जाता, 50 परसेंट, 56 परसेंट सेविंग वाली कम्पनी को काम दे दिया जाता है और उसी का कारण है, यही रीजन है कि वह मॉडल फ्लाप है और कामयाब नहीं है। उसका अगर रीजन किसी के ऊपर है तो सिर्फ इनके ऊपर है।

(श्री रफीक खान)

सभापति महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री जी को और हमारे मुख्य मंत्री जी को कि पृथ्वीराज नगर एक ऐसी स्कीम राजस्थान में जयपुर की है जो बहुत बड़ी स्कीम थी और बहुत वर्षों से डिस्प्युट में चली आ रही थी। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि इन्होंने पृथ्वीराज नगर का सोल्यूशन किया और न केवल सोल्यूशन किया बल्कि उसमें 563 करोड़ रुपये की लागत से वहां पानी की सप्लाई शुरू की, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं और इसमें बहुत अच्छे प्रयास हमारे झोटवाड़ा से आने वाले मंत्री लालचन्द कटारिया जी का रहा और न केवल रेगुलराइजेशन किया, बल्कि पानी की सप्लाई का भी काम किया। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, एक बात और लास्ट में कहना चाहता हूं कि पीछे एक बहुत बड़ा विवाद उठा था, पिछले सदन में जब अपन चर्चा कर रहे थे यहां पर तो एक जोनल डवलपमेंट प्लान की बात आयी थी और मुझे खुशी है कि अब इन्होंने यह कर दिया नये उसमें कि एक लाख से कम आबादी क्षेत्रों में जोनल डवलपमेंट प्लान की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन जिन क्षेत्रों में लागू कर दिया और जहां गलत तरीके से हो गये और कम्पनीज उसमें पकड़ में आ गयीं तो उसमें दुबारा से एग्जामिन करा के दुबारा से कराया जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती शोभारानी कुशवाह।

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 29 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आने वाले शहर धौलपुर के अन्दर एक बहुत ही गम्भीर समस्या है। यह है कि जो नयी बस्तियां बसी हैं उन बस्तियों में बारह महीने पानी भरा रहता है, जिससे जनता बहुत परेशान रहती है। विधायक फंड इतना नहीं होता कि मैं सभी कालोनियों में आरसीसी की रोड बनवा सकूं। इसलिए, सभापति महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि शहर की सभी नयी और पुरानी कालोनियों में जहां आबादी बसी हुई है, उसमें आरसीसी खरंजा कराने का इंतजाम किया जाये जिससे शहरवासियों को मुसीबत का सामना न करना पड़े।

(श्रीमती शोभारानी कुशवाह)

सभापति महोदय, जो शहर में रीको इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं। उनको किसी भी तरह से शुरू किया जाये जिससे शहर के लोगों को रोजगार मिल सके।

सभापति महोदय, जो नयी कालोनियां बसी हैं उनमें आबादी रहती है उनमें पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अभी गर्मी शुरू होने वाली है इसलिए मेरी मांग है कि जिन एरियाज में पानी की समस्या है उन एरियाज में पानी की नयी टंकी बनवायी जाये। मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री हरीश चन्द्र मीना जी।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो ही नगरपालिका आती हैं देवली एवं उनियारा। मैं पहले देवली से शुरू करता हूं जो मेरी मांगें हैं। देवली के मास्टर प्लान एवं पेरीफेरी क्षेत्र में शामिल देवली तहसील के देवली गांव, अम्बापुरा, माधोसिंहपुरा एवं जहाजपुर तहसील के ऊंचा एवं कुलवाड़ा कलां को नगरपालिका क्षेत्र देवली में जोड़ने की अति आवश्यकता है। पिछले सत्र में आदरणीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था और इस विषय में कार्रवाई भी शुरू कर दी गयी है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस कार्य को गति दें ताकि शीघ्रातिशीघ्र यह काम सम्पादित किया जा सके।

सभापति महोदय, इसी तरह से देवली शहर में कोटा चुंगी नाका से चिन्ताहरण बालाजी तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की एवं डामरीकरण करने की मांग करता हूं एवं शहर में डिवाइडर निर्माण एवं डिवाइडर के मध्य विद्युत पोल एवं शहर में सौन्दर्यीकरण कार्य करवाये जाने की मांग करता हूं। देवली शहर को गन्दगी से निजात दिलाने के लिए एसटीपी प्लांट की सख्त आवश्यकता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि अतिशीघ्र देवली शहर में एसटीपी प्लांट की स्वीकृति दें।

इसी तरह देवली नगरपालिका क्षेत्र में खेल स्टेडियम नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि देवली शहर में खेल स्टेडियम का निर्माण करायें एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेल भूमि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अन्य शहरों की तरह देवली में भी हाउसिंग बोर्ड द्वारा आवासीय कालोनी स्वीकृत करने की कृपा करें।

सभापति महोदय, देवली शहर में बढ़ती हुई आबादी के कारण वर्तमान

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

पानी की व्यवस्था कम पड़ रही है इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि दो अतिरिक्त पानी की टंकियों का निर्माण करवायें। देवली शहर में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए मुस्लिम समाज का जो कब्रिस्तान है वह भर गया है, इसके लिए और अतिरिक्त जमीन आबंटन करें एवं नये कब्रिस्तान का निर्माण करवायें। इसी तरह घोसी, ग्वाला, माली मोहल्ला, बंगाली मोहल्ला, गुर्जर मोहल्ला, बैरवा मोहल्ला, तेली मोहल्ला, ब्राह्मण मोहल्ला, वैश्य मोहल्ला, कोली मोहल्ला एवं गाड़िया लोहार मोहल्ला आदि मोहल्लों का नियोजित तरीके से विकास करें ताकि इन लोगों को शहरी सुविधाएं उपलब्ध हों।

सभापति महोदय, देवली के आसपास बड़ी मात्रा में गरीब लोग निवास करते हैं और देवली में कालेज होने के कारण वहां उनके बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि रैगर छात्रावास, धाकड़ छात्रावास, कुमावत कुम्हार छात्रावास एवं मीणा छात्रावास के लिए नि:शुल्क जमीन आबंटित करें।

सभापति महोदय, अब उनियारा क्षेत्र के लिए कहना चाहता हूं। उनियारा नगरपालिका क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, शहर में बरसात के दिनों में पूरा शहर जलमग्न हो जाता है एवं पानी निकासी में बाधा उत्पन्न होती है। अत: पक्के नालों का निर्माण अत्यंत आवश्यक है जिसकी कुल लम्बाई ढाई किलोमीटर है। इसके निर्माण के प्रस्ताव भी नगरपालिका, उनियारा द्वारा स्वायत्त शासन विभाग को भिजवाये जा चुके हैं। उनियारा के आसपास एवं पेरीफेरी क्षेत्र में शामिल खातोली रोड, खातोली पंचायत के गौड़ों की झौपड़ियां, पागड़ी, मोरझाला की झौपड़ियां एवं उपखंड कार्यालय के पीछे खेनिया पंचायत के मीणों की झौपड़ियां, भाटनाड़ा, मालियों की झौपड़ियां, पलाई पंचायत के गांव उनियारा, नाहरा एवं बिलोदा ग्राम की पंचायत के खेली गांव को नगरपालिका क्षेत्र उनियारा में जोड़ने की अति आवश्यकता है।

सभापति महोदय, शहर की मुख्य सड़क के पास स्थित आबादी के ऊपर से 33 केवी की लाइन निकल रही है जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि कामधेनु सर्किल से लेकर कृषि मण्डी तक इस लाइन को हटाया जाना अति आवश्यक है।

वर्तमान नगरपालिका भवन 40 साल से भी ज्यादा पुराना होने के कारण जर्जर अवस्था में है। अत: नया नगरपालिका भवन बनाने के आदेश

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

फरमावें। देवली की भांति उनियारा नगरपालिका क्षेत्र में भी कई गाड़िया लोहार परिवार निवास करते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इनके लिए भूमि आबंटित की जाय एवं देवली की भांति इनके लिए भी एक कालोनी बसाई जाय।

इसी प्रकार उनियारा में भी बहुत सारे गरीब लोग आवास करते हैं जिनके मोहल्लों की स्थिति खराब है। इस क्रम में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कुशवाहा मोहल्ला, माली मोहल्ला, मुस्लिम मोहल्ला, बैरवा मोहल्ला, हरिजन मोहल्ला, आदि क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर सुनियोजित विकास कराने की कृपा करें।

अंत में, उनियारा में एक गवर्नमेंट कालेज है, गर्ल्स कालेज अभी सरकार ने स्वीकृत की है। वहां बाहर के आस पास के बहुत सारे छात्र-छात्राएं पढ़ने के लिए आयेंगे, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन गरीब छात्रों की शिक्षा के लिए बैरवा छात्रावास एवं मीणा छात्रावास के लिए नि:शुल्क भूमि प्रदान करने की कृपा करें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सूचना

डग में छात्र पर हमले व मृत्यु प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई

श्री कालूराम (डग): सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक हर्ष नाम का लड़का, उम्र 19 वर्ष...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के लिए पहले आपको नोटिस देना चाहिये था। बोलिए आप।

श्री कालूराम (डग): उसको आडियो पर कई बदमाशों ने धमकी दी। धमकी के बाद उसने ऑडियो वायरल किया। थाने में जाकर उसने आडियो सुनाया। धमकी के बाद उस लड़के को इतना पीटा कि उसको कोटा अस्पताल में रैफर किया गया और दो-दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। थाने वालों ने उन अपराधियों को 151 तक में पाबंद नहीं किया। यह कौनसी कानून व्यवस्था है? माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं मांग करना चाहता हूं कि ऐसे दोषी अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करें। उसने आडियो डिप्टी और थानेदार को सुनाया, उसके

(श्री कालूराम)

बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और हर्ष की 14 तारीख को मौत हो गई। इससे उसका पूरा परिवार दु:खी है, क्षेत्र में बड़ी स्थिति खराब है। आपकी कानून व्यवस्था बिलकुल बिगड़ चुकी है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, आपकी सरकार बिलकुल विफल है। इस पर आप तुरंत कार्रवाई करें, दोषी अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही करें।

श्री सभापति: आपकी बात राज्य सरकार के नोटिस में आ गई है। श्री नारायण बेनीवाल।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 29 पर विचार

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज शहरी क्षेत्रों में आबादी लगातार बढ़ रही है। भारत में नगरीय विकास की प्रक्रिया में जहां एक ओर नगरों की भौतिक संरचना एवं जीवन की गुणवत्ता को समृद्ध किया है, वहीं दूसरी ओर विविध समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। मसलन अपराध, मलीन बस्तियों की वृद्धि, अत्यधिक जनसंख्या का केन्द्रीयकरण, निर्धनता, कूड़े-कचरे के निस्तारण की समस्या, इत्यादि। माननीय सभापति महोदय, आज नगरों की तरफ लोगों का रुझान तेज गति से बढ़ा है। नगरीय क्षेत्रों में भू-माफिया भी ज्यादा हावी हुए हैं। कई खसरों पर कालोनियां काट दी गईं, जहां पर अनिवार्य सुविधाओं को दरकिनार कर दिया गया। कालोनियों में पार्क की जगह पर प्लाट काट दिये गये। कई जगह तो रास्तों को भी प्लाट के रूप में बेच दिया और कई जगह नगरीय निकायों में बैठे जिम्मेदारों ने उन भूखण्डों को रूपान्तरित कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पत्रिका के प्रधान सम्पादक श्री गुलाब कोठारी द्वारा दायर जनहित याचिका गुलाब कोठारी बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना के अनेक प्रकरण सामने आ रहे हैं, जिससे समस्त शहरों का मास्टर प्लान अस्त-व्यस्त हो गया है। माननीय सभापति महोदय, गृह निर्माण सहकारी समितियों के खिलाफ 10 हजार से अधिक एफआईआर दर्ज हैं लेकिन किसी पर भी ठोस कार्रवाई नहीं

(श्री नारायण बेनीवाल)

होने से लोग सरकार के प्रति नकारात्मक हो रहे हैं। वहीं बैक डेट के पट्टों को सरकारी संरक्षण प्राप्त होने से शहरों में सहकारिता आंदोलन को बहुत बड़ी बदनामी झेलनी पड़ी।

माननीय सभापति महोदय, अभी पृथ्वीराज नगर की बात भी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कही थी। पृथ्वीराज नगर योजना में अफसरों और नेताओं की सांठगांठ ने किसानों को बरबादी की कगार पर लाकर छोड़ दिया जो हम सबके लिए चिंता का विषय है। इसके लिए कोई ठोस कार्ययोजना किसान हित में बनायें तो निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश समाज में जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, सीकर के नानी गांव का मामला रोज अख़बार की सुर्खियों में आता है। सीकर शहर का गंदा पानी नानी गांव में जा रहा है और गांव के लोगों का जीवन दूभर हो गया है। इसके अलावा गंगानगर में L&T कंपनी के द्वारा सीवरेज और पेयजल की योजनाओं में जो काम किया गया है, उसको लेकर शहर बचाओ संघर्ष समिति काफी दिनों से वहां धरना प्रदर्शन कर रही है। जब मंत्री जी जवाब दें तो उनसे ऐसे मामलों में तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई का कोई न कोई आश्वासन हम चाहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, इस सदन में जब कोई विधायक प्रश्न पूछता है, मुख्यमंत्री जन आवास योजना से संबंधित मेरा एक बहुत बड़ा प्रश्न था, इसमें पूरा का पूरा एक असत्य का पुलिंदा एक माननीय विधायक को उपलब्ध करा दिया गया। माननीय मंत्री जी विराजमान हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर निश्चित रूप से दिलाना चाहूंगा कि जयपुर में बिल्डरों ने गलत फायदा उठाकर मुख्यमंत्री जन आवास योजना में राजावास ग्राम के खसरा नंबर 570, 571, 572 की कुल रकबा 26067.92 स्क्वायर मीटर पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत एकल पट्टा प्राप्त कर श्याम अपार्टमेंट के नाम से गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की सरकारी मंशा के विरुद्ध जाकर आमजन के साथ धोखाधड़ी करते हुए घालमेल किया गया है। इस पूरे प्रकरण में मुझे गलत जानकारी दी गई। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस पूरे प्रकरण को आप देखकर, गरीब लोगों को मुख्यमंत्री जन आवास योजना से लाभान्वित करने की जो योजना थी, जो भ्रष्टाचार की भारी भेंट चढ़ गई। उस पर निश्चित रूप से आप कोई कार्रवाई करें।

माननीय सभापति महोदय, आज अगर नगरपालिका, नगर परिषदों की

(श्री नारायण बेनीवाल)

बात करें तो कस्टोडियन लैंड का बहुत बड़ा मुद्दा सब जगह है। कस्टोडियन लैंड पर वहां के भू-माफियाओं ने कब्जे कर रखे हैं। इसमें बहुत सारे लीगल आस्पेक्ट भी हैं, कानूनी प्रक्रिया अपनाकर इस पर कोई कार्ययोजना बने ताकि जो भू-माफिया नगरपालिका और नगर परिषद् में पनप रहे हैं, उन पर कहीं न कहीं लगाम लगे।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूंगा कि मेरे नागौर जिले को अमृत सिटी के रूप में चयनित किया गया, लेकिन आज भी पानी के लिए वहां की जनता तरस रही है। हमें कहीं से भी नहीं लगा कि उस सिटी को हम अमृत सिटी कहें।

माननीय सभापति महोदय, अब्दुल रहमान प्रकरण, जिससे नागौर का आधा शहर प्रभावित है, क्योंकि यह बहुत पुराना प्रकरण है, इस पर भी सरकार को कोई योजना बनाकर नागौरवासियों को राहत देने का काम करना चाहिये।

नागौर शहर में पिछले 3-4 साल से दो ओवरब्रिज का काम चल रहा है, लेकिन कछुआ चाल से विकास रेंग रहा है। इसे भी सरकार रोड मैप बनाकर तय सीमा में पूरा करे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से नागौर के विजय वल्लभ चौराहे से कालेज रोड होते हुए मानासर तक डिवाइडर बनाकर सड़क की चौड़ाईकरण की मांग भी माननीय मंत्री जी से करना चाहूंगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में आने वाले कुचेरा की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। कुचेरा के नागौर बाईपास सड़क से भैंरू जी के मंदिर होते हुए, बस स्टैण्ड से पुलिस थाना होते हुए भूटाडी की तरफ बाईपास पर सड़क पर डिवाइडर लगाकर सड़क को चौड़ा किया जाय व रोड लाइटें लगाई जाएं। कुचेरा में ढाणियों में पानी की समस्या को पाइप लाइन डालकर दूर किया जाय। कुचेरा की लाइफ लाइन माने जाने वाला सबसे पुराना रामसर, कोटेला और नीमला तालाब, जो अभी उपेक्षित है, वहां शहर का सारा गंदा पानी आता है क्योंकि वहां ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं है और न ही वहां सीवरेज की सुविधा है। यह सारा गंदा पानी इन तालाबों में जा रहा है, इसके लिए भी कोई ठोस कार्ययोजना की मांग मैं माननीय मंत्री जी से करूंगा।

लालगिरी बाबा का स्थान, जहां लालगिरी बाबा की जीवित समाधि है, पूरे कुचेरा के लिए वह आस्था का स्थल है। उनके मंदिर के लिए, वन मंत्री जी

(श्री नारायण बेनीवाल)

अभी विराजमान थे। वन विभाग की भूमि पर इनकी समाधि है, डि-फोरेस्ट में मैं इनको जमीन के अलाटमेंट की मांग करूंगा।

कुचेरा व मूंडवा नगरपालिका में सीवरेज व ड्रेनेज हेतु रोड मैप बनाकर समस्या का समाधान करावें। साथ ही कुचेरा व मूंडवा नगरपालिका क्षेत्र में बड़े कम्युनिटी सेंटर व आडिटोरियम तथा खेल स्टेडियम के निर्माण की घोषणा सरकार करे। बाजार में आवारा घूमते पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए कुचेरा व मूंडवा में नंदी शाला और कांजी हाउस खोलने की मांग भी मैं मंत्री महोदय से करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आरटीआई के तहत हजारों आवेदन विभिन्न नगरपालिका और नगर परिषदों में पेंडिंग पड़े हैं, उस पर भी कोई ठोस कार्ययोजना बने। प्रतिबंधित भूमियों पर नागौर नगर परिषद् द्वारा पट्टों की जानकारी हमने पत्रों के माध्यम से कई बार दी, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि नागौर शहर की 300 करोड़ की जमीन भू-माफियाओं ने दबा ली। स्थानीय पुलिस ने उनको दोषी माना लेकिन एसओजी जैसी संस्था, जिसको हम बहुत रेपुटेडेट संस्था मानते हैं, उस प्रकरण में एफआर लगा दी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करूंगा कि ऐसे मामलों में तुरंत संज्ञान लें। एक तरफ तो हम एक एक रुपया बचाकर सरकार में राजस्व की प्राप्ति की बातें करते हैं और ऐसे एक-एक नगरपालिका और नगर परिषद् क्षेत्र में हजारों करोड़ की जमीनें यदि भूमि-माफियाओं ने दबा लीं तो हमें कहीं न कहीं इसके ऊपर कार्ययोजना बनानी होगी।

(समय: 16.00 बजे)

श्री सभापति: कृपया कन्क्लूड करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, अम्बूजा के प्रदूषित धुएं के कारण प्राचीन तालाबों, मूण्डवा के ज्ञान तालाब का सौंदर्यीकरण खराब हो गया है। उसके ऊपर भी मैं माननीय मंत्री जी से कोई आश्वासन चाहूंगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने 5 सितम्बर, 2019 को शिक्षक दिवस के अवसर पर बिड़ला सभागार में प्रदेश के राज्यीय और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित शिक्षकों को रियायती दर पर भूखण्ड अथवा फ्लैट देने की जो घोषणा की थी और 15 अक्टूबर, 2019 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने ट्विटर

(श्री नारायण बेनीवाल)

हैंडल पर भी इसे स्वीकृति देने की बात कही थी, वह आज तक पूरी नहीं हुई। मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि इस मामले में कोई न कोई ठोस कार्ययोजना बनाकर लोगों को न्याय दें। हम सबका यही प्रयास है कि हमारे शहर सुन्दर हों। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री धर्मेन्द्र कुमार।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय सभापति जी, आपने नगर आयोजना और प्रादेशिक विकास की मांग संख्या 29 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, जब ग्राम पंचायतें बनती थीं तो यह कल्पना की जाती थी कि हमारा क्षेत्र नगरपालिका में आये, नगरपालिका बने और अधिक सुविधा मिले, परन्तु इन वर्षों में जो नगरपालिकाओं का हाल हो रहा है, वह किसी से नहीं छिपा है। प्लान तैयार नहीं होते, प्लानिंग विभाग ध्यान नहीं देता। जो कल्पना खूबसूरती की होती थी, वह आज नर्क और गर्त की तरफ जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि प्रत्येक नगरपालिका में गन्दे पानी की निकासी के लिए प्लान होना चाहिये, सड़कों का प्लान होना चाहिये और उस शहर की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में क्लियर हो जाना चाहिये कि सारा गन्दा पानी यहां इकट्ठा हो रहा है, यहां ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाकर यह बाहर निकाला जा सके, परन्तु आज ऐसी स्थिति नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीलीबंगा व रावतसर नगरपालिका में फल व सब्जी वाले, जो रेहड़ी लगाकर रोड पर बैठे हैं, जिसके कारण आये दिन एक्सीडेंट होते हैं, उन लोगों को नगरपालिका स्थान उपलब्ध कराये, ताकि वे लोग वहां पर अपना स्थायी धन्धा कर सकें।

साथ में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं में जो सफाई कर्मचारियों की भर्तियां हुई थीं, उन भर्तियों को आम आदमी के लिए खोल दीं, पर एक वाल्मीकि समाज का व्यक्ति जो सफाई का काम करता है, उसे उसके अधिकारों से वंचित कर दिया और उसकी जगह पर अन्य समाज के लोग ले लिए। ले लिए, उसकी कोई बात नहीं है, परन्तु जो अन्य समाज के लोग गये थे, उन्होंने कभी भी सफाई का काम नहीं किया। बाद में उल्टे-सीधे किसी तरह से अपना प्रमोशन कराकर वे बाबू बन गये, परन्तु आज वह सफाई कर्मचारी आम आदमी की तरफ देख रहा है। इसलिए भविष्य में कोई ऐसी नियुक्ति हो

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

तो वह वाल्मीकि समाज के सफाई सेवकों के लिए होनी चाहिये, ताकि वह परिवार अपना भरण-पोषण कर सके।

सभापति महोदय, नगरपालिका अधिनियम, 2009 के आधार पर एक कैलेण्डर वर्ष में नगरपालिका की 6 साधारण बैठकें होनी चाहिये, परन्तु आज नगरपालिका अधिनियम को धता बताकर उनकी धज्जियां उड़ायी जा रही हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की दोनों नगरपालिकाओं, पीलीबंगा व रावतसर में 2021 के बाद एक कैलेण्डर वर्ष में बजट बैठक सहित मात्र तीन साधारण बैठकें हुई हैं। मेरे द्वारा यह मामला स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक के ध्यान में भी लाया गया है, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके कारण से प्रदेश में चुने हुए नगरपालिका सदस्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि नगरपालिका को बाध्य करें कि जितनी मीटिंगें हो सकें, वे करें, ताकि शहर का विकास हो सके।

इसके साथ-साथ मेरे शहर में पीलीबंगा और रावतसर में पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जब बरसात आती है और 5 एमएम बारिश होती है तो 48 घंटे बाजार बंद रहता है। उससे पहले चार करोड़ रुपये की एक योजना बनी थी, वह योजना भी ऐसे कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा बनायी गयी, जिसके कारण से आज भी पानी की निकासी नहीं हो रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि पीलीबंगा और रावतसर शहर में पानी निकासी की स्थायी व्यवस्था करें, ताकि शहर में कोई स्थिति नहीं बिगड़े क्योंकि हर बार बिगड़ती है। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि एक कमेटी का गठन करके प्रदेश में जहां-जहां इस तरह के निकाय हैं, वहां पर प्रपोजल तैयार करें और बरसाती पानी की व्यवस्था के बारे में सोचा जाये और उसके निकासी की बात की जाये।

सभापति महोदय, नगर निकायों में टेण्डर प्रकिया में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नगर निकायों में सरकारी मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग कर टेण्डर प्रक्रिया में खुला भ्रष्टाचार किया जाता है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा 5 लाख रुपये से नीचे के टेण्डर ऑफलाइन प्रक्रिया से करने की शक्तियां स्थानीय निकाय को दे रखी हैं, जिससे स्थानीय निकाय द्वारा खुला भ्रष्टाचार किया जा रहा है और नगर निकाय के अध्यक्षों द्वारा अपने चहेतों को काम दिया जा रहा है। प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत होने के बाद मेरे विधान सभा क्षेत्र के निकायों द्वारा जो कार्य बोर्ड की बैठक की अनुमति से किये जाने थे, उन्हें

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

एम्पावर्ड कमेटी में लेकर खुला भ्रष्टाचार किया गया है। बोर्ड की बैठक में 25 लाख से ऊपर के कार्य स्थानीय निकाय द्वारा हो सकते हैं, परन्तु बोर्ड की बैठक में ही यह नहीं हुआ तो कार्य किस प्रकार करवाये जा रहे हैं?

सभापति महोदय, एक जिले के विभिन्न निकायों द्वारा एक जैसी सामग्री के विभिन्न प्रकार के मूल्य संवेदकों को दिये जा रहे हैं। मैं राज्य सरकार द्वारा मांग करना चाहता हूं कि अलग-अलग नगरपालिकाओं में हर सामान के अलग-अलग रेट हैं, पर एक जैसा सामान हो तो पूरी नगरपालिका में एक जैसी ही रेट होनी चाहिये। ऐसी कमेटी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनायी जाये, उसकी जांच करायी जाये।

सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि हनुमानगढ़ बहुत बड़ा जिला है, यह हनुमानगढ़ जंक्शन और हनुमानगढ़ शहर, दो भागों में बंटा हुआ है इसलिए हनुमानगढ़ में यूआईटी की स्थापना की जाये। जिस तरह से 90-ए और 90-बी पंचायतों और नगरपालिकाओं में दी जाती हैं, हर प्रकार से उसका टैक्स वसूल करके और अपने मापदण्ड पूरा करके मूलभूत सूविधाएं दी जायें।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। बच गया हो तो टेबल कर दें।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): एक मिनट साहब।

आरयूआईडीपी का एक प्लान है जो कि नगरपालिका पीलीबंगा में मंजूर हुआ था, उसकी डीपीआर भी बन चुकी है, जो 142 करोड़ की योजना बनी है, वह लागू नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि आरयूआईडीपी की योजना लागू की जाये।

इसके साथ-साथ नगरपालिका के पास जो वन भूमि है, वहां 20-30 सालों से लोग बस गये हैं, उस भूमि के लिए नगरपालिका को पट्टा देना चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गोलूवाला निवादान व गोलूवाला स्यागन बहुत बड़ी पंचायतें हैं, उन दोनों को मिलाकर वहां पर बहुत बड़ा कस्बा बन गया है, वहां पर धान मण्डी भी है, वहां पर उप तहसील भी है, थाना भी है, गोलूवाला निवादान और स्यागन को नगरपालिका बनाया जाये।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): रावतसर में एक छोटी दमकल है, उसकी जगह पर बड़ी दमकल दी जाये। पीलीबंगा और रावतसर में गाड़िया लोहार व एस.सी., एस.टी. को मकान की व्यवस्था की जाये।

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

इसके साथ ही मैं अन्तिम बात कहना चाहता हूं कि कालिया गांव में पाकिस्तान से कुछ नागरिक काफी साल पहले आये थे। वे जूती बनाने का धन्धा करते हैं और उनको नागरिकता भी मिल गयी है। यूआईटी गंगानगर उनको पट्टा नहीं देना चाहती है। उसकी फाइल मंत्री महोदय आपके पास पड़ी है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): मेरा आपसे निवेदन है कि उन आदमियों को उस फाइल में छूट देकर पट्टा दें, ताकि वे पाकिस्तान से आये हैं और वे यहां पर बस सकें। यूआईटी ने फाइल आपके यहां भेज दी है, उसकी स्वीकृति करें, ताकि लोग बस सकें। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिका में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच के लिए अलग से कमेटी बनायें, ताकि नगरपालिका कोई मनमर्जी न करे। जय भारत। जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं दो मिनट में मेरी बात सम्पन्न करुंगा। मंत्री महोदय, मैंने बार-बार मांग की है कि तहसील स्तर पर पार्टी कार्यालय खोलने के लिए आप जगह उपलब्ध करवायें, ताकि लोग अपने राजनीतिक विचारों को मजबूत कर सकें। मैं तो मेरी पार्टी का दफ्तर चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपको कौनसी पार्टी के लिए चाहिये? सभापति महोदय, पूछो कि कौनसी पार्टी है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सीपीआईएम के लिए चाहिये। हनुमानगढ़ में सीपीआईएम का दफ्तर बनना है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, नगर आयोजना और प्रादेशिक विकास पर बोलने के लिए आप खड़े हुए हैं।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सर, दफ्तर शहर में चाहियेगा न। नगरपालिका ही दे सकती है या नगर परिषद् दे सकती है।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे शहर भादरा में बरसाती पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे लोगों के घर डूब जाते हैं, इसलिए ड्रेनेज से पानी बाहर निकालने की जो कार्ययोजना हमने भेजी है, उसे सरकार स्वीकृत करे। सभापति महोदय, हमारे यहां पर नगरपालिका क्षेत्र में, तीन साल

(श्री बलवान पूनियां)

पहले जब मैं विधायक बनकर आया था, विधान सभा में मेरा प्रश्न भी लगा और सीवरेज का काम भी तेजी से हुआ, 80 फीसदी काम भी कम्पलीट हो गया, उसमें एक निवेदन है कि रुडसिको काम कर रही है। सात वार्डों में काम पहले रावेल ने किया था, रावेल ने सीमेंट के दूसरे वाले पाइप डाले हुए हैं, जिससे वाटरवर्क्स की पाइपलाइन में और उस पाइपलाइन में घालमेल हो जायेगी, वे पाइप टूट हुए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि रावेल पाइप हटाकर नये तरीके से सीवरेज का काम रुडसिको को दिया जाये।

सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि भादरा शहर में पानी की समस्या है। 15 दिन तो मीठा पानी आता है और 15 दिन कुएं का पानी आता है। कार्ययोजना बनी हुई है, सरकार को स्वीकृति देनी है। दूसरे गांव में स्टोरेज की कार्ययोजना भी बनी हुई है, जिससे सिद्धमुख नहर से भी पानी 15 दिन में मिलेगा जिससे शहर के लोग खारा और मीठा मिक्स पानी नहीं पीयेंगे, सदा मीठा पानी पीयेंगे। जल जीवन मिशन में जो गांवों में काम चल रहा है, उसी तरह का आनन्द शहर के लोग भी ले पायें।

सभापति महोदय, शहर में जो प्राइवेट कालोनियां बसी हुई हैं उन कालोनियों में सारे काम कम्प्लीट हो गये, लेकिन वाटरवर्क्स विभाग उनको कनेक्शन नहीं दे रहा है, जिससे वे प्यासे मर रहे हैं। सारी जगह पर बढ़िया पानी जा रहा है, लेकिन शहर में प्राइवेट कालोनियां बस गयीं, उन्होंने कालोनी का ढांचा तो ढंग से तैयार कर लिया, लेकिन ये पूरे राजस्थान की समस्या है, अकेले भादरा की नहीं, इसलिए मेरा निवेदन है कि उनके पानी के कनेक्शन किये जायें। पानी की प्राथमिकता सबसे पहले है।

सभापति महोदय, मेरे साथी, जो कि डूंगरगढ़ से आते हैं, उनके शहर में भी पानी निकासी की समस्या है, उस समस्या के लिए उन्होंने बार-बार मांग भी उठायी है, लेकिन अभी समाधान नहीं हुए। उनकी सीवरेज से सम्बन्धित और ड्रेनेज से सम्बन्धित समस्या और उनके क्षेत्र की मांग को मैं टेबल करना चाहूंगा।

(माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़) के सदन पटल पर रखे वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-02 देखें)

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी थोड़े दिन पहले मैं उदयपुर शहर गया था, वहां मुझे स्ट्रीट वेंडर मिले। उन्होंने कहा कि शहर की सफाई के नाम पर, चौड़ाईकरण के नाम पर हमारी रेहड़ियां हटा दीं, किया कुछ भी नहीं। उनकी रेहड़ियों को वापस लगाने की इजाजत दी जावे।

(श्री बलवान पूनियां)

सभापति महोदय, लास्ट में मेरी बात कहना चाहता हूं। जब हम पहले सफाई समिति की बैठक में बैठे थे, उस समय सफाई पर चर्चा हुई तो बीवी. जी. कंपनी का नाम आया। मैं जयपुर में गांधी नगर में रहता हूं। वहां से सुबह जब विधान सभा आते हैं तो पुलिया के पास कचरे का ढेर लगा होता है। जब निकलना चाहते हैं विधान सभा क्षेत्र के लिए रेलवे स्टेशन के पास, जहां पर्यटक भी आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, अन्दर से रेलवे स्टेशन साफ है, जयपुर साफ-सुथरा दिखता है, लेकिन रेलवे स्टेशन के पास इतनी गन्दगी है जिसका कोई अन्दाजा नहीं है। ये बी.वी.जी. कंपनी क्या कर रही है? तीन साल में अभी उसका जाप्ता नहीं हो पाया। मैं मंत्री महोदय और अधिकारीगण से आपके मार्फत कहना चाहता हूं कि यह जयपुर शहर जो जगह-जगह सडांध मार रहा है, इसको ठीक करने का काम करें और बी.वी.जी. कंपनी की लूट को ठीक करें।

सभापति महोदय, स्ट्रीट लाइट की समस्या है। यह समस्या भी इसी तरीके से है। स्ट्रीट लाइटों की भी यही हालत है। आज लाइट लगायी, दूसरे दिन लाइट खराब हो गयी, फिर उसको कोई रिप्लेस नहीं करता। इसलिए उस पर भी ध्यान दिया जाये। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे शहर साफ-सुथरे होंगे। जयपुर जैसे शहर में पर्यटक घूमने आएंगे। इस शहर की ओर, सफाई की तरफ ध्यान दिया जायेगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्रीमती कल्पना देवी।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): सभापति जी, पहले मैंने टेबल कर दिया था। उसे मैं वापस लेती हूं।

श्री सभापति: कोई बात नहीं। दो मिनट, तीन मिनट बोल लीजिए आप।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय सभापति जी, आपने मुझे मांग संख्या 29 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। हमने कल ग्रामीण विकास की मांग पर चर्चा की। यहां मेरे कई साथी विधायकों ने गांव से शहर की ओर पलायन की बात की, जिसमें रोजगार एवं मूलभूत सुविधाओं के अभाव मुख्य कारण बताये गये। अब ये मूलभूत सुविधाएं क्या हैं? मेरा मानना है कि सड़क, बिजली, पानी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हर नागरिक का हक हैं। दु:ख की बात है कि आज की मांग में इन्हीं मूलभूत

(श्रीमती कल्पना देवी)

सुविधाओं से वंचित कोटा स्मार्ट सिटी में शामिल मेरी विधान सभा लाडपुरा के शहरी क्षेत्र की समस्या पर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। इस उम्मीद से आग्रह करती हूं कि इनका समाधान हो।

माननीय सभापति जी, पानी के विषय में मैं कहना चाहती हूं कि हम चम्बल के किनारे बसे हैं, परन्तु छावनी जो क्षेत्र है, जो कि कोटा के हार्ट आफ द सिटी में बसा है, वहां की महिलाएं रात के दो बजे उठकर पानी भरने का काम करती हैं। कई बार तो उनको मन्दिर में जाकर पानी भरना पड़ता है। यहां पानी का प्रेशर इतना कम है कि मोटर चलाए बिना ऊपर की मंजिल में पानी नहीं मिलता है। मोटर चलाने की वजह से उनके बिजली के बिल भी अनाप-शनाप बढ़कर आ रहे हैं। छावनी में ऐसी भी गलियां हैं, जहां एक गली आगे और एक गली पीछे तो पानी की पाइप लाइन डाली हुई है परन्तु बीच में गली छोड़ी हुई है। यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसे प्लान किया गया है। ऐसे ही जब गली छोड़ी गयी है तो उधर सी.सी. का कार्य करना है, वह भी रुका हुआ है कि बस, जब उस गली में पाइप लाइन डल जाए तो फिर सी.सी. का कार्य किया जायेगा।

लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में अनेक अनुमोदित, लगभग 226 एवं गैर अनुमोदित कालोनियां हैं, जिनमें पानी की पाइप लाइन या सड़क बिलकुल ही नहीं हैं। ऐसी बहुत्सी कालोनियां हैं जैसे जयश्री विहार, आदर्श नगर का आधा हिस्सा, मोती नगर, प्रताप नगर, अल्फा नगर, अटवाल नगर बहुत सारी कालोनियां हैं। मैं सब का नाम नहीं लूंगी क्योंकि समय का अभाव है। यहां कोई पाइप लाइन के काम नहीं किये गये हैं और सड़क कार्य का भी अभाव है। क्षेत्र की कई कालोनियों में फ्लोराइडयुक्त पानी मिल रहा है। इतना फ्लोराइड है कि दीवारों में नमक जैसी पपड़ी आ रही है। आप सोच सकते हैं कि वहां की जनता के शरीर के अन्दर कितना नुकसान हो रहा होगा।

शहर में एक ओर महत्वपूर्ण सुविधा सफाई की है। जिस तरह वार्ड का पुनर्गठन किया गया है, उसमें मैं नहीं जाना चाहती हूं परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि बड़े वार्ड में केवल दो या तीन टीपर ही दिये गये हैं। ऐसे ही एक वार्ड, कोटा नगर निगम उत्तर में वार्ड नंबर 19 की बात करूं तो वहां का लगभग क्षेत्रफल 25 किलोमीटर होगा, वहां की जनता लगभग 20 या 25

(श्रीमती कल्पना देवी)

हजार होगी। वहां लगभग 22 कालोनियों के अलावा 8 बड़े गांव हैं, जैसे अर्जुनपुरा, दशलाना, मंडानिया, मानपुरा आदि, यहां केवल तीन टीपर चल रहे हैं और सफाई कर्मचारी केवल 5 हैं। ऐसे में हम क्या उम्मीद करें कि यहां की सफाई कैसे की जायेगी? ऐसे ही कोटा के दक्षिण नगर निगम में वार्ड नंबर 16 में दो ही टीपर हैं, कोटा दक्षिण के वार्ड नंबर 19 में भी केवल दो ही टीपर हैं। ये कैसी व्यवस्था है?

सभापति महोदय, नालों की बात करें तो लाडपुरा में लगभग 36 बड़े और लगभग 60 छोटे नाले हैं। इन नालों द्वारा गन्दे पानी एवं बरसात के पानी का निकास होता है। कई नालों की स्थिति तो जर्जर हो रही है और कई में अतिक्रमण हो चुके हैं। प्रगति स्कूल के सामने नाला टूटा हुआ है। यहां बच्चों के गिरने का खतरा भी बन रहा है। देवली अरब के नाले की बात करें तो इससे लगभग 40 कालोनियां एवं 6 गांव प्रभावित होते हैं। निवेदन है कि यह जो नाला है यह कंसुआ एवं रायपुरा से आने वाला नाला है, जो कि रायपुरा तक यह नाला शुरू में तो सौ फीट चौड़ा है परंतु जब यह देवली अरब तक पहुंचता है तो सिकुड़ कर दस फीट ही रह जाता है। इन नालों की सफाई के ठेके बरसात के पहले दिये जाते हैं, परन्तु इनकी सफाई न तो समय पर होती है और न ही पूरी तरह की जाती है। अगर इस पर हम ध्यान दें कि इनकी मरम्मत हो जाये और इनकी सफाई सही समय पर हो जाये तो कई कालोनियां बरसात में जलमग्न होने से बच जायेंगी। जगह-जगह सीवरेज का काम चल रहा है और सड़कें खुदी हुई हैं। मैं आपके माध्यम से इन सड़कों को जल्दी से जल्दी ठीक करवाने की मांग करती हूं। इसके साथ ही मैं बजरंग नगर, बोरखेड़ा एवं डी.सी.एम. क्षेत्र में श्मशान भूमि एवं सामुदायिक भवन के लिए भूमि आबंटन करने की मांग करती हूं। उनको बनाने के लिए मैं विधायक कोष से पैसा दे दूंगी, मंत्री जी, परन्तु आप जमीन आबंटन करा दीजिए।

माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कोटा में जगह-जगह सौन्दर्यीकरण का काम किया जा रहा है, इसी के सन्दर्भ में रायपुरा चौराहा के सौन्दर्यीकरण की भी मैं मांग करती हूं। वार्ड्स में स्ट्रीट लाइट नहीं होने के कारण महिलाएं असामाजिक तत्वों के कारण अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। आये दिन शहर में चोरी और चाकूबाजी की वारदातें सामने आती हैं। स्ट्रीट लाइट लगाने से ऐसी गतिविधियों में लगाम लग सकती है।

(श्रीमती कल्पना देवी)

मेरे द्वारा निगम से लाइट की मांग की गयी है, परन्तु आज तक एक भी लाइट नहीं मिली है।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए, प्लीज।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): कई जगह ऐसी रोड्स हैं, जहां खंबे तो लग गये, परन्तु आज तक लाइट का इंतजार हो रहा है। सरकार पट्टे बांटने का काम कर रही है। मेरे क्षेत्र में श्रीराम नगर कालोनी में 1983-84 में तो पट्टे दिये गये हैं लेकिन अब उसी क्षेत्र को डूब क्षेत्र मानते हुए पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं। इस पर भी अगर मंत्री जी थोड़ा ध्यान दें तो इनके भी पट्टे मिल जायेंगे।

माननीय मंत्री जी मेरे पड़ोसी हैं, विधान सभा क्षेत्र में भी पड़ोसी हैं और हमारा निवास भी पड़ोस में है। कहते हैं कि आवाज दो तो पड़ोसी सबसे पहले मदद के लिए आता है। माननीय सभापति जी, यह केवल मेरी आवाज नहीं है, मेरे क्षेत्र की जनता की आवाज है जो मैं आपके माध्यम से सदन में बोल रही हूं।

श्री सभापति: यह तो एक्स्ट्रा फेवर लेने की बात हो गयी।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): उम्मीद करती हूं कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री सुरेश टाक।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29 - नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी को, माननीय मंत्री महोदय को, प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू करके आपने जो राहत प्रदान की है लोगों को, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

श्री सभापति: आपके पास सात मिनट का समय है।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): जी सर, सात मिनट।

साथ ही समय-समय पर आपने परिपत्र निकालकर जहां-जहां भी असुविधा हुई है वहां आपने सुविधा करके लोगों को राहत प्रदान की है।

मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, नगर परिषद् किशनगढ़ में कई काम, 69-ए की आड़ में ऐसे काम किये जा रहे हैं जो शायद

(श्री सुरेश टाक)

इस अभियान में अनुमत नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि इन कामों पर सरकार की नजर हो। मैंने माननीय मंत्री महोदय के सम्मुख बता भी दिया था। अभी आग्रह भी करना चाहूंगा, ऐसे लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे हैं, जिनको वास्तव में जरूरत है। पूरी परिषद् के अधिकारी, कर्मचारी, सभापति, सब मिलकर ग़रीबों को पट्टा नहीं देकर, एक सरकारी जमीन है, जिसको काकरिया खान के नाम से जानते हैं 693/1, जो सरकारी जमीन है, उस जमीन पर सीजिंग की कार्यवाही की गई है। एक होटल है जिसको सीज के लिए नोटिस निकाला हुआ है, उसके बावजूद केवल एक पट्टा जारी करना। 70 फाइलें लगी हुई हैं, उन 70 फाइलों में केवल एक पट्टा उस होटल का जारी किया गया, वह भी कामर्शियल। मैं चाहूंगा इसकी जांच करके, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्यवाही करें। जनता में एक संदेश जाये। गरीब लोगों को पट्टे मिलें। ऐसे लोगों को पट्टे नहीं मिलें, जो रसूखदार हैं, जिनकी ऊंची पहुंच है, वे कभी भी पट्टे ले लेंगे। अभियान का फायदा, सरकार ने गरीब लोगों के लिए किया है कि गरीबों को पट्टे मिलें। जिनकी कोई एप्रोच नहीं है, उनको पट्टा मिले, उसके बावजूद भी उनको पट्टा नहीं मिल रहा है। मैं चाहूंगा, आप उन पर ध्यान दें।

साथ ही, एक बड़ी समस्या नगर परिषद् किशनगढ़ के साथ है। वहां जैसे ही कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, उसको उसी पोस्ट पर वापस लगा दिया जाता है। वर्षों से मेरा शहर उनको भुगत रहा है, 30 सालों से। लोग उन कर्मचारियों, बाबुओं से परेशान हैं, फिर वे वापस उसी सीट पर लग जाते हैं, फिर और ज्यादा प्रभावशाली होकर काम करते हैं। सरकार का डण्डा उन पर कम हो जाता है। वे और ज्यादा स्वतंत्र होकर काम कर रहे हैं। सरकार इस पर भी कोई पालिसी बनाये कि रिटायर्ड कर्मचारी कम से कम उस पोस्ट पर नहीं लगे। यह जरूर ध्यान रखा जाये।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान एक बात की ओर विशेष आकर्षित करना चाहूंगा। विधायक मद से स्वीकृत कामों पर, नगर परिषद् सभापति द्वारा उन कामों को रोका जा रहा है। मेरे द्वारा जानकारी ली गयी, एक महीना हो गया, एफ एस निकल गई। परिषद् में मेरा, विधायक फण्ड का एक करोड़ रुपया जमा हो गया। डेढ़ करोड़ का काम है। एक-सवा करोड़ जमा हो गया, जितना भी परसेंटेज आता है। उसके बावजूद सभापति द्वारा फाइल पर यह लिखकर लौटा देना कि मैं यह काम नहीं करूंगा, जिला परिषद् को पैसा लौटा दिया जाये।

(श्री सुरेश टाक)

मैंने सूचना के अधिकार में नगर परिषद् आयुक्त से जानकारी मांगी। मुझे 14.03.2022 को जानकारी दी गयी, सभापति ने मना कर दिया है। यह बोला है कि जिला परिषद् को पैसा लौटा दो, यह काम नहीं करेंगे। क्या कोई इतना निरंकुश है? सरकार से ऊपर भी कोई चीज है? क्या सरकार का इसमें कोई अंकुश है? मैं यह चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय, रिप्लाई में इसका जरूर करें। या तो कमिश्नर को अधिकार दें या डीडीआर को अधिकार दें कि ऐसे जनहित के कामों पर रोक नहीं लगायें। सभापति इतने निरंकुश भी नहीं हों कि वे सरकार से ऊपर उठकर, कानून हाथ में लेकर काम करें। मेरा आपसे आग्रह है, आप इस पर विशेष तौर से ध्यान दें, या फिर कोई अलग एजेंसी बन जाये, एमएलए लैड के काम उस एजेंसी से हो जायें। नगर परिषद् या पीडब्ल्यूडी, इसके अलावा शहरों में कोई एजेंसी नहीं है, जो काम कर सके। हर जनहित के काम पर रोक लगाना उनका काम बन गया है। उनको केवल काम रोकने हैं। वे अपनी तरफ से कोई काम नहीं करना चाहते हैं। विधायक क्या काम कर रहा है, उस काम को उनको रोकना है।

इसी के साथ, शहर में दो झीलें हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। शहर के बीच में बनी हुई झीलें हैं दोनों झीलों में नगर परिषद् के गंदे पानी के नाले खोले गये हैं, उन झीलों में गंदा पानी जा रहा है। एक झील हमीर सागर है, उसमें तो स्लाटर हाउस का पानी भी जा रहा है। 50 कॉलोनियों के पानी के साथ-साथ स्लाटर हाउस का पानी उस झील में जाता है। उस झील का ओवरफ्लो, दूसरी झील, गुंदोलाव झील में जा रहा है। मैंने बार-बार आग्रह किया, मैंने 295 भी लगाया था। मैं आज फिर इस अनुदान मांग पर आपसे आग्रह करता हूं कि नगर परिषद् को पाबंद किया जाये। झीलों में गंदा पानी जाने से रोकें। ड्रेनेज ट्रीटमेंट प्लांट लगायें, ताकि धार्मिक भावना आहत नहीं हो। किशनगढ़ के लोग आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। झीलें इतनी गंदी हो रही हैं कि उनका पानी जहरीला हो गया, वहां मछलियां भी जिंदा नहीं रह पा रही हैं। मेरा आग्रह है कि दोनों झीलों के लिए नगर परिषद् को समय सीमा में पाबंद किया जाये कि वह गंदा पानी जाने से रोके। वहां सीवरेज प्लांट लग चुका है, उस पानी को सीवरेज प्लांट में डालें। एक योजना सीवरेज प्लांट की और आ रही है। उससे पहले डीटीपी लगाकर, उस पानी को रोका जा सकता है, ताकि गंदा पानी झीलों को दूषित नहीं करे, जन भावना भी प्रभावित नहीं हो।

(श्री सुरेश टाक)

मैं एक निवेदन यह करना चाहूंगा, मेरे शहर में एक नाला निकल रहा है, मंत्री महोदय ने उस नाले को कवर करने के लिए आदेश भी कर दिये हैं। उस नाले को कवर करने के लिए अजमेर डवलपमेंट अथॉरिटी को आपने निर्देशित किया था, लेकिन उस पर अभी तक काम नहीं हुआ। वह नाला मल्टीयूज हो जायेगा, जान की सुरक्षा भी होगी, लोग बीमारी से भी बचेंगे। उस जगह के कवर होने से, मेरे शहर का यातायात जो अभी बहुत विषम परिस्थितियों में है, जितने भी हमारे वेंडर्स हैं, उनको वहां जगह दी जा सकती है, ताकि मल्टीपरपज काम हो जायेगा। शहर सुंदर हो जायेगा, यातायात सुगम हो जायेगा, वेंडर्स को बैठने के लिए जगह मिल जायेगी।

इसके साथ, शहर में वेंडिंग जोन बने हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा, शहर में वेंडिंग जोन बने हुए हैं। बहुत वर्षों पहले, तीन साल पहले वेंडिंग जोन बना दिये गये, लेकिन आज तक भी उन वेंडर्स को शिफ्ट नहीं किया गया है। ऐसा क्यों है? आप जानकारी लें और तुरन्त उनको, दो जगह वेंडिंग जोन बने हुए हैं, लाखों रुपये खर्च हो गये हैं, उसके बाद भी सारे वेंडर्स सड़क पर व्यापार कर रहे हैं। धूप में, सर्दी में, बरसात में खड़े होकर व्यापार कर रहे हैं। उनके लिए सरकार ने सुविधा दी है, उस सुविधा का लाभ उनको नहीं मिल रहा है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): मुझे समझ नहीं आ रहा है सभापति या आयुक्त महोदय इस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। आप उनको आदेशित करें, निर्देशित करें कि वह वेंडर्स को वेंडिंग जोन में बिठायें, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था ठीक हो। उन लोगों को सुगम व्यापार करने के लिए जगह मिले, वह भी मान-सम्मान के साथ अपना व्यापार कर सकें।

किशनगढ़ में जनोपयोगी काम किये जा रहे हैं, उन पर भी बार-बार अधिकारियों और कर्मचारियों को भेजकर रोका-टोकी की जा रही है। अभी मैं डाक बंगले का सौंदर्यीकरण कर रहा हूं। सभापति महोदय, किसी न किसी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि उस काम को कैसे रोकें।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): एक मिनट में कर रहा हूं।

साथ ही पुराना शहर, जो मेरा पुरातत्व महत्व का शहर है, उस

(श्री सुरेश टाक)

पुरातत्व के शहर को मैं अपना स्वरूप देना चाह रहा हूं। जन सहयोग व मेरे विधायक कोष से, मैंने वहां का अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण हटाने के बाद जितना भी बाजार है उस बाजार का एक कलर किया गया। जैसे जैसलमेर की सिटी गोल्डन सिटी है, उस तरह मैं उसको गोल्डन सिटी बना रहा हूं। एक तरह के छज्जे लगाये जा रहे हैं, एक तरह की स्ट्रीट लाइट लगा रहा हूं। विधायक कोष से ही सारे काम हो रहे हैं, पर उनको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा, ऐसे सभापति पर अंकुश लगायें, उनको निर्देशित करें। विधायक कोष से होने वाले कामों के लिए अधिकृत करें आयुक्त को या डीडीआर को, ताकि हमारे काम रुके नहीं। जनहित के काम जल्दी से जल्दी धरातल पर उतरें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: थैंक यू, माननीय सदस्य। श्री गोपी चन्द मीणा जी।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): सभापति महोदय, मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र जहाजपुर नगरपालिका क्षेत्र आता है, मैं इसकी प्रमुख समस्याएं माननीय मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, नगरपालिका क्षेत्र जहाजपुर एक बड़ा कस्बा है। क़स्बे के बाहर छोटे-छोटे गांव हैं, जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्राम पांच्या का बाड़ा, ग्राम मुडीपटाक, ग्राम शिलादाता, ग्राम बोरानी, ग्राम लक्ष्मीपुरा, ग्राम राधिकाबाड़ा, ग्राम भक्ता का झौंपड़ा, इन गांवों में सड़क नहीं है, सड़क क्षतिग्रस्त है। पेयजल की व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था भी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इन गांवों में भी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाये।

सभापति महोदय, जहाजपुर में नागदी नदी पौराणिक, धार्मिक नदी है। इस नदी में पौराणिक घाट, कुण्ड बने हुए हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पौराणिक घाट, कुण्ड व बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जाये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे जहाजपुर नगरपालिका की प्रमुख समस्याएं मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं। विगत एक साल से नगरपालिका चेयरमैन पदस्थापित हुआ। चुनाव हुआ, उसके बाद ईओ का पद

(श्री गोपी चन्द मीणा)

रिक्त है। जे ईएन, अकाउण्टेंट का पद रिक्त है, वहां एलडीसी के पद भी रिक्त हैं। सभापति महोदय, जब सारे पद रिक्त हैं तो सरकार क्या काम कराना चाह रही है? वहां आमजन परेशान है, छोटे-छोटे काम नहीं हो रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सारे रिक्त पद भरे जायें। मैं आपसे व्यक्तिगत भी मिला हूं। सभापति महोदय, मंत्री महोदय से भी मिला हूं, सारे पद रिक्त हैं। मेरा अनुरोध है कि रिक्त पद भरे जायें।

सभापति महोदय, मेरा जहाजपुर नगरपालिका क्षेत्र एक धार्मिक नगर है। यहां जहाजपुर में प्रशासन गांवों के संग अभियान में ग्रामीण लोगों ने पट्टे मांगे थे। कच्ची बस्तियों में, जैसे देवडूंगरी बस्ती, वाल्मीकि समाज के, खटीक समाज के लोग, गुमचा बस्ती के लोग, जिन्होंने पट्टों के लिए आवेदन किया लेकिन उनको पट्टे नहीं दिये गये। व्यक्ति विशेष लोगों के पट्टे बनाये गये। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, उन गरीब लोगों को, वंचित लोगों को नि:शुल्क पट्टे आबंटित कराये जायें।

सभापति महोदय, जहाजपुर में नागदी नदी है, गंदे पानी के निकासी की व्यवस्था की जाये। जहाजपुर शहर का, भीलवाड़ा शहर का, माण्डलगढ़ शहर का गंदा पानी बनास नदी में आता है। बनास नदी, बीसलपुर का पेयजल स्रोत, हमारे राज्य का प्रमुख पेयजल स्रोत है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की पेयजल की यह मेन इकाई है। इस बीसलपुर परियोजना में शुद्ध पानी आने के लिए सभी शहरों को शुद्ध पानी के लिए निकासी की व्यवस्था की जाये और जहाजपुर नागदी नदी का भी निर्माण करवाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहाजपुर में बस स्टैंड का निर्माण करवाया जाये, यात्री परेशान रहते हैं। जहाजपुर में हमारा एक स्थान है महावीर स्वामीजी का, मुनिसुव्रतनाथ जैन मंदिर का ऐतिहासिक स्थान बना हुआ है जहाजनुमा है। उसमें देश-विदेश से पर्यटक आते हैं। पर्यटन सर्किट की दृष्टि से उस स्थान को विकसित किया जाये, इसमें आपका सहयोग चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां बस स्टैंड का निर्माण भी करवाया जाये ताकि वहां पर यात्री उतर सकें।

जहाजपुर नगर के पास में एक पुराना ऐतिहासिक किला बना हुआ है,

(श्री गोपी चन्द मीणा)

उसमें चारभुजा नाथ का मंदिर भी बना हुआ है। उस किले की एवं चारभुजा नाथ मंदिर का सुदृढ़ीकरण कराया जाये ताकि वहां के लोगों को सुविधाएं मिल सकें। जहाजपुर में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): जहाजपुर शहर के पास 148 नेशनल हाईवे सड़क निकली हुई है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आये दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं जिसके कारण मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहाजपुर नगरपालिका क्षेत्र में डिवाइडर का निर्माण करवाया जाये। इसी के साथ जहाजपुर से चावंडिया चौराहा से नौ चौक तक पुलिया व सड़क का निर्माण करवाया जाये।

इसी के साथ खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जाये, पार्क का निर्माण करवाया जाये। वाल्मीकि समाज के गरीब परिवारों को, बेरोजगारों की रोजगार के लिए भर्ती की जाये सम्पूर्ण प्रदेश में।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की दो पंचायतें हैं कुचलवाड़ा और ऊंचा पंचायत, पेरीफेरी एरिया देवली नगरपालिका में जोड़ रखा है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर भीलवाड़ा जिले में आता है और उनियारा-देवली नगरपालिका उनियारा विधान सभा क्षेत्र में आती है। मेरा यह निवेदन है कि दोनों ग्राम पंचायतों को भीलवाड़ा जिले में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में रखा जाये और वे पेरीफेरी से मुक्त की जायें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती गायत्री देवी।

श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 29-नगर आयोजन एवं प्रादेशिक विकास पर जो चर्चा हो रही है, चर्चा में मुझे भी भाग लेने का अवसर मिला, उसके लिए धन्यवाद।

सबसे पहले तो मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र के हमीरगढ़ में नगरपालिका की घोषणा के लिए आभार व्यक्त करती हूं और आपके सम्मान में मैं दो लाइनें कहना चाहती हूं-

"लड़ा होगा अकेला सारी रात अंधेरों से सूरज,

तब जाकर कहीं यह सुहानी प्रभात हो रही है।

(श्रीमती गायत्री त्रिवेदी)

मानीय कुछ तो बात है आपके व्यक्तित्व की

जो हर तरफ आपकी तारीफ, आपकी ही बात हो रही है।''

मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक मात्र ग्राम पंचायत बीलिया कलां भीलवाड़ा यू.आई.टी. की पेरीफेरी में, क्षेत्र में आती है। बीलिया कलां के विकास हेतु मैंने यू.आई.टी. को कई विकास कार्यों की अनुशंसा की है लेकिन आज दिनांक तक मात्र तीन कार्यों की स्वीकृति ही की है, जो भी अभी तक प्रारम्भ नहीं हुए हैं। मैं हर बार अनुशंसा कर यू.आई.टी. को कार्य करने हेतु कहती रहती हूं परन्तु टालमटोल किया जाता है। अत: ग्राम पंचायत बीलिया कलां में यू.आई.टी. से अतिशीघ्र विकास कार्यों को प्रारम्भ करायें।

इसी प्रकार रायपुर उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित ग्राम पंचायत रायपुर की जनसंख्या भी 15 हजार के करीब है। रायपुर में पंचायत समिति उपखण्ड तहसील, न्यायालय, राजकीय महाविद्यालय है। यदि रायपुर को नगरपालिका में घोषित किया जाये तो रायपुर सहित आस-पास के क्षेत्र का विकास शीघ्र ही हो सकता है।

इसी प्रकार गंगापुर नगरपालिका में भी काफी समय से जे.ईएन., बाबू, सफाई कर्मचारी सहित अन्य कई पद रिक्त चल रहे हैं। अधिशासी अधिकारी को भी दो नगरपालिकाओं का चार्ज दे रखा है। ऐसी स्थिति में गंगापुर में विकास कार्यों की गति काफी धीमी है। गंगापुर नगरपालिका में रिक्त चल रहे पदों को शीघ्र भरें। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगी कि नगरपालिका गंगापुर में एक निजी व्यक्ति है, उसकी भूमि है, वह आबादी में है और वह श्मशान में है। इस वजह से उसको श्मशान की बजाय नगरपालिका गंगापुर की निजी जगह दिलाया जाये ताकि उसको लाभ मिल सके।

आपके निरन्तर प्रयास और विकास कार्यों से आपकी विकास पुरुष के रूप में पहचान बन गयी है। थे जो चेहरे मुरझाये से, माननीय नेताजी, आपकी मौजूदगी में ही उन चेहरों की मुस्कान बन गयी है।

माननीय सभापति महोदय, एक और निवेदन करना चाहूंगी और आपको धन्यवाद दूंगी। आपके मार्फत भीलवाड़ा नगरपालिका की बात को लेकर माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगी कि स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि, जो सहकारी समिति भादू की भूमि, जो भीलवाड़ा नगरपालिका परिषद् में है, कई वर्ष

(श्रीमती गायत्री त्रिवेदी)

हो गये, स्वतंत्रता सेनानी कोर्ट में भी गये हैं और वे जीत भी गये, परन्तु आज दिन तक उनके पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं। मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपसे यह निवेदन करती हूं कि उनको पट्टे दिलाये जायें। वे स्वतंत्रता सेनानी हैं इस वजह से आप कृपा करें और पट्टे दिलाये जायें। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री जोराराम कुमावत।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो नगरपालिकाएं हैं, उनके सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सुमेरपुर में आधे शहर में सीवरेज सिस्टम हो गया है और आधे शहर में सीवरेज सिस्टम नहीं है। सीवरेज सिस्टम नहीं होने से वहां लोगों को तकलीफ हो रही है, तो मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सैकंड फेज को स्वीकृत करायें। पहले भी मैंने आपसे दो-तीन बार यह निवेदन किया था कि सुमेरपुर में आधे शहर में, आधे वार्डों में सीवरेज सिस्टम नहीं है, तो सीवरेज सिस्टम हेतु सैकंड फेज स्वीकृत करवाने का श्रम करायें।

इसी तरह से सुमेरपुर में सिंहप्रस्थ सरोवर बना हुआ है और उसका नगरपालिका ने आधा सौन्दर्यीकरण कर रखा है, घाट निर्माण और लाइटें लगा रखी हैं, लेकिन वहां पर वाकिंग ट्रैक नहीं है और उसका आधा घाट निर्माण होना भी बाकी है तो वह भी करवाने का श्रम करायें।

सुमेरपुर एक बहुत बड़ा सेंटर है और वहां पर करीबन दस कालेज हैं और सरकारी कालेज के अलावा प्राइवेट कालेज समेत दस कालेज हैं और आस-पास के क्षेत्रों की स्कूलें भी वहां सुमेरपुर सेंटर होने से लगती हैं, तो वहां आउटडोर एवं इनडोर स्टेडियम नहीं है, खेल के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सुमेरपुर में आउटडोर, इनडोर स्टेडियम स्वीकृत करने का श्रम करें। इसी तरह से जाखा नगर चौराहे से भगत सिंह सर्किल तक डबल डिवाइडर वाला रोड बनाने की भी आवश्यकता है।

हर पंचायत समिति स्तर पर एक नन्दीशाला खोलने की सरकार ने जो घोषणा की थी, तो मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि नगरपालिका सुमेरपुर ने नगरपालिका बोर्ड में नन्दीशाला खोलने के लिए जमीन आरक्षित कर दी है और वह नन्दीशाला खोलने के लिए आप आगे की

(श्री जोराराम कुमावत)

कार्यवाही करें, आश्वासन दें। निश्चित रूप से कलेक्टर साहब को पाबन्द करें कि उसमें नन्दीशाला चालू करने की कार्यवाही करायें।

सुमेरपुर नगरपालिका में कच्ची बस्ती का एक भी पट्टा नहीं बना है, यह जो प्रशासन गांवों के, शहरों के संग अभियान चला तो दूसरे पट्टे बन रहे हैं, लेकिन कच्ची बस्ती में एक भी पट्टा नहीं बना है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप वहां स्थानीय प्रशासन को यह पाबन्द करें कि कच्ची बस्ती के भी पट्टे वह बनाकर दे।

इसी तरह से शहर का जो गंदा पानी जाता है पोमावा पुल तक, तो पोमावा पुल से पानावाला तक एक नाला बनाने की आवश्यकता है, तो वह लम्बे समय से यह नाला नहीं बन रहा है जिससे वह पानी पुराने नाले में भरा रहता है और उससे मच्छर और गंदगी होती है, तो यह नाला बनाने की भी आवश्यकता है।

इसी तरह से दूसरी नगरपालिका है तखतगढ़। तखतगढ़ में एक टाउन हाल बनाने की आवश्यकता है। गांव के पास में यह बड़ा तालाब है, वह पानी पीने के लिए काम में आता है, उस तालाब का भी सौन्दर्यीकरण करवाने की आवश्यकता है। जोगी समाज के लिए वहां पर श्मशान घाट नहीं है तो वह समाज, जब भी उनके परिवार में कोई डैथ होती है तो वह बॉडी लेकर इधर-उधर भटकते हैं, तो कोई उनको दाह संस्कार करने नहीं देता है, तो मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां जोगी समाज के लिए श्मशान घाट की भूमि आबंटन करवाकर श्मशान घाट भी आबंटित करायें।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): इसी तरह से तखतगढ़ में सीवरेज सिस्टम बिलकुल बंद पड़ा है, सरकार का पैसा पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। वहां की नगरपालिका के अधिकारियों को पाबन्द करके सीवरेज सिस्टम को वापस चालू करवायें, जिससे वह उपयोग में आना चालू हो जाये। इसी तरह तखतगढ़ में पानी की भी समस्या खूब ज्यादा है। पहले जो पाइप लाइन बिछाई हुई थी, वह बहुत पहले की है, छोटी पाइप लाइन है, तो पूरे शहर का सर्वे करवाकर नई पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर चर्चा चल रही है। सरकार चाहे किसी की हो, जनता को सुविधा मिले और विकास हो। इसी कड़ी में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रशासन शहरों के संग कैम्पों का शानदार आयोजन किया, आज जगह-जगह जनता याद करती है कि लाखों लोगों को पट्टा और पट्टे के अलावा अन्य सुविधाएं, जो कई सालों से लम्बित मामले थे, उनका निस्तारण करके जनता को राहत देने का काम किया है। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। प्रशासन शहरों के संग अभियान में और पहली बार शहरी क्षेत्रों में गत बजट में हो या इसी बजट में हो, सड़कें 20 किलोमीटर और इस बार 25 किलोमीटर की सड़कें बनाने का काम नगर परिषद् को दिया है, इससे आम लोगों को सुविधा मिलेगी।

सड़कों के अलावा कई सालों से लोगों की भावना थी कि गांवों में रोजगार मिल रहा है, शहरों में नहीं, लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत 100 दिन का रोजगार मध्यम वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, आम आदमी को उस रोजगार के तहत लाभ मिलेगा। यह अपने आप में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित होगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी की शुरू से भावना रही है कि कोई भूखा नहीं सोये। आज इन्दिरा रसोई योजना के तहत आम आदमी को घर जैसा भोजन, भर पेट भोजन, सड़कों पर नहीं मान-सम्मान के साथ बैठाकर भोजन करवाया जाता है। उस योजना का नाम है इन्दिरा रसोई योजना। माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी के मन में था कि आम आदमी जो शहर में आया है, कोई जान पहचान हो या नहीं हो, कोई घबराने की बात नहीं, अशोक गहलोतजी और कांग्रेस सरकार ने इन्दिरा रसोई की जो शुरुआत की है, वह घर की तरह भोजन कर सकता है।

सभापति महोदय, बिजली में जो राहत दी है, यह सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र में जो मध्यम वर्ग रहता है, चाहे 50 यूनिट हो, चाहे आगे भी जो राहत है, यह आम मध्यम वर्ग के परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आज भी कहते हैं कि गेहूं वाले मुख्य मंत्रीजी पेंशन हो, तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, दो-तीन सुझाव देकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता

(श्री मदन प्रजापत)

हूं। आज से 25 साल पहले आईएसएमटी योजना के तहत किसानों की भूमि अवाप्त की गई। पहले नियम 15 परसेंट मुआवजे का था, आज 25 परसेंट का हो गया। लोग कोर्ट में चले गये और कोर्ट ने अगर विरुद्ध जजमेंट दे दिया तो आज अरबों रुपयों की जमीन वापस नगरपालिका के हाथ से निकल जायेगी। 25 सालों से अगर उन मालिकों और किसानों को मुआवजा या मामले का निस्तारण नहीं होता है तो कई लोग संसार और जिन्दगी छोड़कर चले गये। हमको कोई नुकसान तो है नहीं, जनता का भी लाभ है, अपना भी लाभ है। मैं मांग करता हूं कि उनको बैठाकर किसानों को संतुष्ट करके 25 परसेंट वाले मामले का तुरन्त निस्तारण करें।

माननीय सभापति महोदय, 232 करोड़ की डीपीआर नगर परिषद्, बालोतरा द्वारा भेजी गयी है और कार्यकारी एजेंसी आरयूआईडीपी करने, ड्रेनेज, सीवरेज, तमाम सौन्दर्यीकरण के लिए तथा गन्दे पानी की निकासी के लिए 232 करोड़ रुपये की मैं मांग करता हूं। 232 करोड़ रुपये की इस योजना को तुरन्त शुरू करायें ताकि समय रहते यह काम पूरा हो सके क्योंकि आधे भाग में सीवरेज पहले अपनी सरकार ने बनायी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास विरोधी है। पांच साल तक एक फूटी कौड़ी, एक रुपये का बजट नगर परिषद् को नहीं दिया। इनके मंत्री थे, राज था और बोर्ड भी इनका था, उसके उपरान्त भी फूटी कौड़ी नहीं दी गई। मैं मांग करता हूं कि 232 करोड़ रुपये और 25 परसेंट आईएसएमटी स्कीम के तहत उन किसानों को राहत दें।

इसके अलावा मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्ग के लिए जो फ्लैट्स बने थे, आज से 10-12 साल पहले हजारों फ्लेट बने, आज भी अधूरे पड़े हैं, लोगों ने पैसा जमा करवा दिया और आज दिन तक उनको कब्जा नहीं मिला है। लोगों के पैसे बर्बाद हुए। गरीब आदमी का सपना था कि मेरा घर होगा, मुझे आशियाना मिलेगा, मुझे छत मिलेगी। हजारों अधूरे पड़े हैं। कौन कार्यकारी एजेंसी है या प्राइवेट लोग हैं, उनको पाबन्द करें और लायबिलिटी तय की जाये कि उसका दोषी कौन है। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें और काम पूरा करवाकर आम जनता को राहत दें।

माननीय सभापति महोदय, हाउसिंग बोर्ड में स्वर्गीय स्वामी अग्निवेश के नाम से योजना थी और वे कैम्प चलाते थे बन्धुआ मुक्ति मोर्चा। दिल्ली

(श्री मदन प्रजापत)

और पंजाब से भील, एसटी जाति के गरीब लोगों को, 40-50 परिवार थे, आज से 50 साल पहले हाउसिंग बोर्ड के छोटे-छोटे क्वार्टर्स में बैठा दिया। आज न तो स्वामी अग्निवेशजी संसार में हैं और वे मूल जो थे, वे परिवार के मुखिया भी गुजर गये, उनकी सन्तानें हैं। मकान भी खण्डहर हो गये, सिर्फ उनके नाम नहीं हो रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड वाले कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं। 50 सालों से बैठे हैं तो 50 साल पहले, तीन पीढ़ियां गुजर गईं और मकान भी जर्जर हो गये। हाउसिंग बोर्ड ने भी मान लिया कि यह इनका ही है। कम से कम उन गरीबों को डाक्यूमेंट देकर यह मैसेज दें कि गरीबों के मसीहा माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी के राज में माननीय शान्ती धारीवालजी जो मजबूत मंत्री के तौर पर उन गरीबों को पट्टा, हम देने जायेंगे, कि धारीवाल साहब ने भेजा है। वे वहां बैठे हैं, सिर्फ कागज देना है क्योंकि वे न तो छोड़ते हैं और 40 परिवारों की जगह सैकड़ों परिवार हो गये। एक झोंपड़ पट्टी की तरह रह रहे हैं। छोटे-छोटे प्लाट देकर गरीबों को राहत प्रदान की जाये।

सभापति महोदय, हमारे यहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर टाउन हाल 30-40 साल पहले बना, आज उसकी स्थिति जर्जर है। मैं मांग करता हूं कि बाबा साहब के नाम से जो टाउन हाल है, उसको विशेष बजट देकर रिपेयर किया जाये और उसको वापस तैयार करने के लिए अतिरिक्त बजट की मैं मांग करता हूं।

अन्त में, सभापति महोदय, पेरीफेरी क्षेत्र में हजारों बीघा जमीन हमारे यहां राजस्व विभाग ने आज से दस साल पहले नगरपालिका के नाम कर दी और राजस्व वाले तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनके नाम नहीं है और अरबों रुपयों की जमीन है, उसकी तारबन्दी की जाये या सरकारी कार्यालय या आवास के लिए रिजर्व कर दें और बाकी का कब्जा नगर परिषद् ले। यदि कब्जा नहीं लिया तो भूमाफिया की नजर है, अरबों रुपयों की जमीन हजम कर देंगे।

मैं मांग करता हूं कि मैंने जो दो-तीन सुझाव दिये हैं, विशेषकर भील एस टी जाति के हाउसिंग बोर्ड में 40 परिवार बैठे हैं, उनको राहत प्रदान करें। किसानों को मुआवजा दें और जो तमाम बातें कहीं हैं, उन बातों पर गौर फरमायें। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री सुरेशजी मोदी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 29 पर विचार

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): धन्यवाद, सभापतिजी, समय की सीमा को देखते हुए मैं सीधे मेरे विधान सभा क्षेत्र की बातों पर आता हूं। सरकार ने बहुत अच्छा कार्यक्रम 'प्रशासन शहरों की ओर' चालू किया, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र की नगरपालिका में इस कार्यक्रम के तहत काम नहीं हो पाया और उसकी एकमात्र वजह थी, वहां का जो मास्टर प्लान था, वह गलत मंजूर हो चुका था और उसको ठीक करने के लिए कई बार निवेदन किया गया। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट मान भी गया कि इतनी सारी गलतियां इस मास्टर प्लान में हुई हैं लेकिन, मानने के बावजूद उस प्रक्रिया को पूरा करके उस मास्टर प्लान को दुरुस्त करने का काम उन्होंने आज तक नहीं किया। मैंने मंत्रीजी से भी कई बार निवेदन किया। मंत्रीजी ने भी कई बार मेरी चिट्ठियों को फारवर्ड किया, लेकिन जिस मंत्री का अपने विभाग में डण्डा पुजता है, उस मंत्री का टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में कैसे काम नहीं हो रहा है, उनके आदेशों की पालना कैसे नहीं हो रही है, यह मेरी समझ से बाहर है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि व्यक्तिगत तौर पर इस काम को देखें और मास्टर प्लान को ठीक कराने का काम जल्द से जल्द करें, जिससे मेरे यहां विधान सभा क्षेत्र में लोगों को सुविधा मिल सके। सब लोग यह मानते हैं कि यह पट्टा दे सकते हैं, ये लोग जान-बूझकर नहीं दे रहे। वे लोग हमारी स्थिति को नहीं

(श्री सुरेश मोदी)

समझ रहे और सारा दोष हम पर आ रहा है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस काम को जल्द से जल्द आप पूरा करवाएं।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी ओर मेरे यहां एक बड़ी समस्या है। कई बार मैं विधान सभा में भी रख चुका हूं, मंत्रीजी के भी संज्ञान में ला चुका हूं कि मेरे यहां रेलवे का ओवर ब्रिज बना हुआ है और वह ओवर ब्रिज गलत डिजाइनिंग के कारण बीजेपी के राज में गलत साइड में उतर गया। दूसरी साइड में आबादी है, जिधर उतरना चाहिए था, उसको वहां पर नहीं उतारा गया। अब उसका एकमात्र विकल्प, जो हमने राय करके खोजा कि इसके नीचे एक अण्डर पास बना दिया जाए। अण्डर पास के लिए रुडसिको को एजेन्सी बनाया गया। अब उसमें देरी हो रही है और अनावश्यक पत्राचार हो रहा है। छोटी-छोटी बातों के लिए उसमें देरी हो रही है। अब एक बार एस.डी.ओ. यह कहता है कि रूल के तहत मेरे पास पहले पैसा आएगा तो मैं अवार्ड जारी करूंगा और रुडसिको कहता है कि हम पैसा जब देंगे, जब अवार्ड जारी हो जाएगा। अब इस बीच में पैसा कौन देगा? यानी ऐसी बातें करके अधिकारी लोग उलझाते हैं। मंत्रीजी से मैंने निवेदन किया, मंत्रीजी ने रुडसिको को मेरी चिट्ठी फारवर्ड की। रुडसिको से मेरे पास फोन आया कि, साहब, यह हमारा मामला नहीं है, अब इसको तो डी.एल.बी. की लैंड कमेटी देखेगी। यानी विभागों में इस तरह से मामलों को उलझाया जाता है और अनावश्यक रूप से जनता इस परेशानी को भुगतती है। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि चाहे आप इन तीनों विभागों को एक साथ बुलाकर मीटिंग करें, लेकिन इस मसले को हल करें। पहले कौन पैसा देगा, सरकार का एक विभाग है। नियम वे बता रहे हैं कि साहब, पहले पैसा दोगे जब अवार्ड जारी करेंगे। ये कहते हैं कि हम तो अवार्ड जारी करेंगे, तब पैसा देंगे। इस तरह की छोटी-छोटी बातें हैं, पता नहीं ये अधिकारी इसका समाधान क्यों नहीं करते?

माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां नगरपालिका में स्लज ट्रीटमेंट का एक बड़ा प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ, जिसके तहत पाइप लाइन के जरिए सारा स्लज वह ट्रीटमेंट प्लांट तक जाना था और वहां पर उसका ट्रीटमेंट होकर उसका निस्तारण होना था, लेकिन उसमें भी अधिकारियों ने एक अडंगा डाल दिया। उसमें यह अड़ंगा डाल दिया कि आपके यहां पानी पर-लीटर प्रति-व्यक्ति जो आ रहा है, वह कम है, इसलिए यह ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लग सकता। अब उन्होंने एक दूसरा बिलकुल छोटा एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया है, जिसके तहत

(श्री सुरेश मोदी)

गाड़ियों से पम्प होकर वह स्लज गाड़ियों में जाएगा और फिर गाडियों से उस ट्रीटमेंट प्लांट तक जाएगा, फिर ट्रीटमेंट प्लांट में उसका निस्तारण होगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जो प्रैक्टिकल नहीं है। कभी गाड़ी का ड्राइवर नहीं आएगा, कभी उसका पम्प खराब हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी छुट्टी पड़ जाएगी। वो जो मकसद आपका है जनता को सुविधा प्रदान करने का कि स्लज से जनता को और नगरपालिका क्षेत्र को मुक्ति मिले, तो वह उससे पूरा नहीं हो पाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि उसको आप स्वयं एक बार मॉनिटर करें और वह जो ओरिजिनल प्लान था स्लज ट्रीटमेंट का, उसे ही हमें स्वीकृत करावें और लागू करावें।

श्री सभापति: कृपया कन्क्लूड करें।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): मेरे यहां नगरपालिका के चारों ओर पेरीफेरी क्षेत्र में बहुत सारी बसावट हो गयी है, लोग इतने बस गये हैं। वे सारे लोग, डी.एल.सी. रेट वगैरह ट्रांसफर पर हैं, प्लाट पर हैं, वे सारी भुगत रहे हैं और नगरपालिका को दे रहे हैं। यानी जो पेमेंट है, वे तो नगरपालिका क्षेत्र का कर रहे हैं, लेकिन सुविधाएं नगरपालिका क्षेत्र की उनको नहीं मिल रही हैं। मेरा मंत्रीजी से आग्रह है कि नगरपालिका क्षेत्र का दायरा बढ़ाया जाए और वह जो पेरीफेरी एरिया है, उसको उसमें शामिल किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, जैसा पूर्व में कई माननीय सदस्यों ने कहा कि घूमने के लिए कोई जगह नगरपालिका क्षेत्र में ऐसी नहीं है, तो नेचर पार्क की तर्ज पर कोई ऐसी जगह मेरे यहां भी स्वीकृत की जाए जहां पर ग्रामवासी जाकर शाम को घूम सकें और ताजी हवा ले सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रशासन शहरों की ओर कार्यक्रम का समय 31 मार्च से आगे बढ़ाये जाने का भी निवेदन करता हूं। एक मेरे नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए कोई टाउन हाल नहीं है, तो किसी भी स्कीम के अन्तर्गत एक टाउन हाल की स्वीकृति जारी कराने का कष्ट करें। मेरे यहां कई समाजों ने नि:शुल्क भूमि आबंटन के लिए निवेदन किया है, हमने डी.एल.बी. को प्रस्ताव भेज रखे हैं, लेकिन उन पर कोई निर्णय नहीं हो रहा है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि समाजों को नि:शुल्क भूमि आबंटन के लिए जो प्रस्ताव हैं, उनको स्वीकृत कराने की कृपा करें।

श्री सभापति: थैंक यू, माननीय सदस्य।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): एक सैकंड सर।

कालोनियों के ऊपर ओवरहैड बिजली की लाइनें जा रही हैं और उनसे आये दिन एक्सीडेंट होते हैं। इतना बड़ा खतरा बना हुआ है, तो कोई एक ऐसा प्रस्ताव इस तरह का किया जाए, या नगरपालिकाओं को इस तरह की कोई छूट दी जाए कि जो बिजली की लाइनें हैं, उनको हटाकर या तो उनकी जगह केबल डाली जाए या उनको कोई दूसरे रास्ते से चालू किया जाए, जिससे कि इस समस्या का हल हो सके।

एक मेरे यहां साधन की बहुत कमी है। सफाई की किसी तरह की मशीनें नहीं हैं, फायर ब्रिगेड एक है, जो अक्सर खराब होती रहती है। अन्य मशीनें भी, आजकल शहरों में और सफाई में नवीन मशीनों का जो प्रचलीकरण हुआ है, वैसी कुछ मशीनें हमारे यहां नगरपालिका को दी जाएं।

एक मेरी नगरपालिका को सी ग्रेड से डी ग्रेड में अपग्रेड करने का मंत्रीजी से निवेदन करता हूं। सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का निवेदन करता हूं और छोटे व्यापारी, जो वेंडर्स हैं, थड़ी होल्डर्स हैं, रेहड़ी होल्डर्स हैं, उनके बारे में कोई नियम बनाकर, जो नया चेयरमैन आता है, वह अपने हिसाब से उनको परेशान करता है, तो कोई ऐसे नियम बनाये जाएं, जिससे कि उनके जो राइट्स हैं, वे प्रोटेक्ट हो सकें। बरसों से जो लोग रेहड़ी लगा रहे हैं, थड़ी लगा रहे हैं, उनके राइट्स प्रोटेक्ट हों और नियमितीकरण उनका हो, बिजली के कनेक्शन उनको मिल सकें, उनके अधिकार सुरक्षित हों। ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। आज महत्वपूर्ण डिमांड पर चर्चा हो रही है। पूरा देश केवल दो ही जगहों पर, या तो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या शहरी क्षेत्र में लोग रहते हैं। आज लगभग 38 प्रतिशत आबादी शहरों में रह रही है और जिस प्रकार से 2030 का जो सेंसस बता रहा है कि देश की 53 प्रतिशत आबादी शहरों में आ जाएगी। आज गांवों में जो ग्रोथ है, वह 12 प्रतिशत की दर से चल रही है और शहरों में 23.32 प्रतिशत की दर से शहरी ग्रोथ बढ़ रही है।

माननीय सभापति महोदय, आज सभी माननीय सदस्यों ने एक बात कामन की। कुछ लोगों ने शुरू में धन्यवाद देकर बाद में सुझाव दिये और हम

(श्री अशोक लाहोटी)

विपक्ष वाले पहले सुझाव देकर बाद में बात कर रहे हैं। एक बात कामन थी कि आज शहरों की स्थिति क्या है? मुझे वह शब्द याद आ रहा है जब 2004 में 07 अप्रैल को माननीय गुलाबजी कोठारी ने राजस्थान पत्रिका में एक बहुत बड़ी हैडिंग लिखी थी कि 'क्या होना था, क्या हो गया, मेरे जयपुर का ये हाल'। उस समय से लेकर आज तक लगातार यह सदन सहित पूरे राजस्थान में एक ही बात की चिन्ता है कि शहरों की स्थिति क्या होगी?

माननीय सभापति महोदय, ईमानदारी से यदि हम मनन करें तो आज शहरों में जो लोग जीवन जी रहे हैं, गांवों से लोग शहरों में आ गए, लेकिन ईमानदारी से आज शहरों में नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। आज चलने को सड़क नहीं है, पीने को पानी नहीं है, नालियां और सीवरेज नहीं हैं, चारों तरफ गंदगी के ढेर पड़े हैं, कहीं झाड़ू नहीं लगती है, कहीं पर भी कचरा नहीं उठ रहा है, जगह-जगह पानी भरा पड़ा है, कीचड़ फैला हुआ है और चारों तरफ बंदर कूदते हैं, सूअर और आवारा पशुओं की तो कोई गिनती ही नहीं है। मैं खेल मैदान की तो बात ही नहीं कर रहा।

अभी आदर्श नगर से आने वाले माननीय सदस्य यहां भाषण ऐसे दे रहे थे, जैसे चौराहे पर बोल रहे हों। माननीय, आप सदन में बोल रहे हैं। आपने

(समय: 17.00 बजे)

कहा कि मेरे कार्यकाल में, हम मानते हैं कि आज जयपुर शहर की जो दुर्दशा है उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है। कोई भी कंपनी आयी, उस समय ऑनलाइन बिडिंग में आयी, मैं तो मेयर बाद में बना, मेरे से पहले ही आ गयी थी, लेकिन आयी तो क्या सरकार किसी कंपनी को टेंडर देने का काम करती है? ऑनलाइन बिडिंग है, यदि कोई आया, यदि वह खराब काम कर रहा है, पहली बार राजस्थान में घर-घर से कचरा लेने का यदि काम शुरू हुआ, सफाई व्यवस्था में जयपुर को देश की सारी राजधानियों में नम्बर 1 का अवार्ड मिला तो हमारे टाइम में ही मिला था। जयपुर की 40 लाख जनता के घर-घर से कचरा उठाने का काम शुरू हुआ था। लेकिन यदि उसने आज काम ठीक नहीं किया तो उसको ब्लैक लिस्ट करें, उसको बाहर निकालें। 3 साल से आपकी सरकार है। जयपुर शहर सड़ रहा है।

सभापति महोदय, यह लोग सो रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सुनिये, प्लीज सुनिये। माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आज क्या स्थिति है? सभी सदस्यों ने कहा कि आज शहरों में स्थिति क्या है? सरकार हमारी रहे चाहे आपकी रहे, सभी सरकारों के समय पैसा खर्च हुआ है। मैंने पिछली बार भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि पिछले 10 साल में राजस्थान में जयपुर में ही 30 हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ है। आप अकाउंटिंग निकलवा लें लेकिन वह किसमें खर्च हुआ? वह नॉन प्लानिंग वे में खर्च हुआ क्योंकि हमने आज तक प्लानिंग डवलपमेंट अथॉरिटी नहीं बनायी, न तो आपकी सरकार ने और न ही हमने।

यहां पर 15 डिपार्टमेंट काम करते हैं, जे डी ए, नगर निगम, पीएचईडी, आरएसईबी, पीडब्ल्यूडी, बीएसएनएल, आरयूआईडीपी, स्मार्ट सिटी, मैट्रो, रूडसिको, सिसको, हाउसिंग बोर्ड और प्राइवेट केबल डिजिटल नेटवर्क अलग चल रहे हैं, आवास विकास, रीको और अब सोलहवां मुख्य मंत्री जी ने पीडब्ल्यूडी को भी शहरों में प्रवेश करा दिया।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): यह पहले से ही था।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): यह 16 डिपार्टमेंट जयपुर शहर में काम कर रहे हैं। मंत्री जी, मैं निवेदन करूंगा, आप तीसरी बार यूडीएच मंत्री हैं। इस बार की बात अलग है, इस बार तो आप केवल कोटा के ही यूडीएच मंत्री हैं। कोटा में ही काम चल रहे है, बाकी पूरा राजस्थान त्राहि-त्राहि कर रहा है। आप तीसरी बार मंत्री हैं और आपके टाइम में ही यदि यह प्लानिंग डवलपमेंट बोर्ड नहीं बना और इसको ठीक से रेगुलाइज नहीं किया तो यह जो पैसा लग रहा है, यह चाहे आपकी सरकार लगाये, चाहे हमारी सरकार लगाये, इस पैसे को आधे से ज्यादा हम व्यर्थ कर रहे हैं।

सभापति महोदय, जब बजट देखते हैं तो कितने भारी-भरकम मंत्री हमको सदन में लगते हैं, लगता है कि मुख्य मंत्री जी के बाद और कोई है ही नहीं। अभी तो अख़बार में भी लिखा कि 3-3 मंत्रियों को मंत्री जी ही निपटा रहे हैं। इतने भारी-भरकम मंत्री जी का डिपार्टमेंट का यदि बजट देखो, सारे बजट को यदि आप देखो तो केवल एक डिपार्टमेंट है जिसका बजट 21 प्रतिशत कम हुआ है, 21 प्रतिशत। यह आपकी इस किताब में लिखा है कि पिछली बार का, 2022-23 का बजट आपका जो आरई में था वह 11,044 करोड़ था और इस बार का मात्र 8,728 करोड़ है। सरकार ने शहरों का 21

(श्री अशोक लाहोटी)

प्रतिशत बजट कम किया है। केवल कम ही नहीं किया, कुल बजट का यदि आप देखो तो टोटल बजट का यह केवल 2.94 परसेंट है। 38 प्रतिशत आबादी और उसका बजट, कुल बजट का केवल 3 प्रतिशत भी नहीं है। इसमें से भी यदि आप जो आम जनता के मतलब की बात है, मैं तनख्वाह को हटाऊं, ब्याज को हटाऊं, पेंशन को हटाऊं तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है सड़क, नाली, बिजली, पानी का, वह इसके 40 प्रतिशत से भी कम है। कैसे विकास करोगे? 20-20 डिपार्टमेंट जिसमें लगते हों, पूरे 38 प्रतिशत आबादी जहां रहती हो।

सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में एक चीज लाना चाहूंगा कि आपने कहा प्रशासन शहरों के संग, वह राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य बोलकर चले गये। मैंने उस समय भी कहा था कि असत्य आंकड़े मत दो। टेबल करा दो। इन्होंने कहा कि प्रशासन शहरों के संग, ढाई साल तक सरकार ने एक भी पट्टा राजस्थान में नहीं दिया। नगरपालिका, नगर निगमों, जे डी ए ने कोई काम नहीं किया, एक चीज का इंतजार करते रहे कि प्रशासन शहरों के संग आयेगा और उसका हम आंकड़ा बढ़ायेंगे। मंत्री जी से घोषणा करवा दी कि 10 लाख पट्टे देंगे और हुआ क्या? खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मंत्री जी, आपके पास कुल आवेदन शहरों में आये, यह मुख्य मंत्री जी को जो रिपोर्ट गयी है उसकी कापी है, आपके पास कुल आंकड़े जो आये, 218000 आवेदन आये, मात्र 1,44,000 पट्टे दिये, 23,368 आपने अस्वीकृत कर दिये और 50,302 प्रकरण आज भी शेष हैं। 50,302 प्रकरण आज भी शेष हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप दुबारा पढ़ो इसे।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 2,18,443 आवेदन आये, 1,44,773 आवेदन आपने स्वीकृत किये, 23,368 आवेदन अस्वीकृत हुए और 50,302 आपके पास अभी भी शेष पड़े हैं। मैं कागज ही दे दूंगा, मंत्री जी आपको। अभी दे दूंगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): टेबल कर दो।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): हां, यह टेबल कर देता हूं अभी। यह तो मुख्य मंत्री जी को जो पत्र गया है, उसकी कापी निकालकर लाया हूं। आपके पास ही है यह। आपने ही तो दी थी मुझे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): टेबल कर दो आप।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आपने ही तो दी थी। वह टेबल कर रहा हूं अभी।

सभापति महोदय, मैंने कहा न कि 10 लाख पट्टे देंगे। मंत्री जी, मैं आपकी मदद कर रहा हूं। मैं, इसलिए कह रहा हूं कि आप कई बार कहते हो कि हाउसिंग बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में 1982 से लेकर 1995 तक, 1999 से पहले-पहले जे डी ए के जोन 4, 5, 6, 8 और 9 में 80 कालोनियों में हाउसिग बोर्ड के एक्विजिशन का काम अटका हुआ है, हाउसिंग बोर्ड या तो एनओसी दे दे या उनको पट्टे दे दे। 20 हजार पट्टे हैं।

हाउसिंग बोर्ड का मूल उद्देश्य क्या था? इनमें 95 प्रतिशत बसावट हो गयी। लोग लोन लेकर के मकान बना चुके। हाउसिंग बोर्ड का मूल उद्देश्य क्या था कि आम जन को आवास उपलब्ध करवाना। यह आवास उनके पास है, लोन लेकर मकान बना लिया, आप तो केवल पट्टे दिलवा दो। यह मेहरबानी करो। हम भी आपको धन्यवाद देंगे। 20 हजार पट्टे मिल जायेंगे। आपका आंकड़ा डेढ़ लाख से ऊपर निकल जायेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में एक चीज लाना चाहता हूं कि प्रशासन शहरों के संग में ही जिस समय 2011 का मास्टर प्लान बना था, उस समय आवासीय उपयोग आपने 44.08 प्रतिशत किया था। आज 2022 आते-आते यह आज के दिन लगभग 63 प्रतिशत से ज्यादा तो रिकार्डेड है। यदि ओन रिकार्ड में जाओगे, सोसाइटी पट्टों पर जाओगे तो 80 प्रतिशत जमीन पर आवासीय आबादी बस गयी है। आज क्यों बस गयी? कच्ची बस्ती की तरह बन रही है।

मंत्री महोदय, जो सबसे बड़ा लूट का काम चल रहा है, वह सोसाइटी के पट्टों में चल रहा है। ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जिसमें डबल पट्टा नहीं हो, डबल कब्जा नहीं हो। यदि आपने 1999 तक की घोषणा की तो आज तक 1999 तक का रिकार्ड जमा करवाकर उसको ऑनलाइन क्यों नहीं किया? इसमें ही सबसे बड़ी घालमेल है। इसको ऑनलाइन नहीं किया गया। आज किसी व्यक्ति को पता नहीं है कि वहां पर कौनसी सोसाइटी रजिस्टर्ड है। उसके किस एरिये में क्या है? आज तक नहीं पता है। आम आदमी जाता है, आज भी बैक

(श्री अशोक लाहोटी)

डेट में पट्टे मिल रहे हैं। आप चाहो तो आज भी 1992 का पट्टा ले लो। एक 5 हजार रुपये के पट्टे में 1 जमीन के 2 मालिक जयपुर शहर में पैदा हो रहे हैं। यह पूरे राजस्थान में हैं। सोसाइटी वाले क्या कर रहे हैं? आप घूम-घामकर आ गये बोलने। जाने वाली सरकार की हम बात नहीं करते।

सभापति महोदय, आज क्या हो रहा है? आपने तो प्रशासन शहरों के संग दिया नि:शुल्क पट्टा, लेकिन वही सोसाइटी वाला 250 रुपये गज एक आम आदमी से ले रहा है। कालूराम ने प्लाट खरीदा और यदि उसको भूराराम के नाम चेंज करवाना है तो 250 रुपये गज सोसाइटी वाले ले रहे हैं। यह जिस प्रकार का भू-माफियाओं का काम चल रहा है, मैं यह कह सकता हूं, मंत्री जी, कि इसका नाम प्रशासन शहरों के संग बदल करके प्रशासन भू-माफियाओं के संग रख दो। मैं इसके आपको उदाहरण भी दूंगा।

सभापति महोदय, आज स्मार्ट सिटी की बात की, अब मंत्री जी कहेंगे कि आपके समय में प्रस्ताव बना था। प्रस्ताव तो जब सरकार बनाती है, आपके समय में भी बनेगा और हमारे समय में भी बनेगा। मैं आज आपको कह रहा हूं कि 3 सड़कों पर 170 करोड़ रुपया हम खर्च कर रहे हैं। पूरे जयपुर शहर की हजारों कालोनियों में चलने को सड़क नहीं है। पीने को पानी नहीं है। यह कैसी स्मार्ट सिटी की हम कल्पना कर रहे हैं? सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस स्मार्ट सिटी को इस रामगंज से बाहर भी लाओ थोड़ी। रामगंज से बाहर लाकर हमारे सांगानेर में भी दो। यह स्मार्ट सिटी, मेरे सांगानेर में जो बाजार 300 साल पुराना है, वहां रंगाई, छपाई का उद्योग है, उस बाजार में पार्किंग की जगह नहीं है। वहां बीच में स्टेडियम है। उसमें अंडर ग्राउंड पार्किंग दो। ऊपर वहां पर इंडोर स्टेडियम बनाओ। इससे सांगानेर की समस्या का समाधान होगा। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, वहां पर पास में खाली जमीन पड़ी है, जिसमें गुमटियां लगी हैं, उसमें आप अंडर ग्राउंड और बहुमंजिला पार्किंग दो। यह स्मार्ट सिटी के आब्जेक्ट में शामिल है। वह भी बहुत पुराना टाउन है।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात कि जिस द्रव्यवती नदी की बात कर रहे थे राजाखेड़ा से आने वाले सदस्य, उनको यही नहीं पता कि द्रव्यवती नदी है कहां? कभी हमारे साथ चलकर देखो।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): जयपुर में ही पढ़ा हूं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): यदि वह द्रव्यवती नदी पूरी हो जाती तो जयपुर का नक्शा और स्विटजरलैंड, पेरिस के नक्शे में कोई फर्क नहीं होता।

सभापति महोदय, यह जो हंस रहे हैं, इन्हीं के मुख्य मंत्री महीने, 2 महीने में एक असत्य उद्घाटन और करने की तैयारी कर रहे हैं। उद्घाटन तो वसुन्धराजी पहले ही कर चुकीं। यह प्रोजेक्ट क्या था, केवल थोड़ा-सा बचा हुआ काम भी आपसे तीन साल में भी पूरा नहीं हुआ। क्या काम था? कुल प्रोजेक्ट था 1,667 करोड़ का, 1,400 करोड़ रुपये तो हम लगाकर गये थे। आपको तो केवल रंगाई-पुताई करना था, उस पर आपने कळी कर दी, उस रंगाई-पुताई का काम आपने नहीं किया। आज यदि जयपुर शहर में कोई डेंगू फैल रहा है, चिकनगुनिया फैल रहा है, मौससी बीमारियां फैल रही हैं तो इसकी जिम्मेदारी केवल और केवल इस जे डी ए की है, जो निरंकुश और तानाशाह बना हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, मैं आपके सामने एक बात और रखूंगा, मैट्रो की। बड़ी वाहवाही लूट रहे हैं आप। आप मुझे दुनिया में किसी भी शहर का अध्ययन करके बता देना, कभी मैट्रो ऐसे 'वी' शेप में चली है क्या? इस कोने से चली और उधर जाकर खतम हो गयी। मैट्रो की आवश्यकता थी सीतापुरा से यूनिवर्सिटी को जोड़ती, एयरपोर्ट को जोड़ती, एसएमएस को जोड़ती, रामनिवास गार्डन से आप हरमाड़ा और वीकेआई तक लेकर जाते और दूसरा फेज लेते ट्रांसपोर्ट नगर से झोटवाड़ा जाता और राजीव चौक की तरह से रामनिवास गार्डन में मैट्रो का जंक्शन बनता, तो यह जयपुर शहर का 2 हजार करोड़ रुपये काम आता। आपने तो 2 हजार करोड़ रुपये का पहले ब्लंडर किया, उसके बाद भी मैंने आपको सुझाव दिया पर चूंकि हम विपक्ष में हैं, मैंने आपको कहा था कि बीआरटीएस कारिडोर खाली पड़ा है, मैट्रो को आप तीन किलोमीटर अजमेर रोड की तरफ मत ले जाओ, आप 'वी' शेप में बढ़ा रहे हो, उधर एक भी आबादी नहीं है, वहां पर दस कालोनियां भी बसी हुई नहीं हैं। इस मैट्रो को यदि सांगानेर ले जाते, आज मैट्रो की क्षमता का दस प्रतिशत भी लोग उसमें सवारी नहीं करते हैं, आप मैट्रो को सांगानेर ले जाते, सब-अर्बन से सिटी जुड़ती और आपका उद्देश्य पूरा होता। हम आबादी बढ़ने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, सब-अर्बस को जब तक हम नहीं जोड़ेंगे, जब तक वर्टिकल डिविजन को नहीं बढ़ायेंगे, तब तक शहरों का विस्तार नहीं रुकेगा। माननीय सभापति महोदय, इस मैट्रो का अभी भी आप काम रोककर, आप तीन किलोमीटर अजमेर रोड ले जाने के बजाय बीआरटीएस कोरिडोर खाली पड़ा है, आप हटा भी नहीं सकते और काम भी नहीं आ सकता। उसमें आप

(श्री अशोक लाहोटी)

एलिवेटेड खुली जेल तक भी ले जाओ, सांगानेर तक वहां जगह खाली पड़ी है, तीन किलोमीटर ही वह है लेकिन आपकी सवारी पचास प्रतिशत बढ़ जायेगी, यह मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपको। (व्यवधान) हमारी आयेगी तब तो करेंगे ही। अभी आपसे कह रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, नगर निगम और नगरपालिकाओं की बात हुई। नेता, प्रतिपक्ष महोदय ने खुद ने कहा, माननीय मंत्रीजी से कहा, मुख्य मंत्रीजी से कहा और यह पहली बार मैंने देखा कि नेता प्रतिपक्ष किसी टैक्स को लगाने के लिए आपको कह रहे हैं कि आप यह टैक्स लो। नेता, प्रतिपक्ष महोदय ने यह इसलिए कहा, नगरपालिकाओं के क्या हाल हैं, यह आप सभी माननीय सदस्यों को मालूम है, वहां पर तनख्वाह बांटने के पैसे नहीं हैं। नाली सफाई, सड़क सफाई तक का पैसा नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, नीति आयोग ने लिखा है - "Property tax collection by the urban local bodies as a proportion of GSDP." राजस्थान की परसेंटेज सुनकर हम सबको शर्म आयेगी, 0.002 प्रतिशत कलेक्शन है हमारा। दुबारा दोहरा रहा हूं, 0.002 प्रतिशत। यह कोई मैं दोष नहीं दे रहा हूं। आज कोई भी आदमी टैक्स देना चाहता है तो उसको यह नहीं पता, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, आपके पिताजी ने मुझसे कहा कि आप फाइनेंस कमीशन की मीटिंग लो। मेरा घर 300 गज से बड़ा है सिविल लाइन्स में लेकिन आज तक मुझसे कोई टैक्स लेने ही नहीं आया। यह अभी फाइनेंस कमीशन ने आब्जर्वेशन में डालकर नगरपालिकाओं को दिया है। वहां तो आपके लोग भी आते हैं, हमारे लोग भी आते हैं, सब आते हैं। वहां पर लोगों ने, चेयरमेन्स और मेयर्स ने कहा कि जिस प्रकार का हाल इस बार नगरपालिका, नगर निगमों का है, जिस प्रकार का निरंकुश शासन बना हुआ है...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यूडी टैक्स कौन इकट्ठा करता है?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): कौन करता है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नगर निगम करता है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): हां।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जिसके आप मेयर रहे हो, क्यों नहीं लिया आपने यूडी टैक्स? क्यों नहीं लिया?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): हम विपक्ष में आ गये न, आप आना चाहते हो इधर? आओ? हम करेंगे। (व्यवधान) हमने सफाई का काम किया, आप यूडी टैक्स का कर दो। कुछ तो करो, मंत्री महोदय, कुछ तो करो, मंत्री महोदय, आप तो मर्द हो, कुछ तो करो।

माननीय सभापति महोदय, आज नगरपालिकाओं का हाल क्या है? हाल क्या है नगरपालिकाओं का? मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। इसको अदरवाइज न लें, माननीय मंत्री महोदय, मैं तो आपका प्रशंसक हूं। मैंने तो इस सदन में यह भी कहा है कि आप तो एन्साइक्लोपीडिया हो, पर एन्साइक्लोपीडिया जब फेल होता है तो पूरा सदन फेल हो जाता है।

माननीय सभापति महोदय, आज जिस प्रकार का नगरपालिका, नगर निगम का हाल चल रहा है, मैंने कहा न कि लोग टैक्स देना चाहते हैं पर अकेले जयपुर में 70 हजार डीएलसी है कैलकुलेशन करने की, कोई आगे से डीएलसी कैलकुलेशन कर रहा है, कोई गली से कर रहा है, कोई पीछे से कर रहा है, कोई उधर से कर रहा है, कोई पास की गली से कर रहा है। पता तो होना चाहिए कि मेरा इतने गज का प्लाट है, इतने रुपये देना है, दे देगा वो आदमी, कोई दो-तीन हजार रुपये देने के लिए मना नहीं करता लेकिन हम सरलीकरण नहीं करना चाहते। आपने कहा कि हमने नहीं किया तो हम विपक्ष में आ गये, आपकी इच्छा ज्यादा है, साल भर रुक जाओ आ जाओगे।

माननीय सभापति महोदय, आज जेसीटीएसएल की बात की, स्वच्छता की बात की। मैं मानता हूं कि जिस दिन से देश के प्रधान मंत्रीजी ने लाल किले की प्राचीर से देश में स्वच्छता की बात की, झाड़ू को एक सिम्बल बनाकर बात की, उस दिन से यह मानकर चलो, आज नहीं तो कल स्वच्छता हम सबके जेहन में है और वो महात्मा गांधीजी के समय से है, हम आज नहीं कल जरूर उस पर काबू पायेंगे लेकिन शहरों में आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या विकराल रूप लेकर हमारे सामने खड़ी है, वो है यातायात जाम की समस्या। सारे विधायक मानसरोवर से ही आते हैं, डेली हर चौराहे पर जाम रहता है, तीन बार मैं खुद कमिश्नर को कह चुका लेकिन दो यातायात कर्मी

(श्री अशोक लाहोटी)

लगाने के लिए नहीं है सरकार के पास। यातायात जाम, हर गली में पार्किंग का झगड़ा हो रहा है और उससे ऊपर पोल्यूशन का।

माननीय सभापति महोदय, मैंने पिछले सदन में भी कहा था, मंत्रीजी, आपने तीन साल में एक रुपया शहरों में नहीं लगाया। जो पैसा मोदीजी ने भेजा उतना-सा आपने खर्च किया तो आपने कहा, मैं आपको लिस्ट भेजूंगा। आज वापस बजट आ गया, अभी तक वो लिस्ट नहीं आयी है माननीय मंत्रीजी। पृथ्वीराज नगर में जो पैसा खर्च हो रहा है, वो वहां के लोगों ने 1 हजार 400 करोड़ रुपये सरकार को जमा करवा दिये, आप केवल तनख्वाह बांटकर ब्याज खा रहे हो उस पैसे का। अभी कोई कह रहा था कि 500 करोड़ की योजना बना दी, 800 करोड़ की स्वीकृति दे दी, 23 जून, 2018 को वसुन्धराजी स्वीकृति निकालकर गयी थीं, आपने तो 300 करोड़ बचाकर निकाला है। कहां गयी वो सीवरेज? कहां गई वो अंडर ग्राउंड टनल पृथ्वीराज नगर की? कहां गये वो 1500 रुपये स्क्वायर फीट का पूरा डवलपमेंट प्लान? माननीय सभापति महोदय, यह सरकार केवल लोगों के जमा करवाये हुए पैसे का ब्याज और तनख्वाह खा रही है।

माननीय सभापति महोदय, जे डी ए की बात आयी, यूआईटी की बात आयी। जे डी ए और यूआईटी तो नये तुर्रम खां हैं, ये तुर्रम खां क्यों हैं, माननीय मंत्री महोदय, तीन साल हो गये, यहां बैठे हुए सारे जनप्रतिनिधि चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो भी आपके सरकार का हिस्सा है, अंग हैं, लेकिन तीन साल में एक भी यूआईटी ने, एक बार भी जे डी ए ने कभी किसी विधायक के साथ बैठकर मीटिंग की हो, किसी भी जिले में की हो तो बता दें। कभी आपको बुलाकर मीटिंग की हो, कभी कोई प्लान बना हो, जे डी ए और यूआईटी ऐसे काम कर रही हैं जैसे वो कोई इंग्लैंड से पैसे लाकर हमारे ऊपर अहसान कर रही हो। जे डी ए, यूआईटी ने कभी किसी के साथ बैठकर कोई प्लान किया हो, जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। कर क्या रहे हैं? इतना ज्यादा भ्रष्टाचार मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा।

माननीय सभापति महोदय, शिव एन्क्लेव योजना, वहां पर मुआवजे के लिए जो प्लाट दिये गये, वहां पर सबसे पहले ऑक्शन की लिस्ट बन गयी, ऑक्शन की लिस्ट को निरस्त किया गया और प्लाट मुआवजे में दिये गये और मुआवजे में किनको दिये गये? मुआवजे में उनको दिये गये जिनका कहा

(श्री अशोक लाहोटी)

गया कि इनकी सेक्टर रोड में हमने जमीन एक्वायर की है। सेक्टर रोड में जमीन अवाप्त करने के बदले में, कौनसी सेक्टर रोड, जो प्रायोरिटी में नहीं है? कौनसी सेक्टर रोड? ये अधिकारी यहां बैठे हैं, मंत्रीजी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इनको मेरे साथ भेज दो, यदि इन्होंने उसका मुआवजा दिया है वो जगह ये बता दें, वो ये रोड बता दें तो मैं जो आप कहो वो करने के लिए तैयार हूं। बीस-बीस किलोमीटर बाहर जाकर जो बीस साल तक सड़क नहीं बनेगी वहां पर 55 हजार गज की जमीन मुआवजे में दे दी और वो भी ऑक्शन कैंसिल करके, जिनको मुआवजा दिया उनकी लिस्ट देखो, मंत्रीजी, कौनसा खेल हो रहा है अंडर टेबल और कितने करोड़ का खेल हुआ है, आप कहोगे तो अलग से लिस्ट दे दूंगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दे देना।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): बिलकुल दे दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके बाद सेंट्रल स्पाइन, रीको की अवाप्त की हुई जमीन, जे डी ए ने लेकर मुआवजे में दे दी। मुआवजे में किनको दे दी? काश्तकारों से जमीन ले ली, उनसे कहा कि 15 प्रतिशत मुआवजा देंगे, फिर एक नोट चलता है कि काश्तकारों से सैटलमेंट करना है, 15 प्रतिशत की जगह 25 प्रतिशत कर दो, जिन आरक्षण पत्रों को भू-माफियाओं ने खरीदा, उनको 25 प्रतिशत जमीन दे दी? 85 हजार रुपये गज की जमीन, हजारों मीटर जमीन भूमाफियाओं को दे दी, 40 हजार मीटर जमीन इन्होंने बांट दी। उसके बाद वेस्टवे हाइट्स में जे डी ए के दलाल गली-गली में घूम रहे हैं, ऐसी रोडों पर जमीन एक्वायर करवा दो जो बीस साल तक नहीं बनेगी और यहां वेस्टवे हाइट में आप जमीन ले लो।

माननीय सभापति महोदय, 300 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया है जे डी ए ने इन तीन योजनाओं में। आप कहो तो चौथी, पांचवीं और छठी और बता दूं। माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार का नंगा नाच जे डी ए और यूआईटीज का आज से पहले कभी नहीं देखने को मिला। पूछ लो कभी किसी का फोन उठाते हैं क्या जे डी ए के अधिकारी, हम जन-प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं है? पूछो कभी किसी गली में रोड बनायी है क्या? केवल वहां रोड बनेगी जहां पर किसी एक्स ईएन का प्लाट होगा और माननीय मंत्री

(श्री अशोक लाहोटी)

महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और इस पवित्र सदन में कह रहा हूं कि लिस्ट बना लो आज तक, जे डी ए में जे ईएन से लेकर जेडीसी तक जो लगा हो, उनकी सम्पत्तियों की जांच करवा लो और हम सब विधायकों की सम्पत्तियों की जांच करवा लो। आकण्ठ भ्रष्टाचार में डूबा है जे डी ए। क्या हाल हैं? हम बात कर रहे हैं लोगों के जन-जीवन की।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, आप तो पांच मिनट कह रहे हैं...

श्री सभापति: दो मिनट कह रहा हूं मैं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): हां दो ही मिनट में।

2019-20 में आपने 16 घोषणाएं कीं, 2020-21 में 16 कीं, 2021-22 में 18 कीं और इस बार घटाकर 11 कर दीं। मैं यह नहीं कह रहा, कितनी पूरी कीं और कितनी नहीं कीं। उसमें तो समय ही बहुत ज्यादा लग जायेगा, लेकिन आप खुद आकलन कर लें।

सभापति महोदय, अन्त में मैं तो केवल ये दो बातें मंत्री जी के सामने रख रहा हूं कि मंत्री जी, यह ''प्रशासन शहरों के संग'' का नाम बदलकर ''प्रशासन भू-माफियाओं के संग'' रख दें और मैंने कहा न, आप तो मर्द हैं तो कोटा के यूडीएच मंत्री की हैसियत से बाहर निकलकर राजस्थान के शहरों के मंत्री बनकर इस राजस्थान की 38 प्रतिशत आम अवाम को बचाने का काम करें, यही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिन्द।

श्री सभापति: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 29)

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 29वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 16 मार्च, 2022 को मध्याह्न पश्चात् 03.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेशम (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय

(श्री महेन्द्र चौधरी)

लिया कि सोमवार, दिनांक 21 मार्च 2022 से सोमवार, दिनांक 28 मार्च 2022 तक सदन में अग्रेतर लिए जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाये:-

सोमवार, दिनांक 21 मार्च 2022	1. राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022; एवं 2. राजस्थान वित्त विधेयक, 2022 -पर विचार एवं पारण।
मंगलवार, दिनांक 22 मार्च 2022	1. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2022; 2. गुरुकुल विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक, 2022; 3. हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक, 2022; 4. सौरभ विश्वविद्यालय, हिण्डौन सिटी (करौली) विधेयक, 2022; एवं 5. ड्यून्स विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022 - पर विचार एवं पारण।
बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 2022	1. राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) विधेयक, 2022; एवं 2. राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022; एवं 3. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022; -पर विचार एवं पारण।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

गुरुवार, दिनांक 24 मार्च 2022	1. राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022; एवं 2. राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2022 - पर विचार एवं पारण।
शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च 2022	गैर सरकारी कार्य दिवस
शनिवार, दिनांक 26 मार्च 2022 रविवार, दिनांक 27 मार्च 2022	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 28 मार्च 2022	इन्दिरा गांधी नहर विभाग के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पर विचार।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 29वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 29 वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

माननीय मंत्री महोदय।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 29 पर विचार

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, नगरीय विकास और आवासन विभाग की मांग संख्या 29 पर चर्चा के दौरान लगभग 25 माननीय सदस्य आज यहां पर बोले हैं, मैं उन सबका आभारी हूं। बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिये हैं, उन सुझावों का भी मैं स्वागत करता हूं और सम्भव होगा, जहां तक आपने कटौती प्रस्ताव मुझे दिये हैं, मैं उनका जवाब आपके पास भेज दूंगा। कुछ का जवाब यहां भी दूंगा, लेकिन इतना लम्बा जवाब नहीं दे सकता...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अभी तक तो एक दफा भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कट-मोशन का जवाब नहीं आया। जो यहां रोज कहते हैं कि कल आ जायेगा, परसों आ जायेगा। एक भी डिपार्टमेंट का...

श्री सभापति: आ जायेगा, साहब, आ जायेगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब मेरे जवाब का इन्तजार करें आप।

सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर सदन के नेता और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत का धन्यवाद अर्पित करता हूं, अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने इस वर्ष जो चमत्कारिक और ऐतिहासिक बजट जनता को दिया, उसमें गरीब से लेकर हर तरह के वर्ग के लोगों का जिस प्रकार से ध्यान रखकर विकासोन्मुखी बजट दिया, उससे निश्चित तौर पर राजस्थान की प्रगति का अवसर अग्रसर होगा।

2021 ''प्रशासन शहरों के संग'' की बाबत माननीय सदस्यों ने काफी बात की और आज लाहोटी साहब, जो जयपुर के मेयर रह चुके हैं, जिन्होंने अपनी मेयरशिप के दौरान एक पट्टा नहीं बांटा और पट्टा क्या होता है, पट्टे का प्रारूप भी नहीं देखा। उन्होंने यह कह दिया कि, साहब, आपने कुल-मिलाकर इतने ही पट्टे बांटे हैं, आप 10 लाख का लक्ष्य कैसे पूरा करेंगे? मैं आपको फिर चैलेंज करता हूं कि 2,27,667 पट्टे बांटे गये हैं 2 अक्टूबर से लेकर अभी तक, बीच में कोविड आ गया। कोविड के बाद में हाई कोर्ट की डबल बेंच का स्टे आ गया। अगर हाई कोर्ट की बेंच का स्टे नहीं आता तो आज हम कम से कम 5 लाख तक पहुंचते आराम से।

आप देखना हमारी प्रगति क्या होती है, आगे क्या होता है, क्योंकि अब हाई कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में हो चुका, जनता के पक्ष में हो चुका। जनता जिस प्रकार से पट्टा चाहती थी, वह उसे आराम से मिला करेगा। आपने वह फिगर नहीं दी कि नगरपालिकाओं के पास, यूआईटीज के पास और प्राधिकरण के पास कितनी एप्लीकेशंस आलरेडी पड़ी हुई हैं जिन पर फैसला नहीं हुआ। आपने वह फिगर भी गलत दी कि, साहब, इतने पट्टे बांट दिये। मेरी फिगर लिख लीजिये- 2,27,667 पट्टे बंट चुके हैं। कम से कम 4 लाख एप्लीकेशंस विभिन्न संस्थाओं के पास आज भी पड़ी हुई हैं। चूंकि हाई कोर्ट की रोक थी कि, साहब, आप इसमें नहीं दे सकते, इसमें नहीं दे सकते, इसमें नहीं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

दे सकते, इसलिए वे एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं। मैं लम्बी बात में नहीं जाना चाहता। उन चीजों की हमने अपील की और सीजे की डबल बेंच से हमारे पक्ष में फैसला हुआ। अब हम इसीलिए एक नया एक्ट ला रहे हैं कि 17.06.1999 के बाद में भी जो 31 दिसम्बर, 2021 तक उसकी कट आफ डेट दे दी। अब कट आफ डेट देने पर जो 31 दिसम्बर, 2021 तक जिसने मकान बना लिया हो, अगर उसका वाजिब हक बनता है तो उसे निश्चित तौर पर पट्टा मिलेगा। इस प्रकार के 4 लाख से भी ज्यादा पेंडिंग एप्लीकेशंस, फाइल्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं आज की तारीख में।

इसी के साथ-साथ, पट्टे के लिए ही नहीं था सिर्फ यह ''प्रशासन शहरों के संग'', लाहोटी साहब, आपको यह भी मालूम होना चाहिये कि इसमें और भी कई काम हो रहे हैं, अन्य सेवाएं, जैसे- भवन निर्माण की स्वीकृति, नाम हस्तान्तरण, उप-विभाजन, पुनर्गठन, लीज आदि। इनके कुल-मिलाकर 10,62,790 आवेदनों का भी निस्तारण किया जा चुका है। राजस्थान आवासन मण्डल के द्वारा भी पहली बार विभिन्न सेवाओं के 4,707 आवेदनों का निस्तारण किया गया है।

''प्रशासन शहरों के संग'' की छूटें देखिये आप। राजस्थान जब से बना, सरकारें हमारी भी रहीं, सरकारें आपकी भी रहीं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने इतनी छूट उन मकान-मालिकों, उन रिहायश करने वालों को नहीं दी होगी, जितनी यह छूट दी गयी है। मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि किस प्रकार की छूटें हमने दीं। कोई सरकार दे सकती है क्या? प्रदेश ही नहीं, मैं कहता हूं पूरे देश में किसी भी प्रदेश में इस प्रकार की छूटें नहीं दी गयी हैं, जो प्रीमियम दरों में छूटें मिलनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये, प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कासनियां साहब। 2021 के तहत कृषि भूमि की प्रीमियम दरों की छूट का तुलनात्मक विवरण मैं आपसे अर्ज करता हूं। पहले 200 मीटर तक पूर्व की दर प्रति वर्ग मीटर 280 रुपये तय थी। कहां थी? निगम के क्षेत्र में, जिसमें प्राधिकरण भी आ गया और न्यास भी आ गया। जैसे जयपुर है तो जयपुर में निगम का क्षेत्र है तो प्राधिकरण भी है। कोटा है, उदयपुर है तो यूआईटी भी है और निगम भी है। उनमें 280 रुपये की रेट थी। अब हमने

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

200 वर्ग मीटर को बढ़ाकर तो 500 वर्ग मीटर कर दिया, 500 वर्ग मीटर तक की जो छूट दी गयी है वह 280 रुपये के बजाय सिर्फ 100 रुपये कर दी और 180 रुपये प्रति वर्ग मीटर की छूट दी है। इसी प्रकार से परिषद् के क्षेत्र में जहां पर न्यास भी होता है, नगर परिषद् भी होती है, वहां पहले रेट 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर, वहां सिर्फ 75 कर दी। नगरपालिका क्षेत्र में जहां पर 120 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी वहां पर सिर्फ 50 कर दी है। इसी प्रकार से 200 वर्ग मीटर से अधिक के जो प्लाट थे उनमें जो पहले रेट निगम, प्राधिकरण और न्यास के क्षेत्र में 380 रुपये थी, उसको घटाकर 500 वर्ग मीटर से अधिक की भूमि पर 380 के बजाय 200 कर दी। इसी प्रकार परिषद् और न्यास क्षेत्र में 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक, से अधिक जो थी वह 280 से घटाकर 150 कर दी। पालिका क्षेत्र में 180 से घटाकर 100 कर दी।

वाणिज्यिक भी ले आये अब। कामर्शियल में भी घटाया है। कॉमर्शियल में ही नहीं घटाया बल्कि इण्डस्ट्रियल में भी घटाया है और इंस्टीट्यूशनल प्लाट्स में भी घटाया है। निकाय क्षेत्र में 200 मीटर तक की जो दर थी वह 1100 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी, उसको घटाकर सिर्फ 200 रुपये कर दी। कहां 1100 और कहां 200 हो गयी। इसी प्रकार से परिषद् क्षेत्र में 740 रुपये प्रति मीटर की रेट थी, उसको घटाकर सिर्फ 100 कर दी। पालिका क्षेत्र में 460 थी उसको 75 कर दी। इसी प्रकार से 200 वर्ग मीटर से 300 वर्ग मीटर तक के जो प्लाट थे उनकी रेट पहले 1470 थी, उसको घटाकर निगम के क्षेत्र में 400 कर दी, निगम, प्राधिकरण या यूआईटी के क्षेत्र में। परिषद् के क्षेत्र में 1100 से घटाकर 300 कर दी और पालिका के क्षेत्र में 660 से घटाकर 200 कर दी। इसी प्रकार ग्रुप हाउसिंग, औद्योगिक, संस्थानिक की दरों में भी भारी कमी की गयी है।

यही नहीं, इसके अलावा भी और कई प्रकार की छूटें दी गयी हैं। अग्रिम दस वर्षीय लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर बकाया लीज राशि पर 60 प्रतिशत छूट एवं ब्याज में शत-प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। 300 वर्ग मीटर तक के आवासों पर जी प्लस वन (G+1) भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क जो पहले 500 रुपये और 300 वर्ग मीटर से अधिक में 500 रुपये वर्ग मीटर तक जो 1500 रुपये किया गया है न्यूनतम 10 हजार रुपये से 50 हजार रुपये तक की थी। बिल्डिंग प्लान पास करवाने के लिए, राठौड़ साहब, 300 मीटर तक के और 300 मीटर से अधिक 500 वर्ग मीटर तक के 10 हजार रुपये लगते थे और ज्यादा से ज्यादा 50 हजार रुपये लगते थे, पर अब सिर्फ आपके 500 रुपये और 1500 रुपये।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

नाम हस्तान्तरण में आप देख लीजिये। नाम हस्तान्तरण में 3 हजार वर्ग मीटर तक 1000 रुपये रेट कर दी। 3 हजार वर्ग मीटर का मकान है, नाम बदलवाना चाहते हैं, हस्तान्तरण, ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो पहले आपके 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर से प्रारम्भ होकर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक लगती थी अर्थात् 300 वर्ग मीटर के भूखण्ड पर 4500 रुपये लगते थे और 300 वर्ग मीटर से ज्यादा पर 4000 से लेकर 10 हजार रुपये तक लगते थे। उनको घटाकर सिर्फ एक हजार रुपये कर दी।

ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी-ए, एमआईजी-बी और एचआईजी के आवासों में, भूखण्डों में बकाया किस्तें और मूल राशि अभियान अवधि के दौरान एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज व पैनल्टी की शत-प्रतिशत छूट दे दी गयी है।

रियायती दरों में आबंटित भूखण्डों के दस वर्ष पूर्व बेचान पर शास्ति में 50 प्रतिशत की छूट देते हुए आरक्षित दर की 5 प्रतिशत के बजाय 2.5 प्रतिशत और 5 वर्ष पूर्व के बेचान पर 10 प्रतिशत के बजाय सिर्फ 5 प्रतिशत की छूट दे दी गयी है, 5 प्रतिशत ही लगेगा। यह पहली बार हो रहा है फ्री होल्ड। फ्री होल्ड का पहले कभी नहीं सुना होगा, 99 साल ही सुने होंगे, लेकिन यह फ्री होल्ड, पहली बार फ्री होल्ड पट्टा लेने पर पुनर्ग्रहण शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। मूल राशि जमा कराने पर ब्याज और पैनल्टी में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गयी है और पट्टे के पश्चात् तीन वर्ष पुनर्ग्रहण शुल्क देना नहीं होगा।

फिर यह पहली बार हो रहा है कि भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। राशि एकमुश्त जमा कराने पर 5 प्रतिशत की छूट तथा राशि एक वर्ष में 4 किस्तों में जमा कराने की सुविधा प्रदान की गयी है। यह पहले नहीं था।

यह भी पहली बार हो रहा है कि आवासीय और औद्योगिक भूखण्डों के उप विभाजन और पुनर्गठन पर लगभग 60 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है।

नियमों में निर्धारित ब्याज दर को 15 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है। पहले जो 15 प्रतिशत ब्याज लगता था उसको अब 9 प्रतिशत कर दिया गया है। निकायों की योजनाओं में खांचा भूमि आबंटन आरक्षित दर की दो गुनी के स्थान पर आरक्षित दर, डीएलसी रेट की 10 प्रतिशत, जो भी कम हो वह ले ली जायेगी।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

इसके अलावा अतिरिक्त बीएसयूपी शुल्क और अपंजीकृत दस्तावेजों की एक्सटर्नल ईडीसी चार्जेज लगते थे और आईडीसी के जो चार्जेज लगते थे उनमें भी काफी छूट दी गयी है।

कोविड-19 की द्वितीय लहर में तेजी से बढ़ती हुई आक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए राज्य के नगरीय निकायों में आक्सीजन प्लांट स्थापित किये गये और करीब-करीब 119 में से 115 आपरेशनल हो गये हैं और बाकी दो महीने के अन्दर-अन्दर ये सब कम्प्लीट हो जायेंगे। इससे 120 मैट्रिक टन आक्सीजन पैदा होगी।

साथ ही विभिन्न संस्थाओं के द्वारा कोरोना काल में सामान्य जन-जीवन की रक्षा और विभिन्न कार्य सम्पादित किये। द्वितीय लहर में जब जनता को इलाज की समस्या हुई तो जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा राधास्वामी सत्संग व्यास भवन, बीलवा में 2000 बैडेड कोरोना केयर सेंटर की स्थापना अल्प समय में की गयी थी।

आक्सीजन प्लांट जहां-जहां लगे वह मैं आपको बता रहा हूं। मोटे तौर पर जयपुर में 11, कोटा में 20, जोधपुर, उदयपुर में 5, भीलवाड़ा में 3, बीकानेर में 4, भरतपुर में 4, बाड़मेर में 1, अलवर में 3, अजमेर 3, कुल 55 आक्सीजन प्लांट स्थापित किये जा रहे हैं।

माडल भवन निर्माण, मतलब बिल्डिंग बायलॉज को बदला गया। टाउनशिप पॉलिसी, मुख्यमंत्री जन आवास के बाबत, संयम लोढ़ा ने मुख्य मंत्री जन आवास की बात उठायी थी। आपने उठायी थी? राजस्थान टाउनशिप पालिसी, 2010, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, 2015 इत्यादि में आमजन की सहूलियत हेतु आवश्यकतानुसार विद्यमान नये प्रावधानों का समायोजन किया गया है। माडल बिल्डिंग बायलाज में 500 वर्ग मीटर से लेकर 2500 वर्ग मीटर तक अगर कोई भूखण्ड है तो उसको किसी भी नगरपालिका, परिषद् या निगम में या जयपुर विकास प्राधिकरण में या किसी यूआईटी में नक्शा पास करवाने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। 500 वर्ग मीटर से लेकर 2500 वर्ग मीटर तक। जो रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट है उससे सर्टिफिकेट ले ले कि यह नक्शा बनाया गया है, यह बिलकुल बिल्डिंग बायलाज के अकोर्डिंग ही है और कागजात और नक्शा पेश कर देगा। जो भी फीस लगती है, वह चालान भरकर बैंक से जमा कर देगा। उसको अब कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं रही है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

जो सबसे बड़ा झगड़ा होता था, मकान की इजाजत नहीं मिली, हमने खूब इंतजार कर लिया, हमने बना लिया, तो कई बार अवैध बन जाते थे। बड़े शहरों में 18 मीटर की ऊंचाई और छोटे शहरों में 15 मीटर की ऊंचाई की प्रक्रिया के सरलीकरण के तहत अनुमोदन हेतु पंजीकृत वास्तुविदों को अधिकृत कर लगभग 76 वास्तुविदों का पंजीकरण किया जा चुका है। नाम हस्तान्तरण, रजिस्ट्री, लीज होल्ड से फ्री होल्ड, एनओसी, नल, बिजली, ऋण, विक्रय इत्यादि के प्रकरणों में मौका निरीक्षण की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है।

राठौड साहब, होता क्या था? होता यह था कि मुझे किसी चीज के लिए एनओसी लेनी पड़ती है। मान लीजिये, बैंक लोन के लिए एनओसी लेनी पड़ती या बेचने के लिए एनओसी लेनी पड़ती। मैं नगरपालिका में जाता, जाता तो जे ईएन से मिलता, कंसर्न आफिसर जे ईएन, जे ईएन कहता कि मौका देख लें। मौका देखने आया तो उसने कहा तुम्हारा बिल्डिंग प्लान लाओ, तो यह रहा, साहब, बिल्डिंग प्लान। इसमें तुमने यह बालकोनी निकाली है, यह बालकोनी इसमें नहीं है, तुम्हें नहीं मिल सकता। कैसे मिलेगा? मैं घर पर जा रहा हूं, पीछे-पीछे आ जाओ, मिल जायेगा। यह होता था। हमने बाकायदा आदेश निकालकर यह पाबन्दी लगा दी कि अगर कोई व्यक्ति हस्तान्तरण, रजिस्ट्री, लीज होल्ड से फ्री होल्ड एनओसी लेने के लिए आता है, चाहे वह बिजली की हो, चाहे नल की हो, चाहे ऋण की हो, चाहे विक्रय की हो, तो कोई भी आदमी मौका नहीं देखेगा और कोई अधिकारी मौका देखने का आदेश देता है तो वह भी सस्पेंड होगा और जाने वाला भी सस्पेंड होगा।

आवासन मण्डल की बात हुई। लाहोटी साहब, आपने आवासन मण्डल की भी बात की।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आप तो बंद करने वाले थे आवासन मण्डल को, ये तो बंद करने वाले थे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह तो ताला ही नहीं मिला बस। हमारे प्रतिपक्ष के आदरणीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस आवासन मण्डल को आपकी सरकार बंद करना चाहती थी, आज वह सफलता की नयी इबारतें लिख रहा है। दिसम्बर, 2018 में हमने जब काम

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

सम्भाला था तब हाउसिंग बोर्ड का बैलेंस कुल मिलाकर 238 करोड़ रुपये था, हालत यह थी कि तनख्वाह बांटने के लिए भी अपनी एफडी तुडवानी पड़ती थी आवासन मण्डल के अधिकारियों को। हालत यह थी। इन तीन सालों में हाउसिंग बोर्ड ने कुल मिलाकर 3 हजार 750 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त किया और आज की तारीख में भी हाउसिंग बोर्ड के बैंक खाते में जो पैसा जमा है, वह करीब-करीब 2500 करोड़ से भी ज्यादा है। हाउसिंग बोर्ड ने 500 करोड़ के विकास के काम आज भी हाथ में ले रखे हैं।

मण्डल के मकानों को लेने के लिए आम आदमी में रुचि नहीं थी, लगभग 20 हजार मकान बिना बिके हुए पड़े थे। ये मुख्य मंत्री की सोच थी, उन्होंने कहा ये 20 हजार मकान, जिनके दरवाजे, खिड़की लोग खोल-खोलकर ले गये, इनको निपटाओ, कैसे भी निपटाओ। 20 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक जो भी कम देता हो, लो और बेचो। आज नतीजा यह रहा है कि सिर्फ 5000 हजार मकान रह गये हैं 20 हजार में से, 5500 मकान बिना बिके रह गये हैं। उम्मीद है कुछ महीनों में ये भी निकल जायेंगे। एक बात बताओ राठौड़ साहब, अगर यह हाउसिंग बोर्ड बंद हो जाता तो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या हो जाता तो?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): रोटी बंद नहीं होती? नहीं, रोटी तो बंद नहीं होती, लेकिन घर का दरवाजा तो बंद हो जाता न। वह ऐसे हो जाता, ये हाउसिंग बोर्ड की बदौलत है, जो शानदार आवास यहां पर बन रहे हैं, ये हाउसिंग बोर्ड की बदौलत है। अगर यह बंद हो जाता तो क्या मिल पाते वे आवास? विधायक आवास परियोजना मूर्त रूप ले रही है। कांस्टीट्यूशन क्लब की तो आपकी सोच ही नहीं थी। यह तो मुख्य मंत्री जी की सोच थी कि कांस्टीट्यूशन क्लब भी बनाओ। आज बन रहा है, आप उसमें पधारे थे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप तो धन्यवाद दीजिये हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी गहलोत को, जिनकी खुद की आवास उपलब्ध करवाने की प्रतिबद्धता और राजकीय संस्थाओं को मजबूत करने के लिए उनकी सोच, आज आवासन मण्डल को उन्होंने खड़ा कर दिया।

जे डी ए की हालत 1988 में ये की ये थी। जब 1998 में हमारी सरकार बनी थी, आप जे डी ए की हालत भी यही छोड़कर गये थे, 1993 से लेकर 1998 तक के दोषी आप हो। आप भी उस कैबिनेट में मैम्बर थे। क्या

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

हालत थी? आप लोग खुद कहा करते थे कि यह जे डी ए तो सफेद हाथी है, 1998 में हमने सम्भाला और सम्भालते ही कितने विकास के काम किये। पूरे जयपुर में जे डी ए के द्वारा विकास के काम किये और जो कर्जा आप छोड़कर गये थे, कर्जा तो आप आज भी छोड़कर गये हो, सुन रहे हो ना लाहोटी जी। आप अब भी दो-ढाई हजार करोड़ रुपये का कर्जा छोड़कर गये थे। जब हमने 2019 में सत्ता सम्भाली। आज देखो, जे डी ए की क्या स्थिति है?

आपको आगे बताता हूं। आपने पढ़कर बताया था कि हाउसिंग बोर्ड का लक्ष्य क्या था? क्यों हाउसिंग बोर्ड का गठन किया गया? मकान बनाने के लिए, लेकिन यही हाउसिंग बोर्ड मकान भी बना रहा है और अपने लीक से हटकर के दूसरे काम भी कर रहा है। चौपाटियां बन रही हैं, पांच हजार आदमी रोज उन चौपाटियों पर जाते हैं। ये आपका कोचिंग हब, अब ताली बजा रहे हो, कोचिंग हब, प्रताप नगर, जयपुर स्थित योजना। परियोजना की रिपोर्ट के अनुसार योजना में कुल 319 करोड़ रुपये के हैं। इसके निस्तारण से मण्डल को करीब-करीब 450 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। सिटी पार्क, मानसरोवर आपका ही, आप भी मौजूद थे, 70 करोड़ रुपये में बन रहा है। फाउंटेन स्क्वायर, मानसरोवर में ही, सांगानेर में नहीं बन रहा है एक भी, आपने आज जितनी भी बात कही हैं, वे सांगानेर ही सांगानेर की कही हैं। अब मैं मानसरोवर में जाकर घर-घर आवाज दूंगा कि लाहोटी ने तुम्हारे लिए एक शब्द नहीं बोला। फाउंटेन स्क्वायर लगभग 14 करोड, प्रताप नगर और मानसरोवर चौपाटी 14 करोड़।

छोटे शहरों में आवासीय योजनाएं प्रारम्भ की गयीं और जो 5 हजार 864 मकानों का निर्माण कार्य द्रुत गति से चल रहा है। सात मुख्य मंत्री जन आवास योजनाओं के तहत 4 हजार 500 आवासों का निर्माण कार्य द्रुत गति से चल रहा है। जयपुर में चार नये बाजार, बाजार बनाना तो हाउसिंग बोर्ड का काम नहीं था न, लेकिन आप देखिये आयुष मार्केट, आतिश मार्केट, झूलेलाल तिब्बती मार्केट, मानसरोवर और राणा सांगा मार्ग, प्रताप नगर का विकास भी हाउसिंग बोर्ड ही कर रहा है। गरीबों के लिए करीब-करीब 1200 दुकानें बनायी गयी हैं, ताकि गरीब रोजगार में लग जाये।

2021 में नगरपालिकाएं बनायी गयी हैं। वह तो आपको मालूम ही है। इस बार 20 नगरपालिकाओं का, अब ये बोलने से कोई फायदा नहीं, लम्बी बात हो जायेगी।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

रोहित बौहरा ने एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान जिस सोच के अनुसार आज तक बनाया जाता है, उस सोच को बदलना पड़ेगा। नयी सोच के तहत इस पर काम करें कि मास्टर प्लान कैसा होना चाहिये? आज की जरूरतों को देखकर उस मास्टर प्लान को बनाया जाना चाहिये। मैं इस बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि हमारे लोगों ने तैयार किये हैं। मास्टर प्लान सिर्फ लैंड यूज प्लान या सेक्टर रोड प्लान ही बनकर के न रह जाये। यह देखना बहुत जरूरी है, यह आज ही तय होना चाहिये कि अगले पच्चीस से लेकर के पचास साल तक हमारा शहर किस प्रकार का दिखे। अपनी जरूरतों को हम कैसे पूरा कर सकें, कौन से बिजनस यहां पर बढेंगे, कितने रोजगार यहां पर पैदा होंगे, लोगों की दिनचर्या किस प्रकार से सुगम होगी, कौनसी गतिविधियां यहां पर होंगी और कहां होंगी?

मास्टर प्लान सिर्फ एक नक्शा ही नहीं होता है, न तो मास्टर प्लान एक नक्शा होता है और न मास्टर प्लान कोई बाइबल होता है। जो लोग यह कहते हैं न कि मास्टर प्लान में कोई चैंज नहीं कर सकता, बिलकुल हो सकता है। बाइबल नहीं है मास्टर प्लान, जरूरत के माफिक बदलता रहता है लेकिन कम से कम बदलाव आये और जितनी जरूरत पड़े, उसकी सारी जरूरतों को पूरा करते हुए अगर कोई बदलाव आता है तो निश्चित तौर पर वह मास्टर प्लान बेस्ट मास्टर प्लान होता है, अपितु मास्टर प्लान में यह तय होना चाहिये कि शहर की स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सुविधाएं, इन्फ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन आदि कैसे संचालित होंगे। मास्टर प्लान यह भी तय करेगा कि क्या नयी अपोर्चुनिटीज पैदा होंगी और क्या मोबेलिटी होगी? कैसे डवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी आयेगी? हमारी धरोहर, हमारी परम्पराओं को हम किस प्रकार से सहेज कर आगे लेकर जायेंगे। मास्टर प्लान इसी दिशा में यह सब चीजें तय करेगा, तब जाकर के मास्टर प्लान का सही यूज हो पायेगा। मास्टर प्लान में इन सभी पहलुओं को सम्मिलित करना चाहिये। लैंड यूज सिर्फ कामर्शियल, रेजीडेंशियल, लैंड यूज में आज होता क्या है, यह रेजिडेंशियल है, यह कामर्शियल है, यह इंडस्ट्रियल है, यह इंस्टिट्यूशनल है, खतम, जबकि ये सब चीजें मौजूद होनी चाहिये कि हमारी एक्टिविटीज कहां-कहां पर क्या-क्या एक्टिविटीज होंगी, उसके लिए हम उसको आइडेंटिफाई करें कि यहां पर यह-यह एक्टिविटी होगी और उससे क्या फायदा होने वाला है, कितना रोजगार

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

मिलेगा, कितना बिजनस बढ़ेगा, कितनी शिक्षा मिलेगी। स्पेसिफिक एक्टिविटीज केन्द्रित होनी चाहिये जैसे मेडिकल एक्टिविटी है, फैसेलिटी, रिटेल, स्माल कॉमर्शियल, स्पोर्ट्स, एजुकेशन आफिसेज आदि इन सबसे शहर का विकास तरीके से हो सकेगा। स्पेसिफिक एक्टिविटीज को चिह्नित किया जाना चाहिये। मास्टर प्लान बने तो शहर का वाटर मैनेजमेंट भी इसी में शामिल होना चाहिये कि हमारा वाटर मैनेजमेंट क्या है। यह तय करेगा कि शहर की ईको फ्रेंडली सिटी किस प्रकार, किसी भी शहर को आज सबसे ज्यादा आवश्यकता अगर किसी बात की है तो ईको फ्रेंडली सिटी बनने की है। पर्यावरण जिस तरीके से बिगड़ने पर उतारू है तो इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिये। मास्टर प्लान में शहर का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का प्लान होना चाहिये, सैटेलाइट टाउन डवलपमेंट और उनकी कनेक्टिविटी, आज कई माननीय सदस्य भी बोले हैं कि कनेक्टिविटी होगी और सैटेलाइट टाउन्स अगर बनेंगे तो जैसे चौमूं है, बस्सी है, शिवदासपुरा वगैरह है, ये सब अगर बनते हैं तो निश्चित तौर पर यहां पर जो जिस प्रकार का जयपुर में अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, वह कम से कम हो पायेगा। माइग्रेशन बाहर से जो हो रहा है वह कम से कम होगा। यह जयपुर की प्रोब्लम नहीं है यह पूरे देश की प्रोब्लम है। गांव से लोग-बाग़ आ-आ करके, शहर में सारी सुविधाओं की वजह से शहर में आकर के रहना चाहते हैं। वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए मास्टर प्लान में रिंग रोड की तर्ज पर ग्रीन रिंग्स बनाने का प्रस्ताव होना चाहिये। वर्टिकल और हाईराइज डवलपमेंट के लिए मास्टर प्लान में अलग स्थान निर्धारित होने चाहिये। कई बार हम देखते हैं कि इस प्रकार के नक्शे भी पास हो जाते हैं कि पुरानी बस्ती है और पुरानी बस्ती में सब मकान एक मंजिल, दो मंजिल के हैं और वहां पर ही कोई हाईराइज बिल्डिंग आकर के खड़ी हो जाती हैं तो गलत होता है, इसलिए हाईराज बिल्डिंग्स के लिए जो वर्टिकल बिल्डिंग्स हैं उन वर्टिकल बिल्डिंग्स के लिए एक अलग स्थान तय होना चाहिये कि वर्टिकल बिल्डिंग्स वहां पर ही जाये।

सभापति महोदय, अब मैं जयपुर विकास प्राधिकरण के बाबत कुछ बोलना चाहता हूं, क्योंकि काफी चीजें बोली हैं। आपने तो बता ही दिया कि ऊपर से लेकर के नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है लेकिन लिखकर किसी की शिकायत आज तक नहीं दी और न दोगे। दोगे भी नहीं, मैं जानता हूं जिन

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

लोगों के खिलाफ आज आप यहां पर बोल रहे हो न, उनके पास चुपचाप जाते हुए मिलते हुए मैंने कई बार देखा है आपको। मैंने एक ही बार नहीं, कई बार ...(व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): विधायकों की कमेटी बना लो, साहब, विधायकों की। मैं तो जाता ही नहीं, आप विधायकों की कमेटी बना दो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उनके दफ्तर में और उनके घरों पर जाते हुए मैंने देखा है। (व्यवधान) मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि शिकायत तो कर रहे हो, लिखकर भी तो दो।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): दे दूंगा, साहब, दे दूंगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इतनी हिम्मत भी रखो कि किसी अधिकारी की अगर मान लीजिये आपके पास शिकायत आयी है तो उस शिकायत को ही फारवर्ड कर दो।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): ध्यानाकर्षण लगाया हुआ है, आप तो कल ही टेबल करवा लो।

श्री सभापति: प्लीज, बैठो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जब आपने जे डी ए सौंपा था तो कर्ज में डूबा हुआ था इसमें तो कोई दोराय नहीं है। था न? किस्तें चुकाने के लिए भी आवश्यक धन उपलब्ध नहीं था। हमने इस स्थिति को सुधारते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया और उसके फलस्वरूप आज चहुंमुखी विकास, जिसके लिए करीब-करीब 750 करोड़ रुपये की नयी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्वीकृति जारी कर मौके पर कार्य प्रारम्भ कर दिया। सिविल लाइन्स पर रेलवे क्रॉसिंग 75 करोड़, रामनिवास बाग़ भूमिगत पार्किंग 94 करोड़ 95 लाख, राजभवन में संविधान पार्क 8 करोड़ 16 लाख, पृथ्वीराज नगर, उत्तर में सीवरेज का कार्य 200 करोड़ रुपया, पृथ्वीराज नगर दक्षिण में पैकेज के तहत सीवरेज कार्य 500 करोड़ रुपये। आपने प्रतापनगर के लिए भी बोला था। पृथ्वीराज नगर के लिए भी बोला था आपने। यह दो सौ और पांच सौ करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये। सुनिये आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बी2 बाईपास जंक्शन, टोंक रोड ट्रैफिक 161 करोड़ 39 लाख सुधारीकरण व सौन्दर्यीकरण का कार्य, जवाहर सर्किल पर ट्रैफिक सुधारीकरण व सौन्दर्यीकरण का कार्य 44 करोड़ 19 लाख, लक्ष्मी मंदिर जंक्शन टोंक रोड पर ट्रैफिक सुधारीकरण व सौन्दर्यीकरण का कार्य 65 करोड़ 34 लाख, लक्ष्मी मंदिर तिराहे पर स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां लगाने का काम 2 करोड़ 54 लाख और गांधी दर्शन म्यूजियम 50 करोड़।

इसी प्रकार से महत्वपूर्ण योजनाओं के निर्माण कार्य जो पूरे कर लिए, मैं एक मिनट में वो भी बता देता हूं। गोनेर रोड पर विद्युतीकरण आरओबी, जयपुर-सीकर रेलवे आरओबी, जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे लाइन सीतापुरा पर 6 लेन की आरओबी का निर्माण कार्य, बम्बाला चौड़ाईकरण, एलसी बस्सी, जयपुर में अण्डरपास, 4 लेन आरओबी निर्माण और किशन बाग परियोजना। यह किशन बाग़ परियोजना को देखा आपने? शुरू तो आपके वक्त में हुई थी यह लेकिन आपकी तो जिस प्रकार की आदत रही है न पुरानी सरकार की कि जाते वक्त शिलान्यास का पत्थर ठोक जाओ और दो-चार करोड़ रुपया खर्च कर दो। (व्यवधान) मेरी बात सुनो। पचास करोड़ रुपये का प्लान है। मान लो पचास करोड़ रुपया खर्च करेंगे, आज शिलान्यास होगा शानदार फंक्शन हो गया, पट्टी लग गयी और करीब पांच करोड़ रुपया खर्च कर दिया और सरकार चल दी। कांग्रेस की सरकार आयेगी करेगी, अपने आप पूरा पैंतालीस करोड़ रुपया लगायेगी, जैसे किसानों का कर्जा आपने माफ किया न 8 हजार करोड़ की घोषणा की, खर्च किया 2 हजार करोड़ और 6 हजार करोड़ हमारे माथे पड़ गया, तो वह हाल है। यह किशन बाग़ को तैयार किया हमने आज, राठौड़ साहब, पांच हजार आदमी रोज पचास रुपये का टिकट कटवा करके वहां पर देखने जाते हैं उस किशन बाग़ को। आपने नहीं देखा, आप जरूर देखियेगा। जरूर देखियेगा, मन प्रसन्न होगा आपका। पचास रुपये का टिकट कटवा करके पांच हजार आदमी रोज देखने जाते हैं उसको और वह वेडिंग पांइट बन गया एक तरह से, क्या कहते हैं उसको। जो काम आपने अधूरे छोड़े थे, जैसे सोडाला का तिराहा, तीन-चार महीने लगेंगे, सोडाला से यह अम्बेडकर सर्किल वाला, जयपुर-सीकर रेलवे, यह भी 31 दिसम्बर तक पूरा हो जायेगा।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(समय: 18.00 बजे)

द्रव्यवती नदी के लिए बार-बार आपने कहा। द्रव्यवती नदी का आपको मालूम ही नहीं है कि किस्सा क्या है। द्रव्यवती नदी जो कि नाहरगढ़ के वहां से जनरेट हुई है, वहां से इसमें अगर पानी प्रेशर से नहीं गिरेगा, तब तक इसमें पानी जाम का जाम रहेगा और तरह-तरह की बीमारियों के मच्छर इसमें पैदा होंगे। एक तो उसकी ढाल पूरी नहीं है, उसके लेवल अच्छी तरह से नहीं लिए गये, इसलिए पानी बहता नहीं है, पानी वैसा का वैसा जाम रहता है। सारी समस्या यह है। देहलावास में 250 करोड़ का जो एसटीपी बना रहे हैं, जो पहले बना हुआ था, 75 करोड़ तो उसका खर्च हो रहा है और करीब-करीब 200 करोड़ नये पर खर्च हो रहा है। वह बन जायेगा तब जाकर आप कुछ उम्मीद करो कि इसका पानी निकलना चालू हो जायेगा।

आपने कहा कि मैं कोटा का यूडीएच मंत्री हूं। आपने गलत नहीं कहा, अच्छा कहा, मैं कोटा से ही हूं, लेकिन आपका भी हूं। जिस प्रकार से आवासन मंडल लीक से हटकर दूसरे क्षेत्रों में काम कर रहा है, मेरे विभाग ने भी, चाहे वह एलएसजी हो, आक्सीजन के प्लांट लगाये। आज जे डी ए एसएमएस में 453 करोड़ रुपये का आईपीडी टावर और इंस्टीट्यूट आफ कार्डियोलॉजी बना रहा है, जिसका वर्क आर्डर जारी हो चुका। 453 करोड़ रुपया उस पर खर्च करेगा। (व्यवधान) विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से हमारे द्वारा आईपीडी टावर की परियोजना का कार्य हाथ में लिया गया है। 453 करोड़ रुपये के कार्य का एलओए लैटर जारी कर दिया गया है। परियोजना का शिलान्यास किया जाकर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। एसएमएस अस्पताल परिसर में निम्न चिकित्सकीय सुविधाएं, आप मेडिकल मिनिस्टर रहे हैं और एक साल नहीं, आप तो पांच या छह साल रहे हैं शायद। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): साढ़े आठ साल।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): साढ़े आठ साल। जिस दिन मानसिंह जी ने यह एसएमएस हास्पिटल बनाया था, तब से लेकर अभी तक यह अस्पताल कितने बैड का है? सिर्फ 2200 बैड इसमें हैं और हम जो आईपीडी टावर बना रहे हैं, यह अकेला 1200 बैड का है जिसमें 20 आपरेशन थिएटर होंगे, 4 कैथलैब, 100 ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर, 1 मेडिकल मेमोरियल, 1 ऊपर हैलीपैड और 1 नवीन मोर्चरी होगी।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

इसी के साथ आपने जो 3-4 योजनाओं के बारे में बताया, एक वेस्टवे हाइट्स योजना के बारे में बताया कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। मैं आपको फिर निवेदन करता हूं कि कृपया उसके बारे में जो कुछ भी आपकी जानकारी है, मुझे लिखकर दें। मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा और मैं आपको आज सदन के सामने यह एश्योरेंस देना चाहता हूं कि अगर आपकी बात सत्य निकली तो निश्चित तौर पर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी। 1998 से लेकर जब मैं यूडीएच मंत्री था, यह चारों योजनाएं मेरे वक्त की बनाई हुई हैं। लोहा मंडी योजना, सीकर रोड, वेस्टवे हाइट्स योजना, अजमेर रोड, ट्रांसपोर्ट नगर योजना और सेंट्रल स्पाइन योजना, जगतपुरा, यह चारों बनाई हुई थीं। जब से मैं दुबारा से बैठा हूं, तब से मैं परेशान था। मैंने कहा कि इन चारों योजनाओं का क्या हुआ, क्यों नहीं निपट रही हैं? निपटाने के लिए जे डी ए के जो सजेशन आये थे, उन सजेशन पर हमने काम किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक की सबकी मीटिंग बुलाकर तय किया कि इसको कैसे न कैसे निपटाया जाय। यह 2000 की बनी हुई थीं और आज हम 2022 में बैठे हुए हैं, उसको निपटाया। इन चारों योजनाओं को निपटाने से जे डी ए को कम से कम 2000 करोड़ का फायदा होगा। अब निपटाने में भी अगर कोई गड़बड़ हो गई हो, किसी ने कर दी हो, तो मेहरबानी करके लिखित में दें और आकर मुझसे डिस्कस करें। आप जैसा कहेंगे, वैसी मैं इन्क्वायरी करवा लूंगा।

राजधानी जयपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म की दृष्टि से निम्न विकास कार्यों की मैं घोषणा करता हूं। (व्यवधान) कासनियां साहब, यह बहस यूडीएच के बारे में हो रही है। हो सकता है आपको समझ में कुछ कम आया हो, माफ करना।

1. झालाना लेपर्ड रिजर्व में लगातार बढ़ रही लेपर्ड की संख्या को देखते हुए खोनागोरियान वन खण्ड के पास स्थित आमागढ़ व लालबेरी वन क्षेत्र को जयपुर विकास प्राधिकरण व वन विभाग के द्वारा विकसित किया जायेगा।

2. नाहरगढ़ जैविक उद्यान में लगभग 20 हैक्टेयर वन भूमि में जयपुर विकास प्राधिकरण व वन विभाग के द्वारा विकास कार्य करवाया जाकर लायन सफारी की तर्ज पर टाइगर सफारी भी प्रारम्भ की जायेगी।

3. जयपुर शहर के मध्य स्थित वन खण्ड मुहाना की 244 हैक्टेयर भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण व वन विभाग के द्वारा वेटलैंड डवलपमेंट

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

एण्ड ईको टूरिज्म के संवर्धन हेतु कार्ययोजना की क्रियान्विति की जायेगी, जिससे कि 80 से अधिक प्रजातियों के माइग्रेटरी और रेजीडेंस पक्षियों के लिए एक सुरक्षित और विकसित क्षेत्र उपलब्ध हो सकेगा।

4. जयपुर विकास प्राधिकरण व वन विभाग के द्वारा राजधानी जयपुर को और अधिक हराभरा बनाने की दृष्टि से कर्पूर चन्द कुलिश स्मृति वन की तर्ज पर बीड़ गोविन्दपुरा कालवाड़ रोड के लगभग 100 हैक्टेयर वन भूमि और बीड़ गोनेर के लगभग 160 हैक्टेयर वन भूमि को विकसित किया जायेगा।

आप कह रहे हो कि जयपुर के लिए जे डी ए ने क्या किया? जयपुर 14 विधान सभा क्षेत्रों में बंटा हुआ है। एक-एक विधान सभा क्षेत्र में कितना कितना पैसा जे डी ए ने खर्च किया है, आप कहो तो मैं पढ़कर बता दूं या आपका ही बता दूं? (व्यवधान) सांगानेर का बता देता हूं। 138 करोड़ 71 लाख 37 हजार की स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं। आपके कुल स्वीकृतियां जारी हुई हैं 203 करोड़ 72 लाख की, आपको इसकी डिटेल चाहिये तो मैं आपको इसकी डिटेल भेज दूंगा। वैसे तो आप जे डी ए जाते ही रहते हो, जे डी ए जाकर मांग लेना, मिल जायेगा।

राजवी साहब भी विराजमान हैं। राजवी साहब, आपके क्षेत्र में 67 करोड़ 48 लाख 79 हजार के काम हुए हैं। रामलाल जी नहीं हैं, सतीश पूनियां साहब भी नहीं हैं। कालीचरण जी हैं। यह लो, आ गये पकड़ाई में। जे डी ए का सबसे ज्यादा माल आपने खाया है। 843 करोड़ 63 लाख 39 हजार की स्वीकृतियां आपको प्राप्त हुई हैं। महेश जी तो शहर में हैं, उनकी 49 करोड़ है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आईपीडी टावर तो मेरे इलाके में ही है। वहीं पर ही आप 453 करोड़ रुपये कर रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वह तो सब मिलकर ही होता है।

कटारिया साहब, मैं एक मिनट के लिए आपका ध्यान चाहूंगा कि अपन को स्मार्ट सिटी के लिए पैसा मिला, जिसमें चार सिटी उदयपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा है। सबको 500-500 करोड़ रुपये देने का वादा था केन्द्र सरकार का। 500 करोड़ तो उनको हर सिटी को देना था और 300 करोड़ रुपये राज्य

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

सरकार को देने थे। बाकी 100 करोड़ रुपये हैं, वे नगर निगम या प्राधिकरण, यूआईटी वगैरह है, उनको देना था। उदयपुर ने 500 करोड़ में से 490 करोड़ उठा लिए। राज्य सरकार का पूरा तीन सौ करोड़ आपको मिल गया था। होता क्या है साहब? दूसरी जगह नहीं मिला, आपको मिला। दूसरी जगह तो सिर्फ 240-240 करोड़ मिले हैं। अजमेर को 240 करोड़ मिले, कोटा को भी 240 करोड़ मिले, जयपुर को 240 करोड़ मिले, Out of 500. होता क्या है, साहब? जैसे मेरे यहां कोटा की प्रोब्लम बताता हूं। जब यह पैसा आया तो यह दो-तीन साल तक पड़ा रहा। कोई प्लान ही नहीं किया, तय ही नहीं कर पाये कि क्या तो करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की पूरी गाइडलाइन है, उसके अनुसार ही काम होता है, उसको आप चेंज तो कर नहीं सकते थे। जो ब्याज का पैसा हो गया, अब वह ब्याज का पैसा केन्द्र सरकार मांग रही है। उन्होंने बाकायदा यह आर्डर कर दिया कि जो भी ब्याज का पैसा है, आप खर्च नहीं करेंगे। सबके सब सिटी वाले हमारे यहां पर देंगे। हमने उससे कहा कि सारा पैसा आपका थोड़े ही है। जितना पैसा आपने दिया है, उतना ही पैसा हमारा भी है। हमारा भी ब्याज ले जायेंगे क्या? यह प्रोब्लम है, इसको थोड़ा-सा फेस करना चाहिये, क्योंकि इससे हर सिटी के करीब 50-60 करोड़ रुपये बचेंगे, वरना यह जब्त हो जायेगा। जयपुर में स्मार्ट सिटी के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, कुल मिलाकर 722 करोड़ रुपये आये, इसमें केन्द्र सरकार का भी है, राज्य सरकार का भी है और यहां के जयपुर विकास प्राधिकरण का भी है।

अजमेर में भी आया। अजमेर प्राधिकरण के द्वारा विगत तीन वर्षों में लगभग 12 करोड़ 57 लाख रुपये व्यय कर विभिन्न सड़कों के सुदृढ़ीकरण के काम किये गये, एक्सटेंशन किया गया, ऑक्सीजन पाइपलाइन वगैरह का और 28 विकास कार्यों के लिए 114 करोड़ 35 लाख रुपये की स्वीकृतियां जारी की गयीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपको एक बात कह रहा था कि उदयपुर ने इसलिए किया कि उदयपुर ने जो पैसा यूआईटी को देना था, वह दे दिया, जो नगरपालिका को देना था, वह दे दिया। हमने अपना शेयर दे दिया। जितना पैसा आपका मिला उसका 90 परसेंट हम खर्च कर पाये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): चारों शहरों में उस वक्त अगर किसी ने सबसे ज्यादा रुचि ली है तो आपने ली है, जिसकी वजह से आपने आज इतना पैसा खर्च कर दिया। हमारे यहां तो 2016 में पैसा आया। 2016 में पड़ा रहा, 2017 में पड़ा रहा और 2018 में पड़ा रहा। कुल मिलाकर 30-40 करोड़ रुपये खर्च हुए, बाकी सारा पैसा वैसे का वैसा पड़ा रहा है। जब 2019 में आया तो मैंने आकर कुछ न कुछ बदला-बदली की। सारे के सारे प्रोजेक्ट बदले, ये करे और तब से वह खर्चा चालू हुआ, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आपने सारा पैसा दे दिया, तो सारा पैसा हमने भी दे दिया। हमारे पास भी कोई बकाया नहीं है।

मैं जोधपुर विकास प्राधिकरण की बाबत निवेदन करना चाहता हूं कि 330 करोड़ 38 लाख रुपये सड़क, नवीनीकरण सुदृढ़ीकरण और विभिन्न योजनाओं के विद्युतीकरण वगैरह के काम किये गये हैं। इसी के साथ-साथ लगभग विकास के 100 कार्य ऐसे चल रहे हैं, जिन पर 504 करोड़ 59 लाख रुपये की स्वीकृतियां जारी की गयी हैं।

नगर विकास न्यास कोटा के बारे में। कोटा के बारे में जो भ्रान्ति है, उसको दूर करना चाहता हूं। कई बार कह भी चुका हूं कई बार मुख्य मंत्री जी भी कह चुके हैं। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा के मामले में आप सदन की कमेटी बना दें। मुझ पर ये आरोप है। अध्यक्ष महोदय आ गये।

(समय: 18.15 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: अध्यक्ष महोदय इसलिए आये हैं कि ट्रेन, बस, सबका रास्ता समय पर जाता है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): साहब, कोटा का तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष: कोटा का सबको मालूम है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जो चीज मालूम नहीं है, वह बताना चाहता हूं। कोटा में आज.

श्री अध्यक्ष: कोटा के बारे में प्रताप सिंह जी कुछ कह रहे थे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वे यहां नहीं है, नहीं तो उनकी भी मैं ग़लतफ़हमी दूर कर देता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप चूरू के 39 करोड़ रुपये कोटा में कैसे ले गये अमृत योजना के।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने दिलवाये हैं। आप क्यों पूछ रहे है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अन्याय किया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने ही दिलवाये हैं। आपकी नालेज में है। माननीय मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): साहब, मैं लम्बी बात नहीं कहना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोटा में आज 3 हजार 673 करोड़ रुपये के काम चल रहे हैं। ये सारे काम यूआईटी के माध्यम से हो रहे हैं। जो स्मार्ट सिटी का पैसा आया है, 240 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से, राज्य सरकार से 240 करोड़, ये छोड़कर, बाकी जितना भी पैसा खर्च हो रहा है वह सब नगर विकास न्यास के द्वारा इकट्ठा किया हुआ पैसा है।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह भ्रान्ति चारों तरफ फैल रही है, क्योंकि जिन लोगों को कोटा का विकास समझ में नहीं आ रहा है या पच नहीं रहा है, उनके पेट में कहीं न कहीं दर्द है। उस दर्द को मिटाना, मैं निश्चित तौर पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सदन की एक कमेटी बना दें और यह जांच करवा लें कि कोटा में जो पैसा खर्च हुआ है, वह कहां से आ रहा है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, मदन दिलावर जी को अध्यक्ष बनायें? (व्यवधान) माननीय सदस्य, यह काम मेरा ही रहने दो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आवाज नहीं आ रही, साहब। जो काम चल रहे हैं, उन कामों के बाबत मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि 3673 करोड़ रुपये के वहां पर काम चल रहे हैं, उसमें सिर्फ 550 करोड़ रुपये काम ऐसा है जो आरयूआईडीपी के द्वारा किया जा रहा है सीवरेज का। बाकी 3123 करोड़ रुपये के जो काम हैं, वे सब यूआईटी के द्वारा चल रहे हैं। इसके साथ-साथ उम्मीद भी करते हैं कि अगले एक साल के अन्दर करीब 1200 करोड़ रुपये की आय का प्लान यूआईटी के द्वारा बनाया गया है, जो कि 100 परसेंट सक्सेस होगा, इसलिए और भी काम चलेंगे।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

यूआईटी, उदयपुर में लगभग 143 करोड़ 60 लाख रुपये व्यय किये गये। सड़कों के सुदृढ़ीकरण के कार्य, अफोर्डेबल हाउस, गृह निर्माणों और सड़कों एवं एलईडी लाइट्स, फ्लाई ओवर निर्माण, अण्डरपास निर्माण आदि के कार्य प्रमुख रूप से करवाये गये हैं। साथ ही, 226 विकास कार्यों के लिए 125 करोड़ 50 लाख रुपये की स्वीकृतियां जारी की गयी हैं। भीलवाड़ा के 90 कार्यों के लिए करीब-करीब 66 करोड़ 98 लाख रुपये की स्वीकृतियां जारी की गयी हैं। अलवर के लिए 161 करोड़ 41 लाख व्यय कर सड़कों के सुदृढ़ीकरण, सीवरेज निर्माण, एसटीपी निर्माण, मिनी सचिवालय परियोजना का शेष निर्माण और 141 विकास कार्यों हेतु 48 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी की गयी हैं।

यू.आई.टी. चित्तौड़गढ़, लगभग 19 करोड़ रुपये व्यय कर सड़कों का निर्माण कार्य और पेरीफेरी के गांवों में सामुदायिक भवनों का निर्माण व विस्तार, सड़कों के चौड़ाईकरण और पार्कों का निर्माण कार्य, 18 विकास कार्यों हेतु राशि 797 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी की गयी हैं।

भरतपुर में 39 विकास कार्यों के लिए करीब-करीब 10 करोड़ रुपया, 30 बड़े निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। प्रमुख रूप से मुख्य स्थानों पर विभिन्न कालोनियों में सी.सी. सड़क, डामर सड़क का निर्माण कार्य साथ ही करवाया गया और 39 विकास कार्यों के लिए भी स्वीकृतियां जारी कर दी गयी हैं।

गंगानगर में 15 करोड़ रुपये व्यय कर सड़क निर्माण, नाली निर्माण, पार्कों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण, विद्युतीकरण आदि के कार्य सम्मिलित हैं। साथ ही लगभग 75 विकास कार्यों हेतु लगभग 12 करोड़ 66 लाख रुपये की स्वीकृतियां जारी हुई हैं।

बीकानेर में लगभग 23 कार्यों के लिए 11 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी हुई हैं। यूआई.टी. आबू द्वारा विकसित तीन वर्षों में लगभग 3 करोड़ 73 लाख रुपये व्यय कर विभिन्न विकास के कार्य करवाये गये हैं। साथ ही लगभग 7 विकास कार्यों के लिए 6 करोड़ की स्वीकृतियां जारी की गयी हैं।

यू.आई.टी. सीकर, 6 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय कर सड़कों का निर्माण करवाया गया है। साथ ही लगभग 8 विकास कार्यों हेतु राशि 161 लाख की स्वीकृतियां जारी की गयी हैं।

सवाई माधोपुर में 325 लाख की स्वीकृतियां जारी की गयी हैं। जैसलमेर में 430 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी की गयी हैं। यू.आई.टी. बाड़मेर में 42 लाख 35 हजार रुपये और 86 लाख 77 हजार रुपये के सड़कों के निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गयी हैं। यू.आई.टी. पाली, पाली शहर में

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

2037 तक का मास्टर प्लान, तदनुसार जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार करके लागू किया जा चुका है। इसके अनुरूप विकास के कार्य करवाये जा रहे हैं। अतिरिक्त न्यास द्वारा आमजन के लिए 95 बीघा भूमि पर श्रीकृष्ण नगर आवासीय योजना तैयार की गयी है।

जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा सहित सात शहरों के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 15 सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे वहां पर विकास के काम चलेंगे।

मैट्रो कारपोरेशन के लिए कई बार बात हुई। लाहोटी जी ने बार-बार सांगानेर लाने के लिए कहा कि, साहब, सांगानेर ले जाएंगे तभी जाकर सक्सेस होगी। बात सही है कि मैट्रो का पहला जो सर्वे हुआ था, उस समय श्रीधरन जो मैट्रो मैन के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्हीं के द्वारा एजेंसी नियुक्त की गयी थी। उन्हीं के द्वारा सारा का सारा निर्माण कार्य किया गया था। बीच में वे छोड़कर चले गये थे। रिटायर हो गये। फिर कोई दूसरा आया, तीसरा आया, आज डी.एम.आर.सी. के कोई दूसरे अफसर ही काम कर रहे हैं। उन्हीं के द्वारा दूसरी डी.पी.आर. भी बनायी गयी है। जो दो डी.पी.आर. बनी है, वह एक बनी है कि बड़ी चौपड़ से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक, दूसरी डी.पी.आर. बनी है सीतापुरा से लेकर पानीपेच तक, अब इनमें से कौनसी फिजिबल होती है, कौनसी नहीं होती है, यह आगे जाकर देखने की बात है।

आर.यू.आई.डी.पी. के द्वारा 2034 करोड़ रुपये के काम किये गये हैं। इस सरकार के कार्यकाल में पूर्व के मुकाबले 250 प्रतिशत अधिक प्रगति दर्ज की गयी है और 1751 करोड़ रुपये उसमें से व्यय भी किये गये हैं। पहले आपके समय में आर.यू.आई.डी.पी. के द्वारा जो काम किये गये थे, उनसे 250 प्रतिशत ज्यादा काम हाथ में लिए गये हैं। चतुर्थ चरण में 5 हजार करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न शहर में आधारभूत सुविधाओं का विकास करवाया जाएगा। ट्रैंच प्रथम में 3 हजार 76 करोड़ की लागत से कार्य प्रगतिरत है, जबकि 2100 करोड़ की लागत का ट्रैंच द्वितीय एशियन विकास बैंक से ऋण स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। ट्रैंच प्रथम में 14 शहरों में सीवरेज और जलप्रदाय कार्य करवाये गये हैं। 37 शहरों में सीवरेज का ड्रेनेज, ट्रैंच द्वितीय के अन्तर्गत 37 शहरों में सीवरेज ड्रेनेज जलप्रदाय और शहरी सौन्दर्यीकरण, हैरिटेज, सड़क इत्यादि के कार्य करवाए जायेंगे। 24 शहरों में 38 कार्यों हेतु राशि 2059 करोड़ की डी.पी.आर. तैयार की जा चुकी है, जो एशियन बैंक से अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

उल्लेखनीय है कि तीन वर्षों में आर.यू.आई.डी.पी. के द्वारा अर्जित वित्तीय प्रगति क्रमश: 435 करोड़, दूसरे साल में 724 करोड़ और इस वर्ष 1000 करोड़ रुपये अभी तक जो कि आर.यू.आई.डी.पी. के इतिहास की सर्वाधिक है।

अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो जो माननीय सदस्य बोले हैं, उनकी बात का जवाब दे दूं।

श्री अध्यक्ष: बहुत ज्यादा हो गया। माननीय सदस्य, please, he is on legs. He has not yielded. Please. अंकित नहीं होगा। मंत्री जी खड़े हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: अजीब बात है बिलकुल। You don't want to learn anything. कटारिया जी प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहता हूं कि नगरपालिका हो या नगर निगम हो, इनकी आमदनी बढ़ाने के सोर्स के बारे में भी विचार करना चाहिये। कारण क्या है कि आर्थिक दबाव इतना बन रहा है कि तनख्वाह चुकाने की स्थिति भी नहीं है। हमको इस बारे में भी, मैं चाहता हूं कि आज आप कोई न कोई इस बात को रखें। ये जो मैरिज गार्डन हैं, शहर छोटा और बड़े को सोचकर सबको 60 फीट पर कर रखा है जबकि हमारा शहर इतना पुराना और छोटा है कि 40 फीट पर भी कई गार्डन बने हुए हैं। चाहते हुए भी उनको हम लाइसेंस देकर पैसा नहीं ले सकते हैं क्योंकि उस पर रोक है। मेरा केवल इतना ही कहना है कि ये सब संस्थाएं आर्थिक दृष्टि से स्वयं अपने पैरों पर कैसे खड़ी हों, इसके बारे में गहराई से विचार करके हमको आगे बढ़ना चाहिये, तब जाकर सही ढंग से चल सकेंगी।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अनुदान की मांग संख्या 29-नगर आयोजना व प्रादेशिक विकास पारित की जाये।

मांग संख्या 29 का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में

(श्री अध्यक्ष)

किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 63,77,95,23,000/- (तिरेसठ अरब सतहत्तर करोड़ पचानवे लाख तेईस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मुखबंद

अनुदान की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या 1 - राज्य विधान मण्डल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1 - राज्य विधान मण्डल के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 93,60,60,000/- (तिरानवे करोड़ साठ लाख साठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 2 - मंत्रिपरिषद

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2 - मंत्रिपरिषद के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,70,05,000/- (पन्द्रह करोड़ सत्तर लाख पांच हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 3 - सचिवालय

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3 - सचिवालय के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,38,95,27,000/- (तीन अरब अड़तीस करोड़ पचानवे लाख सत्ताईस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 4 - जिला प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4 - जिला प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,07,12,51,000/- (सात अरब सात करोड़ बारह लाख इक्यावन हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 5 - प्रशासनिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5 - प्रशासनिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,58,85,02,000/- (छह अरब अठावन करोड़ पचासी लाख दो हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 6 - न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6 - न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,00,47,49,000/- (तेरह अरब सैंतालीस लाख उनचास हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 7 - निर्वाचन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7 - निर्वाचन के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,45,85,21,000/- (एक अरब पैंतालीस करोड़ पिचासी लाख इक्कीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 8 - राजस्व

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8 - राजस्व के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,68,93,73,000/- (दस अरब अड़सठ करोड़ तिरानवे लाख तिहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 9 - वन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9 - वन के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,34,90,11,000/- (तेरह अरब चौंतीस करोड़ नब्बे लाख ग्यारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 10 - विविध सामान्य सेवायें

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10 - विविध सामान्य सेवायें के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,38,42,11,000/- (दस अरब अड़तीस करोड़ बयालीस लाख ग्यारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 12 - अन्य कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12 - अन्य कर के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,84,79,04,000/- (ग्यारह अरब चौरासी करोड़ उनासी लाख चार हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 14 - ब्रिकी कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14 - ब्रिकी कर के संबंध में 31 मार्च,

(श्री अध्यक्ष)

2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,33,47,27,000/-(पंद्रह अरब तैंतीस करोड़ सैंतालीस लाख सत्ताईस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 15 - पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15 - पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,44,29,16,05,000/- (दो सौ चवालीस अरब उनतीस करोड़ सोलह लाख पांच हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 18 - जन सम्पर्क

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18 - जन सम्पर्क के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,15,52,73,000/- (एक अरब पंद्रह करोड़ बावन लाख तिहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 19 - लोक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19 - लोक निर्माण कार्य के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,74,65,62,000/- (पच्चीस अरब चौहत्तर करोड़ पैंसठ लाख बासठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 20 - आवास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20 - आवास के संबंध में 31 मार्च,

(श्री अध्यक्ष)

2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,90,18,95,000/- (एक अरब नब्बे करोड़ अठारह लाख पचानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 21 - सड़कें एवं पुल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21 - सड़कें एवं पुल के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 96,95,01,55,000/- (छियानवे अरब पचानवे करोड़ एक लाख पचपन हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 22 - क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22 - क्षेत्र का विकास के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,79,79,52,000/- (दो अरब उनासी करोड़ उनासी लाख बावन हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 23 - श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23 - श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,36,23,37,000/- (चौदह अरब छत्तीस करोड़ तेईस लाख सैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 25 - कोषागार व लेखा प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25 - कोषागार व लेखा प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के

(श्री अध्यक्ष)

निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,39,95,34,000/- (चार अरब उनतालीस करोड़ पचानवे लाख चौंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,64,54,52,55,000/- (दो सौ चौंसठ अरब चौवन करोड़ बावन लाख पचपन हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 32 - नागरिक आपूर्ति

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32 - नागरिक आपूर्ति के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,88,95,32,000/- (चार अरब अठासी करोड़ पचानवे लाख बत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 33 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,16,31,29,07,000/- (एक सौ सोलह अरब इकतीस करोड़ उनतीस लाख सात हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 34 - प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34 - प्राकृतिक आपदाओं से राहत के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 41,58,76,89,000/- (इकतालीस अरब अठावन करोड़ छिहत्तर लाख नवासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 35 - विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35 - विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,62,27,58,000/- (चौदह अरब बासठ करोड़ सत्ताईस लाख अठावन हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 36 - सहकारिता

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36 - सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,97,94,58,000/- (सोलह अरब सतानवे करोड़ चौरानवे लाख अठावन हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 37 - कृषि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37 - कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 51,20,46,60,000/- (इक्यावन अरब बीस करोड़ छियालीस लाख साठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 38 - लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38 - लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,53,93,61,000/- (एक अरब तिरपन करोड़ तिरानवे लाख इकसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 39 - पशुपालन एवं चिकित्सा

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39 - पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,62,93,38,000/- (बाईस अरब बासठ करोड़ तिरानवे लाख अड़तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 40 - राजकीय उपक्रम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40 - राजकीय उपक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,90,11,000/- (एक करोड़ नब्बे लाख ग्यारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 43 - खनिज

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43 - खनिज के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,89,83,46,000/- (सात अरब नवासी करोड़ तिरासी लाख छियालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 44 - लेखन सामग्री एवं मुद्रण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44 - लेखन सामग्री एवं मुद्रण के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 33,78,62,000/- (तैंतीस करोड़ अठहत्तर लाख बासठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 46 - सिंचाई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46 - सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 64,75,28,29,000/- (चौंसठ अरब पचहत्तर करोड़ अट्ठाईस लाख उनतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 47 - पर्यटन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47 - पर्यटन के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,97,23,77,000/- (एक अरब सतानवे करोड़ तेईस लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 48 - विद्‍युत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 48 - विद्‍युत के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,70,28,30,08,000/- (एक सौ सत्तर अरब अट्ठाईस करोड़ तीस लाख आठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 49 - स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 49 - स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,23,000/- (चार लाख तेईस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 50 - ग्रामीण रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 50 - ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31

(श्री अध्यक्ष)

मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 53,32,34,12,000/- (तिरपन अरब बत्तीस करोड़ चौंतीस लाख बारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

विधेयक का पुर:स्थापन। राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करता हूं।

बधाई एवं आभार

माननीय सदस्यों एवं प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं

श्री अध्यक्ष: सभी माननीय सदस्यों को, उनके परिवार को और पूरे राजस्थान प्रदेशवासियों को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 21 मार्च 2022 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.41 बजे सोमवार, दिनांक 21 मार्च 2022 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सर्वांगीण विकास हेतु राजस्थान पैटर्न

341. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए 2021-22 के बजट प्रस्तावों में राजस्थान पैटर्न लागू कर कानून बनाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कानून लागू होने के पश्चात् जिला झुंझुनूं के कितने अभ्यर्थियों को चयनित किया गया व चयन के आधार पर उनको क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2021-22 के बजट प्रस्तावों में विशेष राजस्थान पैटर्न लागू कर कानून बनाने की घोषणा की गई थी। उक्त विधेयक को दिनांक 02 मार्च, 2022 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जा चुका है।

(2) चूंकि उक्त विधेयक अभी राजस्थान विधान सभा में विचाराधीन है एवं लागू नहीं हुआ है। अत: वांछित सूचना शून्य है।

मेड़तासिटी-जसनगर स्टेट हाईवे की मरम्मत

342. श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के मेड़तासिटी से जसनगर जाने वाली स्टेट हाईवे सड़क क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्टेट हाईवे पर मेड़तासिटी से जसनगर के मध्य टोल प्लाजा लगा हुआ है तथा सड़क क्षतिग्रस्त होते हुए भी टोल वसूली की जा रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती इन्दिरा देवी)

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के उक्त टोल प्लाजा को सड़क मरम्मत करवाये जाने तक बंद करने का विचार रखती है? यदि हां, तो, कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्षा ऋतु में सड़क आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। मेड़ता से जसनगर जाने वाली स्टेट हाईवे सड़क की मेड़ता विधान सभा क्षेत्र में लम्बाई 26.50 कि.मी. है, जो कि मेड़ता-लाम्बिया-रास सड़क के प्रोजेक्ट का एक भाग है। मेड़ता विधान सभा क्षेत्र में निहित आंशिक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत हेतु साधारण एवं विशेष श्रेणी के मरम्मत कार्य आरम्भ किये गये थे, जिनमें से अधिकांश स्थानों पर सड़क की साधारण मरम्मत के कार्य करवा दिये गये हैं एवं विशेष मरम्मत का कार्य निम्नानुसार प्रगति पर है :-

(1) मेड़ता-जसनगर सड़क की विशेष मरम्मत के तहत लगभग 12.50 कि.मी. (फोर लेन) लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य प्रगतिरत है।

(2) सड़क पर स्थित आबादी क्षेत्रों यथा जैतारण चौकी, बाईपास तिराहा, धनेरिया लील, समदोलाव, जसनगर आदि स्थानों पर जल भराव के कारण क्षतिग्रस्त होने से बचाव हेतु, सीमेन्ट कंक्रीट की सड़क बनाने का कार्य, लगभग 2742.00 मीटर (1815.00 मीटर फोर लेन एवं 927.00 मीटर टू लेन) लम्बाई में प्रगतिरत है।

उपरोक्त दोनों विशेष श्रेणी के मरम्मत/नवीनीकरण एवं सीमेन्ट कंक्रीट सड़क इत्यादि कार्य माह जून 2022 तक पूर्ण करा दिये जायेंगे।

(2) मेड़ता सिटी से जसनगर के मध्य समदोलाव गांव के पास टोल प्लाजा पर नियमानुसार टोल संग्रहण किया जा रहा है। सड़क मरम्मत कार्य समय-समय पर आवश्यकतानुसार किया जाता है। वर्तमान में सड़क की साधारण मरम्मत करा दी गई है एवं विशेष मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है। यह कार्य जून 2022 तक पूर्ण करवा दिया जायेगा।

(3) जी नहीं। सड़क की मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य एक सतत प्रक्रिया है एवं आवश्यकतानुसार मरम्मत/नवीनीकरण कार्य करवाया जा रहा है।

उच्चैन (नदबई) में बालिका छात्रावास खोलने की कार्ययोजना

343. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई की नगरपालिका क्षेत्र उच्चैन में एसटी, एससी व एमबीसी वर्ग की कन्याओं के लिए कोई बालिका छात्रावास नहीं है?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में उक्त के लिए छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नदबई की नगरपालिका क्षेत्र उच्चैन में एसटी/एससी/एमबीसी वर्ग की कन्याओं हेतु वर्तमान में विभाग द्वारा कोई बालिका छात्रावास संचालित नहीं है।

(2) माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की घोषणा संख्या 66 की अनुपालना में नदबई की नगरपालिका क्षेत्र उच्चैन-भरतपुर में अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास खोले जाने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पत्रावली वित्त विभाग में प्रेषित की जा चुकी है। जिला कलेक्टर एवं जिलाधिकारी भरतपुर को नवीन छात्रावास भवन निर्माण हेतु उपयुक्त जमीन आबंटन हेतु पत्र जारी किया जा चुका है।

श्री कल्याण मंदिर डिग्गी (मालपुरा) में विकास कार्य

344. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2016-17 में विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में श्री कल्याण मन्दिर हेतु 5 करोड़ रुपये व अन्य विकास कार्य जैसे बाह्य एवं आन्तरिक सड़कों सहित ग्राम डिग्गी को अन्य गांवों से जोड़ने वाली सड़कों तथा प्लान्टेशन के लिए 54.31 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे?

(2) क्या यह भी सही है कि अब तक मन्दिर विकास कार्यों में 2.50 करोड़ व अन्य विकास कार्यों में 29.14 करोड़ रुपये ही व्यय किये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार शेष बजट के कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाने का विचार

(श्री कन्हैया लाल)

रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसे कार्य व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में स्थित श्री कल्याण मंदिर, डिग्गी के विकास हेतु 5.00 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई जिसमें आर.एस.आर.डी.सी. को 4.86 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ 7(3) अनु- 2/2017-18 डी-240 दिनांक 23.08.2017 द्वारा श्री डिग्गी कल्याण जी मंदिर की आन्तरिक एवं बाह्य सड़कों के विकास हेतु राशि रुपये 54.31 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी जिसमें से आर.एस.आर.डी.सी. लि. को 47.92 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं।

(2) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्रांक में एफ (3) अनु-2/2017-18 डी-240 दिनांक 23.08.2017 द्वारा श्री डिग्गी कल्याण मंदिर बाह्य सड़कों के विकास हेतु राशि रुपये 54.31 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी, जिसमें से आर.एस.आर.डी.सी. लि. को 47.92 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके है।

मंदिर विकास कार्यों पर अब तक 3.2 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है एवं कार्य प्रगति पर है। आन्तरिक एवं बाह्य सड़कों के विकास कार्यों पर अब तक 32.70 करोड़ का व्यय हो चुका है। शेष बजट के कार्यों के संबंध में निर्णय सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्तर से लिया जाना है।

जमवारामगढ़ में माडा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

345. श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में विगत तीन वर्षों में माडा योजनान्तर्गत कार्य स्वीकृत करने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितने आवेदनों पर कार्य स्वीकृत किए गए? वर्षवार व ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपाल लाल मीना)

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजनान्तर्गत विकास कार्य स्वीकृत करने हेतु जन प्रतिनिधियों द्वारा भी प्रस्ताव भेजे गए हैं? यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजनान्तर्गत वर्तमान में किन-किन स्थानों के कितने कार्यों के आवेदन कब से लंबित हैं तथा लंबित आवेदनों का कब तक निस्तारण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में माडा क्षेत्र अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में राशि रु. 879.80 लाख के कुल 140 प्रस्ताव विभिन्न जन प्रतिनिधियों से शासन/जिला परिषद् के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। (परिशिष्ट-अ)

प्राप्त प्रस्तावों में से राशि रु. 72.80 लाख के 25 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है। स्वीकृत कार्यों का वर्षवार-ग्रामवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वर्ष	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	स्वीकृत कार्य
1.	2019-20	जमवारामगढ़	नेवर	1
2.	2019-20	जमवारामगढ़	मानोता	21
3.	2020-21	जमवारामगढ़	बिलोद	1
4.	2020-21	जमवारामगढ़	दतालामीना	1
5.	2021-22	आंधी	थली	1
			कुल	**25**

स्वीकृत कार्यों की वर्षवार/ग्रामवार सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि जन प्रतिनिधियों द्वारा विकास कार्य के 137 प्रस्ताव प्राप्त हुए है। सूची परिशिष्ट-स संलग्न है। इनमें से 25 कार्यों हेतु 72.80 लाख रु. की स्वीकृति जारी की गई। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

प्राप्त प्रस्तावों पर कार्यों की आवश्यकता, उपादेयता एवं बजट की उपलब्धता अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

(3) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में माडा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2019 से अब तक 115 लम्बित प्रस्तावों पर बजट की उपलब्धता, क्षेत्र की आवश्यकता एवं कार्य की उपादेयता के अनुसार स्वीकृत किये जावेंगे। लम्बित आवेदनों की सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बड़ी सादडी में संविदा कम्प्यूटर आपरेटर

347. श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना तथा जांच योजना में मैन विद मशीन कम्प्यूटर आपरेटर वर्तमान में संविदा पर एवं प्लेसमेंट एजेंसी से कितने कार्यरत हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त को वर्तमान में कितना मानदेय दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आपरेटर्स के मानदेय में नियुक्ति तिथि से दिसम्बर, 2021 तक कितनी बार तथा कितनी वृद्धि की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निम्नानुसार मशीन विद मैन की सेवाएं ली जा रही हैं:-

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी	**प्लेसमेन्ट एजेन्सी**	**आरएमआरएस**	**कुल**
जिला चित्तौड़गढ़	0	12	12
जिला प्रतापगढ़	2	4	6
कुल	**2**	**16**	**18**

नोट:- 16 मशीन विद मैन कोर्ट स्टे से कार्यरत हैं।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निम्नानुसार मशीन विद मैन की सेवाएं ली जा रही हैं:-

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी	**प्लेसमेन्ट एजेन्सी**	**आरएमआरएस**	**कुल**
जिला चित्तौड़गढ़	0	1	1
जिला प्रतापगढ़	0	0	0
कुल	**0**	**1**	**1**

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादडी जिला चित्तौड़गढ़ में 12 मशीन विद मैन कोर्ट स्टे की पालना में आरएमआरएस के माध्यम से कार्यरत हैं, जिन्हें 8500 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है।

जिला प्रतापगढ के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में कोर्ट स्टे की पालना में आरएमआरएस के माध्यम से कार्यरत 4 मशीन विद मैन को 8476 रुपये प्रतिमाह, मानदेय दिया जा रहा है। प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से रखे गये मशीन विद मैन को वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 के अनुसार 8476+1017.12 (EPF)+275.47(ESI)+1(Service Charge)+762.84 (CGST) + 762.84(SGST)= 11295.27 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादडी जिला चित्तौड़गढ़ में 1 मशीन विद मैन आरएमआरएस के माध्यम से कार्यरत है, जिसे 8500 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है।

(3) उक्त मशीन विद मैन का निम्नानुसार मानदेय बढाया गया है:-

वर्ष 2014 में वित्त विभाग के सर्कुलर दिनांक 01.05.2014 द्वारा मानदेय 6500 से बढ़ाकर 8000 रुपये प्रतिमाह किया गया। प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

वर्ष 2015 में वित्त विभाग के सर्कुलर दिनांक 01.07.2015 द्वारा मानदेय 8000 से बढाकर 8500 रुपये प्रतिमाह किया गया। प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

योजनान्तर्गत वर्तमान में प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से रखे गये मशीन विद मैन को वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 (प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न) की पालना में श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.07.2021 (प्रति परिशिष्ट-द पर संलग्न) के लैबर एक्ट के तहत न्यूनतम पारिश्रमिक राशि 8476+13% (PF)+3.25(ESI)+18% (GST)+ (Service Charge) (सेवा प्रदाता द्वारा किये गये अनुबंध के आधार पर) के अनुसार मानदेय दिये जाने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक 1136 दिनांक 04.10.2021 एवं क्रमांक 198 दिनांक 11.03.2022 के द्वारा स्वीकृति जारी की गई। प्रति परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयीं)

अलवर में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु क्रय सामग्री

348. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा मास्क, सैनेटाइजर, पी.पी.ई. किट, बैडशीट आदि खरीद हेतु क्या प्रक्रिया एवं कितनी दर निर्धारित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा जिला अलवर में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु विगत दो वर्ष में मास्क, सैनेटाइजर, पी.पी.ई. किट, बैडशीट आदि कितनी-कितनी संख्या में, किस दर पर, किस गुणवत्ता के खरीद किये गये? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु मास्क, सैनेटाइजर, पी.पी.ई. किट आदि की खरीद राजस्थान लोक उपापन नियम 2012 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है।

सामग्री की दरों का निर्धारण भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 21 मार्च, 2020 के अनुसार किया गया था। नोटिफिकेशन की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) अलवर जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु उच्च गुणवत्ता के मास्क, सैनेटाइजर, पी.पी.ई. किट की खरीद की गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

फसलों की सुरक्षा हेतु तारबंदी पर देय अनुदान

349. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा फसलों की सुरक्षा करने के लिए तारबंदी करवाने हेतु अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार किसानों की फसलों को जंगली व आवारा जानवरों से बचाने हेतु स्थायी समाधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में किसानों की फसलों को नीलगाय व आवारा पशुओं से बचाने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन (एनएफएसएम आयल सीड्स, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना) के अन्तर्गत सभी श्रेणी के कृषकों को लक्षित कर सामुदायिक आधार पर कांटेदार/चैनलिंक तारबंदी कार्यक्रम लिया जा रहा है, जिसमें कम से कम 3 हैक्टेयर क्षेत्रफल हो एवं 3 कृषकों का समूह हो। तारबंदी हेतु पेरीफेरी (परिधि) कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रु. 40 हजार, जो भी कम हो, प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान देय है।

वर्ष 2022-23 के बजट में योजना में 3 कृषकों की इकाई के प्रावधान को समाप्त कर अब एकल कृषक को भी लाभान्वित करने के साथ-साथ न्यूनतम क्षेत्रफल की सीमा को भी घटा कर 1.5 हैक्टेयर किया जाना प्रस्तावित कर दिया गया है।

(2) वन विभाग द्वारा रोजड़ों व अन्य जंगली जानवरों की रोकथाम हेतु निम्नांकित अधिसूचना/आदेश प्रसारित किये हुए हैं:-

(अ) अधिसूचना क्रमांक प11(27) वन/91 दिनांक 3.3.1994, अधिसूचना क्रमांक प.11(27) वन/91 दिनांक 19.1.1996 व दिनांक 30.4.1997 तथा अधिसूचना क्रमांक प.11(27)वन/91 दिनांक 31.8.2000 द्वारा वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम-1972 की 11(1)(बी) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची-III में प्रावधान।

(ब) राज्य सरकार के पत्र संख्या प.,11(12)वन/98 जयपुर, दिनांक 31.03.1998 एवं दिनांक 31.08.1998 द्वारा जारी स्वीकृति के अनुसार वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम-1972 की धारा-5(2) के अन्तर्गत कार्यालय आदेश एफ3 (465)तक./मुवजीप्र/97/9919 दिनांक 01.08.1998 व कार्यालय आदेश एफ3 (465)तक./मुवजीप्र/97/15060 दिनांक 10.11.1998 एवं कार्यालय आदेश एफ3 (465) तक./मुवजीप्र/97/12445 दिनांक 30.09.2004 में उल्लेखित प्रावधान।

उक्तानुसार जारी अधिसूचनाओं/आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बाड़मेर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना

350. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या तकनीकी शिक्षा [कृषि] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जिला बाड़मेर में कृषि एवं पशुपालन की बहुलता को

(श्री मेवाराम जैन)

देखते हुए उक्त जिला मुख्यालय पर कृषि महाविद्यालय तथा डेयरी महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार कृषि प्रधान उक्त जिले में आधुनिक तरीके से खजूर एवं अनार की खेती को प्रोत्साहन देने हेतु कोई विशेष कार्ययोजना लागू करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट वर्ष 2022-23 में बाड़मेर मुख्यालय पर नवीन कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। वर्तमान में बाड़मेर जिला मुख्यालय पर डेयरी महाविद्यालय अलग से खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। खजूर एवं अनार की खेती को प्रोत्साहन हेतु उद्यान विभाग, राजस्थान द्वारा बाड़मेर जिले में निम्नानुसार अनुदान दिया जाता है:-

खजूर पौध रोपण पर आरकेवीवाई योजनान्तर्गत अनुदान प्रावधानों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर तथा गत दो वर्ष की प्रगति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

अनार पौध रोपण पर बाड़मेर जिले में उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत अनार की खेती को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान दिया जाता है। अनार की सघन खेती पर इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 40 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर तथा सामान्य अन्तराल पर इकाई लागत 50 प्रतिशत अधिकतम 30 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर अनुदान दिया जा रहा है।

गत 3 वर्षों एवं चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बाड़मेर जिले में अनार की खेती पर दिये गये अनुदान का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	वर्ष	क्षेत्रफल (है. में)	कृषकों की संख्या	अनुदान राशि (लाखों में)
1.	2018-19	85	71	16.50
2.	2019-20	34	28	8.29
3.	2020-21	28	17	7.09
4.	2021-22 प्रशासनिक स्वीकृति जारी	15	11	2.57

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

रायपुर (सहाड़ा) में पशु विज्ञान केन्द्र की स्थापना

351. श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के उपखण्ड मुख्यालय रायपुर में पशु विज्ञान केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड मुख्यालय रायपुर में पशुधन सहायक व वीए का प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार नवीन पशु विज्ञान केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) जी हां। आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार राज्य में विभागीय तकनीकी कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। वर्तमान में राज्य में पशुधन सहायक (एलएसए) एवं पशु चिकित्सा सहायक (वीए) को निम्न विभागीय प्रशिक्षण संस्थानों में आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण दिलवाया जाता है:-

1. राज्य पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर
2. राज्य पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान, बस्सी
3. राज्य पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर
4. राज्य पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान, कोटा
5. राजकीय पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर
6. राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर
7. राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, जामडोली, जयपुर
8. राजकीय कुक्कुट फार्म, खातीपुरा, जयपुर
9. राजकीय शूकर फार्म, अलवर

पोकरण-फलसूण्ड-सिवाना वृहद् पेयजल परियोजना

352. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मदन प्रजापत)

(1) क्या यह सही है कि पोकरण - फलसूण्ड - बालोतरा - सिवाना वृहद् पेयजल योजना के अन्तिम छोर के गांवों तक पानी नहीं पहुंच पाया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना में मांग अनुसार राशि का आबंटन वित्तीय वर्ष 2022-23 में कर अन्तिम छोर के गांवों में पानी पहुंचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले के 2 कस्बे क्रमश: बालोतरा एवं सिवाना, जैसलमेर जिले के कस्बा पोकरण तथा बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले के क्रमश: 386 एवं 177, कुल 563 ग्रामों को प्रगतिरत पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना वृहद् पेयजल परियोजना से स्वच्छ नहरी पेयजल आपूर्ति करना प्रावधित है।

उक्त पेयजल परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन हेतु 7 पैकेजों में विभक्त करते हुए 4 पैकेजों क्रमश: पैकेज एस.पी.आर.-01 का कार्य माह मई, 2014, पैकेज एस.पी.आर.-2अ का कार्य माह अक्टूबर, 2019, पैकेज एस.पी.आर.-3ब का कार्य जुलाई, 2019 एवं पैकेज एस.पी.आर.-4अ का कार्य अक्टूबर, 2019 में पूर्ण किया जाकर तथा प्रगतिरत पैकेज एस.पी.आर.-2ब, 4ब एवं एस.पी.आर.-3अ से बाड़मेर जिले के 234 ग्रामों को पूर्ण रूप से एवं 31 ग्रामों को आंशिक रूप से तथा जैसलमेर जिले के 176 ग्रामों को पूर्ण रूप से स्वच्छ नहरी पेयजल आपूर्ति से अब तक लाभान्वित किया गया है।

उक्त पेयजल परियोजना के प्रगतिरत 3 पैकेजों में से 2 पैकेज क्रमश: एस.पी.आर.-2ब एवं 4ब से बाड़मेर जिले के आंशिक रूप से लाभान्वित 31 ग्रामों सहित शेष 152 ग्रामों को चरणबद्ध रूप से माह मार्च, 2023 तक तथा पैकेज-3अ से जैसलमेर जिले के शेष रहे 01 ग्राम को माह अप्रैल, 2022 तक पूर्ण रूप से लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। उक्त पेयजल परियोजना पर रुपये 1671.88 करोड़ की राशि का व्यय माह फरवरी, 2022 तक हो चुका है तथा इस परियोजना हेतु आवश्यक बजट उपलब्ध कराया जाकर, उपरोक्तानुसार शेष रहे समस्त ग्रामों को माह मार्च, 2023 तक लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

काणियां (हुरडा) को चम्बल परियोजना से जोड़ने की योजना

353. श्री राकेश पारीक (मसूदा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार ग्राम काणियां तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा को चम्बल परियोजना से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

लोकसभा क्षेत्र अजमेर के अंतर्गत जिला भीलवाड़ा की तहसील हुरडा के ग्राम पंचायत मुख्यालय, कानिया वर्ष 2007-08 से बीसलपुर बांध आधारित भिनाय-मसूदा फ्लोराइड नियंत्रण की द्वितीय चरण की परियोजना से लाभान्वित है। इस परियोजना से ग्राम कानिया में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 72 घण्टे के अंतराल से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है।

चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना अंतर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय कानिया सहित तहसील बनेड़ा एवं हुरडा के ग्रामों के पैकेज हेतु जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राशि रुपये 166.68 करोड़ की प्रस्तावों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 02.07.2021 को आयोजित एस.एल.एस.एस.सी. की 25वीं बैठक द्वारा जारी की गई थी।

परियोजना की तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों के सक्षम स्तर पर तकनीकी परीक्षण में ग्राम कानिया को उक्त पेयजल परियोजना से जोड़ा जाना तकनीकी एवं आर्थिक रूप से उपयुक्त नहीं पाये जाने के कारण, ग्राम कानिया को बीसलपुर बांध आधारित भिनाय-मसूदा फ्लोराइड नियंत्रण की द्वितीय चरण की परियोजना से हर घर क्रियाशील जल संबंधों द्वारा मार्च, 2024 तक लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

सपोर्ट फोर पुष्कर प्रोजेक्ट हेतु गठित कमेटी

354. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तीर्थराज पुष्कर के विकास के लिए सहकारिता व सपोर्ट फोर पुष्कर प्रोजेक्ट होलिस्टिक एप्रोच एण्ड फोलोअप एवं रिपब्लिकेशन प्रोग्राम हेतु गठित उच्चस्तरीय कमेटी की कार्यावधि क्या थी? उक्त कमेटी का गठन

(श्री सुरेश सिंह रावत)

क्यों व कब तथा किस उद्देश्य से किया गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कमेटी की बैठकों में लिए गये निर्णयों एवं आदेशों की अनुपालना में क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के कहां-कहां किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

बूंदी पंचायत समिति में सरपंच का निलम्बन

355. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बूंदी पंचायत समिति के सरपंच को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने के दो माह पश्चात् भी अब तक निलंबित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सरपंच को निलंबित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उक्त सरपंच को निलंबित कर दिया गया है।

(2) जी हां। उक्त सरपंच को निलंबित कर दिया गया है।

संगरिया में आबादी के पट्‌टे

356. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया जा रहा है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र संगरिया के कितने गांवों के आबादी क्षेत्र में कितने पट्टे अब तक जारी किये गये हैं? ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांवों में आबादी क्षेत्र में पट्टों से वंचित रहे निवासियों को कब तक पट्टे जारी कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा राज्य में दिनांक 02 अक्टूबर, 2021

(पंचायती राज मंत्री)

से प्रशासन गावों के संग अभियान चलाया गया था। विधान सभा क्षेत्र संगरिया के 441 गांवों में आबादी क्षेत्र के कुल 3342 पट्टे जारी किये गये हैं। ग्राम पंचायतवार संख्या सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांवों में आबादी क्षेत्र में पट्टों से वंचित रहे पात्र निवासियों को नियमानुसार पट्टे दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

मावली में शौचालयों से वंचित परिवार

357. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली में स्वच्छ भारत मिशन शहरी व ग्रामीण के अन्तर्गत वर्तमान में कितने परिवार शौचालय से वंचित हैं? ग्रामवार परिवारों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शौचालय से वंचित रहे परिवारों को लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली में स्वच्छ भारत मिशन शहरी व ग्रामीण के अन्तर्गत वर्तमान में 1148 परिवार शौचालय से वंचित हैं। ग्रामवार परिवारों का संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

वर्तमान में नगरपालिका क्षेत्र में मकान बनाकर निवासरत परिवार शौचालय से वंचित नहीं है।

(2) जी हां। वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत शौचालय से वंचित परिवारों को लाभान्वित करने की प्रक्रिया जारी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लाडनूं में आवासीय पट्टे

358. श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार के प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में कितने लोगों ने आवासीय पट्टे हेतु आवेदन किया व कितने पट्टे जारी किये गये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभियान के तहत कितने आवेदनकर्ता पट्टे लेने से वंचित

(श्री मुकेश कुमार भाकर)

रहे? क्या सरकार वंचित रहे आवेदनकर्ताओं को पट्टे देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार के प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में आवासीय पट्टे हेतु 6134 आवेदन प्राप्त हुए एवं 5912 पट्टे जारी किये गये। प्राप्त आवेदन एवं जारी पट्टों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त अभियान के तहत विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में पट्टे लेने से वंचित रहे आवेदनकर्ताओं की संख्या शून्य है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सूरतगढ़ में खाद्य सुरक्षा योजना में अपीलें

359. श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने की अपील उपखंड अधिकारी के पास की जाती है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में जनवरी, 2019 से अब तक कितने आवेदन आये व कितने नाम जोड़े गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने का पोर्टल बंद कर रखा है? यदि हां, तो कब से व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जरूरतमंद पात्रता रखने वाले गरीब व्यक्तियों के नाम जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में जनवरी 2019 से अब तक प्राप्त 2841 (दो हजार आठ सौ इकतालीस) आवेदनों में से 420 (चार सौ बीस) अपील स्वीकार कर 1751 (एक हजार सात सौ इक्यावन) नाम जोड़े गये।

(2) भारत सरकार द्वारा प्रदेश की वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 4.46 करोड़ लाभार्थियों को चयनित किये जाने की सीलिंग निर्धारित की गई थी। भारत सरकार द्वारा

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

कवरेज में कोई भी संशोधन अगली जनगणना के जनसंख्या अनुमान आंकडे प्रकाशित होने के बाद संभव होने के कारण वर्तमान में दिनांक 18.05.2020 से खाद्य सुरक्षा योजना में नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं।

भारत सरकार को राजस्थान में वर्ष 2021 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर सीलिंग पुन: निर्धारित करने हेतु माननीय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा माननीय प्रधान मंत्री महोदय को दिनांक 09.12.2019, 22.04.2020, 25.08.2020, 20.07.2021, 29.12.2021 एवं 16.02.2022 से अ.शा. पत्र लिखे गये हैं।

(3) जी हां। उत्तर बिन्दु संख्या 2 में समाहित है।

जिला स्तर पर गठित बाल कल्याण समिति के कार्यकलापों की समीक्षा

360. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या बाल अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला स्तर पर गठित जिला बाल कल्याण समिति के कार्यकलापों की त्रैमासिक समीक्षा करना जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत 1 जनवरी, 2020 से अब तक कब-कब व कितनी बार उक्त समिति के कार्यकलापों की समीक्षा की गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समीक्षा के दौरान क्या-क्या दिशा-निर्देश समिति को दिये गये? जिलेवार समिति को दिये गये दिशा-निर्देशों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) 01 जनवरी, 2020 से अब तक बाल कल्याण समिति के कार्य कलापों की समीक्षा का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समीक्षा के दौरान बाल कल्याण समिति को दिये गये दिशा-निर्देशों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र

361. श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के क्या मापदंड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के मापदण्ड की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार की रोक है। स्थानीय प्रतिनिधियों/जन प्रतिनिधियों के द्वारा नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने संबंध में निरन्तर की जा रही मांग को देखते हुए मांग आधारित नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र की स्वीकृति के बाबत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र दिनांक 31.12.2020, 24.02.2021, 27.08.2021 व 21.01.2022 को भी पत्र लिखा गया, जिनके क्रम में भारत सरकार स्तर से स्वीकृति अपेक्षित है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

नोहर में समाज कल्याण की योजनाएं

362. श्री अमित चाचाण (नोहर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा समाज कल्याण हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? उक्त योजनाओं के तहत पात्र व्यक्तियों को क्या-क्या सुविधाएं व सहायता राशि प्रदान की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र नोहर में उक्त योजनाओं से कितने परिवार लाभान्वित हो रहे हैं? उक्त योजनाओं के अन्तर्गत पात्र परिवारों के कितने आवेदन लम्बित हैं? क्या सरकार उक्त पात्र परिवारों को उक्त योजनाओं में जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं देय सुविधाओं व सहायता राशि की सूचना परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नोहर मे उक्त योजनाओं से लाभान्वितों व पात्र परिवारों के लम्बित आवेदनों का विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

योजना की पात्रता रखने वाले सभी लाभार्थियों को बजट उपलब्धता के आधार पर लाभान्वित किया जा रहा है।

अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत विभाग द्वारा भिजवाये गये प्रस्तावों के अनुरूप भारत सरकार बजट प्राप्त नहीं होकर नोशनल एलोकेशन के आधार पर बजट प्राप्त होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग योजनान्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष हेतु प्राप्त बजट के अनुसार ही उसी वर्ष की विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जा रहा है।

(सूचना व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बेरोजगार युवाओं को उद्योग स्थापित करने हेतु देय सुविधाएं

363. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को स्वयं का व्यवसाय अथवा उद्योग स्थापित करने हेतु क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं तथा उनके लिए आवेदन की क्या प्रक्रिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक किन-किन युवाओं को कब-कब व कितना-कितना ऋण एवं अन्य सुविधाएं दी गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को स्वयं का व्यवसाय अथवा उद्योग स्थापित करने हेतु उद्योग विभाग द्वारा निम्नांकित 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें उद्यम स्थापना हेतु उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज अनुदान/मार्जिन मनी अनुदान की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं:

1. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन-योजना-राज्य सरकार की इस योजना अन्तर्गत विनिर्माण/सेवा क्षेत्र में नवीन उद्यम की स्थापना हेतु अधिकतम 10 करोड रु. एवं व्यापार क्षेत्र में अधिकतम 01

(उद्योग मंत्री)

करोड रु. तथा पूर्व स्थापित उद्यम के विविधीकरण/विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण हेतु अधिकतम 01 करोड़ रु. तक वित्तीय संस्थानों के माध्यम से विनिर्माण/सेवा/व्यापार उद्यम क्षेत्र में स्थापनार्थ प्रदत्त ऋण प्रकरणों में योजना के नियमानुसार 5 से 8 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान का लाभ प्रदान किया जाता है। योजनान्तर्गत आवेदन करने हेतु www.sso.rajasthan.gov.in पर लागइन करके मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के आईकन पर लागइन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

2. उक्त योजना के अतिरिक्त विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम संचालित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना अन्तर्गत नवीन इकाइयों के स्थापनार्थ 25 लाख रुपये तक का ऋण विनिर्माण उद्यम क्षेत्र एवं 10 लाख रुपये तक का ऋण सेवा उद्यम क्षेत्र हेतु बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर 15 से 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। योजनान्तर्गत आवेदन करने हेतु संधारित पीएमईजीपी ई-पोर्टल www.kviconline.gov.in पर लॉग-इन करके आवेदन कर सकते हैं।

(2) जिला कोटा के विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में वर्ष जनवरी, 2021 से जनवरी, 2022 तक युवाओं को मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण पर योजना के प्रावधान अनुसार ब्याज अनुदान एवं मार्जिन मनी अनुदान की सुविधा प्राप्त लाभार्थियों का विवरण संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीएसआर राशि से विद्यालयों का विकास

364. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकारी मापदण्डों के अनुसार प्रत्येक कम्पनी अपनी सी.एस.आर. राशि का न्यूनतम प्रतिशत विद्यालयों के विकास कार्यों पर खर्च कर सकती है? यदि हां, तो कितना प्रतिशत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संदीप कुमार)

(2) क्या सरकार उक्त के संबंध में कोई नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) देश में सीएसआर के क्रियान्वयन हेतु कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अन्तर्गत कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 लागू किये गये हैं जिसके अनुसार सीएसआर के दायरे में आने वाली कम्पनियों को उनके विगत 3 वर्षों में अर्जित शुद्ध लाभ के औसत का 2 प्रतिशत उस कम्पनी की सीएसआर समिति द्वारा निर्धारित नीति अनुसार शेडयूल-VII (एनेक्सर-1) में सम्मिलित गतिविधियों पर व्यय किये जाने का प्रावधान है। उक्त शेडयूल-VII में शिक्षा क्षेत्र भी सम्मिलित है।

(2) सीएसआर संबंधी नियम केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये हैं जिसके अनुसार कंपनी के सीएसआर कार्यक्रम/योजनाओं को अनुमोदित एवं लागू करने हेतु उस कंपनी की सीएसआर समिति पूर्णत: सक्षम है। राज्य सरकार द्वारा राज्य में कंपनियों द्वारा सीएसआर के क्षेत्र में राशि व्यय करने हेतु निरंतर विचार-विमर्श कर उन्हें सीएसआर गतिविधियों के संचालन हेतु प्रोत्साहित किया जाता है एवं राज्य में सीएसआर गतिविधियों में निवेश करने हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगंज में मां-बाड़ी योजना के कार्मिक

365. श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में मां-बाड़ी योजना के तहत कार्मिकों की नियुक्ति की गई है? क्या सरकार उक्त कार्मिकों को स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्मिकों को सरकार की ओर से क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? सुविधाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। योजना मार्गदर्शिका अनुसार मां-बाड़ी योजना के तहत शिक्षा सहयोगियों को जनजाति ग्राम विकास समिति द्वारा लगाया जाता है।

जी नहीं। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा स्वच्छ परियोजना के माध्यम से संचालित मां-बाड़ी केन्द्रों पर लगे शिक्षा सहयोगियों का चयन योजना मार्गदर्शिका अनुसार जनजाति ग्राम विकास समिति द्वारा निर्धारित मानदेय पर किया जाता है। इनके मानदेय का भुगतान भी जनजाति ग्राम विकास समिति द्वारा ही किया जाता है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में शिक्षा सहयोगियों को स्थायी करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) मां-बाड़ी कार्मिकों को स्वच्छ परियोजना द्वारा इनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, ग्राम विकास समिति के माध्यम से मानदेय दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें वर्ष में एक बार गणवेश दिया जाता है। वर्ष 2021-22 में इनके मानदेय में वृद्धि का आदेश दिनांक 11.12.2021 (प्रति संलग्न) को जारी किया गया।

निवाई में नवीन मां-बाड़ी केन्द्र

366. श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र निवाई में विगत तीन वर्षों में नवीन मां-बाड़ी केन्द्र खोले गये हैं? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2019 से 2021 तक कहां-कहां उक्त केन्द्र खोले गये? ग्राम पंचायतवार एवं वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र निवाई में पिछले तीन वर्षों में कुल-07 मां-बाड़ी केन्द्र खोले गये हैं। विधान सभा क्षेत्र निवाई में निम्नलिखित मां-बाड़ी केन्द्र वर्ष 2019 में खोले गये तथा उक्त मां-बाड़ी केन्द्र वर्तमान में चालू हैं-

क्र. सं.	मां-बाड़ी केन्द्र का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला
1.	श्रीराम की ढाणी	सवाई जयसिंहपुरा	सीदडा	निवाई	टोंक
2.	महला वाली ढाणी	सीदडा	सीदडा	निवाई	टोंक

(राज्य मंत्री,जनजाति क्षेत्रीय विकास)

क्र. सं.	मां-बाड़ी केन्द्र का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला
3.	कुंआ वाली ढाणी	तुर्किया	तुर्किया	निवाई	टोंक
4.	रेवड़ पटेल की ढाणी	जगसरा	हिंगोनिया बुजुर्ग	निवाई	टोंक
5.	झोंपड़ा की ढाणी	छौरिया	जोधपुरिया	निवाई	टोंक
6.	मन्ना की ढाणी	हिंगोनिया	खणदेवत	निवाई	टोंक
7.	चोरपुरा	चोरपुरा	खणदेवत	निवाई	टोंक

अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को आबंटित बजट

367. श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा आबंटित बजट का उपयोग कौन-कौनसे निर्धारित कार्य एवं गतिविधियों पर व्यय किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का बजट व्यय करने की कोई गाइडलाइन है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा आबंटित बजट का उपयोग बजट निर्णायक समिति में अनुमोदित एवं भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी में अनुमोदित योजनाओं में किया जाता है। वर्तमान में संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का बजट निर्णायक समिति में अनुमोदित एवं भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी में अनुमोदित योजनाओं के निर्धारित पैटर्न के तहत बजट खर्च किया जाता है तथा प्रत्येक योजना में राज्य/केन्द्र सरकार के अनुमोदन अनुसार राशि का व्यय किया जाता है, जिसका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

परिशिष्ट-01

मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 29 - **नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगी/करेंगे कि:-

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

1. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ की श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज व ड्रेनेज की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
2. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ की श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज की नई पाइप लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
3. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ की श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।
4. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ की श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ की श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति कराने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

6. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के नगर परिषद् की कच्ची बस्ती क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को पट्टा देने तथा चरागाह भूमि पर बसे परिवारों को अन्य भूमि पर बसा कर पट्टा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के नगर परिषद् क्षेत्र में आने वाली चरागाह भूमि को राजस्व विभाग से नगर परिषद् को देने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
8. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के नगर परिषद् क्षेत्र में स्थित सुखाड़िया स्टेडियम के विकास हेतु आवश्यक राशि की स्वीकृति जारी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
9. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के नगर परिषद्, प्रतापगढ़ में सफाईकर्मियों की भर्ती करने के संबंध में चर्चा के लिए।

10. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के नगर परिषद्, प्रतापगढ़ में जर्जर भवन के पुन: निर्माण हेतु आवश्यक राशि की स्वीकृति जारी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा):

11. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की ग्राम पंचायत बिलिया कलां में भीलवाड़ा यू.आई.टी. द्वारा विकास कार्य स्वीकृत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

12. विधान सभा क्षेत्र सहाडा के हमीरगढ़ एवं रायपुर को नगरपालिका बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

13. नगर विकास न्यास, अलवर को प्राधिकरण बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

14. अलवर नगर परिषद् को नगर निगम बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

15. अलवर शहर में रिंग रोड बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. अलवर शहर में नगर विकास न्यास द्वारा नई आवासीय कालोनियां बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

17. नगरपालिका, कपासन में स्टेडियम एवं इण्डोर स्टेडियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. नगरपालिका, कपासन में गुलाब सागर के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. नगरपालिका, कपासन का नया मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. नगरपालिका, कपासन में सब्जी मण्डी भवन बनाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. नगरपालिका, कपासन में पेयजल योजना की पुरानी लाइनों को बदल कर नई पाइप लाइनें डालने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

22. नगर परिषद्, बाड़मेर की सीमाओं का विस्तार एवं सफाई कर्मचारियों की भर्ती की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. बाड़मेर शहर के मास्टर प्लान में संशोधन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लाखन सिंह (करौली):

24. नगर परिषद्, करौली की नवीन कालोनियों में पेयजल लाइनें डालने, पुरानी पाइप लाइनों को बदलने, आवश्यकतानुसार हैण्डपम्प लगाने एवं शहरी पेयजल योजना के उपयुक्त संचालन एवं संधारण हेतु आवश्यक राशि स्वीकृत करने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

25. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के बड़े गांवों एवं नगरपालिका क्षेत्र के विकास के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

26. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की ग्राम पंचायत सिवाना को नगरपालिका बनाकर आय के नये स्रोत विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की नव गठित नगरपालिका का सीमांकन एवं वार्ड निर्धारण करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के अलावा अन्य पंचायतों के भाग को सम्मिलित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

28. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सिवाना उपखण्ड मुख्यालय पर बस स्टैण्ड का निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. प्रदेश में कमजोर आर्थिक स्थिति वालों एवं मध्यम वर्ग के व्यक्तियों हेतु आवास उपलब्ध करवाने के लिए सभी नगरपालिकाओं एवं नगर परिषदों में विशेष कार्ययोजना बनाकर लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. नगर परिषद्, बालोतरा द्वारा पूर्व में अवाप्त भूमि पर प्रस्तावित प्रोजेक्ट नहीं बनाये जाने से खाली पड़ी भूमि को पुन: संबंधित खातेदार को सुपुर्द किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना):

31. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक पार्क व खेल स्टेडियम बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

32. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के बाड़ी नगरपालिका को "बी" श्रेणी का दर्जा देने एवं अनुदान राशि बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

33. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में नगरपालिका, देवली एवं उनियारा के आस-पास बसी हुई आवासीय बस्तियों को नगरपालिका क्षेत्र में जोड़ने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा की नगरपालिका सीमा क्षेत्र में पुराने एवं जीर्ण-शीर्ण नालों की सफाई एवं मरम्मत कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

35. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा की नगरपालिकाओं में सीवरेज लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

36. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में जयपुर विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान को लागू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

37. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर के नगर निगम जोन में उपलब्ध संसाधनों के संबंध में चर्चा के लिए।

38. प्रदेश में चल रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान के संबंध में चर्चा के लिए।

39. जयपुर सीमान्तर्गत आगरा रोड को ईकोलोजिकल जोन से मुक्त कराने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी):

40. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के नगरीय क्षेत्रों के विकास के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

41. प्रदेश की सभी नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगरपालिकाओं में मास्टर प्लान को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42. प्रदेश की नगरपालिका, नगर परिषद् एवं नगर निगमों में अध्यक्ष, सभापति, मेयर का चुनाव सीधा जनता द्वारा करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की नगरपालिका में सीवरेज लाइन डालने व भूमिगत बिजली की लाइन डालने के संबंध में चर्चा के लिए।

44. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के चावण्ड-सराड़ा एवं केजड को मिलाकर नगरपालिका क्षेत्र घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

45. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में नगरपालिका द्वारा ठोस कचरा प्रबन्धन एवं निस्तारण की उचित व्यवस्था नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

46. कोटा शहर के रामगंज मण्डी क्षेत्र में स्वीकृत कार्य अविलम्ब प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

47. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में स्थित ब्यावर रोड एवं नसीराबाद रोड को जोड़ने वाली एक मात्र नारीशाला रोड पर स्थित विज्ञान नगर रेलवे फाटक पर फोरलेन आर.ओ.बी. बनाये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

48. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण की अमृत योजना में स्थित गढ़ी मालियान के नाले को पक्का बनाया जाकर वर्षा एवं गंदे जल की निकासी हेतु पुख्ता प्रबंध कर लोगों को प्रत्येक वर्षा ऋतु में जल भराव की समस्या से निजात दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49. प्रदेश में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर निगम, अजमेर द्वारा कच्ची बस्ती एवं अन्य प्रकार की भूमियों पर बसे नागरिकों को आवेदन करने के बावजूद भी पट्टा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

50. अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन गैर-योजना क्षेत्र में मूलभूत सुविधा का विकास नहीं किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में कृषि भूमि का आवासीय भूमि में नियमन कर पट्टा जारी करने की पत्रावलियों का लम्बे समय से निस्तारण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

52. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के मध्य से गुजरने वाली नागदी नदी के सौन्दर्यीकरण, सार्वजनिक कुंडों एवं लगभग तीन किलोमीटर गंदे नाले की सफाई की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के उपखण्ड मुख्यालय कोटड़ी में स्थित ग्राम पंचायत कोटड़ी को नगरपालिका घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के उपखण्ड मुख्यालय जहाजपुर में स्थित अति प्राचीन किले को विकसित करने के लिए सड़क एवं मंदिर का जीर्णोद्धार किये जाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

55. अलवर शहर के चारों ओर आउटर रिंग रोड का निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

56. प्रदेश में शहरों का विकास तीव्र गति से करने के संबंध में चर्चा के लिए।

57. यू.आई.टी. अलवर द्वारा अलवर शहर के विकास में उदासीनता बरते जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

58. प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड के मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने तथा हाउसिंग बोर्ड का विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिए।

59. यू.आई.टी. अलवर द्वारा अलवर शहर का विकास कार्य पूर्ण नहीं कराने व स्वीकृत बजट राशि को अलवर शहर के विकास में नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बाबू लाल (कठूमर):

60. विधान सभा क्षेत्र कठूमर की नगरपालिका खेरली के ग्राम खेरली रेल,

सोंखर एवं प्रीतमपुरा को जोड़ने के लिए जरूरी कदम शीघ्र उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. विधान सभा क्षेत्र कठूमर की नगरपालिका खेरली (कठूमर) में ग्राम खेरली रेल, सोंखर एवं प्रीतमपुरा को जोड़कर नयी विकास योजना के प्रस्ताव बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी) :

62. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) की नगरपालिका बस्सी में कृषि भूमि पर बसी हुई कालोनियों का नियमन कर उन में आवश्यक सुविधाओं का विकास करने के संबंध में चर्चा के लिए।

63. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में नगरपालिका क्षेत्र बस्सी को सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान के अनुसार सेक्टर रोड के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

64. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) के जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में आने वाले गांवों का सुनियोजित तरीके से विकास कर ग्रामीणों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

65. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) की नगरपालिका बस्सी को कृषि भूमि पर बसी हुई कालोनियों के नियमन के अधिकार देकर बस्सी का सुनियोजित विकास किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

66. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की नगर परिषद् बालोतरा के अम्बेडकर टाउन हाल का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में पार्कों के निर्माण तथा उनको विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के नगर परिषद् बालोतरा क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट तथा जनसुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

69. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के नगर परिषद् बालोतरा में गन्दे नाले का सौन्दर्यीकरण कर वाकिंग ट्रैक्स आदि का निर्माण कर जन उपयोगार्थ सार्वजनिक मनोरंजन एवं सामुदायिक केन्द्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा में विभिन्न श्रेणी के प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारियों तथा कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

71. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के सिरोही व शिवराज नगर में जोनल प्लान स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

72. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में आबूरोड नगरपालिका के विरुद्ध लम्बित मामलों में विभाग द्वारा सही पैरवी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

73. जिला कलेक्टर, सिरोही एवं सिरोही नगर परिषद् द्वारा सक्षमता के आधार पर खारिज मामलों में परिषद् द्वारा सक्षम स्तर पर कार्यवाही न करने के दर्जनों मामलों के संबंध में चर्चा के लिए।

74. सिरोही में सरगरा समाज व राजपूत समाज को छात्रावास के लिए भूमि आबंटित न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

75. विधान सभा क्षेत्र सिरोही में डी.टी.ओ. आफिस सिरोही से गोदूली चौराहा होते हुए शिवगंज रोड पर नगर परिषद् की मिलीभगत से आवासीय स्वीकृति देकर व्यावसायिक निर्माण कराकर करोड़ों रुपये की परिषद् को हानि पहुंचाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

76. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु चर्चा के लिए।

77. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के तहसील क्षेत्रों में पक्की नालियों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

78. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की नगरपालिका मालपुरा व टोडारायसिंह में विद्युत लाइनों को भूमिगत करवाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की ग्राम पंचायत बृजलाल नगर को नगरपालिका मालपुरा में सम्मिलित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

80. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के नगरपालिका क्षेत्र मालपुरा में स्थित बम्ब तालाब के सौन्दर्यीकरण के संबंध में चर्चा के लिए।

81. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की नगरपालिका मालपुरा व टोडारायसिंह के नवीन मास्टर प्लान को शीघ्र जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

82. नगर परिषद् क्षेत्र किशनगढ़ में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा पर लगाने के स्थान पर नये कर्मचारियों की भर्ती कर उन्हें लगाये जाने हेतु प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. प्रदेश में प्रशासन शहरों के संग अभियान में किशनगढ़ नगर परिषद् द्वारा बरती जा रही लापरवाही एवं जान-बूझकर शहर के विकास को अवरुद्ध करने एवं सरकारी जमीनों पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पट्टे देने के संबंध में चर्चा के लिए।

84. नगर परिषद् क्षेत्र किशनगढ़ में स्थित गोन्दोलाव झील में नालों/नालियों से जा रहे गन्दे पानी को अविलम्ब रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के नगर परिषद् शहरी क्षेत्र में हमीर सागर झील में करीबन 25 कालोनियों का गंदा पानी व स्लाटर हाउस की गदंगी को झील में जाने से रोकने एवं ड्रेनेज वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में किशनगढ़ नगर परिषद् द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वेंडिंग जोन बनाने के बावजूद भी वेन्डर्स को नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

87. विधान सभा क्षेत्र नदबई की नगरपालिका नदबई में नवीन सेंट्रल पार्क की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

88. विधान सभा क्षेत्र नदबई की नगरपालिका उच्चैन में पार्क निर्माण व सौन्दर्यीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89. विधान सभा क्षेत्र नदबई की नगरपालिका उच्चैन में डम्पिंग यार्ड निर्माण के लिए स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

90. हनुमानगढ़ जिले में नगर विकास न्यास (यू.आई.टी.) की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

91. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की नगरपालिका पीलीबंगा व रावतसर के मास्टर प्लान के संबंध में आमजन की राय व आपत्तियां मांगी जाकर पुन: संशोधित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. प्रदेश की स्वीकृत निजी आवासीय कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में आर.यू.आई.डी.पी. प्लान की स्वीकृति के बाद भी कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

94. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के नगरपालिका क्षेत्र सूरजगढ़ में सफाई व्यवस्था दुरुस्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की नगरपालिका क्षेत्र सूरजगढ़ में बढ़ती जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए टाउन हाल बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की सूरजगढ़ नगरपालिका में तालाब के जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की सूरजगढ़ नगरपालिका में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत व ड्रेनेज प्रणाली दुरुस्त किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

98. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की नगरपालिका में सीवरेज लाइन स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

99. विधान सभा क्षेत्र आहोर की ग्राम पंचायत आहोर को बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर नगरपालिका घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

100. विधान सभा क्षेत्र आहोर की ग्राम पंचायतों को मापदण्डानुसार नगरपालिका बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101. प्रदेश की ग्राम पंचायतों को मापदण्डानुसार नगरपालिका घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

102. कोटा जिले की नगरपालिका इटावा एवं सुल्तानपुर के नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाने एवं सूची तैयार करने में बरती गई अनियमितताओं की जांच के संबंध में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिए।

103. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में सूकरणी नदी की बाढ़ से इटावा (कोटा) नगर की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दीवारें व जलबंध निर्मित करवाये जाने तथा स्वच्छता के लिए नदी में गन्दे पानी को प्रवाहित होने से रोकने के लिए ट्रीटमेंट प्लान्ट की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104. नगर परिषद् बून्दी द्वारा बून्दा मीना पैनोरमा के लिए चिह्नित एवं कालेज हॉस्टल की भूमि को राजनीतिक दल को आबंटित करने से राजकीय महाविद्यालय बून्दी में अध्ययनरत छात्रों के अध्ययन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने के संबंध में चर्चा के लिए।

105. कोटा जिले के इटावा एवं सुल्तानपुर नगरों में सीवरेज कार्यों की आवश्यकता होने के बावजूद योजना स्वीकृति में किये जा रहे विलम्ब पर चर्चा के लिए।

106. कोटा जिले की नगरपालिका, इटावा द्वारा पूर्व की ग्राम पंचायत के नाम से जारी फर्जी पट्टों की विधिवत जांच के बिना ही उन्हें मान्यता देने से पनप रहे भ्रष्टाचार की जांच में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

107. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की अनूपगढ़ नगरपालिका में स्वीकृत कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

108. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की अनूपगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में वंचित मोहल्लों में स्ट्रीट लाइटों की समुचित व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की अनूपगढ़ नगरपालिका क्षेत्र स्थित

क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. अनूपगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के पार्कों के सौन्दर्यीकरण एवं जोगिंग ट्रैक्स और चारदीवारी का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. अनूपगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के सीवरेज कार्य की स्वीकृति, डीपीआर में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति का अभाव एवं राशि के दुरुपयोग होने से इसका भौतिक सत्यापन कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष):

112. उदयपुर नगर निगम को नगर विकास प्रन्यास से हस्तान्तरित क्षेत्र सुपुर्द करने के उपरांत भी उसमें पड़े रिक्त भूखण्डों को नहीं देने से नगर निगम के विकास में आ रही बाधाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

113. उदयपुर नगर विकास प्रन्यास क्षेत्र में सफाई एवं पानी की व्यवस्था का लाभ विभिन्न वार्डों में रहने वाले लोगों तक पहुंचाने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

114. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पेरीफेरी के गांवों से एकत्रित धन का उपयोग उनके विकास पर खर्च नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

115. उदयपुर नगर विकास प्रन्यास एवं नगर निगम के मध्य प्लाट के संबंध में हो रही हेरा-फेरी से उदयपुर की जनता में भारी असंतोष होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

116. नगर निगम उदयपुर में संचालित सिटी बसों की समुचित संख्या में व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

117. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की नगरपालिका, तखतगढ़ में टाउन हाल निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में एनएच-62 जाखानगर चौराहे से भगत सिंह चौराहे तक सड़क को चौड़ी कर डिवाइडर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में आउटडोर एवं इन्डोर स्टेडियम निर्माण करवाने में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की नगरपालिका क्षेत्र सुमेरपुर के सिंहप्रस्थ सरोवर व तखतगढ़ के तालाब पर घाट निर्माण, वाकिंग ट्रैक्स, शौचालय, लाइटिंग, पीचिंग एवं अन्य कार्य कर सौन्दर्यीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

121. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में शहर के गंदे पानी की निकासी के संबंध में चर्चा के लिए।

122. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में श्रीविजयनगर शहर के गंदे पानी की निकासी के संबंध में चर्चा के लिए।

123. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के रायसिंहनगर एवं श्रीविजयनगर शहर के सौन्दर्यीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

124. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के नगरपालिका मेड़ता सिटी में टाउन हॉल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के नगरपालिका मेड़ता सिटी में सीवरेज लाइन डाली जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

126. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता की नगरपालिका मेड़ता सिटी के जैतारण चौकी के पास स्थित ज्योति नगर कालोनी व अमर नगर कालोनी में आने वाले शहर के बरसाती पानी की निकासी के लिए बड़ा नाला बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

127. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के नगरपालिका मेड़ता सिटी क्षेत्र में बरसाती पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

128. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता की ग्राम पंचायत मेड़ता रोड को नगरपालिका बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

129. प्रदेश की तृतीय श्रेणी की नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़

करने के लिए अनुदान राशि में बढ़ोतरी और विशेष विकासात्मक योजनाओं की स्वीकृति पर चर्चा के लिए।

130. जिला भीलवाड़ा की शाहपुरा तृतीय श्रेणी की नगरपालिका क्षेत्र में एक टाउन हाल के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131. भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा नगरपालिका क्षेत्र में ठोस कचरा प्रबंधन एवं सीवरेज सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिए।

132. भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा नगरपालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासों के निर्माण पर चर्चा के लिए।

133. भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा नगरपालिका क्षेत्र में पार्कों के निर्माण एवं विकास तथा इंदिरा रसोई योजना के सुसंचालन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

134. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की फतेहपुर नगरपालिका को नगर परिषद् बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

135. प्रदेश के शहरों में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पड़े पदों को भरने एवं पदों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136. प्रदेश के शहरों में मकानों एवं जमीनों के पट्टे जारी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

137. प्रदेश के शहरों की बढ़ती आबादी के अनुरूप नियोजित प्लान बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

138. प्रदेश की विभिन्न नगरपालिकाओं में कर्मचारियों की भर्ती की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर):

139. श्रीगंगानगर शहर में आवारा पशुओं एवं श्वानों के आतंक से जनता को निजात दिलाने के लिए उन्हें निरुद्ध किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140. श्रीगंगानगर में यू.आई.टी. द्वारा गौतम बुद्ध आवासीय योजना शीघ्र प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

141. श्रीगंगानगर में मिनी सचिवालय के भवन का निर्माण शीघ्र कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

142. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में कृषि भूमि पर बसी कालोनियों को नियमित कर पट्टे जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

143. श्रीगंगानगर शहर में बारिश के पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

144. विधान सभा क्षेत्र मालवीय नगर में जर्जर सीवर लाइनों के स्थान पर नई सीवर लाइनें डाले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145. विधान सभा क्षेत्र मालवीय नगर स्थित नालों को कवर्ड कर खेल मैदान एवं पार्किंग स्थल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146. जयपुर स्थित करतारपुरा नाले का डिमार्केशन कर दोनों ओर पक्का किये जाने एवं दोनों ओर की बसी हुई कालोनियों में सीवर लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147. नगर निगम, ग्रेटर जयपुर द्वारा सिवाड़ एरिया, बापू नगर आवासों के सब-डिविजन की पत्रावलियां व राशि जमा कराने के उपरान्त भी पट्टे जारी नहीं किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

148. जयपुर स्थित लाल कोठी क्षेत्र की 13 कालोनियों के पट्टे जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

149. जालौर शहर में सीवरेज प्लांट फेज 2 की डी.पी.आर. को स्वीकृत कर कार्य शीघ्र प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

150. जालौर स्थित सुन्देलाव तालाब के चारों तरफ पद भ्रमण के योग्य मार्ग का निर्माण किये जाने एवं उस पर वाहनों का प्रवेश वर्जित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

151. जालौर नगर परिषद् सीमा में स्थित स्वर्ण गिरि दुर्ग पर पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाये जाने के लिए सड़क मार्ग का निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

152. जालौर नगर परिषद् को अग्निशमन वाहन (एक बड़ा एवं एक छोटा) उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153. जालौर नगर परिषद् के द्वारा संधारित बगीचों में खुले जिम स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा):

154. भीलवाड़ा नगर परिषद् की यू.आई.टी., भीलवाड़ा में बकाया राशि तत्काल नगर परिषद् को दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

155. भीलवाड़ा शहर में सीवरेज योजना के कार्यों के अन्तर्गत पूरे शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों को तत्काल आर.यू.डी.आई.पी. द्वारा नई बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. भीलवाड़ा शहर की 50 प्राइवेट कालोनियों की पेयजल आपूर्ति हेतु यू.डी.एच. द्वारा प्राइवेट कालोनियों हेतु बनाये गये कानूनों में संशोधन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. यू.आई.टी., भीलवाड़ा की पेरीफेरी में आने वाली पंचायतों में भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु जमीनों का पट्टा देने का अधिकार यू.आई.टी. में ही निहित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

158. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में प्रशासन गांवों/शहरों के संग अभियान के दौरान प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रगति व वंचित आवेदनकर्ताओं को पट्टा उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

159. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के कस्बा रतनगढ़, राजलदेसर व छापर में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत व सड़क विहीन गलियों में नई सड़कें बनवाकर आमजन को यातायात में हो रही परेशानियों से निजात दिलाने के संबंध में चर्चा के लिए।

160. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के कस्बा रतनगढ़, राजलदेसर व छापर की कच्ची बस्तियों में निवास कर रहे लोगों को आवास, विद्युत व पेयजल आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

161. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के कस्बा रतनगढ़ में पार्क निर्माण करने एवं परमाणा ताल में मिट्टी भराव के बाद नगर में उत्पन्न हुई जल भराव की समस्या के संबंध में चर्चा के लिए।

162. प्रदेश के नगरीय निकायों में अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

163. नगर परिषद्, चूरू में विभिन्न योजनाओं में निर्मित हो चुकी सड़कों का जान-बूझकर संबंधित को भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

164. चूरू नगर परिषद् क्षेत्र में अवैध निर्माणों को रोकने के लिए परिषद् के द्वारा दर्जनों नोटिस दिये जाने के उपरांत भी अवैध निर्माणों को नहीं रोके जाने तथा व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

165. विधान सभा क्षेत्र चूरू की चौपाटी का रख-रखाव नगर परिषद् चूरू द्वारा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

166. चूरू नगर परिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत चूरू-रतननगर, चूरू-घंटेल एवं चूरू-राजगढ़ सड़क पर बिना अनुमति के कृषि भूमि पर अवैध कालोनियों के पट्टे दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सबंध में चर्चा के लिए।

167. चूरू नगर परिषद् की पूर्व में स्वीकृत अमृत योजना (2016-17) की 39 करोड़ की राशि को कोटा अमृत योजना में स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

168. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के नगरपालिका क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 33 के.वी. जी.एस.एस. हेतु पट्टा जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की अशोक विहार एवं गणेश नगर आवासीय कालोनी में बिना अनुमति के फ्लैट बनाने के उपरान्त भी जे.डी.ए. द्वारा कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

170. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में करोड़ों रुपये की पेयजल पाइप लाइन बिना तकनीकी राय लिए डाले जाने तथा इनमें पानी नहीं आने से करोड़ों रुपये की बर्बादी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

171. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की नगरपालिका में स्वास्थ्य निरीक्षक के एक

पद पर तीन कर्मचारियों के पदस्थापन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

172. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की नगरपालिका द्वारा अवैध पार्किंग के नाम पर 500 रुपये तक की अवैध वसूली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

173. राजसमंद नगरीय क्षेत्र में एक सार्वजनिक उद्यान विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

174. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के समग्र विकास योजना हेतु बने मास्टर प्लान को वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में संशोधित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

175. राजसमंद नगर परिषद् क्षेत्र में 20 फीट एवं 30 फीट चौड़ी मार्ग वाली स्वीकृत आवासीय योजनाओं में पूर्व में बने हुए भवनों में छोड़े सेटबैक के अनुसार ही सेटबैक का प्रावधान रखकर भवन निर्माण की अनुमति दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

176. राजसमंद शहर में 100 फीट रोड पर शहीद उद्यान में महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

177. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद की नगर परिषद्, राजसमंद के नवनिर्मित कार्यालय भवन का नामकरण पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्रीमती किरण माहेश्वरी के नाम पर करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा):

178. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में एक सार्वजनिक उद्यान विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

179. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा की समग्र विकास योजना हेतु बने मास्टर प्लान को वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में संशोधित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

180. विधान सभा क्षेत्र आमेर एवं विधान सभा क्षेत्र हवामहल के वार्डों में सड़कों के नवीनीकरण/डामरीकरण करने, नई रोड लाइट्स, हाई-मास्ट लाइटें तथा बिजली के पोल लगाने तथा अन्य कार्यों को लेकर किये

जा रहे भेदभाव तथा आमेर के वार्ड संख्या 1 से 4 में सफाई कर्मचारियों की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

181. विधान सभा क्षेत्र आमेर के जाहोता मेन स्टैण्ड, भैरू जी मंदिर बेनाड़ (नांगल सिरस), नांगल पुरोहितान मेन स्टैण्ड, खोराश्यामदास मेन स्टैण्ड एवं रोजदा मेन स्टैण्ड पर हाई-मास्ट लाइट्स लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

182. विधान सभा क्षेत्र आमेर के सहरिया फॉर्म से महेशपुरा गांव, सरदारपुरा से चक रोजदा, हरचन्दपुरा से रोजदा, आछोजाई से सरदारपुरा, महेशवास कलां से महेशवास खुर्द सरदारपुरा पेट्रोल पंप से चतरपुरा, मोहनबाड़ी से जालसू दादर सड़क एवं हरदत्तपुरा राधास्वामी सत्संग भवन से सरनाडूंगर बावड़ी तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

183. विधान सभा क्षेत्र आमेर में जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्रांतर्गत जोन 10, 12 व 13 की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण/डामरीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

184. विधान सभा क्षेत्र आमेर के शहरी क्षेत्र में नगर निगम का कार्यालय आमजन की मांग को देखते हुए पूर्व की भांति संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

185. जिला अजमेर में फायसागर से पुष्कर जाने वाली सड़क पर स्थित खरेकडी पुलिया, जो विगत डेढ़ वर्ष से टूटी हुई है, को तत्काल दुरूस्त कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

186. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर स्थित अजयसर से अजयपाल मंदिर और आलूबाबा मंदिर से खरेकडी पुष्कर तक जाने वाली टूटी सड़क को शीघ्र पुन: बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

187. अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की सतत मॉनिटरिंग कराने एवं तय मापदण्डों का उल्लंघन करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

188. अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे एलिवेटेड रोड

निर्माण सहित सभी विकास कार्यों को कराने में तेजी लाने एवं तय समय पर पूरा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

189. अजमेर में फूस की कोठी योजना की 200 करोड़ की बेशकीमती जमीन सहित शहर में सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध निर्माणों को ध्वस्त किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

190. विधान सभा क्षेत्र नोखा में नोखा शहर के लिए निर्बाध व नियमित स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति एवं शहर के सीवरेज सिस्टम की दुरुस्ती हेतु 155 करोड़ रुपये की प्रस्तावित संयुक्त परियोजना की शीघ्र स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

191. विधान सभा क्षेत्र नोखा के नोखा शहर में खदानों पर बसे लोगों को चिन्हित कर अन्यत्र बसाने पर चर्चा के लिए।

192. विधान सभा क्षेत्र नोखा के नोखा शहर में महाराजा गंगासिंह जी व सेठ सुगनचंद जी की मूर्ति स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

193. विधान सभा क्षेत्र नोखा की नगरपालिका नोखा में कार्यरत सफाईकर्मियों का वेतन समय पर देने के संबंध में चर्चा के लिए।

194. विधान सभा क्षेत्र नोखा के नोखा शहर में क्षतिग्रस्त सड़कों का पेचवर्क कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

195. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की विभिन्न नगरपालिकाओं में कार्यरत सफाईकर्मियों को अन्यत्र लगाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

196. जयपुर एवं जोधपुर विकास प्राधिकरणों तथा विभिन्न नगर निगमों, परिषदों तथा नगरपालिकाओं में शीघ्रलिपिकों तथा कनिष्ठ सहायकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

197. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न नगर निकायों में सड़कों के पुनर्निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

198. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न नगर निकायों में प्रशासन शहरों के संग अभियान में किये गये कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

199. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के स्थानीय निकायों में रोड लाइटें खराब होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

200. जयपुर स्थित विधान सभा नगर धौलाई (मानसरोवर) में वर्ष 1994 में काश्तकारों द्वारा जमीनों का बेचान कर वर्ष 2008 में 90बी होने के उपरान्त भी भूखण्डधारियों के द्वारा आवास निर्माण कार्य में काश्तकारों द्वारा बाधा डालने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

201. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के नगर निगम रोड स्थित पीपलेश्वर शिवालय के सामने कचरा संग्रहण होने से तथा राजीव गांधी सेवा केन्द्र के पास बने शौचालय से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

202. जयपुर स्थित डिग्गी रोड पर सवाई माधोपुर रेलवे अंडरपास की चौड़ाई दोगुनी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

203. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कालोनियों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

204. जयपुर में विभिन्न गृह निर्माण समितियों की आवासीय योजनाओं के नियमन करने एवं उनके विकास कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

205. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में रामपुरा रोड रेलवे फाटक से डिग्गी रोड हेतु प्रस्तावित सेक्टर सड़क शीघ्र बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

206. कोटा यू.आई.टी. को कोटा विकास प्राधिकरण घोषित के कारण इसमें सम्मिलित होने वाले गांवों की सीमाओं तथा इनमें समान विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

207. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन की केशोरायपाटन, कापरेन, लाखेरी एवं इन्द्रगढ़ नगरपालिकाओं में विगत तीन वर्षों में हुए विकास कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

208. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के कोटा रंगपुर एवं केशवरायपाटन नाव मार्ग चम्बल नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

209. कोटा सम्भाग के नगरीय क्षेत्र में बसी कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

210. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के केशोरायपाटन, लाखेरी तथा इन्द्रगढ़ में खेल स्टेडियम का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर):

211. जोधपुर विकास प्राधिकरण की स्वयं की आवासीय कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं का विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

212. जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत निजी आवासीय कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं का विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

213. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर स्थित सुन्दर बालाजी पहाड़ी, उम्मेदसागर तथा श्याम मनोहर मंदिर को संयुक्त रूप से पर्यटन ठहराव की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

214. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर स्थित कायलाना एवं संलग्न क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण में गुम हुई पत्रावलियों की जांच अविलम्ब पूरी कराने तथा नवीनतम फाइल ट्रैंकिंग सिस्टम स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर):

215. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में एस.सी., एस.टी. कालोनियों में सामुदायिक भवन व वाचनालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

216. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के तीर्थराज पुष्कर में नगर सुधार न्यास की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

217. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में आवासन मण्डल का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-02

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़) का सदन पटल पर रखा गया वक्तव्य

1. सभापति महोदय, श्रीडूंगरगढ़ एक कटोरीनुमा कस्बा है, जिसमें गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। सीवरेज ड्रेनेज को लेकर बार-बार प्लान भी बनाये गये हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। मेरा सरकार से आग्रह है कि श्रीडूंगरगढ़ कस्बे में सीवरेज और ड्रेनेज के निर्माण हेतु इसी वर्ष में डीपीआर बनवाकर कार्य शुरू किया जावे।

2. सभापति महोदय, मेरा आग्रह है कि श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका के वार्ड नंबर 1 कालूबास नायकों के मोहल्ले में, वार्ड नंबर 3 में गौशाला के पास के मोहल्ले में, वार्ड 4 बावरियों के मोहल्ले में, वार्ड 15, 16 प्रताप बस्ती में, वार्ड 14, 18, 19, 20, 21 बिग्गाबास में, वार्ड 27, 28, 29, 30, 31, 32 आडसर बास में, वार्ड नंबर 40 में पानी की नई पाइप लाइन डालने की आवश्यकता है।

इसके अलावा श्रीडूंगरगढ़ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 6 ट्यूबवैलों का निर्माण तत्काल करवाया जावे ताकि गर्मी के मौसम में शहर में पेयजल की समुचित आपूर्ति की जा सकें। साथ ही जहां तात्कालिक पानी की जरूरत हो, वहां टैंकरों से पानी सप्लाई की व्यवस्था की जावें।

3. सभापति महोदय, श्रीडूंगरगढ़ शहर में गंदे पानी की निकासी के लिए नगरपालिका द्वारा दो पाइप लाइनें डाली गई थीं, जिनसे आज तक कहीं भी पानी की निकासी नहीं हुई है। मेरा सरकार से आग्रह है कि इस भ्रष्टाचार की जांच कराई जावे और श्रीडूंगरगढ़ के जोहड़ों में एकत्रित होने वाले गंदे पानी की निकासी के लिए उचित प्रबंधन किया जावे।

4. सभापति महोदय, श्रीडूंगरगढ़ एक बहुत बड़ा कस्बा है लेकिन इस कस्बे में आज भी खेल स्टेडियम का अभाव है जिससे युवाओं को खेल संबंधी तैयारियां करने में परेशानी उठानी पड़ती है। मेरी सरकार से मांग है कि श्रीडूंगरगढ़ कस्बे में खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जावे।

5. सभापति महोदय, श्रीडूंगरगढ़ कस्बे के नेशनल हाईवे 11 पर घूमचक्कर चौराहा पर प्राइवेट बस स्टैण्ड नहीं होने के कारण प्रतिदिन हजारों यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। यहां नेशनल हाईवे पर वन विभाग की भूमि है और प्राइवेट बस स्टैण्ड बनाने के लिए इस भूमि का उपयोग लिया जा सकता है।

मेरी सरकार से मांग है कि श्रीडूंगरगढ़ में नेशनल हाईवे पर प्राइवेट बस स्टैण्ड का निर्माण करवाया जावे।

6. सभापति महोदय, श्रीडूंगरगढ़ शहर में सफाई व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाने के लिए सफाई कर्मचारियों की नई भर्ती की जावे क्योंकि वर्तमान में श्रीडूंगरगढ़ के बड़े आबादी क्षेत्र को देखते हुए नाममात्र के सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं, जिससे शहर में सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि श्रीडूंगरगढ़ शहर में सफाई कर्मचारियों की नई भर्ती की जावे।